नालको NALCO

33वीं वार्षिक रिपोर्ट
2013-14

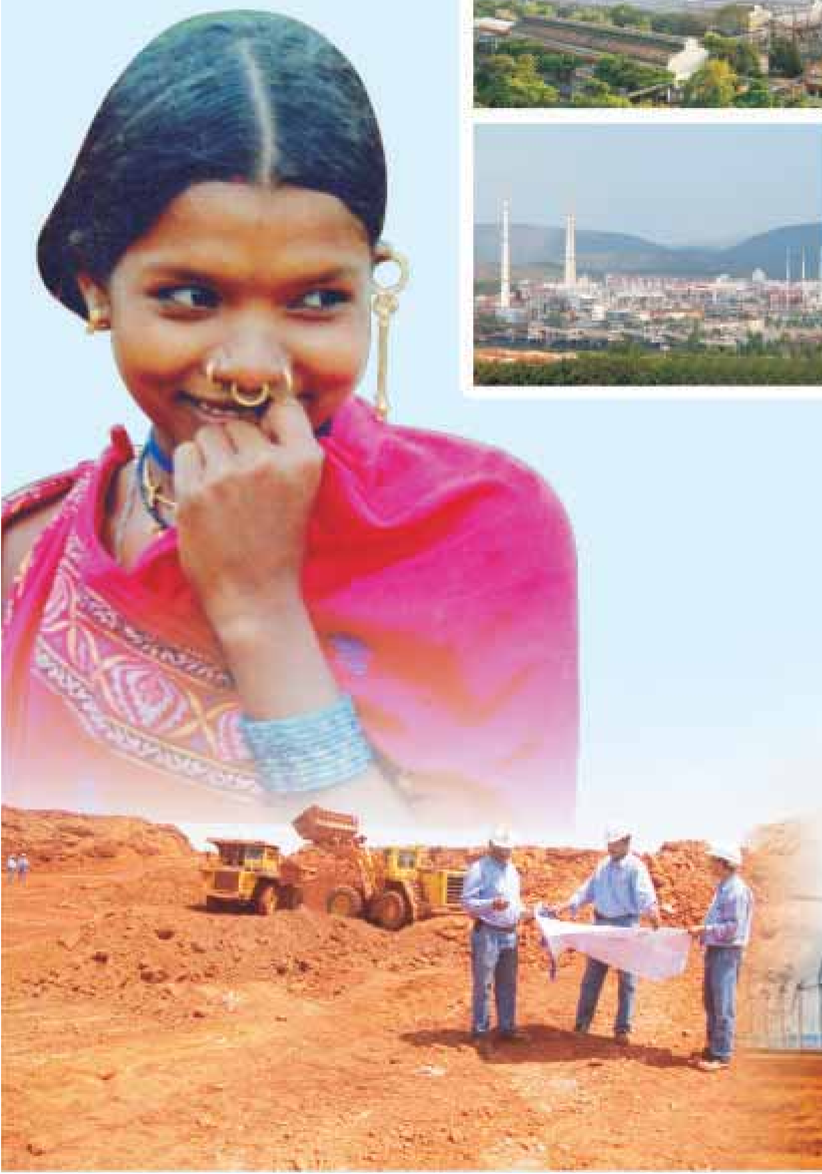

प्रदर्शन...
पोषण, विकास और खुशी

लक्ष्य

धातु एवं ऊर्जा क्षेत्रों में
एक सम्माननीय
वैश्विक कम्पनी बनना

वर्ष एक नजर में

विवरण	ईकाई	2013-14
मौतिक		
बॉक्साइट	एमटी	**62,92,677**
एल्यूमिना हाइड्रेट	एमटी	**19,25,000**
एल्यूमिनियम	एमटी	**3,16,492**
बिजली (निवल)	एमयू	**4,989**
पवन विद्युत	एमयू	**144**
वित्तीय		
निर्यात कारोबार	₹ करोड़ में	**3,719**
सकल बिक्री	₹ करोड़ में	**7,024**
कर पूर्व लाभ	₹ करोड़ में	**918**
कर पश्चात लाभ	₹ करोड़ में	**642**
प्रति शेयर आय	₹	**2.49**
प्रति शेयर बुक वैल्यू	₹	**47.04**
लाभांश	₹ प्रति शेयर	**1.50**

विषय सूची

वर्ष एक नजर में	1
निदेशकों की रिपोर्ट	7
व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट	17
कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	36
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	55
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	64
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	67
वार्षिक लेखा	68
नकद प्रवाह विवरण	70
5 वर्षों का कार्य निष्पादन – एक नजर में भौतिक एवं वित्तीय	95
कार्यालय एवं ग्राहक सम्पर्क केन्द्र	98

पंजीकृत कार्यालय एवं निगम कार्यालय
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
CIN: L27203OR1981GOI000920
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1,
नयापल्ली, भुवनेश्वर–751 013 (ओड़िशा)
फोन नं. 0674–2301988–999, फैक्स : 0674–2300677
ई–मेल: investorservice@nalcoindia.co.in
वैबसाइट: www.nalcoindia.com

33वीं वार्षिक आम बैठक

शनिवार, 27 सितम्बर, 2014 को प्रातः 11.00 बजे
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली,
भुवनेश्वर–751 013

निदेशक मण्डल

श्री अंशुमान दास

श्री अंशुमान दास कम्पनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं।

29.04.1955 को जन्मे श्री अंशुमान दास ने वर्ष 1976 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (पूर्व में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज), राउरकेला से यांत्रिक इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री हासिल की। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हुल, यूनाइटेड किंग्डम से एमबीए की डिग्री धारण की है। श्री दास ने अपने कॅरिअर की शुरूआत हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में प्रबंध प्रशिक्षु के तौर पर की और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), चेन्नई से एयरोनाटिकल उत्पादन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा किया। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के तौर पर अपनी नियुक्ति से पूर्व श्री दास नालको के बोर्ड में निदेशक (वाणिज्यिक) थे।

उनके पास नालको में 30 वर्षों से अधिक का व्यावसायिक अनुभव है और संगठन में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रबंधन पद धारण किए हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें थोड़े समय के लिए नालको में निदेशक (वित्त) और निदेशक (मानव संसाधन) का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। श्री दास नालको के प्रारंभिक परियोजना कार्यों के साथ जुड़े थे और उनके पास कम्पनी के परियोजना प्रबंध एवं वाणिज्यिक कार्यों का समृद्ध अनुभव है। कम्पनी के विकास एवं विविधीकरण के लिए विभिन्न नीतियों एवं कार्यनीतियों को बनाने एवं उनके कार्यान्वयन में उनकी अहम भूमिका रही है। उनके नेतृत्व में कम्पनी ने टीमवर्क के साथ कई उपलब्धियां एवं पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

उद्योग में अपने योगदान के लिए श्री दास राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों में एक जाने माने उद्योग विशेषज्ञ हैं। वह विभिन्न उद्योग संगठनों जैसे भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), ईईपीसी इंडिया (पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग निर्यात प्रोत्साहन परिषद), भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफआईएमआई), एल्यूमिनियम एशोसिएशन ऑफ इंडिया (एआईआई) में प्रमुख अधिकारी और जेवियर विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर के निदेशक मंडल के सदस्य हैं।

श्री एस.एस. महापात्र

श्री एस.एस. महापात्र 01.10.2011 से कम्पनी के निदेशक (उत्पादन) हैं।

20.12.1954 को जन्मे श्री एस.एस. महापात्र ने यूसीई, बुर्ला से यांत्रिक इंजीनियरिंग में बी.एससी (इंजीनियरिंग) और आईआईएमएम, बंगलौर से सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री भी धारण की है।

श्री महापात्र ने अपने कॅरिअर की शुरूआत मैसर्स प्रेसेल्स प्राइवेट लिमिटेड से की और बाद में 1982 में नालको में कार्यग्रहण किया। उनके पास बॉयलर विनिर्माण उद्योग से लेकर एल्यूमिनियम उद्योग तक 34 वर्षों का विविध अनुभव है।

श्री महापात्र ने प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्वदेशी विकास, सक्रिय एवं भावी सूचक अनुरक्षण प्रणालियों और कास्टिंग तथा रोलिंग सुविधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने गुणवत्ता, पर्यावरण एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। चार प्रचालनरत ईकाइयों का ओएचएसएएस 180001, आईएसओ 14001 प्रमाणीकरण के अलावा, एल्यूमिना रिफाइनरी एवं कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) को आईएसओ 50001 प्रमाणीकरण मिला है। उनके नेतृत्व में कैप्टिव पावर प्लांट की महत्वपूर्ण और जीवनरेखा परियोजना "पतले घोल के माध्यम से खानों में राख का न्यूनतम निपटान" ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

श्री महापात्र इंस्टीटयूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के फेलो, भारतीय धातु संस्थान के आजीवन सदस्य और भारतीय वेल्डिंग संस्थान के आजीवन सदस्य हैं और प्रतिष्ठित नॉन–फेरस खनिजों की स्थाई समिति एवं भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफआईएमआई) के स्थानापन्न उपाध्यक्ष के तौर पर हैं। वे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के स्वायत्त संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउण्ड्री एवं फोर्ज टेक्नोलॉजी (एनआईएफएफटी) के निदेशक मंडल के सदस्य भी हैं। श्री महापात्र को वर्ष 2012–13 के लिए पंचपाटमाली बॉक्साइट माइन्स में पर्यावरण संरक्षण एवं सतत् माइनिंग के लिए माननीय खान मंत्री से भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफआईएमआई) द्वारा संस्थापित व्यक्तिगत प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया है।

श्री एन.आर. महान्ति

श्री एन.आर. महान्ति 01.02.2012 से कम्पनी के निदेशक (पीएंडटी) हैं।

13.01.1957 को जन्मे श्री महान्ति ने 1980 में एनआईटी, राउरकेला से यांत्रिक इंजीनियरिंग में बी.एससी. इंजी. (ऑनर्स) में स्नातक उपाधि अर्जित की और उन्हें संबलपुर विश्वविद्यालय का "उत्कृष्ट स्नातक" का सम्मान मिला। उन्होंने एलएंडटी और बाल्को में कार्य करने के पश्चात 1986 में नालको में कार्यग्रहण किया तथा निदेशक (पीएंडटी) बनने से पूर्व महाप्रबंधक (ओएंडएम) और महाप्रबंधक (स्मेल्टर) आदि विभिन्न पदों पर कार्य किया। नालको के व्यवसाय विकास विभाग में कार्यरत रहते हुए उन्होंने नालको की नई विज़न और मिशन योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्यकाल के दौरान नालको स्मेल्टर ने 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग हासिल किया और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, 2011 के लिए एल्यूमिनियम क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार हासिल किया। उन्होंने गांडिकोटा, आन्ध्र प्रदेश में 50.4 मेगावाट की पहली पवन विद्युत परियोजना और जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मेगावाट की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना और निगम कार्यालय में ग्रिड से जुड़े छत में लगने वाले सौर संयंत्र को पूरा करने के साथ नालको को "हरित ऊर्जा" के क्षेत्र में सफलतापूर्वक योगदान दिया। भुवनेश्वर स्थित टाउनशिप में ग्रिड से जुड़े एक और 100केडब्ल्यूपी छत में लगने वाले सौर संयंत्र को स्थापित किया जा रहा है। उनके निर्देशन में विदेश में 0.5 एमटीपीए स्मेल्टर प्लांट की व्यवहार्यता के अन्वेषण के अलावा कई अन्य घरेलू परियोजनाएं जैसे कि गुजरात में 1 मिलियन टीपीए एल्यूमिना रिफाइनरी, दामनजोड़ी में वर्तमान रिफाइनरी में 1 मिलियन टीपीए 5वां स्ट्रीम, सुन्दरगढ़ जिला ओडिशा में 0.5 मिलियन टीपीए स्मेल्टर एवं कैप्टिव पावर प्लांट, जीएसीएल के साथ 2 लाख टीपीए कास्टिक सोडा प्लांट, पीजीसीआईएल के साथ जेवी में 60,000 टीपीए एल्यूमिनियम कंडक्टर प्लांट, भारत में एक या दो स्थानों पर 100 मेगावाट पवन विद्युत प्लांट, दामनजोड़ी में नालको की बॉक्साइट खानों के बाहर 14 मेगावाट पवन विद्युत प्लांट, उपयुक्त स्थान पर 15 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना, भारतीय रेयर अर्थ लि. के साथ जेवी में उपयुक्त आकार के टाइटेनियम स्लैग प्लांट तेजी से बनाए जा रहे हैं। वे भारतीय खनिज संस्थान के आजीवन सदस्य, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के फेलो सदस्य और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग के सदस्य हैं।

निदेशक मण्डल

श्री एस.सी. पाढ़ी

श्री एस.सी. पाढ़ी 20.12.2012 से कम्पनी के निदेशक (मानव संसाधन) हैं।

3 जून, 1956 को जन्मे श्री पाढ़ी ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय, ओडिशा से श्रम एवं कल्याण में स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने 1979 में टाटा माइन्स से अपने कॅरिअर की शुरूआत की और टाटा माइन्स, एनटीपीसी और एसजेवीएनएल में अपने कार्य प्रदर्शन के माध्यम से मानव संसाधन के प्रबंधन में व्यापक अनुभव प्राप्त किया। एसजेवीएनएल में शेष स्कोर के सिद्धान्त पर आधारित 'कार्यनिष्पादन से जुड़ा वेतन (पीआरपी)' के कार्यान्वयन तथा बहाली और पुनः तैनाती के जरिए मानव शक्ति के प्रभावी इस्तेमाल सहित 'मानवशक्ति का युक्तिसंगत' किया जाना उनके प्रमुख योगदानों में शामिल है। श्री पाढ़ी एनआईपीएम मध्य जोन के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। उन्हें सितंबर, 2012 में एशिया पेसिफिक मा.सं.वि. कांग्रेस ने श्रेष्ठ मा.सं. नेतृत्व–2012 प्रदान किया गया है।

श्री पाढ़ी नालको में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक (मा.सं.) थे। एमसीएल में उनके प्रमुख योगदान मा.सं.वि. परियोजना प्रभावित परिवारों के आरएंडआर, ठेका श्रमिकों के सांविधिक और गैर–सांविधिक कल्याण उपायों का कड़ाई से अनुपालन के संबंध में थे।

श्री के.सी. सामल

श्री के.सी. सामल 03.01.2014 से कम्पनी के निदेशक (वित्त) हैं।

20.08.1958 को जन्मे श्री सामल निदेशक (वित्त) का कार्यग्रहण करने से पूर्व कम्पनी के कार्यपालक निदेशक (वित्त) के तौर पर कार्यरत थे।

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य श्री सामल ने ट्रेजरी कार्यों, विदेशी विनिमय प्रबंधन, कॉर्पोरेट लेखा, बजटिंग एवं कंट्रोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वे 1999 में हुई कम्पनी की पूंजी पुर्नसंरचना के साथ जुड़े थे जिससे पूंजी आधार में कमी आई और कम्पनी के ईपीएस में बढ़ोत्तरी हुई। उन्होंने वित्त क्षेत्र में बड़े स्तर पर कम्प्यूटरीकरण, विदेशी ऋण प्रबंधन, विदेशी विनिमय प्रभावन के अधीन जोखिम प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों जैसे एक्सआईएमबी, उत्कल विश्वविद्यालय, केआईआईटी, आईसीएआई आदि में आगुन्तक संकाय सदस्य के तौर पर भी जुड़े रहे।

सुश्री सोमा मंडल

सुश्री सोमा मंडल 11.03.2014 से कम्पनी की निदेशक (वाणिज्यिक) हैं।

21.04.1963 को जन्मी सुश्री सोमा मंडल ने वर्ष 1984 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला से विद्युत इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि प्राप्त की। उन्होंने नालको में स्नातक अभियंता प्रशिक्षु के तौर पर अपना कॅरियर शुरू किया और प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ के एक भाग के रूप में विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन गतिविधियों में शामिल रही।

उनके पास एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम के विपणन में व्यापक अनुभव है और कम्पनी के क्षेत्रीय एवं निगम कार्यालय दोनों में 27 वर्ष विपणन विभाग में कार्य करने के साथ वे उद्योग के वैश्विक एवं घरेलू परिदृष्य को गहराई से समझती हैं। विभिन्न उद्योग मंचों में उनके योगदान के लिए एल्यूमिना उद्योग में वे जानी मानी महिला हैं। घरेलू एवं विदेशी बाजार में नालको के विभिन्न उत्पादों की विपणन नीतियों को बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है तथा कम्पनी द्वारा विभिन्न उत्पादों की शुरूआत में भी उन्होंने सक्रिय योगदान दिया है। उनके निर्देशन में विपणन एवं सामग्री प्रबंधन कार्यों में कई प्रणालीगत सुधार पहलों को कार्यान्वित किया गया ।

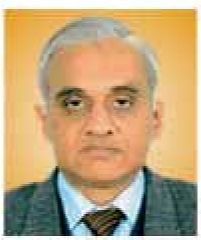

श्री आर. श्रीधरन

श्री आर. श्रीधरन 30.08.2013 से कम्पनी के अंशकालिक आधिकारिक निदेशक हैं।

श्री आर. श्रीधरन खान मंत्रालय में अतिरिक्ति सचिव हैं।

श्री जी.पी. जोशी

श्री जी.पी. जोशी 15.09.2011 से कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक हैं।

1955 में जन्मे श्री जोशी के पास भौतिक और अंतर्राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं के प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री तथा वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हैं। वे 1978 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और 2008 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। उनके पास केन्द्र और मणिपुर तथा गुजरात राज्य सरकारों में विभिन्न पदों में तीस वर्षों का अनुभव है। उन्होंने हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, सराफ फूड्स लिमिटेड और पीचिज एंड प्लम्स रिसार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्डो के निदेशक के रूप में सेवा की है।

निदेशक मण्डल

श्री एस.एस. खुराना

श्री एस.एस. खुराना 15.09.2011 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक हैं।

रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन प्रधान सचिव श्री खुराना (आईआईटी/रूड़की के पूर्व छात्र) भारतीय रेलवे के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों में 38 वर्षो का मजबूत प्रशासनिक, निगम, प्रबंधन और तकनीकी अनुभव रखते हैं। रेल मंत्रालय में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के सर्वोच्च स्तर के पद के अलावा उन्होंने सदस्य स्टाफ, रेलवे बोर्ड, और भारत सरकार के पदेन सचिव, पूर्व तट रेलवे और पूर्वी रेलवे के जोनल रेलवे के महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे की एडीआरए प्रभाग के मंडल रेल प्रबंधक जैसे अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने रेल मंत्रालय के दो महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अर्थात् इरकॉन इंटरनेशनल लि. और डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के अध्यक्ष आदि कार्यों का निर्वहन किया। उन्होंने इलाहाबाद में रेल विद्युतीकरण के मुख्य वैद्युत अभियंता और अम्बाला के रेल विद्युतीकरण के मुख्य परियोजना प्रबंधक के तौर पर भी कार्य किया। श्री खुराना ने "स्टर्न बिजनेस स्कूल, न्यूयार्क, अमेरिका" से उन्नत नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने अध्ययन दौरों के साथ–साथ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के निरीक्षण, डिजाइन एवं विकास के लिए कई देशों को दौरा किया। उन्होंने इन देशों में रेलवे के बारे में व्यापक अनुभव एवं ज्ञान प्राप्त किया है।

श्री मधुकर गुप्ता

श्री मधुकर गुप्ता 27.12.2011 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक हैं।

श्री मधुकर गुप्ता राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं। वे 1971 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। उनके पास केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य सरकारों में 38 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे गृह सचिव, भारत सरकार के पद से सेवानिवृत्त हुए। इससे पूर्व उनके द्वारा धारित पदों में केन्द्र सरकार में उर्वरक और युवा मामले तथा खेल मंत्रालय/विभागों के सचिव, खान विभाग में अपर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, और क्षेत्रीय निदेशक (मध्य पूर्व) भारतीय निवेश केन्द्र, अबु धाबी, और मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार तथा अन्य महत्वपूर्ण पद, जिनमें राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र शामिल हैं, सम्मिलित हैं। वे क्वीन एलिजाबेथ हाउस, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में अधिसदस्य थे और पूर्व में उन्होंने तूरिन, इटली में आईएलओ सेन्टर से ग्रामीण विकास परियोजनाएं : डिजाइन एवं मूल्यांकन में डिप्लोमा प्राप्त किया। उन्होंने झारखंड में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल के सलाहकार के तौर पर भी काम किया।

श्री जी.एच. अमिन

श्री जी.एच. अमिन 27.12.2011 से कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक हैं।

28.03.1947 को जन्मे श्री जी.एच. अमिन विज्ञान स्नातक हैं और उन्होंने विधि में डिग्री हासिल की है। वे गुजरात उच्च न्यायालय में 38 वर्षों से अधिवक्ता के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। वे गुजरात अधिवक्ता परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी हैं।

श्री अमिन ने भारत में सहकारी क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। वे अहमदाबाद जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. के अध्यक्ष और दि कासमोस सहकारी बैंक लि. (बहु राज्य बैंक) के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। वे नेशनल को–ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया–नई दिल्ली के अध्यक्ष थे। वे बहु राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 की समीक्षा और उसमें संशोधन के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्य थे। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के भूतपूर्व कोर्ट सदस्य तथा गुजराज विश्वविद्यालय, अहमदाबाद के पूर्व सिंडीकेट सदस्य थे। उन्होंने कई पुरस्कार अपने नाम किए हैं। सहकारी प्रबंधन में सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यूएनओ और यूनेस्को से इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेटर्स फॉर वर्ल्ड पीस से प्रशंसा पत्र प्राप्त किया। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी ने श्री अमिन को वर्ल्ड पीस डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किए गए "सहाकर विश्व शिरोमणि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार" प्राप्त करने पर "सहकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार–2013" से सम्मानित किया।

श्री केसर शमीम

श्री केसर शमीम 10.07.2012 से कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक हैं।

05.06.1951 को जन्मे श्री केसर शमीम ने लखनऊ विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए और एलएलबी की। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बथ, यू. के. से वित्तीय अध्ययन में एम.एससी. की है। उन्होंने हितोत्सुबाशी यूनिवर्सिटी, टोकियो, जापान से अर्थशास्त्र में अनुसंधान किया है। उन्होंने केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, हारवर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए से ट्रेड प्रोग्राम, हितोत्सुबासी यूनिवर्सिटी, ओसाका, जापान से जापानी भाषा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी किया है। वे 1974 में आईआरएस में शामिल हुए और भारत सरकार के विभिन्न पदों पर 37 वर्षों का अनुभव रखते हैं। उन्होंने वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के तौर पर कार्यरत रहते हुए वस्त्र निर्यात और डब्ल्यूटीओ वार्ताओं आदि की देखरेख की। मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली के रूप में सेवानिवृत्ति से पूर्व उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में सेवा की। श्री शमीम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामलों के विशेषज्ञ हैं जिन्होंने देश के बड़े सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निगमों में कामकाज की बड़े पैमाने पर देखरेख की। श्री शमीम भारतीय हज समिति के अध्यक्ष हैं।

श्री संजीव बत्रा

श्री संजीव बत्रा 10.07.2012 से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक हैं।

17.09.1950 को जन्मे श्री संजीव बत्रा ने आईआईटी, नई दिल्ली से बी. टेक (इलेक्ट्रिकल) डिग्री तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए किया है। उन्होंने आईआईएफटी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी पूरा किया है। उनके पास सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विपणन, कार्यनीतिक नियोजन, व्यापार विविधीकरण, वस्तुओं के आयात और निर्यात हेतु निधि निर्धारण, आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन और संभारतंत्र तथा व्यापार से संबंधित अवसंरचना के प्रोत्साहन के क्षेत्र में 40 वर्षों का अनुभव है। अंत में उन्होंने एमएमटीसी लिमिटेड के सीएमडी के तौर पर काम किया। सार्वजनिक निजी भागीदारी मार्ग अपनाते हुए एमएमटीसी को एक समेकित एकजुटता प्रदान करने हेतु बदलाव के लिए उनकी अहम भूमिका रही। वे मिडईस्ट स्टील कम्पनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक और न्यू जेन रिसोर्सिंग प्रा. लि., सिंगापुर में प्रबंध निदेशक भी हैं।

कार्यपालक निदेशकगण

श्री एन. सुंदराय
कार्यपालक निदेशक (सामग्री)

श्री ए.के. साहू
कार्यपालक निदेशक (एच एंड ए)

श्री वी. बालासुब्रमणियम
कार्यपालक निदेशक (उत्पादन)

श्री संजीव के. राय
कार्यपालक निदेशक (एस एंड पी)

श्री एस.के. दास
कार्यपालक निदेशक (पी एंड टी)

श्री आर.के. मिश्रा
कार्यपालक निदेशक (एम एंड आर)

श्री पी.के. महान्ति, आईएएस
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री के.एन. रविंद्र
कम्पनी सचिव

शीर्ष प्रबंधन

बायें से दायें : सर्वश्री एस.एस. महापात्र, निदेशक (उत्पादन), एस.सी. पाढ़ी, निदेशक (मानव संसाधन), पी.के. मोहंती, आईएएस, मुख्य सतर्कता अधिकारी, एन.आर. मोहन्ति निदेशक (पी एंड टी), अंशुमान दास, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, के.सी. सामल, निदेशक (वित्त), सुश्री सोमा मंडल, निदेशक (वाणिज्यिक), के.एन. रविंद्र, कम्पनी सचिव

निदेशकों की रिपोर्ट

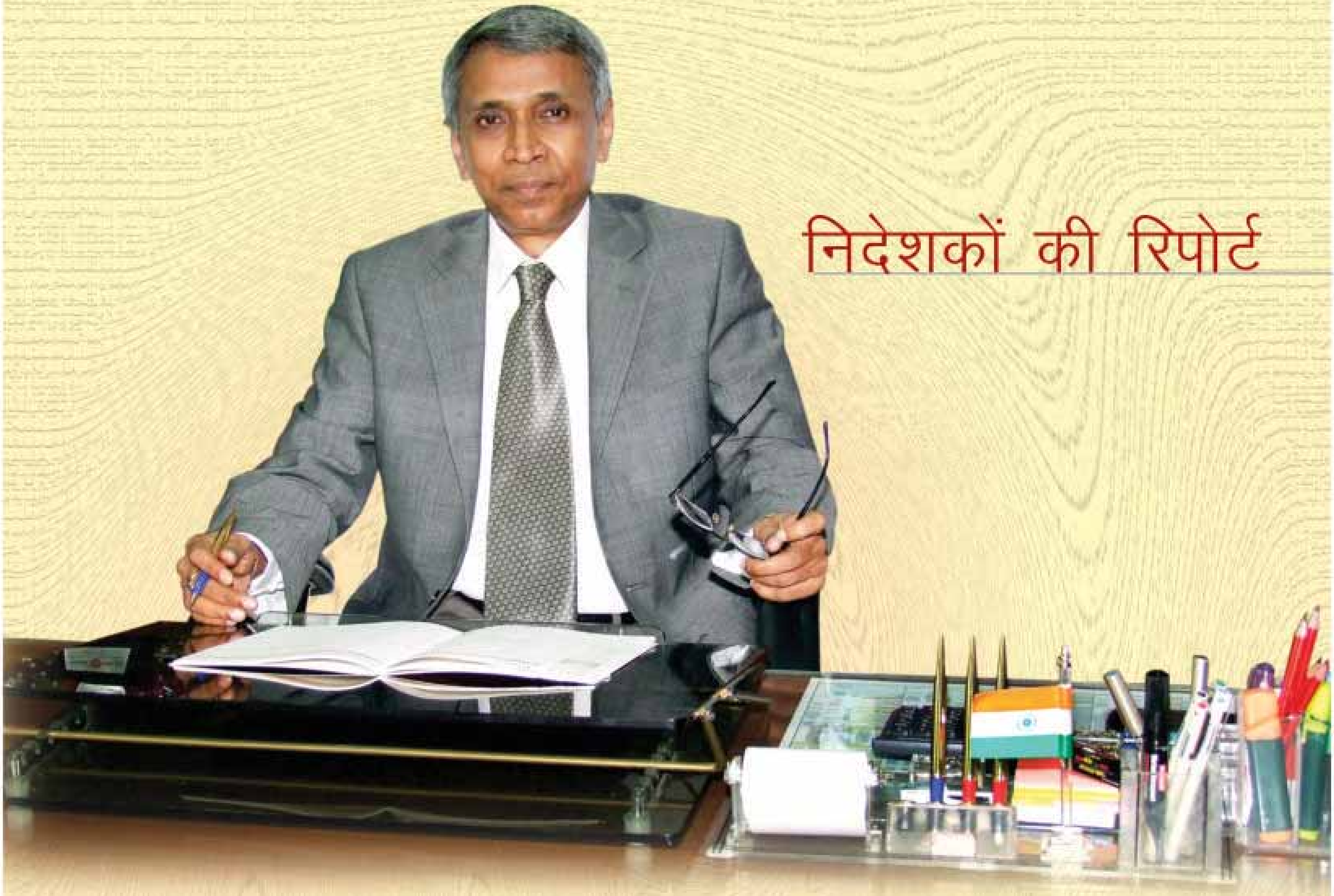

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ आपकी कम्पनी की 33वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कार्यनिष्पादन के मुख्य अंश

भौतिक कार्यप्रदर्शन

आपको जानकर प्रसन्नता होगी की बॉक्साइट खानों ने पिछले वर्ष के श्रेष्ठ 54.19 लाख मी. टन के मुकाबले 62.93 लाख मी. टन परिवहन के साथ अपनी स्थापना से अब तक का सबसे अधिक उत्पादन हासिल किया है।

इसी तरह दामनजोड़ी में आपकी कम्पनी के एल्यूमिना रिफाइनरी संयंत्र ने भी पिछले वर्ष के श्रेष्ठ 18.02 लाख मी. टन के मुकाबले 19.25 लाख मी. टन एल्यूमिना हाइड्रेट उत्पादन के साथ अपनी स्थापना से अब तक का सबसे अधिक उत्पादन हासिल किया है।

अंगुल में एल्यूमिनियम स्मेल्टर संयंत्र ने 2010–11 में पूर्ववर्ती श्रेष्ठ 4.44 लाख मी. टन और पिछले वर्ष के दौरान 4.03 लाख मी.टन के मुकाबले 3.16 लाख मी. टन कास्ट मेटल उत्पादन किया। अनुमान से अधिक लम्बे समय तक कम एल्यूमिनियम कीमतों के मद्देनजर आपकी कम्पनी ने कैप्टिव पावर प्लांट में विद्युत उत्पादन के लिए अधिकतर लिंकेज कोयले का उपयोग और उत्पादन लागत को नियंत्रित कर वर्ष के दौरान 960 पॉट्स में से केवल 625 पाट्स का प्रचालन करके विद्युत उत्पादन में कमी करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया।

अंगुल में कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) ने 2010–11 में पूर्ववर्ती श्रेष्ठ 6,608 एमयू और पिछले वर्ष के दौरान 6,076 एमयू उत्पादन के मुकाबले 4,989 एमयू 'निवल विद्युत' उत्पादन किया। सीपीपी ने पिछले वर्ष के दौरान 66 प्रतिशत की तुलना में वर्ष के दौरान अब तक का सबसे अधिक 71 प्रतिशत राख उपयोग हासिल किया।

आपको जानकर खुशी होगी कि हरित ऊर्जा के अपने प्रयासों के साथ आपकी कम्पनी ने जनवरी, 2014 में जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मेगावाट के दूसरे पवन विद्युत संयंत्र का कार्य भी पूरा किया। वर्ष 2012–13 में आन्ध्र प्रदेश में 50.4 मेगावाट के पहले पवन विद्युत संयंत्र को लगाया गया था। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इन दो संयंत्रों से लगभग 150 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन हुआ था।

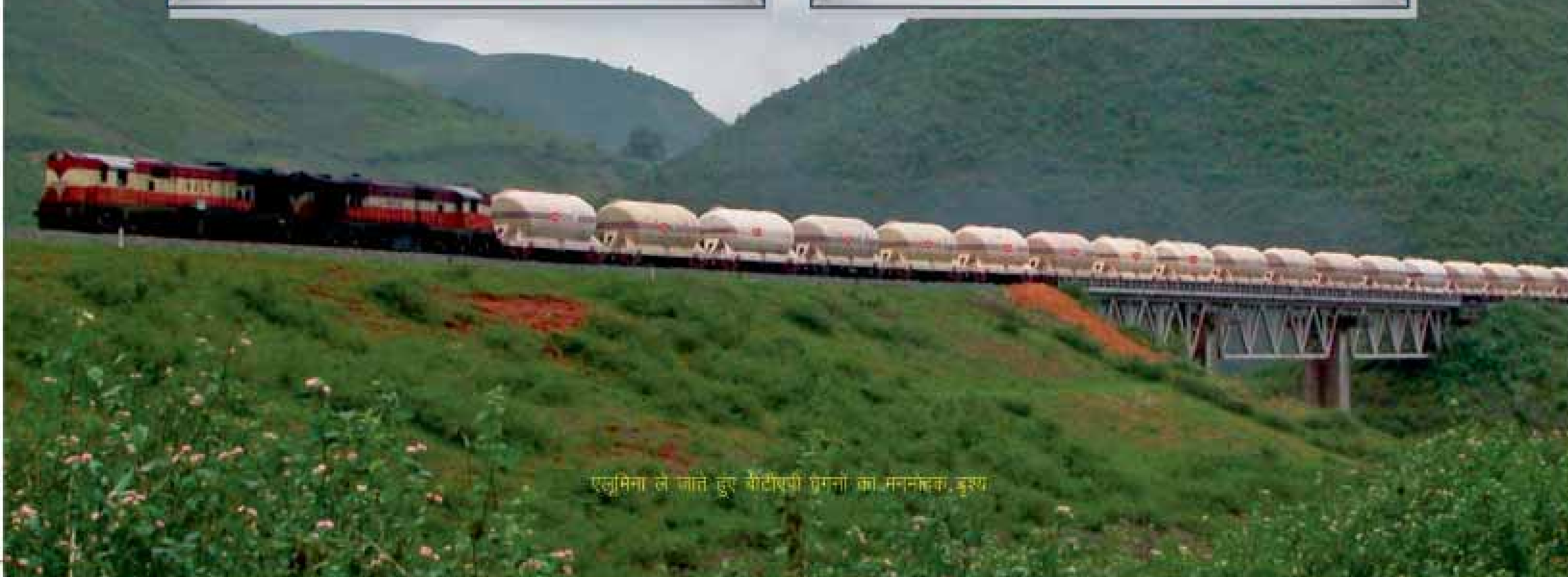

एल्यूमिना ले जाते हुए बीटीएपी वैगनों का मनमोहक दृश्य

बिक्री कार्यनिष्पादन

आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आपकी कम्पनी ने 2012–13 के दौरान 9.85 लाख मी. टन बिक्री की तुलना में 2013–14 में अब तक की सबसे अधिक मात्रा 13.43 लाख मी. टन रासायनिक बिक्री की। इसमें 2012–13 के दौरान 9.44 लाख मी. टन निर्यात की तुलना में 2013–14 के दौरान अब तक का सबसे अधिक 13.09 लाख मी. टन कैल्सिनाइड एल्यूमिना निर्यात शामिल है।

धातु

2012–13 में 4.03 लाख मी. टन धातु बिक्री की तुलना में 2013–14 के दौरान कुल धातु बिक्री 3.20 लाख मी. टन थी। धातु बिक्री में 2013–14 के दौरान 2.19 लाख मी. टन घरेलू बिक्री और 1.01 लाख मी. टन निर्यात बिक्री शामिल हैं। घरेलू बिक्री में 87,969 मी. टन वायर रॉड शामिल है जो कि 2012–13 के दौरान पूर्ववर्ती श्रेष्ठ 79,752 मी. टन के आंकड़े को पार कर स्थापना से अब तक की सबसे अधिक बिक्री है।

स्मेल्टर प्लांट में उत्पादन में कमी के कारण वर्ष के दौरान कुल धातु बिक्री कम थी। हालांकि, 2013–14 में धातु मालसूची 2012 में 5,594 मी. टन के स्तर से कम होकर 2,149 मी. टन थी।

आपकी कम्पनी ने पिछले वर्ष के दौरान पूर्ववर्ती सबसे अधिक बिक्री रु. 3410 करोड़ के मुकाबले वर्ष के दौरान सबसे अधिक रु. 2719 करोड़ निर्यात बिक्री हासिल की है और पिछले वर्ष के दौरान रु. 2.64 करोड़ राजस्व सृजन के मुकाबले रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान नवीनकरणीय ऊर्जा से रु. 46.81 करोड़ राजस्व सृजन भी किया।

घरेलू धातु बिक्री अंगुल में स्मेल्टर प्लांट और नौ स्टॉकयार्ड यथा कोलकाता, बद्दी, जयपुर, फरीदाबाद, सिलवासा, बंगलुरू, चेन्नई एवं वाइजाग से प्रभावित रही।

आपकी कम्पनी विभिन्न देशों जैसे सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, जापान, तुर्की, वियतनाम, बंग्लादेश, बहरीन, चीन, इजिप्ट, ईरान, यूएई आदि को एल्यूमिनियम धातु एवं कैल्सिनाइड एल्यूमिना का निर्यात कर रही है। कम्पनी के पंजीकृत उपभोक्ताओं के निर्यात आर्डर ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से बुक किए जाते हैं।

विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं/पुस्तिकाओं/ समाचारपत्रों में अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के पंजीकरण के लिए सार्वभौमिक सूचना प्रकाशित कर विदेशी बाजार में अपनी उत्पादों की बिक्री के लिए नए ग्राहकों को जोड़ने की पहल की जा रही है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बैठकों/सम्मेलनों/प्रदर्शनियों के दौरान नए ग्राहकों के साथ बातचीत की गई। ग्राहक आधार बढ़ाना और निर्यात के लिए नये विदेशी बाजारों की खोज निरंतर प्रक्रिया है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्तीय सूचना का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
प्रचालनों से राजस्व (निवल)	6,781	6,916
अन्य आय	558	511
कुल आय	**7,339**	**7,427**
उपभोग की गई सामग्री की लागत	1,063	1,168
विद्युत एवं ईंधन	2,018	2,432
कर्मचारी हितलाभ व्यय	1,245	1,154
अन्य व्यय	1,521	1,256
वित्त लागत	-	7
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	525	505
कुल व्यय	**6,372**	**6,522**
असाधारण मदों से पूर्व लाभ	**967**	**905**
असाधारण मदें	49	-
कर पूर्व लाभ	918	905
व्यय कर	276	312
कर पश्चात लाभ	**642**	**593**

पिछले वर्ष की तुलना में प्रचालनों से राजस्व में कमी का मुख्य कारण केवल लिंकेज कोयले के माध्यम से बिजली उत्पादन, जैसा कि एलएमई के वर्तमान स्तर पर उच्च मूल्य आयातित कोयले का उपयोग लागत प्रभावी नहीं होगा, द्वारा निश्चित धातु उत्पादन का महत्वपूर्ण फैसला था। कुछ प्रबंधन हस्तक्षेपों

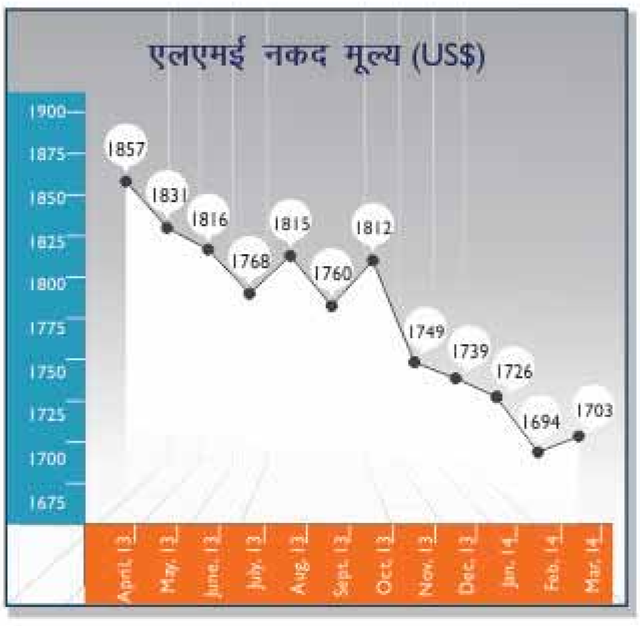

माननीय खान मंत्री से "सीता राम रुंगटा सोसाइटी जागरूकता पुरस्कार 2013–14" प्राप्त करते हुए सीएमडी।

जैसे कि ग्रिड से बिजली खरीद पूरी रोकना, फ्यूल ऑयल खपत कम करके कार्यकुशलता सुधार, आयातित कोयले का कम उपयोग, खनिज उत्पादन में कमी आदि तथा अधिक एल्यूमिना उत्पादन एवं बिक्री के कारण आपकी कम्पनी थोड़ा उच्च लाभ हासिल कर सकी।

लाभांश एवं विनियोजन

आपकी कम्पनी ने मार्च, 2014 में पहले से भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश रु. 1.10 प्रति शेयर (रु. 5/– प्रति के 22 प्रतिशत इक्विटी शेयर) के अलावा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए अंतिम लाभांश रु. 0.40 प्रति शेयर (रु. 5/– प्रति के 8 प्रतिशत इक्विटी शेयर) की सिफारिश की है। पिछले वर्ष के रु. 322.15 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए भुगतान किया गया कुल लाभांश रु. 386.59 करोड़ है। वर्ष के लिए कुल लाभांश में कर

रु. 452.29 करोड़ है जो कि निवल लाभ का लगभग 70 प्रतिशत है। आगामी वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के पश्चात अंतिम लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

आपके निदेशक वर्ष 2012–13 में स्थानांतरित किए गए रु. 220 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2013–14 के लिए लाभ से रु. 190 करोड़ सामान्य आरक्षित खाते में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करते हैं।

भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों को शेयरों की पेशकश

जैसा कि आप जानते हैं भारत सरकार ने मार्च, 2013 में बिक्री की पेशकश (ओएफएस) के माध्यम से द्वितीयक बाजार में अपनी धारिता का 6.09 प्रतिशत विनिवेश किया था। ओएफएस के बाद, भारत सरकार ने योग्य एवं इच्छुक कर्मचारियों को/रु. 38 प्रति शेयर अर्थात् ओएफएस मूल्य रु. 40 में 5 प्रतिशत छूट के साथ रु. 5 प्रति के 1,56,56,730 इक्विटी शेयर प्रदान किए थे। शेयरों की पेशकश 15.05.2014 से 22.05.2014 तक खुली रखी गई और पेशकश अवधि के दौरान 32,77,000 शेयरों के लिए योग्य कर्मचारियों ने सब्सक्राइब किया। कर्मचारियों के लिए शेयरों की पेशकश के बाद भारत सरकारी की शेयरधारिता 81.06 प्रतिशत से घटकर 80.93 प्रतिशत रह गई है।

अ.जा./अ.ज.जा. आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देश

राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों की नियुक्ति/पदोन्नति के लिए प्रयास किए जाते हैं। कम्पनी विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का अनुपालन भी करती है। राष्ट्रपति के निर्देशों के साथ–साथ सरकारी निर्देशों/दिशानिर्देशनों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से अ.जा./अ.ज.जा. के साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण मामलों की देखरेख के लिए अ.जा./अ.ज.जा. सम्पर्क अधिकारी नियुक्ति किए गए हैं।

31.03.2014 को कम्पनी रोल में 7,425 कर्मचारियों (प्रशिक्षु सहित) में से 1,199 अ.जा., 1,341 अ.ज.जा., 769 अ.पि.व. और 79 विकलांग व्यक्ति थे। संगठन में महिला कर्मचारियों की संख्या 350 पहुंच गई है। इस प्रकार, 16.15

प्रतिशत कुल कर्मचारी अ.जा., 18.06 प्रतिशत अ.ज.जा., 10.36 प्रतिशत अ.पि.व. और 1.06 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति हैं। कम्पनी का प्रत्येक तीसरा कर्मचारी या तो अ.जा. अथवा अ.ज.जा. श्रेणी से हैं।

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी में सामान्य औद्योगिक संबंध परिवेश सौहार्दपूर्ण रहा जिससे संगठन को उत्कृष्ट भौतिक कार्यनिष्पादन हासिल करने में सहायता मिली। प्रतिभागी प्रबंधन मंचों में कुछ महत्वपूर्ण लागत नियंत्रण एवं प्रचालनात्मक निर्णय लिए गए और इन निर्णयों का प्रभावी कार्यान्वयन किया गया। मीटर आधारित घरेलू बिजली उपभोग के माध्यम से ऊर्जा चेतना के नये परिवेश की शुरुआत की गई। वर्ष के दौरान कम्पनी के औद्योगिक संबंध कार्यकलापों में विभिन्न सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन और शिकायत निवारण दो महत्वपूर्ण केन्द्रीय बिन्दु रहे।

एसए 8000:2008

आपकी कम्पनी ने स्नेहपूर्ण कार्य परिवेश, जो कम्पनी की नीतिपरक छवि को कायम रखने के अलावा अच्छी प्रतिभा जोड़ता एवं प्रतिभा कायम रखता है, बनाने के उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानक एसए 8000:2000 का कार्यान्वयन एवं अनुपालन निरंतर जारी रखा।

निगमित कार्यालय सहित सभी यूनिटें इस तिथि तक एसए 8000 मानक से पुनः प्रमाणित हैं और नवीनीकरण करने की तिथि अनुसार प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया गया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में आपकी कम्पनी, कम्पनी की प्रचालन ईकाइयों के आस–पास स्थानीय लोगों के विकास पर विशेष ध्यान देती है। कम्पनी अपने निवल लाभ का 2 प्रतिशत आबंटन सीएसआर गतिविधियों के लिए करती है जिसमें से 1 प्रतिशत ओडिशा सरकार द्वारा स्थापित पुनर्वास एवं परिधीय विकास सलाहकार समितियां (आरपीडीएसी) के माध्यम से परिधीय विकास कार्यक्रमों में खर्च किया जाता है और 1 प्रतिशत लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी सीपीएसई के लिए सीएसआर दिशानिर्देशों के आधार पर स्थापित नालको फाउंडेशन के माध्यम से खर्च किया जाता है। इसके अलावा, आपकी कम्पनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में परिधीय क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा के लिए अंगुल एवं दामनजोड़ी में दिल्ली पब्लिक स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) और स्वस्वती विद्या मंदिर (ओडिया माध्यम) को रु. 13.30 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

वर्ष के दौरान, आपकी कम्पनी ने सीएसआर पर रु. 29 करोड़ खर्च किए हैं जो कम्पनी के निवल लाभ का 4.5 प्रतिशत है। यह डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत सीएसआर गतिविधियों पर अपेक्षित खर्च 2 प्रतिशत से कहीं अधिक है।

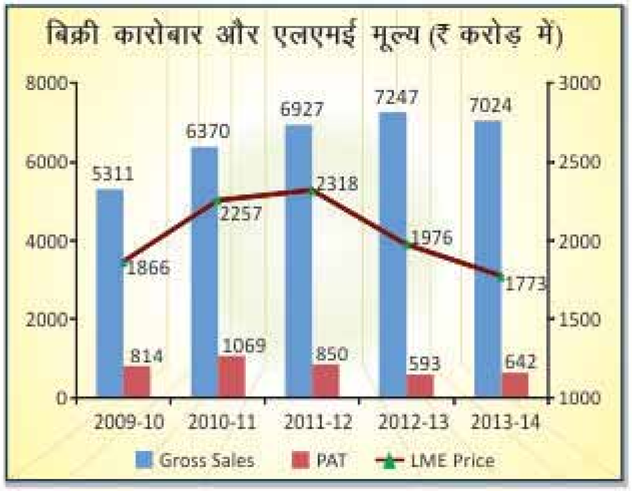

परिधीय विकास कार्यकलापों की विशेषताएं

- भयंकर चक्रवात 'फेलिन' आने के बाद पुनर्वास एवं निर्माण कार्यों की चुनौतियों से निपटने के लिए ओडिशा सरकार को सहायता के तौर पर मुख्यमंत्री राहत कोष, ओडिशा में रु. 10 करोड़ का योगदान दिया गया। इसके साथ ही बालासोर, पुरी और गंजम जिलों के प्रभावित क्षेत्रों में रु. 19 लाख की राहत सामग्री का वितरण किया गया
- परिधान सिलाई में 238 व्यक्तियों जिनमें 95 प्रतिशत महिलाएं थी, को

दामनजोडी में मोबाइल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

डॉ. सी. रंगराजन द्वारा स्थापना दिवस व्याख्यान

प्रशिक्षण देने के लिए वस्त्र मंत्रालय को अपने एमएंडआर कॉम्प्लैक्स, दामनजोड़ी में संभारतंत्र सहयोग दिया गया।

- कोरापुट में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कोरापुट के राज्य स्तरीय जनजातीय त्यौहार में पर्व के लिए रु. 27 लाख का योगदान दिया गया।
- एमएंडआर कॉम्प्लैक्स, दामनजोड़ी में बेहतर खेती के लिए आस–पास के गांवों के उन्नत किसानों के लिए खेतीबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- विशाखापट्टनम के जिला प्रशासन के अनुरोध पर ग्रीन विशाखा प्रोजेक्ट के अंतर्गत विशाखापट्टनम शहर (आन्ध्र प्रदेश) में रु. 25.00 लाख व्यय के साथ 5,000 पौधे लगाए गए।

नालको फाउंडेशन द्वारा संचालित सीएसआर गतिविधियों की विशेषताएं

नालकोफाउंडेशन दामनजोड़ी में आपकी कम्पनी के खान एवं रिफाइनरी काम्प्लैक्स, अंगुल में स्मेल्टर एवं पावर कॉम्प्लैक्स और ओडिशा में पोट्टंगी एवं आन्ध्र प्रदेश में गुडैम तथा के. आर. कोण्डा में प्रस्तावित खनन क्षेत्रों की 15 किमी. परिधि के भीतर रहने वाले लोगों के विकास पर मुख्य ध्यान देता है।

नालको फाउंडेशन द्वारा संचालित की जा रहीं कुछ प्रमुख सीएसआर पहलें निम्नानुसार हैं:

1. मोबाइल स्वास्थ्य ईकाइयां

अच्छे काम को देखते हुए आपकी कम्पनी ने अपने स्मेल्टर एंड पावर कॉम्प्लैक्स, अंगुल (43 गांव) और माइनिंग एंड रिफाइनरी कॉम्प्लैक्स, दामनजोड़ी (144 गांव) (प्रत्येक यूनिट के पास चार एमएचयू) के आसपास गावों में वर्ष के दौरान संचालित 6 मोबाइल स्वास्थ्य ईकाइयों की संख्या बढ़ाकर 8 कर दी है। दामनजोड़ी की मेडिकल स्वास्थ्य यूनिटें वाखरदत फाउंडेशन और अंगुल में लॉयन्स क्लब, अंगुल के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। ये मोबाइल स्वास्थ्य ईकाइयां गांववालों के घरों में डायग्नोस्टिक, निःशुल्क दवाईयों के साथ प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं और सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से जागरुकता प्रदान करते हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 2,463 कैम्प आयोजित किए गए और दामनजोड़ी एवं अंगुल के आसपास गांवों के 1,09,166 लोगों का निःशुल्क उपचार किया गया।

2. दामनजोड़ी के आसपास के गांवों में रहने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा का प्रायोजन करना

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा देना सबसे अच्छी सीएसआर है, आपकी कम्पनी ने सम्पूर्ण खर्च उठाते हुए आवासीय स्कूलों के बच्चों को प्रायोजित करने की अनूठी योजना को जारी रखा। वर्ष के दौरान 254 और बच्चें प्रायोजित किए गए। अब तक रु. 1.31 करोड़ की लागत के साथ प्रायोजित विद्यार्थियों की कुल संख्या 655 हो गई है। इसमें जनजातीय बहुल और माओवाद प्रभावित कोरापुट जिला तथा माइन्स एंड रिफाइनरी काम्प्लैक्स, दामनजोड़ी के 16 परिधीय गांवों के बच्चे शामिल हैं। फाउंडेशन भुवनेश्वर (कालिंगा इंस्टीटयूट ऑफ सोसियल साइंस) और कोरापुट (कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन एंड विकास विद्यालय) में 3 आवासीय स्कूलों के विद्यार्थियों की पढ़ाई, रखने व खाने–पीने का सभी खर्च उठाता है। नामांकित बच्चों के लिए आवासीय शिक्षा पूरी होने तक का पूरा खर्च उठाया जाता है।

कर्मचारियों की ओर से तूफान प्रभावितों की सहायता के लिए उत्तराखंड सरकार को योगदान

आपकी कम्पनी के कर्मचारियों ने अपने एक दिन का वेतन रु. 1.58 करोड़ की राशि भयंकर तूफान से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष, उत्तराखंड सरकार को देकर अपनी ओर से योगदान दिया।

संसदीय समितियों का दौरा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निम्नलिखित संसदीय स्थाई समितियों ने आपकी कम्पनी का दौरा किया और निम्नलिखित क्षेत्रों की समीक्षा की:

- विज्ञान, तकनीक तथा पर्यावरण एवं वन पर संसदीय स्थाई समिति ने 28.06.2013 को भुवनेश्वर का दौरा किया।
- आंकलन समिति ने 25.09.2013 को भुवनेश्वर का दौरा किया।
- वाणिज्य एवं उद्योग पर स्थाई समिति से संबंधित विभाग ने 06.11.2013 से 09.10.2013 तक भुवनेश्वर का दौरा किया।

पुरस्कार एवं सम्मान

विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए आपकी कम्पनी ने विभिन्न संगठनों से सम्मान प्राप्त करना जारी रखा। वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए जो इसकी उत्कृष्टता के पर्याप्त प्रमाण हैं:

i) इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग (आईआईआईई), मुम्बई द्वारा संस्थापित 'गोल्डन परफारमेंस एक्सीलेंस अवार्ड 2011–12'।

ii) जिम्मेदार व्यवसाय सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह में नालको फाउंडेशन, आपकी कम्पनी का सीएसआर भाग, को 'श्रेष्ठ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलाप–2013' पुरस्कार।

iii) पंचपटमाली बॉक्साइट माइन्स, कोरापुट, ओडिशा में पर्यावरण प्रबंधन की दिशा में इसके योगदान के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनिरल इंडस्ट्रीज (एफआईएफआई) द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए जैम ग्रेनाइट्स इनवायरमेंट अवार्ड।

iv) वर्ष 2011–12 के दौरान अपनी उत्कृष्ट निर्यात कार्यनिष्पादन के लिए बड़े उद्यम श्रेणी में शीर्ष निर्यातक के रूप में ईईपीसी (पूर्वी क्षेत्र) गोल्ड ट्राफी।

v) भारतीय धातु संस्थान द्वारा संस्थापित बडे एकीकृत संयंत्र श्रेणी में से वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए आईआईएम नॉन–फेरस श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन पुरस्कार।

vi) ओडिशा के उद्योगों में से सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन के लिए ओडिशा सरकार से पुरस्कार।

vii) वर्ष 2010–11 के लिए भारत सरकार का श्रेष्ठ निर्यात पुरस्कार।

viii) वर्ष 2012–13 के दौरान उल्लेखनीय निर्यात कार्यनिष्पादन के लिए 45वां ईईपीसी इंडिया नेशनल अवार्ड।

ix) टाइम्स ऑफ इंडिया एवं टेफला से श्रेष्ठ पर्यावरण पद्धतियों के लिए थिंक ओडिशा लीडरशिप अवार्ड।

x) इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (भुवनेश्वर क्षेत्र) के सानिध्य में आयोजित 16वें खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह (एमईएमसी): 2013–14 के दौरान विभिन्न श्रेणियों में पंचपटमाली बॉक्साइट माइन ने 4 पुरस्कार प्राप्त किए।

xi) कारखाने एवं बॉयलर निदेशालय, ओडिशा द्वारा सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर श्रेष्ठ पद्धतियों के लिए एल्यूमिना रिफाइनरी को पुरस्कार दिया गया था।

xii) एल्यूमिनियम उद्योग श्रेणी में श्रेष्ठ सुरक्षा पद्धतियों के लिए एल्यूमिना रिफाइनरी को कलिंगा सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया था।

xiii) भारतीय खान ब्यूरो से पंचपटमाली बॉक्साइट माइनों को मृदा संरक्षण के लिए प्रथम पुरस्कार, वनीकरण के लिए प्रथम पुरस्कार, भूमि सुधार एवं पुनर्वास के लिए द्वितीय पुरस्कार और पूर्णतः यांत्रिक खानों (केउँझर एवं सुन्दरगढ़ छोड़कर) में समग्र पर्यावरणीय कार्यनिष्पादन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया था।

xiv) नालको ने मुम्बई में आयोजित 18वीं सीईओ बैठक के दौरान भारतीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान से गोल्डन श्रेणी में कार्यनिष्पादन उत्कृष्टता पुरस्कार–2013 प्राप्त किया है।

xv) नालकों ने वर्ष 2012–13 के लिए भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफआईईओ) से अग्रणी ट्रेडिंग हाउस–नॉन एमएसएमई श्रेणी में पूर्वी क्षेत्र निर्यात उत्कृष्टता गोल्ड ट्राफी प्राप्त की है।

xvi) नालको की पंचपटमाली बॉक्साइट खान ने नई दिल्ली में भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफआईएमआई) द्वारा संस्थापित "सीता राम रूंगटा सामाजिक जागरूकता पुरस्कार 2013–14 प्राप्त किया है।

कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाए

कार्यान्वयन के अधीन विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है:

एल्यूमिना रिफाइनरी–उन्नयन परियोजना

रु. 409 करोड़ की अनुमानित लागत पर एल्यूमिना रिफाइनरी के चौथे स्ट्रीप का क्षमता उन्नयन 5.25 लाख टीपीवाई से 7.0 लाख टीपीवाई करने और बॉक्साइट खानों का 6.3 मिलियन टीपीवाई से 6.825 मिलियन टीपीवाई करने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

उत्कल–ई कोयला ब्लॉक

रु. 337.61 करोड़ (मई, 2011 मूल्य स्तर पर) की लागत पर 67.49 मिलियन टन कुल खनिज आरक्षित के साथ उत्कल–ई कोयला ब्लॉक कार्यान्वयन के अधीन है।

मुख्य कार्यविधियां जैसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण क्लीयरेंस, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से माइनिंग लीज़ की स्वीकृति, और ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ओएसपीसीबी) से स्थापना की सहमति, ओडिशा सरकार से पानी लेने का अनुमोदन, माइन लीज़ क्षेत्र का डीजीपीएस सर्वे, आरएंडआर कॉलोनी मास्टर प्लान का अनुमोदन और संशोधित खनन एवं खनन बंद योजना आदि को जमा करने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

सरकारी एवं निजी भूमि का अधिग्रहण और वन क्लीयरेंस आदि कार्य चल रहे हैं।

राजस्थान में 47.6 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना–II

रु. 283 करोड़ की अनुमानित लागत पर जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना–II को 29.01.2014 को पूरा कर लिया था। वर्ष के दौरान संयंत्र से 34 एमयू उत्पादन हुआ। संयंत्र उत्पादन आधारित प्रोत्साहन का लाभ पाने के लिए इरेडा के साथ पंजीकृत है और आरईसी लाभों के लिए एनएलडीसी के साथ भी पंजीकृत है जो आपकी कम्पनी के नवीनीकरणीय ऊर्जा दायित्वों को पूरा करेगा।

छत में लगने वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट

हरित पहल के एक भाग के रूप में, आपकी कम्पनी ने मई, 2014 में निगम कार्यालय भवन में छत में लगने वाले सोलर सिस्टम (160 केडब्ल्यूएच) का कार्य पूरा किया और मार्च, 2014 में भुवनेश्वर में टाउनशिन भवनों पर छत में लगने वाले सोलर सिस्टम (100 केडब्ल्यूपी) स्थापित किए ।

एमओयू कार्यप्रदर्शन

वित्तीय कार्यनिश्पादन एवं अन्य दिए गए मानदंडों के आधार पर आपकी कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए भारत सरकार के साथ कम्पनी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के आधार पर "उत्कृष्ट" रेटिंग मिलने की संभावना है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

भारत सरकार की नीति के अनुसार सभी यूनिटों एवं प्रधान कार्यालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए नियमित रूप से सभी प्रयास किए गए थे। राजभाषा अधिनियम

खान मंत्रालय के साथ 2014–15 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

की धारा 3(3) के अधीन आने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए गए। प्रतिदिन के कार्यों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को कुशल बनाने हेतु कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई थी। कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए हिन्दी पखवाड़ा और हिन्दी दिवस आयोजित किए गए थे जिनमें हिन्दी भाषी एवं गैर–हिन्दी भाषी कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के लिए अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और उन्हें पुरस्कार दिए गए। कर्मचारियों को अपना काम हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हिन्दी शिक्षण योजना, भारत सरकार के अंतर्गत हिन्दी में प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षा पास करने वाले 78 कर्मचारियों को प्रोत्साहन एवं नगद राशि देकर सम्मानित किया गया था।

राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठकें भी आयोजित की गई थी।

खेलकूद

आपकी कम्पनी निरंतर देश में खेल एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा देती है। इस दिशा में, आपकी कम्पनी ने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों जैसे हॉकी, बास्केटबाल, गोल्फ और वॉलीबाल टूर्नामेंटों को प्रायोजित किया ।

नीति के एक भाग के रूप में कम्पनी राज्य स्तर में भाग लेने वाले खिलाड़ियों एवं उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु उत्कल दिवस पर खेल के क्षेत्र में सम्मानित करती है।

सतर्कता

आपकी कम्पनी का सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार को रोकने और तंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न कार्यों में प्रबंधन को सहायता एवं मदद देने का कार्य करता है।

प्रिवेन्टिव सतर्कता अभियान के भाग के रूप में वर्ष के दौरान निम्नलिखित कारवाईयां की गई:

- विभिन्न नियमों, सीवीसी दिशानिर्देशों के बारे में कर्मचारियों को जानकारी देने एवं सिस्टम को पारदर्शी बनाने हेतु संगठन के सभी लोकेशनों में 11 सतर्कता जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और सभी यूनिटों में 28.10.2013 से 02.11.2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सेमिनार के आयोजन के अलावा, विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे कर्मचारियों, स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच विभिन्न भाषाओं में वक्तृता प्रतियोगिता आयोजित की गई और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।
- अचानक छापेमारी, नमूना परीक्षण, नियमित निरीक्षण, सीटीई टाइप इंटेसिव परीक्षा आदि को प्राथमिकता दी गई।

वर्ष के दौरान, सतर्कता विभाग ने विभिन्न प्रणालीगत सुधार सुझाव दिए जो निम्नलिखित हैं:

- कम्पनी के नियुक्ति नियमों में संशोधन – गेट के माध्यम से ग्रेजुएट इंजीनियरों की नियुक्ति।
- नालको की भूमि एवं क्वार्टरों में अनाधिकृत कब्जे को रोकने के लिए जांच।
- कम्पनी के लिए यूनिफार्म आवास आबंटन नीति।
- वाहन किराए पर लेने के लिए अनुबंध में पारदर्शिता लाना।
- झूठे यात्रा बिलों की जांच के लिए प्रणाली।
- एसीआर और विभागीय पदोन्नति के नियम में पारदर्शिता।
- मानकीकृत मदों की आवधिक समीक्षा।
- संवेदनशील पदों में कर्मचारियों को चरणबद्ध ढंग से नियुक्त करना और एचआर नियमावली में संवेदनशील पदों का रिकार्ड रखना।
- कार्यपालक निदेशकों की विवेकाधीन शक्तियों को उचित उपयोग।

सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपकी कम्पनी ने आरटीआई अधिनियम, 2005 को लागू होने से पूर्व से ही सभी शेयरधारकों सहित आम जनता के साथ सूचना को साझा करने की स्वच्छ पारदर्शी प्रणाली को अपनाया है। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक दायित्वों का जिम्मेदारी से निर्वहन करने हेतु कम्पनी की वेबसाइट में संबंधित जानकारी को साझा करने के साथ ही अपीलीय अधिकारी, जन सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जन सूचना अधिकारी के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त कर इसे कार्यान्वित किया है। आरटीआई के कार्यान्वयन में आपकी कम्पनी का उत्कृष्ट रिकार्ड रहा है।

सतत् विकास रिपोर्ट / व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट

सूचीकरण करार के खंड 55 के अनुसार सभी सूचीबद्ध कम्पनियों को सामाजिक, पर्यावरणीय एवं अभिशासन परिप्रेक्ष्य पर कम्पनी द्वारा किए जा रहे विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बताते हुए व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट जमा करना आवश्यक है। तदनुसार, वर्ष 2013–14 के लिए व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट **परिशिष्ट–I** में संलग्न है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

मुख्यमंत्री राहत कोष में नालको लेडिज क्लब द्वारा योगदान।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

एक अग्रणी के रूप में आपकी कम्पनी ने अपनी सभी उत्पादन ईकाइयों में अंतर्राष्ट्रीय मानक जैसे आईएसओ–50001 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली अंगीकृत करना शुरू किया है। केप्टिव पावर प्लांट, अंगुल ने फरवरी, 2013 में आईएसओ–50001 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र प्राप्त किया और वर्ष 2013–14 के दौरान दो निगरानी लेखापरीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। एल्यूमिना रिफाइनरी प्लांट, दामनजोड़ी यूनिट को मार्च, 2014 में आईएसओ–50001, ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन मिला। स्मेल्टर प्लांट, अंगुल में आईएसओ–50001 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(ई) के साथ पठित कम्पनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियम, 1988 के अंतर्गत प्रकटन के लिए आवश्यक विवरण इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट–II** में दिया गया है।

कर्मचारियों का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के संदर्भ में जारी कम्पनी

श्री आर. श्रीधरन, एएस (खान) पीडीसीए–2014, टोरंटो में पैविलियन का उद्घाटन कर रहे हैं

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 289(ई) दिनांक 31 मार्च, 2001 के अनुसार सरकारी कम्पनी को रु. 60 लाख या उससे अधिक, यदि पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित हैं अथवा रु. 5 लाख प्रतिमाह, यदि वित्तीय वर्ष के आंशिक भाग के दौरान नियोजित हैं, पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारियों का विवरण देना आवश्यक नहीं है। जैसाकि नालको एक सरकारी कम्पनी है इसलिए कथित अधिसूचना के अनुसार निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में ऐसी कोई सूचना शामिल नहीं है।

स्टॉक एक्सचेंज में सूचीयन और सूचीयन शुल्क का भुगतान

आपकी कम्पनी के इक्विटी शेयर, बीएसई लिमिटेड और एनएसई लिमिटेड, देश के अग्रणी स्टॉक एक्सचेंजों जिनका राष्ट्रव्यापी व्यापार नेटवर्क है, में नियमित रूप से सूचीबद्ध होते रहे हैं। इन स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2013–14 के लिए समय पर सूचीयन शुल्क का भुगतान किया गया।

जमाकर्ताओं को वार्षिक कस्टोडियल शुल्क का भुगतान

सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी कम्पनी घरेलू शेयर रजिस्ट्री एक ही छत के नीचे शेयर अंतरण और सहायक गतिविधियों को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों खंडों में उपलब्ध करवा रही है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयरों को धारण के उद्देश्य से आपकी कम्पनी ने भारत में डिपोजिटरी सेवाएं शुरू होने के समय से ही दोनों ही डिपोजिटरीज़ (एनएसडीएल एवं सीडीएसएल) के साथ सीधे इलेक्ट्रॉनिक संपर्क स्थापित किया है। वार्षिक कस्टोडियल शुल्क और कस्टडी प्रभारों को वर्ष 2013–14 के लिए भुगतान दोनों, एनएसडीएल और सीडीएसएल को समय पर कर दिया था।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का वक्तव्य

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2एए) के अनुसरण में जिसमें निदेशकों के उत्तरदायित्व का वक्तव्य अपेक्षित है, आपके निदेशकगण एतत्द्वारा पुष्टि करते हैं कि:–

(i) वार्षिक खातों की तैयारी में लागू होने वाले लेखाकरण के मानकों का अनुपालन प्रेषित सामग्री से संबंधित उचित व्याख्या सहित किया गया है;

(ii) निदेशकों ने लेखाकरण की ऐसी नीतियों का चयन करते हुए उन्हें लागू किया है कि उनके अनुसार लिए गए निर्णय और प्राक्कलन कारणोचित एवं पर्याप्त सिद्ध हो और वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कामकाज की सही और स्पष्ट छवि प्रदर्शित करें तथा इस अवधि के लिए कंपनी के लाभ को भी दर्शाए;

(iii) निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार लेखाकरण के अभिलेखों का पर्याप्त रखरखाव और देखभाल की है जिससे कम्पनी की सम्पत्ति की रक्षा की जा सकें और धोखेबाजी तथा अन्य दूसरे प्रकार की अनियमितताओं की पहचान करते हुए उनकी रोकथाम की जा सकें;

(iv) निदेशकों ने निरंतर आधार पर वार्षिक खाते तैयार किए हैं।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

सूचीकरण करार के खंड 49 और लोक उद्यम विभाग दिशानिर्देशों के अनुरूप कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट–III** पर संलग्न है। पिछले वर्षो की तरह अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धति के भाग के तौर पर आपकी कम्पनी ने वर्ष 2013–14 के लिए भी अपनी इच्छा से कार्यरत कम्पनी सचिव से सचिवीय लेखापरीक्षा पूरी की है और सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट–IV** में प्रदर्शित की गई है।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट–V** पर प्रदर्शित की गई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा

आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपकी कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से लेखाओं पर 'शून्य' टिप्पणियां प्राप्त की हैं।

सार्वजनिक जमा

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी ने कोई भी सार्वजनिक जमा को न तो स्वीकार किया और न ही नवीकृत किया है।

लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक

वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मैसर्स अगस्ती एंड एसोसिएट्स और मैसर्स एबीपी एंड एसोसिएट्स को आपकी कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया था।

लागत लेखापरीक्षक

धारा 233(बी)(2) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए मैसर्स धल एंड कं. को आपकी कम्पनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 27 सितम्बर, 2014 है और इसे निर्धारित समय–सीमा के भीतर जमा कर दिया जाएगा।

सचिवीय लेखापरीक्षक

वर्ष 2013–14 के लिए मैसर्स डी एस मिश्रा एंड एसोसिएट्स को सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

आंतरिक लेखापरीक्षक

वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए आपकी कम्पनी ने आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों को सम्पादित करने के लिए निम्नलिखित लेखापरीक्षा फर्मों को नियुक्त किया है:–

मैसर्स तेज राज एवं पाल (निगम कार्यालय, भुवनेश्वर के लिए)
मैसर्स बी. एन. मिश्रा एंड कं. (स्मेल्टर प्लांट, अंगुल के लिए)
मैसर्स जीएनएस एंड एसोसिएट्स (सीपीपी, अंगुल के लिए)
मैसर्स जी. आर. कुमार एंड कं. (एमएंडआर कॉम्प्लैक्स, दामनजोड़ी और पोर्ट फैसिलिटीज, विशाखापट्टनम के लिए)
मैसर्स पी. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स (उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली के लिए)
मैसर्स पीपीएसवी एवं एसोसिएट्स (पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए)
मैसर्स कुम्मात एंड कं. (दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई के लिए)
मैसर्स थिंगना एंड कान्ट्रैक्टर (पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई के लिए)

निदेशकगण

पिछली रिपोर्ट के बाद से आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

नियुक्ति

- श्री के.सी. सामल को 03.01.2014 से निदेशक (वित्त) के तौर पर नियुक्त किया गया था।
- सुश्री सोमा मंडल को 11.03.2014 से निदेशक (वाणिज्यिक) के तौर पर नियुक्त किया गया था।

कार्यकाल समाप्ति

- श्री वी.के.जैन और श्री पी.सी. शर्मा 21.03.2014 से आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल में नहीं रहे।
- श्री डी.एस. मिश्रा, आईएएस, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय 11.07.2014 से आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल में नहीं रहे।

आपके निदेशकगण श्री वी.के. जैन, श्री पी.सी. शर्मा और श्री डी.एस. मिश्रा की कंपनी में उनके कार्यकाल के दौरान की गई उल्लेखनीय सेवाओं का उल्लेख रिकार्ड में लेना चाहते हैं।

आभार

आपके निदेशकगण सहज दिल से शेयरधारकों, खान मंत्रालय, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, ओडिशा सरकार, महानदी कोल्फील्ड्स लिमिटेड, भारतीय रेल, अन्य सरकारी एजेंसियों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से मिले सहयोग, समर्थन एवं मूल्यवान मार्गनिर्देशों के लिए आभार प्रकट करते हैं और भविष्य में भी उनसे इसी प्रकार के सहयोग और सहायता मिलने की कामना करते हैं तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, कोलकाता, सांविधिक लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों, बैंकरों और जेवी साझेदारों, व्यवसाय सहायकों को उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

आपके निदेशकगण मूल्यवान एवं सम्मानित घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों, विक्रेताओं, सॉलीसिटर्स द्वारा दिए गए सहयोग के लिए भी उनका आभार व्यक्त करते हैं और आगे आने वाले वर्षों में भी उनके साथ इसी तरह के पारस्परिक व्यापार सहयोग की कामना करते हैं।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी को विभिन्न स्तरों पर सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए कठिन परिश्रम, प्रतिबद्धता और समर्पित प्रयासों तथा ट्रेड यूनियनों और अधिकारी एसोसिएशनों से मिले सक्रिय सहयोग एवं समर्थन के कारण सफलता मिली है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांक: 20-08-2014

(अंशुमान दास)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

कॉर्पोरेट कार्यालय में छत पर लगने वाले सोलर सिस्टम का उद्घाटन

अनुबंध-I

वर्ष 2013–14 के लिए व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट

खण्ड क: कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

क्र.सं.	विवरण	कंपनी सूचना
1	कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान सं. (सीआईएन)	L27203OR1981GOI000920
2	कम्पनी का नाम	नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
3	पंजीकृत कार्यालय एवं निगम कार्यालय	नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751061, ओडिशा, भारत
4	वेबसाइट	www.nalcoindia.com
5	ई–मेल आईडी	knravindra@nalcoindia.co.in (कम्पनी सचिव)
6	रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2013–14
7	क्षेत्र, जिनमें कंपनी संलग्न है (कोड–वार औद्योगिक गतिविधि)	बॉक्साइट खान : औद्योगिक समूह कोड 072 एल्यूमिना रिफाइनरी : औद्योगिक समूह कोड 201 एल्यूमिना स्मेल्टर : औद्योगिक समूह कोड 242 विद्युत उत्पादन : औद्योगिक समूह कोड 351
8	तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची जिनका कम्पनी विनिर्माण/प्रदान करती है 	**1. एल्यूमिना** • केल्सिनाइड एल्यूमिना • एल्यूमिना हाइड्रेट • स्पेशिलिटी एल्यूमिना एंड हाइड्रेट **2. एल्यूमिनियम** • स्टैंडर्ड इनगोट्स • सॉ इनगोट्स • वॉयर रॉड्स • बिलेट्स • कास्ट स्ट्रिप • फ्लेट रोल्ड उत्पाद (कॉयल्स, शीटें और चेकर्ड शीट) • टी–इनगोट्स
9	स्थानों की संख्या जहां पर कंपनी प्रचालन को सम्पादित करती है: (1) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (2) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	**3. बिजली** 1. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या : शून्य 2. राष्ट्रीय स्थान : क) भुवनेश्वर स्थित निगम कार्यालय ख) माइन्स एंड रिफाइनरी कॉम्प्लैक्स, दामनजोड़ी–763006, जिला कोरापुट, ओडिशा ग) स्मेल्टर प्लांट, नालको नगर, अंगुल–759145, ओडिशा घ) केप्टिव पावर प्लांट, अंगुल–759122, ओडिशा ङ) पतन सुविधाएं पतन क्षेत्र, विशाखापट्टनम–530035, आन्ध्र प्रदेश च) पवन विद्युत संयंत्र–1, गांडिकोटा, जिला वाईएसआरकडप्पा, आन्ध्र प्रदेश छ) पवन विद्युत–2, जिला जैसलमेर, राजस्थान ज) पतन सुविधाओं की सं. : 03 (विशाखापट्टनम, कोलकाता, पारादीप) झ) क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या : 04 (नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता) ञ) शाखा कार्यालय : 01 (बेंगलुरू) ट) स्टॉकयार्डो की संख्या : 09 (जयपुर, फरीदाबाद, बद्दी, कोलकाता, बेंगलुरू, चेन्नई, विशाखापट्टनम, भिवंडी एवं सिलवासा)

10	कम्पनी द्वारा सेवारत बाजार	नालको देश में एल्यूमिनियम धातु का प्रमुख उत्पादक है। कंपनी द्वारा सेवारत एल्यूमिनियम बाजारों में (भारत के अलावा) शामिल हैं: बंग्लादेश, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, तुर्की, थाइलैंड, इंडोनेशिया, चीन, यूएई, इजराइल, ताईवान, श्री लंका आदि। हमारी स्वयं की जरूरत से अधिक उत्पादित कैल्सिनाइड एंड एल्यूमिना को निर्यात किया जाता है। कंपनी द्वारा सेवारत एल्यूमिना बाजारों में (भारत के अलावा) शामिल हैं: चीन, मिश्र, जार्जिया, ईरान, रोमानिया, यूएई, उक्रेन, बहरीन, कतार आदि ।

खण्ड ख : कंपनी के वित्तीय विवरण

क्र. सं.	विवरण	कम्पनी सूचना
1	प्रदत्त पूंजी (आईएनआर) 31.03.14 को	1288.62 करोड
2	कारोबार (आईएनआर) : सकल : निवल	7024.27 करोड 6648.80 करोड
3	कर पश्चात लाभ (आईएनआर)	642.35 करोड
4	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्च (क) आईएनआर में (ख) कर पश्चात लाभ की प्रतिशतता के तौर पर :	क) सीएसआर पर 29 करोड़ ख) पिछले वर्ष के पीएटी (आईएनआर करोड़) के प्रतिशत के रूप में : 4.89 प्रतिशत
5	कार्यकलापों की सूची जिनमें उक्त 4 में व्यय किया गया	(क) शिक्षा को प्रोत्साहन (ख) स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (ग) सामुदायिक अवसंरचना निर्माण (घ) पर्यावरणीय विकास (ङ) राहत उपाय (च) व्यवसायिक कौशल विकास (छ) स्थानीय समुदाय की सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन (ज) समाज के वंचित, निःशुक्त व्यक्तियों तक पहुंच

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियां हैं: नहीं
2. क्या सहायक कम्पनी / कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहलू में शामिल होते हैं? यदि हां तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या का उल्लेख करें।

   लागू नहीं होता
3. क्या कोई अन्य ईकाई / ईकाइयां (जैसे कि आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) हैं जिनसे कम्पनी व्यवसाय करती है, कंपनी के बीआर पहलू में भाग लेती है? यदि हां तो ऐसी ईकाई / ईकाइयों की प्रतिशतता का उल्लेख करें? [30% से कम, 30–60%, 60% से अधिक]

   आपूर्तिकर्ता, ग्राहक आदि संगठन द्वारा संचालित व्यवसाय दायित्व पहलों में शामिल नहीं होते।

खण्ड घ : व्यवसाय दायित्व (बीआर) सूचना

1. व्यवसाय दायित्व के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण

   क) निदेशक (उत्पादन) स्थाई विकास पहलों के लिए जिम्मेदार हैं जबकि निदेशक (मानव संसाधन) कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं।

ख) 1) स्थाई विकास के लिए बीआर प्रमुख का विवरण :

क्र.सं.	ब्यौरा	विवरण
1	डीआईएन नंबर	03619725
2	नाम	श्री एस.एस. महापात्र
3	पदनाम	निदेशक (उत्पादन)
4	टेलीफोन नंबर	0674-2300660
5	ई–मेल आईडी	dirprod@nalcoindia.co.in

ख) 2) सीएसआर गतिविधियों के लिए बीआर प्रमुख का विवरण :

क्र.सं.	ब्यौरा	विवरण
1	डीआईएन नंबर	02594088
2	नाम	श्री एस. सी. पाढ़ी
3	पदनाम	निदेशक (मानव संसाधन)
4	टेलीफोन नंबर	0674-2300430
5	ई–मेल आईडी	dirhr@nalcoindia.co.in

ख. 3) नालको में सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन 2011 में किया गया था। वर्तमान समिति में 2 कार्यकारी निदेशक और 2 स्वतंत्र निदेशक हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति की 1 अगस्त, 2013 को बैठक हुई।

31.03.2014 को समिति सदस्य हैं :

नाम	पदनाम	डीआईएन संख्या
श्री केसर शमीम	स्वतंत्र निदेशक एवं समिति के अध्यक्ष	03560915
श्री एस.एस. महापात्र	निदेशक (उत्पादन)	03619725
श्री संजीव बत्रा	स्वतंत्र निदेशक	02594088
श्री एस.सी. पाढ़ी	निदेशक (मानव संसाधन)	00602669

2. सिद्धांतवार (राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एनवीजी) के अनुरूप) व्यवसाय दायित्व नीति/नीतियां (हां/नहीं में उत्तर दें)

9 सिद्धांत (पी1 से पी9 तक), सिद्धांतों के व्यापक क्षेत्रों का संक्षेप में विवरण नीचे दिया गया है:

सिद्धांत 1 : व्यापार का प्रबंधन एवं संचालन पारदर्शिता, नैतिकता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए।

सिद्धांत 2 : व्यवसाय ऐसा होना चाहिए जहां सभी वस्तुएं एवं सेवाएं सुरक्षित हो और उनका सम्पूर्ण जीवन चक्र संधारणीयता में योगदान करता हो

सिद्धांत 3 : कर्मचारियों के कल्याण के साथ व्यवसाय किया जाना चाहिए।

सिद्धांत 4 : व्यापार में सभी पक्षों विशेषतौर पर उपेक्षित, जरूरतमंद और गरीबों के हितों का सम्मान और इन वर्गों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहनी चाहिए।

सिद्धांत 5 : मानव अधिकारों को प्रोत्साहन देकर व्यवसाय किया जाना चाहिए।

सिद्धांत 6 : पर्यावरण की रक्षा, सम्मान एवं संरक्षा के साथ व्यवसाय किया जाना चाहिए।

सिद्धांत 7 : जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से सार्वजनिक और विनियामक नीति के लिए प्रभावकारिता को शामिल करके व्यवसाय।

सिद्धांत 8 : समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को समर्थन के साथ व्यवसाय किया जाना चाहिए।

सिद्धांत 9 : जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को मूल्य उपलब्ध कराकर व्यवसाय किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त 9 सिद्धांतों (पी1 से पी9 तक) के संबंध में प्रत्युत्तर नीचे दिया गया है

क्र. सं.	प्रश्न	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	क्या आपके पास 9 एनजीवी के लिए नीति/नीतियां हैं?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	क्या नीति को संगत पणधारियों के साथ परामर्श से तैयार किया जा रहा है?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों से पुष्ट होती है ? यदि हां, विनिर्दिष्ट करें? (50 शब्द)	हाँ, नालको द्वारा उच्चारित नीतियों में सभी लागू राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का भाव एवं उद्देश्य प्रदर्शित होता है और इन नीतियों का कार्यान्वयन अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ओएचएसएस 180001, आईएसओ 50001 और एसए 80000 के लागू मूल घटकों के साथ प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।								
4.	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है? यदि हां, क्या इस पर प्र.नि./स्वामी/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक के हस्ताक्षर किए हैं?	Y Y	Y Y	Y Y	Y Y	Y Y	Y Y	Y Y	Y Y	Y Y
5.	क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए बोर्ड की विर्निदिष्ट समिति/निदेशक/अधिकारी हैं?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	ऑनलाइन समीक्षा की जाने वाली नीति हेतु लिंक का उल्लेख करें? **	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7.	क्या नीति की औपचारिक सूचना सभी संगत आंतरिक और बाहरी पणधारियों को दी जाती है?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8.	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए भीतरी संरचना है?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9.	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों से संबंधित पणधारियों की शिकायतों के निपटान के लिए शिकायत निवारण प्रणाली है ?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10.	क्या कंपनी ने इस नीति के कामकाज की आंतरिक या बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करवाया है?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

**

एनवीजी सिंद्धात	नीतियों के वेब लिंक
सिद्धांत 1 : नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही	1. सतत् विकास नीति 2. बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचरण संहिता 3. घोटाला रोकथाम नीति 4. भ्रष्टाचार विरोधी नीति 5. आंतरिक व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता उपरोक्त सभी नीतियां http://www.nalcoindia.com/Policies.aspx में उपलब्ध हैं।
सिद्धांत 2 : उत्पाद के जीवनचक्र में संधारणीयता	1. सतत् विकास नीति http:// www.nalcoindia.com/Policies.aspx
सिद्धांत 3 : कर्मचारी कल्याण	1. लक्ष्य विवरण http://www.nalcoindia.com पर उपलब्ध है। 2. नालको इन्ट्रानेट में कॉर्पोरेट योजना 2020 में एचआर दृष्टि एवं लक्ष्य
सिद्धांत 4 : पणधारक संलग्नता	1. सतत् विकास नीति http://www.nalcoindia.com/Policies.aspx 2. नालको इन्ट्रानेट में कॉर्पोरेट योजना 2020 में आंशिक रूप से संबोधित
सिद्धांत 5 : मानवाधिकार प्रोत्साहन	1. सतत् विकास नीति http://www.nalcoindia.com/Policies.aspx 2. लक्ष्य विवरण http://www.nalcoindia.com में उपलब्ध
सिद्धांत 6 : पर्यावरण संरक्षण	1. पर्यावरण नीति http://www.nalcoindia.com/Policies.aspx पर उपलब्ध है।
सिद्धांत 7 : जिम्मेदार सार्वजनिक नीति का समर्थन	1. कॉर्पोरेट योजना 2020 :http://nalcoinsight/downloads/CorpPlan%202020.pdf में आंशिक रूप से संबोधित
सिद्धांत 8 : समग्र विकास	1. सतत् विकास नीति http://www.nalcoindia.com/Policies.aspx 2. नालको फाउंडेशन दृष्टि एवं लक्ष्य www.nalcoindia.com/NALCO_FOUNDATION.pdf
सिद्धांत 9 : ग्राहक मूल्य	1. सतत् विकास नीति http://www.nalcoindia.com/Policies.aspx 2. लक्ष्य विवरण http://www.nalcoindia.com

2क. यदि क्र.सं. 1 में किसी भी सिद्धांत के तहत उत्तर नहीं में है, तो कृपया उल्लेख करें: कि क्यों है (2 विकल्पों तक टिक)

क्र.सं.	प्रश्न	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1.	कम्पनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है									
2.	कंपनी इस स्थिति में नहीं है जहां वह स्वयं को विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों के निर्धारण और कार्यान्वयन की स्थिति में पाती हो									
3.	कंपनी के पास कार्य के लिए उपलब्ध वित्तीय या मानव शक्ति संसाधन नहीं है			लागू नही						
4.	इसके अगले 6 माह के किए जाने की योजना है									
5.	इसके अगले 1 वर्ष तक किए जाने की योजना है									
6.	कोई अन्य कारण (कृपया विनिर्दिष्ट करें)									

1. व्यवसाय दायित्व (बीआर) से संबंधित अभिशासन
बीआर रिपोर्ट (बीआरआर) रूपरेखा के संदर्भ में प्रत्युत्तर

क्र.सं.	प्रश्न	प्रत्युत्तर
1.	बीआर कार्यनिष्पादन मूल्यांकन पर बोर्ड समिति द्वारा समीक्षा की स्थिति	बोर्ड स्तरीय समिति द्वारा बीआर कार्यनिष्पादन की समीक्षा वार्षिक रूप से की जाती है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान सीएसआर और एसडी कार्यकलापों की समीक्षा के लिए बोर्ड समिति की बैठक 1 अगस्त, 2013 को हुई।
2.	बीआर और स्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन 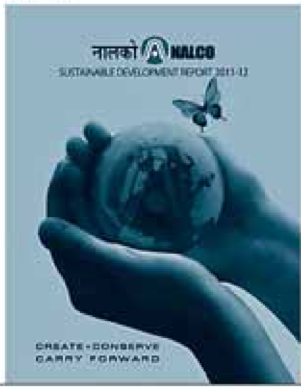	• नालको ने वित्त वर्ष 2011–12 के लिए कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों पर आधारित पहली संधारणीयता विकास रिपोर्ट वर्ष 2011 में तैयार की जिसे वित्त वर्ष 2012–13 में प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट में एनजीवी पर 9 सिद्धांतों से संबंधित हमारा कार्यप्रदर्शन शामिल है। वित्त वर्ष 2011–12 के लिए प्रकाशित संधारणीयता रिपोर्ट का वेब लिंक है: *http://www.nalcoindia.com/download/ Sustainable_Development_Report_2011-12.pdf* • वार्षिक रिपोर्ट 2012–13 के साथ वित्त वर्ष 2012–13 के लिए व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट अगस्त 2013 में प्रकाशित की गई थी। • सार्वभौमिक रिपोर्टिंग पहलों (एम्सटरडम, दि नीदरलैंड्स) जी 3.1 पर आधारित वित्त वर्ष 2012–13 के लिए विस्तृत संधारणीयता विकास रिपोर्ट वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान संकलित की गई और तीसरी पार्टी द्वारा बाहरी आश्वासन के लिए जमा की गई। • वित्त वर्ष 2013–14 के लिए व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट वित्त वर्ष 2013–14 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रकाशित की जा रही है।

खण्ड ङ : सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1 : व्यापार का प्रबंधन और संचालन पारदर्शिता, नैतिकता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए।

नालको की कॉर्पोरेट अभिशासन धारणा का आधार उच्चतम "त्रिस्तरीय" कार्य निस्पादन सुनिश्चित करते हुए पारदर्शिता, सशक्तिकरण और जवाबदेही जैसे नैतिक मूल्यों का अनुपालन है। सत्यनिष्ठा, नैतिकपरक कार्य, पारदर्शिता की पहलें हमारी संधारणी रिपोर्ट में प्रतिष्ठापित हैं।

बीआरआर रूपरेखा के संदर्भ में प्रत्युत्तर :

क्रम सं.	प्रश्न	प्रत्युत्तर
1.1	नैतिकता, रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार से संबंधित नीति	"बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचरण संहिता एवं नैतिकता", घोटाला रोकथाम नीति, भ्रष्टाचार विरोधी नीति एवं अधिकारियों के लिए "आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम" पर व्यापक संहिता बोर्ड द्वारा अनुमोदित है और वेबसाइट में उपलब्ध है। इसी प्रकार, सभी कामगारों के लिए लागू " स्टैंडिंग आदेश" सांविधिक अनुसार हैं। संधारणीयता विकास रिपोर्ट नीतिगत व्यापार संहिता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के प्रति नालको की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। नीतियां संगठन से जुड़े सभी कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और हमारे साथ कार्य करने वाले तीसरे पक्षों के आचार व्यवहार पर भी लागू हैं।
1.2	पणधारकों की शिकायतें प्राप्त करना और प्रबंध द्वारा उनका संतोषपूर्वक निवारण करना	*i.* वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान 105 सतर्कता शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसके अलावा पिछले वर्ष की 46 शिकायतें लंबित थी। 31.3.14 को कुल 151 शिकायतों में से 127 को संतोषपूर्वक निपटाया गया और 24 शिकायतें जांच के विभिन्न चरणों में लंबित हैं। सतर्कता जांच के आधार पर 52 कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोग तय किए गए। 14 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया तथा 8 कर्मचारियों के विरूद्ध संबंधित अनुशासन प्राधिकारी द्वारा अभियोग विज्ञप्ति जारी की गई है। *ii.* जांच के आधार पर, सुधार एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए दिए गए सुझावों को लागू किया गया है। *iii.* वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान निवेशक शिकायतों की संख्या 97 हैं और सभी का संतोषपूर्वक निपटारा कर दिया गया है।

सिद्धांत 2 – व्यवसाय ऐसा होना चाहिए जहां सभी वस्तुएं एवं सेवाएं सुरक्षित हो और उनका सम्पूर्ण जीवन चक्र संधारणीयता में योगदान करता हो

नालको के उत्पाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उत्पादों का डिजाइन एवं विकास और सहायक प्रक्रियाएं संधारणीयता के विभिन्न पहलुओं में शामिल रहती हैं। सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय मामले हमारी सतत् विकास नीति में विस्तार से संबोधित किए गए हैं।

बीआर रिपोर्ट (बीआरआर) रूपरेखा के संदर्भ में प्रत्युत्तर

क्र.सं.	प्रश्न	प्रत्युत्तर
2.1	उत्पाद या सेवाएं जिसका डिजाइन समाज या पर्यावरण विषयों, जोखिमों और/या अवसरों को ध्यान में रखकर किया जाता है।	नालको के उत्पाद, एल्यूमिना और कैल्सिनाइड एल्यूमिना ग्राहकों द्वारा उच्च गुणवत्ता एवं अच्छी सर्विस के माने जाते हैं। उत्पादित एल्यूमिनियम की गुणवत्ता लंदन मेटल एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन के अनुसार आवश्यक पी1020ए विनिर्देशनों के अनुसार है। इसी प्रकार, एल्यूमिना हाइड्रेट और कैल्सिनाइड एल्यूमिना अंतर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त मैटालर्जिकल ग्रेड एल्यूमिना मानक के अनुसार उत्पादित किए जाते हैं। हमारे उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के लिए ग्राहकों के माध्यम से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचते हैं। परिवहन क्षेत्र में एल्यूमिना के उपयोग से अन्य धातुओं की अपेक्षा वाहनों/हवाईजहाज या वाणिज्यिक वाहनों का भार घट जाता है। इससे ईंधन की बचत होती है जिससे वाहन चलाते समय खतरनाक गैसों के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी के द्वारा पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से नवोन्मेश एवं सुधार लाकर बेहतर कार्यकुशलता के साथ निरंतर गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के उत्पादन के प्रयास किए जाते हैं जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी होती है। तीन मुख्य उत्पाद श्रेणी में **एल्यूमिनियम, कैल्सिनाइड एल्यूमिना और बिजली** शामिल हैं। इनसे जुड़े पर्यावरणीय विषयों, जोखिमों एवं अवसरों को विस्तार से नीचे "क" में दिया गया है।
2.2	ऐसे प्रत्येक उत्पाद के संबंध में उपयोग किए गए स्रोत (विद्युत, जल, कच्ची सामग्री आदि) उत्पाद की प्रति यूनिट का विवरण	i) हमारे उत्पाद एवं प्रक्रिया डिजाइन में उपयोग किए गए स्रोत की कार्यकुशलता एकीकृत होती है। वित्त वर्ष के दौरान हासिल विशिष्ट खपत नीचे "ख" में दी गई है। ii) हमारी प्रक्रियाओं में निरंतर विकास अपेक्षित गुणवत्ता के कैल्सिनाइड एल्यूमिना एवं एल्यूमिना के उत्पादन में सहायता करता है। निरंतर उत्पादित एवं ग्राहकों को आपूर्ति किए जाने वाले उत्पादों में विनिर्देशित गुणवत्ता, ऊर्जा का इष्टतम उपयोग और प्रक्रियाओं में जरूरी बदलाव का ध्यान रखा जाता है।
2.3	सतत् आपूर्ति स्रोत की प्रक्रियाएं (परिवहन सहित)	नालको में मुख्यतया कच्ची सामग्री के स्रोत के नजदीक मुख्य विनिर्माण यूनिटों की स्थापना को सुनिश्चित करते हुए कच्ची सामग्री की सतत् आपूर्ति की जाती है। एल्यूमिना रिफाइनरी बॉक्साइट खान के नजदीक है जिससे हम 100 प्रतिशत बॉक्साइट आवश्यकता को पूरा करते हैं। इसी प्रकार, हमारे स्मेल्टर के लिए केप्टिव पावर प्लांट भी मैसर्स एमसीएल की कोयला खानों के नजदीक है जिससे ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) के अनुसार कोयला खरीदा जाता है। हमारी आवश्यकता के अनुसार एफएसए के पूरा कोयले न मिलने की स्थिति में कोयले की कमी को पूरा करने के लिए कोयले को ई–नीलामी और /अथवा आयात, जिसकी लागत कम पड़ती है, उसी अनुसार खरीदा जाता है। सभी थोक बल्क सामग्री जैसे कॉस्टिक सोडा, लाइम, सीटी पिच, सीपीकोक, एल्यूमिनियम फ्लोराइड आदि की खरीद विश्वासपूर्वक आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले वेन्डरों से खरीदी जाती है। भंडार एवं कच्ची सामग्री की सतत् आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वेन्डर आधार को बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। बॉक्साइट का परिवहन सिंगल फ्लाइट मल्टी–कर्व लम्बी दूरी केबल वेल्ट कन्वेयर द्वारा करने से पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को कम किया गया है। इसी प्रकार, केप्टिव पावर प्लांट से स्मेल्टर और एमसीएल की भरतपुर कोल माइन के बीच एक समर्पित मैरी–गो–राउंड (एमजीआर) केप्टिव रेल सिस्टम का प्रयोग किया गया है। खनन, परिवहन एवं निष्कर्शण कार्यकलापों में हमारे सीधा नियंत्रण होने के कारण सभी प्रक्रियाओं में संधारणीयता बनी रहती है। यूनिटों के आस–पास की नदियां एवं दरिया जल का स्रोत हैं।
2.4	स्थानीय एवं छोटे उत्पादकों से खरीद	एमएसई (लघु एवं मध्यम उद्यम) यूनिटों के विकास के लिए विशेष जोर दिया गया है। उन्हें विभिन्न इनपुट सामग्रियों एवं सेवाओं के उत्पादन एवं आपूर्ति के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान ओडिशा की चार यूनिटें, उनमें से दो हमारे प्लांट के नजदीक है, को सहायक यूनिट का दर्जा दिया गया था। अब सहायक यूनिटों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान एमएसएमई से खरीद एवं अन्य सेवाओं में 42.87% की वृद्धि हुई अर्थात् यह वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान रु. 189.26 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013–14 के दौरान रु. 270.40 करोड़ है। वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान रु. 230.57 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान यूनिटों (ओडिशा से बाहर सहित) से कुल खरीद रु. 294.41 करोड़ पहुंच गई जो 27.69% वृद्धि दर्शाता है। स्थानीय एमएसई को जोड़ने के निरंतर प्रयास किए जाते हैं और उनका योगदान सुधारने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान हमारी यूनिटों अर्थात् अंगुल और दामनजोड़ी में दो संयंत्र स्तरीय सहायक यूनिट समितियों की बैठकें आयोजित की गई। एसएंडपी कॉम्प्लैक्स, अंगुल में स्थित हमारे प्रशिक्षण संस्थान में क्रेता एवं विक्रेताओं के बीच बैठक, अ.जा. एवं अ.ज.जा. एमएसई के

क्र.सं.	प्रश्न	प्रत्युत्तर
		लिए वेन्डर प्रशिक्षण कार्यक्रम और उद्यमी विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अ.जा. एवं अ.ज.जा. उद्यमियों पर विशेष ध्यान देते हुए एमएंडआर कॉम्प्लैक्स में उद्यमिता सप्ताह भी मनाया गया था। हमने विभिन्न एमएसई प्रदर्शनियों जैसे एमएसएमई इंटरप्राइज ओडिशा 2013; भुवनेश्वर में एंटरप्राइज ओडिशा 2013 और भुवनेश्वर में ओडिशा एमएसएमई इंटरनेशनल ट्रेड में भी भाग लिया।
2.5	उत्पादों एवं अवशिष्टों का पुनः चक्रण	मुख्यतया एल्यूमिनियम उत्पादन के क्षेत्र में होने के कारण अधिकतम अवशिष्टों के पुनः चक्रण पर जोर दिया जाता है। मेल्टिंग फर्नेस में उत्पादित एल्यूमिनियम ड्रॉस को ऑटोजिनियस मिल्स में प्रोसेस किया जाता है जहां धातु घोल सामग्री से अलग हो जाता है और प्राप्त धातु का पुनः चक्रण किया जाता है। बाईपासिंग वर्तनों, वर्तन के शिरों, वर्तनों के ढक्कनों, अवशिष्ट धातु पैड आदि के लिए प्रयुक्त एल्यूमिनियम पच्चड़ों को गलाकर पॉटलाइन स्क्रैप मेल्टिंग फर्नेस के माध्यम में पुनः चक्रण किया जाता है। जल के सतत् उपयोग को प्राथमिकता दी जाती है और हम जहां संभव हो एक बार उपयोग किए गए पानी को पुनः उपयोग करते हैं। हमारी सभी उत्पादन यूनिटें पानी की बर्बादी एवं सीवरेज वाटर मैनेजमेंट के मामले में जीरो डिस्चार्ज यूनिटें हैं। परिष्कृत अवशिष्ट पानी का प्रक्रियाओं में पुनः उपयोग किया जाता है और सीवरेज वाटर का उपयोग बागवानी के लिए किया गया है। हमारे स्मेल्टर प्लांट में रिवर्स परासरण प्रक्रिया के द्वारा अवशिष्ट जल का संवर्धन एवं पुनः चक्रण करने की योजना है। वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान, सीपीपी में, ऍश तालाब में ओवरफ्लो पानी का ऍश निपटान प्रणाली में पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग किया गया। ऍश तालाब से 1,29,81,238 क्यूबिक मीटर पानी का पुनः चक्रण किया गया था। हमारे प्रचालनों में विभिन्न अवशिष्टों की रिकवरी एवं पुनः उपयोग की जानकारी नीचे "ग" में दी गई है।

(कृपया 2.1 का संदर्भ लें)

क. पर्यावरणीय चिंताएं, जोखिम, अवसरों का उत्पाद–वार विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पाद	पर्यावरणीय चिंताएं	जोखिम	अवसर
एल्यूमिना	कॉस्टिक, धूल, राख	कॉस्टिक स्पिलओवर, वायु प्रदूषण, ऍश स्पिलेज	अवशिष्ट जैसे धूल, राख का इस्तेमाल
एल्यूमिनियम	फ्लोराइड उत्सर्जन कचड़ा जैसे बेकार पॉटलाइन	फ्लोराइड दूषण	सीमेंट उद्योग में बेकार पॉटलाइन का इस्तेमाल
बिजली	ऍश	वायु प्रदूषण, ऍश स्पिलेज	ईंट बनाने, सीमेंट प्लांट आदि में राख का इस्तेमाल

- कीचड़ के तालाबों, ऍश के तालाबों में विशेष भंडारण और कुशल प्रक्रिया नियंत्रण के माध्यम से पर्यावरणीय चिंताएं और जोखिमों आदि का समाधान किया गया है।

(कृपया 2.2 का संदर्भ लें)

ख. विनिर्दिष्ट खपत

उत्पादन के प्रति यूनिट विनिर्दिष्ट खपत	मानक / एमओयू लक्ष्य	पिछला वर्ष (वि.व. 2012–13)	वर्तमान वर्ष (वि.व.2013–14
बॉक्साइट खानों में विस्फोटक खपत	165 gm/T	125 gm/T	120 gm/T
एल्यूमिना संयंत्र में एचएफओ खपत	81 Ltr/MT	83.79 Ltr/MT	81.59 Ltr/MT
स्मेल्टर में डीसी ऊर्जा खपत	13500 KWH/MT	13394 KWH/MT	13408 KWH/MT
स्मेल्टर में एसी ऊर्जा खपत	14850 KWH/MT	14705 KWH/MT	14754 KWH/MT
स्मेल्टर में एचएफओ खपत	90 Ltr/MT	71 Ltr/MT	57 Ltr/MT
स्मेल्टर में एल्यूमिनियम फ्ल्यूराइड खपत	19.5 Kg/MT	18.5 Kg/MT	17.71 Kg/MT
सीपीपी में ईंधन तेल खपत	1.1 ml/KWH	3.27 ml/KWH	1.01 ml/KWH

(कृपया 2.5 का संदर्भ लें)

ग. अपशिष्ट का पुनः चक्रण :

यूनिट	उपयोग	प्रतिशतता
बॉक्साइट खान	खनन किए गए क्षेत्रों के रिक्लेमेशन हेतु अधिक दबाव का इस्तेमाल किया जाता है।	100%
एल्यूमिना रिफाइनरी	लाल कीचड़ से कॉस्टिक सोडा को पुनः शोधित किया जाता है	6.55%
	ऍश उपयोग	69.64%
स्मेल्टर	एल्यूमिनियम ड्रोस को प्रक्रिया की इनपुट के तौर पर पुनः शोधित किया जाता है	70.80%
सीपीपी	ऍश उपयोग	71.67%

सिद्धान्त 3 : कर्मचारियों के कल्याण के साथ व्यवसाय किया जाना चाहिए।

कर्मचारियों का कल्याण और उनकी प्रतिभा विकसित करना हमारी संस्कृति का अभिन्न भाग है। कर्मचारियों के अनुबंध व सशक्तीकरण के माध्यम से हम उचित, निष्पक्ष, भेदभाव रहित प्रबंधन अभ्यासों को बढ़ावा देते हैं, और एक उच्च कार्यकुशलता की कार्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। मिशन कथन प्रशिक्षण व विकास को रेखांकित करता है जो हमारी वृद्धि रणनीतियों को साकार करने के लिए हमारे कर्मचारियों के विकास के लिए प्राथमिकता के अनुरूप है। नालको अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं के लिए संवेदशील है, और अपने कर्मचारियों की सुरक्षा तथा कल्याण की देखभाल करने हेतु विभिन्न नीतियों का सूत्रपात किया है। कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रबंधन का संकल्प निम्नलिखित में परिलक्षित होता है:

बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध के लिए व्यापार आचार संहिता और आचार नीति

क्रियाशील जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कर्मी और संसाधनों प्रबंधित करें

संगठनात्मक नेतृत्व सहकर्मियों को अपना सर्वोत्तम देने के लिए सक्षम बनाने हेतु उनके लिए एक कार्य करने व व्यापार के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करने को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन सभी कर्मचारियों की मानवीय प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। कम्पनी के कर्मचारियों को सभी आवश्यक सहयोग व सहायता प्रदान करके उनके व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहन और सहयोग प्रदान करेगा जिससे उनके कार्य करने की गुणवत्ता को बढ़ायेगा।

महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर आन्तरिक शिकायत समीति

नालको ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 को दृष्टिगत करते हुए उनके कार्यस्थल बचाव रोकथाम व निवारण पर किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न से बचाव तथा ऐसी शिकायतों व अन्य संबंधित मामलों के निवारण के लिए महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर एक आन्तरिक शिकायत समीति का गठन किया है।

व्यावसायिक स्वास्थ्य व सुरक्षा नीति

नलको अपने सभी संचालनों में एक सुरक्षित स्वस्थ तथा दीर्घकालिक कार्य वातावरण बनाये रखने के लिए संकल्पबद्ध है।

सामाजिक उत्तरदायित्व नीति

नालको में हम कर्मियों के अधिकारों का सम्मान करते हुए अपने सभी कर्मियों को एक सामाजिक उत्तरदायी कार्य वातावरण प्रदान करने तथा नैतिक व्यापारिक व्यवहारों को बनाये रखने के लिए संकल्पबद्ध हैं।

ठेकेदारों के लिए सुरक्षा संहिता (कार्य व सेवायें)

ठेकेदारों के लिए सुरक्षा संहिता प्रमुखरूप से खदानों तथा संयंत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्रों में काम कर रहे संविदा कर्मियों के द्वारा व्यक्तिगत पूर्वसक्रिय उपकरण के प्रयोग पर लक्ष्य करती है। यह आशा की जाती है कि हर वर्ग/क्षेत्र का अभियंता प्रभारी निर्देशों का सावधानीपूर्वक पढ़ेगा और संहिता में निहित निर्देशों का पालन करने के लिए आवश्यकता के समय संविदा कर्मियों की पर्याप्त देखभाल करेगा।

मानवसंसाधन विकास नीति

हमारी मानवसंसाधन विकास नीति व्यवस्थाओं तथा प्रक्रियाओं को बढावा देती है, जो भेदभाव से मुक्त है, और मानव संसाधन नियम–पुस्तक में भली भाँति लिखी हैं। हम भर्ती से पूर्व और परिचय कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार के नियम व शर्ते बता देते हैं।

कर्मचारी शिकायत क्रियाविधि

कर्मचारी भेदभाव से संबंधित शिकायतों के लिए कर्मचारी शिकायत प्रबंधन कियाविधि का प्रयोग करते हैं।

बीआरआर रूपरेखा के संदर्भ में प्रत्युत्तर

कम सं.	प्रश्न	प्रतिकिया
3.1	कर्मचारियों की कुल संख्या	*7425*
3.2	अस्थायी/संविदात्मक/अनौपचारिक आधार पर रखे गये कर्मचारियों की कुल संख्या	10 संविदात्मक कर्मचारी रखरखाव, सफाई, संरक्षण आदि में बाहरी स्रोतों से प्राप्त की गई गतिविधियाँ कार्य ठेकेदारों ने 10393 कर्मचारियों को नियुक्त किया है।
3.3	स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या	*349*
3.4	विकलांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या	*79*
3.5	प्रबंधन द्वारा स्वीकृत कर्मचारी संघ	नालको के पास अपनी विभिन्न उत्पादन इकाइयों और कार्यालयों में कई पंजीकृत संघ हैं। प्रत्येक इकाई में अधिकांशतः सदस्यता वाले संघ मान्यता प्राप्त संघ के दर्जे के अनुरूप भी हैं।
3.6	आपके स्थायी कर्मचारियों का प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं।	लगभग 100 प्रतिशत कर्मचारी पंजीकृत संघों के सदस्य हैं। जहाँ तक मान्यता प्राप्त संघों की बात है, 31.3.2014 के अनुसार 46.64 प्रतिशत संगठित कर्मचारी इन संघों के सदस्य है।

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>प्रश्न</th><th colspan="3">प्रतिक्रिया</th></tr>
<tr><td rowspan="4">3.7</td><td rowspan="4">पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से संबंधित और वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अनिर्णीत शिकायतों की संख्या।</td><td>श्रेणी</td><td>शिकायतों की संख्या (पिछले वर्षों से अनिर्णीत सहित के वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान दर्ज की गई)</td><td>31.03.14 को लंबित शिकायतों की संख्या</td></tr>
<tr><td>बाल श्रम, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी,</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>यौन उत्पीड़न</td><td>02</td><td>01</td></tr>
<tr><td>विभेदन कर्मचारी</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>3.8</td><td>पिछले वर्ष जिन कर्मचारियों को सुरक्षा व कौशल नवीनीकरण प्रशिक्षण दिया गया था।</td><td colspan="3">• स्थायी कर्मचारी – 44.08 प्रतिशत
• स्थायी महिला कर्मचारी – 22.48 प्रतिशत
• अनौपचारिक/अस्थायी/संविदात्मक कर्मचारी–14.12 प्रतिशत
• विकलांग कर्मचारी – 5.88 प्रतिशत</td></tr>
</table>

सिद्धान्त 4: व्यापार में सभी पक्षों विशेषतौर पर उपेक्षित, जरूरतमंद और गरीबों के हितों का सम्मान और इन वर्गों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहनी चाहिए।

नालको विश्वास करता है कि शेयरधारकों की वचनबद्धता विश्वास आधारित संबंध निर्माण में सहायता करती है, और व्यापार संबंधी खतरों को पहचानने में प्रमुख है। चिरस्थायी विकास नीति शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजन को बढ़ाने के दृष्टिकोण के साथ प्रगति व सतत् सुधारों के प्रयासों के माध्यम से शेयरधारकों की वचनबद्धता को रेखांकित करती है। निम्नलिखित अनुमोदित प्रलेख में कथन इसके अनुरूप महत्व को रेखांकित करते हैं:

प्रलेख	कथन
व्यापार की संहिता बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण तथा आचार नीति	शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायी बनें।
मिशन कथन	ग्राहकों तथा शेयरधारकों और कर्मचारियों एवम् अन्य शेयरधारकों को संतुष्ट करना।
कारपोरेट योजना तथा विजन प्रलेख 2020	यह कम्पनी के शेयरधारकों के साथ बाहरी संवाद को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।

बीआरआर रूपरेखा के संदर्भ में प्रत्युत्तर

क्रम सं.	प्रश्न	प्रतिक्रिया
4.1	आन्तरिक तथा बाहरी शेयरधारकों का प्रतिचित्रण	नालको के पास प्रमुख शेयरधारकों अर्थात ग्राहकों, शेयरधारकों व वित्तीय संस्थानों, सरकार व उनके प्रतिनिधियों, नियामक प्राधिकरणों, औद्योगिक संघ, स्थानीय समुदायों, समिति संगठनों, कर्मचारियों, सेवा प्रदाताओं और कार्य संविदा कर्मियों, विक्रेताओं के साथ संवाद करने की एक उचित क्रियाविधि है। ऊपर दिये गये शेयरधारक अधिकतर मामलों में औपचारिक संरचित प्रक्रिया के माध्यम से कार्यरत हैं। शेयरधारकों के संदर्भ में सूचना का आवधिक नवीनीकरण संवाद के औपचारिक या अनौपचारिक चैनल के माध्यम से होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के प्रावधानों के संबंध में भी शेयरधारकों द्वारा माँगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष 2012–13 के विचाराधीन 19 प्रश्नों सहित कुल 199 प्रश्न प्राप्त हुए थे। इसमें से 184 प्रश्नों का समाधान हो चुका है, जबकि शेष 15 पर कार्यवाही विभिन्न चरणों में हैं।
4.2	सुविधाहीन, कमजोर और अधिकारहीन शेयरधारकों की पहचान	दमनजोडी और अंगुल में हमारी निर्माण सुविधाओं के पास में समाज के आर्थिक रूप से सुविधाहीन, कमजोर और अधिकारहीन समूह के समुदायों की पहचान की गई है। समुदायों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए एक आवश्यकता मूल्यांकन सर्वे किया गया। अंगुल व कोरापुट में नालको खदानों तथा संयंत्रों और प्रस्तावित खनन क्षेत्रों की 15 किमी की परिधि में स्थित गाँवों के निवासियों को कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदार कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्रदान किये जाते हैं।
4.3	सुविधाहीन, कमजोर और अधिकारहीन शेयरधारकों को सम्मिलित करने के लिए विशेष पहल	वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान दमनजोडी की परिधि के गाँवों के 254 जनजातीय बच्चों को कोरापुट जयपुर तथा भुवनेश्वर में आवासीय स्कूलों में प्रवेश दिया गया था। इस योजना के प्रारंभ से 655 बच्चों को इस अवसर से लाभ प्राप्त हो चुका है, और वे अभी भी अपनी शिक्षा को ऐसे संस्थानों में जारी रखे हुए हैं। उनकी शिक्षा का व्यय का वहन नालको फाउंडेशन, कम्पनी की सीएसआर संस्था, द्वारा किया जाता है।

क्रम सं.	प्रश्न	प्रतिक्रिया
		दो अतिरिक्त मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों (एमएचयू) के योग के साथ अंगुल तथा दमनजोडी में संचालित एमएचयू की कुल संख्या 8 हो गई है। वितीय वर्ष 2013–14 के दौरान 2463 कैम्प संचालित किये गये और दमनजोड़ी तथा अंगुल की परिधि के गाँवों से कुल 109166 रोगियों का मुफ्त इलाज किया गया और दवाइयाँ प्रदान की गईं। सहायता तथा उपकरणों के रूप में दमनजोडी में 80 विकलांग बच्चों को चिकित्सा सहायता भी प्रदान की गई।

सिद्धान्त 5: मानव अधिकारों को प्रोत्साहन देकर व्यवसाय किया जाना चाहिए।

मानव प्रतिष्ठा का रक्षण व सम्मान हमारे दैनिक व्यापार संचालनों का4 केन्द्र है। मानव अधिकार व्यवहारों तथा आचार नीतियों के प्रति हमारी वचनबद्धता दीर्घकालिक विकास नीति में प्रतिबिम्बित होती है। मानव अधिकारों के लिए सम्मान को एसए 8000 प्रबंधन व्यवस्था भी समाविष्ट किया गया है और हमारी सभी उत्पादन इकाइयों तथा कारपोरेट कार्यालय में लागू किया गया है। सामाजिक उत्तरदायित्व नीति सभी कर्मचारियों को एक सामाजिकरूप से सहायक कार्य वातावरण प्रदान करने हेतु वचनवद्धता को रेखांकित करती है, और कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान करके व्यापारिक व्यवहारों का समर्थन करती है। कार्य संविदा की स्थिति में सेवा प्रदाताओं द्वारा इसको लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए मानव अधिकार संबंधी मानदंडों जैसे बाल श्रम, जबरन/अनिवार्य श्रम पर ध्यान दिया जाता है। कर्मचारी शिकायत क्रियाप्रणाली भेदभाव से संबंधित कर्मचारियों की आवाज, यदि कोई है, को प्रकट करने को प्रोत्साहित करती है। व्यापार संचालन संहिता और आचार नीति निष्पक्ष होने तथा जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने का आदेश देती है और दूसरों के लिए समानता, सहिष्णुता, सम्मान के मूल्यों पर जोर देती है।

बीआरआर रूपरेखा के संदर्भ में प्रत्युत्तर

क्रम सं.	प्रश्न	प्रतिक्रिया
5.1	मानव अधिकारों पर नीति	कारपोरेट कार्यालय सहित नालको की सभी निर्माण इकाइयाँ एसए 8000 मानक द्वारा प्रमाणित हैं, और आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदाताओं को भी शामिल करते हुए इस प्रबंधन तंत्र में मानव अधिकार पर ध्यान दिया जाता है।
5.2	वित्तीय वर्ष 2013–14 में शेयरधारकों की शिकायतें प्राप्त की गईं और प्रबंधन द्वारा संतोषपूर्ण तरीके से उनका समाधान किया गया।	यौन उत्पीड़न से संबंधित एक शिकायत रिपोर्ट करने की अवधि के दौरान प्राप्त हुई थी, जबकि एक पिछले वित्त वर्ष से विचाराधीन थी। 31.03.14 तक केवल एक शिकायत विचाराधीन है।

सिद्धान्त 6: पर्यावरण की रक्षा, सम्मान और सुंरक्षा के साथ व्यवसाय किया जाना चाहिए।

नालको में हम संचालनों की शुरूआत से समाप्ति बाद की अवस्था तक अपने वातावरणीय पदचिन्हों को कम करने के लिए वचनबद्ध हैं। प्रमुख व्यापारिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न वातावरण प्रभावों की समीक्षा हर वर्ष की जाती है, और चिन्हित किये गये प्रभावों को कम करने के लिए कदम उठाये जाते हैं। यह नालको द्वारा की जा रही विभिन्न वातावरणीय पहलों के लिए एक आधार देता है। संधारणीय विकास नीति वातावरण व ऊर्जा से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान के लिए जोर देती है। नालको ने संधारणीय पर्यावरण नीति तथा ऊर्जा नीति प्रतिपादित की है। प्रबंधन व्यवस्थायें लागू की जाती हैं जो पर्यावरण तथा उर्जा की तरफ इसकी सजगता व जिम्मेदारी की भावना प्रदर्शित करती हैं। नालको की निर्माण इकाइयों और विशाखापट्टनम में पोत सुविधा आईएसओ 14001 से मान्यता प्राप्त हैं जबकि कैपटिव विद्युत संयंत्र और एल्यूमिना रिफाइनरी आईएसओ 50001 मानक से मान्यता प्राप्त हैं। आईएसओ 50001 प्रणाली स्मेल्टर में लागू की जा रही हैं और प्रमाणन 2014–15 में नियोजित है।

वृद्धि उर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन:

इस मिशन के अन्तर्गत नालको को एक उर्जा सघन उद्योग के रूप में चिन्हित किया गया है और इसलिए उर्जा दक्षता लक्ष्यों को पीएटी योजना के अन्तर्गत प्राप्त करना है। परिणामस्वरूप नालको ने विशिष्ट पहलों नियमित उपकरण रखरखाव और उर्जा के वैकल्पिक स्रोत के प्रयोग के माध्यम से उर्जा संरक्षण के लिए योजनायें विकसित की है।

बीआरआर रूपरेखा के संदर्भ में प्रत्युत्तर

क्रम सं.	प्रश्न	प्रतिक्रिया
6.1	समूह/संयुक्त उपक्रमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य के लिए नीति का विस्तार	कारपोरेट पर्यावरण नीति संचालन के क्षेत्र के लिए विशिष्ट नीति से प्रतिपादित उद्देश्यों सहित सभी इकाइयों संचालनों और कार्यालयों में क्रियान्वयन के लिए विस्तारित एक विस्तृत प्रलेख है। लेकिन इसका विस्तार आपूर्तिकर्ताओं ठेकेदारों आदि के लिए नहीं किया जाता है।
6.2	वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु संबंधी बदलाव ग्लोबल वार्मिंग आदि पर ध्यान देने के लिए रणनीतियों/पहल	वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु संबंधी बदलाव ग्लोबल वार्मिंग आदि पर ध्यान देने के लिए पहल की गयीं हैं। कुछ पहल नीचे रेखांकित की गई हैं: 2012–13 में आरंभ किया गया सीपीपी में कार्बन सिक्स्ट्रेशन के लिए संयंत्र कार्बनडाइ आक्साइड की 20टी/एकड़/वर्ष की कमी होने के अनुमान के साथ 2013–14 के दौरान संचालन में है। दो वायु शक्ति उपक्रम एक 50.4 मेगावाट का आंध्र प्रदेश में और दूसरा 47.6 मेगावाट का मुरत राजस्थान में संचालन में है। पीएटी योजना **एस एण्ड पी काम्प्लेक्स तथा एल्यूमिना रिफाइनरी** में लागू की गई है। बीईई द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के साथ विशिष्ट उर्जा खपत की कमी के क्रमशः **5.024 प्रतिशत व 5.54 प्रतिशत** । उर्जा संरक्षण के लिए भिन्न भिन्न इकाइयों में लगाये गये विभिन्न उपक्रम भी वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित हैं।

क्रम सं.	प्रश्न	प्रतिक्रिया
6.3	संभावित पर्यावरणीय खतरों की पहचान व मूल्यांकन	हमारी सभी निर्माण इकाइयाँ आईएसओ 140001 तथा ओएचएसएएस 18001 से प्रमाणित हैं। सभी लागू नियमन अनुरूप हैं। जोखिमों को उत्पाद जीवन चक्र पर पहचाना गया है और उनका विवरण सिद्धान्त 2 में दिया गया है।
6.4	स्वच्छ विकास क्रियाप्रणाली से संबंधित परियोजना	गांडीकोटा आंधप्रदेश में स्थित 50.4 मेगावाट के पवन विद्युत संयंत्र– I को राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय भारत सरकार से होस्ट कंट्री अनुमोदन मिल चुका है। उपकक्रम गतिविधि वैध के अन्तर्गत है। वार्षिक औसत जीएचजी उत्सर्जन कमी की अनुमानित मात्रा 87000 टन कार्बन डाइ आक्साइड के समान है। राजस्थान में स्थित 47.6 मेगावाट वायु शक्ति संयंत्र– I I के लिए उपक्रम डिजायन प्रलेख और प्रोजेक्ट संकल्पना टिप्पणी होस्ट कंट्री अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय भारत सरकार में जमा की जा चुकी है।
6.5	स्वच्छ तकनीकी उर्जा दक्षता नवीनीकरण उर्जा पर अन्य पहल	एक कार्बन सिक्सटेशन संयंत्र हमारी सीपीपी में संचालन में है जहाँ ईंधन गैस से कार्बन डाइ आक्साइड सीधे शैवालों की वृद्धि के लिए अवशोषित की जाती है। गंडीकोटा, आंध्र प्रदेश तथा जैसलमेर राजस्थान में संचालित पवन विद्युत संयंत्र दो नवीनीकरण उर्जा पहल हैं। कारपोरेट कार्यालय भुवनेश्वर में 160 किलो वाट के रूफ टॉप सौर शक्ति संयंत्र लगाने का कार्य प्रगति पर है। नालको नगर टाउनशिप, भुवनेश्वर में रूफ टॉप सौर शक्ति संयंत्र 100 किलोवाट लगाने का आदेश दिया जा चुका है।
6.6	वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी /एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमतियोग्य सीमाओं के अन्दर कम्पनी दारा उत्पादित उत्सर्जन/अवशिष्ट की रिपोर्ट की जा रही है।	कम्पनी द्वारा उत्पादित उत्सर्जन/अवशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित की गई अनुमतियोग्य सीमाओं के अन्दर है। ऐसी सूचनाओं सहित पर्यावरणीय वृतान्त नियामक प्राधिकरण को हर वर्ष जमा किया जाता है।
6.7	सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ /कानूनी नोटिसों की संख्या जो वित्तीय वर्ष के अन्त में विचाराधीन अर्थात संतोषपूर्वक समाधान नहीं हुआ हैं।	एक कारण बताओ नोटिस 21.03.2014 को उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दारा जारी हुआ था और 31.03.2014 को विचाराधीन था। उसके शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई थी और अन्ततः मामले को अगली तिमाही में हल कर लिया गया था।

सिद्धान्त 7: जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से सार्वजनिक और विनियामक नीति के लिए प्रभावकारिता को शामिल करके व्यवसाय।

वर्तमान गतिक व्यापार परिदृष्य में एक स्वस्थ औघोगिक संबंध को विकसित करने तथा बढ़ावा देने के लिये व्यापारिक सहयोगियों वैधानिक एजेन्सियों राज्य तथा केन्द्र सरकार के साथ संवाद माध्यमों का होना आवश्यक है। हमारी कारपोरेट योजना ऐसे बाहरी संवाद को व्यापारिक सहयोगियों वैधानिक एजेन्सियों सरकार प्राधिकरणों के साथ मजबूत बनाने की वकालत करती है। हम विभिन्न सदस्य संगठनों तथा संघों का हिस्सा बनकर विभिन्न व्यापार संबंधी विकास प्रक्रियाओं में योगदान करते हैं।

बीआरआर रूपरेखा के संदर्भ में प्रत्युत्तर

क्रम सं.	प्रश्न	प्रतिक्रिया
7.1	किसी व्यापार व चेम्बर या संघ के सदस्य	हाँ, हम कुछ प्रतिष्ठित संघों के सदस्य हैं। प्रमुख हैं: 1. भारतीय एल्यूमीनियम संघ, 2. भारतीय खनिज उद्योग संघ, नई दिल्ली, 3. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मुम्बई, 4. सार्वजनिक उपक्रम स्थायी सम्मेलन, नई दिल्ली, 5. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)
7.2	जन कल्याण की उन्नति या सुधार के लिए नीति की ऊपर के संघ के पक्ष सर्मथन के माध्यम से	हम नीति तथा नियामक स्तरों पर उद्योग संघों जैसे भारतीय एल्युमीनियम संघ, सीआईआई और एफआईएमआई आदि में परिचर्चाओं /मंत्रणाओं में हमारी भागीदारी के माध्यम से एल्युमीनियम उद्योग द्वारा सामना किये जा रहे खतरों, चुनौतियों और अवसरों के लिए आवाज उठाते हैं। ये सामूहिक मंच हमें संवाद करने और व्यापक रूप से उद्योग तथा समाज के लाभ के लिए प्रभावी सार्वजनिक नीतियों हेतु कार्यनीतियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं।

सिद्धान्त 8: समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को समर्थन के साथ व्यवसाय किया जाना चाहिए

विस्तृत वृद्धि हमारी दीर्घकालिक विकास नीति में शीर्ष प्राथमिकता के अनुरूप है, और इसलिए स्थानीय तथा अधिकारविहीन समुदायों के लिए निरंतरता और सीएसआर के लिए केन्द्रित पहल की गयीं हैं। सीएसआर नीति के एक भाग के रूप में नालको शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत समुदाय विकास पहल के लिए आवंटित करता है। इसमें से 1 प्रतिशत नालको फाउंडेशन, कम्पनी की सीएसआर विंग, सीएसआर के माध्यम से गतिविधियों पर व्यय किया जाता है, जबकि शेष

1 प्रतिशत ओड़िशा सरकार द्वारा स्थापित आरपीडीएसी अर्थात पुनर्वास और परिधीय विकास परामर्श समिति के माध्यम से परिधीय विकास कार्यक्रम पर व्यय करने के लिए आवंटित किया जाता है। भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा 2013 में सीएसआर तथा निरंतरता दिशा–निर्देश जारी किये गये का भी अनुसरण किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य मामलों आदि क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनायें लागू की गई हैं।

बीआरआर रूपरेखा के संदर्भ में प्रत्युत्तर

क्रम सं.	प्रश्न	प्रतिक्रिया
8.1	नीति के अनुगमन में कार्यक्रम / पहल / परियोजनायें	नालको द्वारा सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी नीति तथा दिशा–निर्देशों के अनुगमन में प्रारंभ किये गये विभिन्न कार्यक्रम और पहल हैः i) एस एण्ड पी काम्प्लेक्स में, नालको ने अपने परिधीय विकास कार्यालय, नालको नगर, अंगुल में निकटवर्ती गाँवों में रहने वाले ग्रामीणों के लाभ के लिए एक ओपीडी केन्द्र खोला है। केन्द्र पर परीक्षण के बाद, रोगियों को मुफ्त में दवाइयाँ दी जाती हैं। डाक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ सभी कार्यदिवसों पर उपलब्ध हैं। ii) एम एण्ड आर काम्प्लेक्स, दमनजोडी में चालू वित्त वर्ष के दौरान 238 लोगों, जिसमें 95 प्रतिशत महिलायें हैं, को वस्त्र सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया है। यह कार्यक्रम वस्त्र मंत्रालय तथा नालको द्वारा संचालित किया गया जा रहा है, और प्रशिक्षण हेतु भागीदारों तथा स्टाफ के लिए आवास सुविधा सहित अवसंरचना सुविधा प्रदान कर रहा है। iii) एम एण्ड आर काम्प्लेक्स, दमनजोडी में आसपास के गाँवों के प्रगतिशील किसानों के बीच बेहतर कृषि के लिए किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। iv) हरित विशाखा परियोजना के अन्तर्गत विशाखापट्टनम जिला प्रशासन के अनुरोध पर विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) में 25.00 लाख की लागत से 5000 पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया था। v) भीषण चक्रवात फैलिन के बाद पुनर्वास और निर्माण कार्यों की चुनौतियों से निपटने में उड़ीसा सरकार को सहयोग करने के लिए एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में नालको ने मुख्यमंत्री राहत कोष, उड़ीसा में 10.00 करोड़ रूपये का योगदान दिया। साथ ही, बालासोर, पुरी और गंजम जिलों के प्रभावित क्षेत्रों में 19.00 लाख का खर्च उठाते हुए सीधी राहत वितरण गतिविधियाँ भी शुरू कीं। vi) नालको ने जिला प्रशासन द्वारा कोरापुट में 16 से 18 जनवरी 2014 तक आयोजित कोरपुट के एक राज्य स्तरीय जनजातीय उत्सव परब, 2013 के लिए रू. 27.00 लाख का योगदान दिया। vii) कर्मचारियों ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष, उत्तराखण्ड सरकार में प्रलयकारी बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों के कष्टों के निवारण हेतु एक दिन के वेतन के दान के द्वारा रू. 15786307 का योगदान दिया।
8.2	आंतरिक विशेषज्ञों / विभाग द्वारा लागू की जा रही सीएसआर पहलें।	कम्पनी की सीएसआर निम्नलिखित के माध्यम से चलाई जाती हैः i) बोर्ड स्तरीय सीएसआर और एसडी समिति ii) पुनर्वास और परिधीय विकास सलाहकार समिति (आरपीडीएसी) iii) नालको फाउंडेशन। **(i) बोर्ड स्तरीय सीएसआर और एसडी समिति** (ii) **आरपीडीएसी** – परिधीय विकास कार्यक्रम की आवंटित राशि (1 प्रतिशत का शुद्ध लाभ) से। 40 प्रतिशत एस एण्ड पी काम्प्लेक्स, अंगुल, 40 प्रतिशत एम एण्ड आर काम्प्लेक्स, दमनजोडी और 20 प्रतिशत कारापोरेट स्तरीय गतिविधियाँ। उड़ीशा सरकार ने अंगुल तथा दमनजोडी क्षेत्रों के लिए संबंधित राजस्व मंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में पुनर्वास और परिधीय विकास सलाहकार गठित की है। समिति के अन्य सदस्यों में जिलाधिकारी, स्थानीय विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि और नालको के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस निश्चित की गयी निधि से संबंधित सभी परियोजनायें और नीतियाँ आरपीडीएसी द्वारा निश्चित की जाती हैं। अधिकतर परियोजनायें जिला प्रशासन द्वारा और कुछ परियोजनायें कम्पनी द्वारा सीधे लागू की जाती हैं। **(iii) नालको फाउंडेशन**– नालको फाउंडेशन नालको के संचालन क्षेत्रों की 15 किमी. की परिधि में स्थित गाँवों के विकास के लिए ध्यान केन्द्रित करता है। नालको ने आधार रेखा सर्वे के माध्यम से और प्राथमिक शेयरधारकों की आधारिक स्तर पर निर्णय करने की प्रक्रिया में भागीदारी को सुनिश्चित करके परियोजना आधारित उत्तरदायी पहल को अपनाया है।

क्रम सं.	प्रश्न	प्रतिक्रिया
8.3	सीएसआर पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन	सभी प्रारंभ सीएसआर परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन डीपीएफ दिशा–निर्देशों के अनुसार बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जाती है।
8.4	समुदाय विकास परियोजनाओं में प्रत्यक्ष योगदान	ऐसी गतिविधियों में प्रत्यक्ष योगदान रू. 29 करोड़ है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के पीएटी का 4.89 प्रतिशत है। राशि को गतिविधियों पर खर्च किया गया था श्रेणियों के अन्तर्गत क) शिक्षा को बढ़ावा ख) स्वास्थ्य और स्वच्छता ग) भवन समुदायिक अवसंरचना घ) पर्यावरण निरंतरता ङ) राहत उपाय च) व्यावसायिक कौशल वृद्धि छ) स्थानीय समुदाय की सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा, ज) समाज के अधिकारविहीन, विकलांग लोगों तक पहुँचना
8.5	समुदाय द्वारा सामुदायिक विकास पील को सफलतापूर्वक अपनाने हेतु सुनिश्चित करने के लिए कदम	समुदाय योजना बनाने से लेकर उसे लागू करने और निगरानी करने की अवस्थाओं तक परियोजना आरंभ की प्रत्येक अवस्था में शामिल होता है। हम ग्रामीणों से सुधारों के लिए एक कार्य योजना बनाने हेतु ग्राम स्तरीय विकास समितियों के माध्यम से उनके सुझाव मांगते हैं। समुदाय व समितियों के सदस्यों का सम्मिलन गतिविधियों को सफलतापूर्वक लागू करने को सुनिश्चित करने में मदद करता है, जिससे सम्पूर्ण प्रक्रिया संवहनीय बनती है।

सिद्धान्त 9: जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को मूल्य उपलब्ध कराकर व्यवसाय किया जाना चाहिए।

नालको ने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के अपने मूलमंत्र के साथ ग्राहक–केन्द्रित होने के लिए पहल की हैं। दीर्घकालिक विकास नीति शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजन को बढ़ाने के लिए ध्यान दिये जाने वाले आर्थिक मुद्दों को रेखांकित करती है, और मिशन कथन ग्राहक संतुष्टि पर केन्द्रित करता है। हमारे कामकाज में व्यापारिक उत्कृष्टता प्राप्त करने और अन्य सामाजिक दायित्वों को पूरा करने हेतु निरंतर सुधार के द्वारा ग्राहक की आवश्यकताओं तथा उम्मीदों को पूरा करना भी हमारा एक चयनित मार्ग है।

बीआरआर रूपरेखा के संदर्भ में प्रत्युत्तर

क्रम सं.	प्रश्न	प्रतिक्रिया
9.1	वित्तीय वर्ष के अन्त में अर्थात 31 मार्च 2014 को विचाराधीन ग्राहक शिकायतों/उपभोक्ता मामलों का प्रतिशत	31.03.2013 तक विचाराधीन शिकायतें : 06 वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान प्राप्त की गई शिकायतें : 10 वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान समाप्त की गई शिकायतें : 15 31.03.2013 को विचाराधीन शिकायतें : 01 कुल शिकायतों के संदर्भ में 31.03.2013 को विचाराधीन उपभोक्ता शिकायतों का प्रतिशत : 6.25 प्रतिशत
9.2	उत्पाद लेबल पर उत्पाद सूचना का प्रदर्शन	नालको विधि द्वारा निर्धारित अभ्यासों का अनुसरण करके उत्पाद पत्रण के संबंध में आवश्यकताओं को पूरा करता है। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम धातु के मामले में उत्पाद श्रेणी, ढेर संख्या, बंडल संख्या, शुद्ध भार उत्पाद लेबल पर प्रदर्शित होते हैं। लपेटे हुए किये हुए उत्पादों के मामले में कम्पनी का नाम और उत्पादन इकाई व स्थान का नाम, कुंडली संख्या, श्रेणी, मि.मी. में आकार (मोटाई व चौड़ाई), निरीक्षण करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, पैकेजिंग की तिथि, सह–ढेरों की संख्या और प्रति पैकेट में चादरों की कुल संख्या (केवल लपेटी हुई चादरों के लिए), उत्पाद लेबल पर प्रदर्शित की जाती है।
9.3	शेयरधारकों द्वारा शिकायतें	गलत व्यापार अभ्यासों, गैर जिम्मेदार विज्ञापन और / या गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार के संदर्भ में किसी भी शेयर धारक द्वारा कम्पनी के विरूद्ध पिछले 5 सालों के दौरान कोई भी मामला नहीं दर्ज किया गया है।
9.4	उपभोक्ता सर्वे/उपभोक्ता संतुष्टि प्रचलन	नालको संतुष्टि सूचकांक के प्रतिचित्रण तथा ग्राहकों के सुझाव एकत्र करने के लिए वर्ष में दो बार ग्राहक संतुष्टि सर्वे संचालित करती है। इसके बाद हमारे अपने कामकाज को आन्तरिकरूप से मानक प्रदान करने के लिए आगे उसमें सुधार करने हेतु प्रचलनों का विश्लेषण किया जाता है।

परिशिष्ट-II

कंपनी अधिनियम, 1956 और इसके तहत बनाए गए नियमों की धारा 219(1)(ड.) के तहत विस्तृत सूचना का विवरण

क. ऊर्जा संरक्षण

क. किए गए ऊर्जा संरक्षण उपाय :

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी की विभिन्न इकाइयों में अपनाए गए यूनिट विशेष ऊर्जा संरक्षण उपाय नीचे दिए गए हैं :

बॉक्साइट खान

मैसर्स राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एन पी सी), भुवनेश्वर द्वारा किए गए ऊर्जा आडिट की 13 सिफारिशों में से 3 सिफारिशों का कार्यान्वयन पूरा किया जा चुका है और शेष 10 सिफारिशें कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। पूरी की गई सिफारिशें निम्न हैं :

क. वर्तमान 3 ट्रांसफार्मरों की मौजूदा क्षमता (33/0.433 केवी 1250 एम वी ए) का भार साझा करने के लिए इष्टतम भार होगा।

ख. परिवहन हेतु सड़कों के लिए छिड़काव पम्प हाउस की निर्गत ऊंचाई का सुधार।

ग. सोलर स्ट्रीट लाइट पोल आधारित 36 वाट के 10 एल ई डी की संस्थापना।

उपर्युक्त सभी पूरा किए गए प्रयासों से 30,636 किलोवाट घंटे प्रति वर्ष ऊर्जा की बचत हुई है।

एल्यूमिना रिफाइनरी संयंत्र

वर्ष के दौरान रिफाइनरी में क्रियान्वित प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के प्रयास निम्न हैं :

1. बायलर–1 के बीएफपी में पूर्ववर्ती 7 चरण के बीएफपी को ऊर्जा कुशल 6 चरण के बीएफपी के साथ बदलने के कार्य को पूरा किया गया है, इससे 5,56,800 किलोवाट घंटे प्रति वर्ष की ऊर्जा बचत हुई है।
2. देशी कोयले के साथ उच्च जीसीवी के आयातित कोयले की ब्लेंडिंग के लिए सीएचपी में स्वचालित आयातित कोयला ब्लेंडिंग की प्रणाली को सफलतापूर्वक चालू किया गया है।

प्रद्रावक संयंत्र

वर्ष के दौरान प्रद्रावक संयंत्र में क्रियान्वित प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के प्रयास निम्न हैं :

1. प्रद्रावक संयंत्र में विशिष्ट डीसी ऊर्जा खपत को 13,550 किलोवाट घंटे/एमटी के लक्ष्य की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान तप्त धातु के 13,523 किलोवाट घंटे/एमटी तक कम किया गया है। इसे पॉट लाइन–1 में, एनोडिक समस्याओं को कम करके, ग्रेफाइड कैथोड ब्लाक का प्रयोग, स्लाटिड एनोड का प्रयोग और चल रहे पॉट में एनोड स्टब होल और पिन की लंबाई बढ़ाकर ए एल पी एस वाई एस पॉट विनियमन प्रणाली को चालू करके प्राप्त किया जा सका। इन सभी गतिविधियों के फलस्वरूप 86,00,688 किलोवाट घंटे की कुल वार्षिक ऊर्जा बचत हुई है।
2. विशिष्ट ईंधन तेल की खपत में कास्ट धातु के 69 लीटर/एमटी की विशिष्ट ईंधन तेल खपत के अत्यधिक संतुलित बजटीय लक्ष्य की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान कास्ट धातु के 57 लीटर/एमटी के अब तक के सर्वोत्तम आंकड़े को प्राप्त किया गया है। इसे सर्वोत्तम प्रचालनात्मक प्रथाओं, बाजार मांग के अनुसार भट्ठी प्रचालन को इष्टतम करके भट्ठी के खाली समय को कम करके, भट्ठियों में इष्टतम फायरिंग के लिए पीआईडी नियंत्रक के साथ अर्ध–स्वचालित फायरिंग, भट्ठियों में उचित परमाणुकरण और दहन को सुनिश्चित करके प्राप्त किया गया। इसके फलस्वरूप 3,797.9 किलोलीटर तेल की कुल बचत हुई।
3. बीईई द्वारा निर्धारित पीएटी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रगालक ने 10 पीएटी (निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार) परियोजनाएं शुरू की गई हैं, तीन परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिन्होंने विशिष्ट ईंधन तेल खपत और विद्युत ऊर्जा में कटौती में योगदान दिया है। पूरी की गई परियोजनाएं निम्न हैं :

   क) रोलिंग संयंत्र के 1 एम एंड एच भट्ठी के लिए अर्ध–स्वचालित फायरिंग नियंत्रण प्रणाली।

   ख) एनोड पर स्टब होल लंबाई में वृद्धि।

   ग) टी एफ एल ट्यूबों को टी 5 लैम्प से बदलना।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र

वर्ष के दौरान ग्रहीत विद्युत संयंत्र में क्रियान्वित प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के प्रयास निम्न हैं :

1. ईंधन तेल खपत, 19,822 किलोलीटर से कम होकर 5,084 किलोलीटर रह गई है, जिससे 14,739 किलोलीटर ईंधन तेल की बचत हुई है।
2. 900 किलोवाट के 4 पुरानी किस्म की पीए पंखा मोटरों को बीएचईएल की ऊर्जा कुशल पीए पंखा मोटरों के साथ प्रतिस्थापन से विश्वसनीयता में सुधार हुआ है और ऊर्जा की खपत में कटौती हुई है।

ख. वर्ष 2014–15 में पूरा करने की योजना के साथ वर्ष 2013–14 के दौरान प्रस्तावित या प्रगति पर ऊर्जा संरक्षण की परियोजनाएं निम्न हैं :

(i) एल्यूमिना रिफाइनरी में बॉयलर एचएफओ ट्रेसिंग लाइनों में, प्रोसेस क्षेत्र आदि में दोषपूर्ण जाल का चरण–वार प्रतिस्थापन प्रगति पर है। पूरा होने पर भाप रिसाव में कटौती द्वारा की जाने वाली ऊर्जा बचत का अनुमान 1,621 टीओई प्रतिवर्ष लगाया गया है।

(ii) सीपीपी में कूलिंग टावर पंखों की गति के नियंत्रण के लिए परिवर्तनीय फ्रीक्वेंसी ड्राइव (वी एफ डी) संस्थापना की योजना बनाई गई है और इससे लगभग 5 प्रतिशत ऊर्जा बचत होने का अनुमान है।

(iii) प्रद्रावक में रोडिंग शॉप 2 में दूसरी स्लाट कटिंग मशीन की संस्थापना के 31 मार्च, 2015 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है, इससे 50 किलोवाट घंटे/एमटी की विशिष्ट डीसी ऊर्जा खपत में कमी होने का अनुमान है।

ग. कुल ऊर्जा खपत और उत्पादन के प्रति यूनिट ऊर्जा खपत फार्म–क में संलग्न है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण

फार्म बी के अनुसार प्रौद्योगिकी अवशोषण में किए गए प्रयास संलग्न हैं।

ग. विदेशी मुद्रा अर्जन और खर्च

नालको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न समुद्रपारीय स्थानों जैसे सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, जापान, तुर्की, वियतनाम, बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, यूएई आदि को एल्यूमीनियम धातु और केल्सिनाइड एल्यूमिना का निर्यात करता रहा है। हमारे पंजीकृत ग्राहकों के लिए निर्यात आदेश ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से बुक किए जाते हैं।

विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं/मेगजीनों/समचारपत्रों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों/प्रदर्शनियों के दौरान नए ग्राहकों से परस्पर संपर्क से अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के पंजीकरण के लिए वैश्विक आमंत्रण के लिए नोटिस प्रकाशित करके निर्यात बाजार में उत्पादों की बिक्री के लिए नए ग्राहकों को पंजीकृत करने के लिए पहलें की गई हैं। ग्राहक आधार बढ़ाने और नए निर्यात के लिए समुद्रपारीय स्थानों की तलाश करना एक लगातार जारी प्रोसेस है।

वर्ष 2012–13 में 3,378 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा के अर्जन की तुलना में वर्ष 2013–14 के लिए विदेशी मुद्रा के अर्जन 3,617 करोड़ रुपए के थे। रिपोर्टाधीन वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा खर्च पूर्ववर्ती वर्ष में 287 करोड़ रुपए की तुलना में 319 करोड़ रुपए के थे।

फार्म - A

ऊर्जा संरक्षण संबंधी विवरण का प्रकटन

A. विद्युत एवं ईंधन की खपत

		ग्रहीत विद्युत संयंत्र		एल्यूमिना परिशोधन		प्रद्रावक संयंत्र	
		चालू वर्ष 2013-14	गत वर्ष वर्ष 2012-13	चालू वर्ष 2013-14	गत वर्ष वर्ष 2012-13	चालू वर्ष 2013-14	गत वर्ष वर्ष 2012-13
1.	1.1 विद्युत						
	(क) ग्रिडको से खरीद						
	यूनिट (मिलियन किलोवाट घंटा)	0.1932	106.297	5.222	74.306		
	कुल राशि (लाख रुपए में)	13.78	7,334.52	370.74	5,312.91		
	दर/यूनिट (रुपए/किलोवाट घंटा)	7.13	6.90	7.10	7.15		
	(ख) निजी सृजन						
	i) डीजल जेनरेटर से यूनिट	(i) लागू नहीं	(i) लागू नहीं	-	-		
	यूनिट प्रति लीटर डीजल ऑयल						
	लागत/मूल्य						
	ii) भाप टरबाइन/जेनरेटर से						
	यूनिट (सकल)/मिलियन किलोवाट घंटा	5,644.071	6,855.271	422.559	363.722	लागू नहीं	
	ईंधन ऑयल/गैस की	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-		
	यूनिट प्रति लीटर						
	लागत/यूनिट (किलोवाट घंटा)	2.789	3.107	-	-		
2.	**कोयला (गुणवत्ता) एवं उपयोग क्षेत्र का उल्लेख)**						
	(क्वालिटी ग्रेड – एफ एंड जी, आयात)						
	विद्युत और भाप के अपने सृजन के लिए प्रयुक्त गुणवत्ता (टन)	4,826,755	5,709,496	1,307,865	1,153,566		
	कुल लागत (लाख रुपए में)	77,542.904	1,04,090.94	36,406.35	29,071.41		
	औसत दर (रुपए/टन में)	1,607	1,823.11	2,784	2,520.15		
3.	**भट्ठी तेल**						
	मात्रा (किलोलीटर)	5,049	19,823.701	1,56,056.26	1,47,696.5	18,062	28,639
	कुल राशि (लाख रुपए में)	2,442.62	8,986.27	63,644.44	59,587.24	7,318.32	11,681.93
	औसत दर (रुपए/टन में)	48,378	45,330	40,783	39,667	40,518	40,790
4.	**अन्य/आंतरिक सृजन**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	मात्रा						
	कुल लागत						
	दर/इकाई						

B. उत्पादन की प्रति यूनिट खपत

	उत्पाद (विवरण सहित)	इकाई	मानक (यदि कोई हो)	चालू वित्त वर्ष 2013-14	पिछला वित्त वर्ष 2012-13
1.	**एल्यूमिना**				
	(क) बिजली	(केडब्ल्यूएच/एमटी)	335	344.02	349.28
	(ख) निस्तापन हेतु ईंधन ऑयल	(लीटर/एमटी)	77	77.76	77.56
	(ग) वाष्प के लिए कोयला	(कि.ग्रा./एमटी)	620	677	640
	(घ) वाष्प के लिए ऑयल	(लीटर/एमटी)	4	3.81	6.09
2.	**एल्यूमिनियम**				
	(क) ए. सी. बिजली	(केडब्ल्यूएच/ एमटी)	14,800	14,754	14,708
	(ख) ईंधन ऑयल	(लीटर/एमटी)	90	57	71
	(ग) अन्य	-	-	-	-

फार्म B

प्रौद्योगिकी अवशोषण अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के संबंध में विवरणों का प्रकटन

1. कंपनी ने कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में आर एंड डी गतिविधियां संचालित की हैं, वे निम्नानुसार हैं :

क) आंतरिक आर एंड डी गतिविधियां

एल्यूमिना रिफाइनरी

1. विभिन्न बेयर लिकर से वैनडियम स्लज के निष्कर्षण के लिए उपयुक्त स्रोत और इष्टतम पैरामीटर को स्थापित करने के लिए अध्ययन 1 प्रयोगशाला पैमाने के अध्ययन पूर किए गए। जिओलाइट संयंत्र में उपलब्ध सुविधाओं का प्रयोग करके प्रायोगिक परीक्षण जारी है।
2. वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे पारम्परिक वाशरों में गेहूं की भूसी, प्राकृतिक फ्लोक्युलेंट को प्रतिस्थापित करने के लिए वैकल्पिक कृत्रिम फ्लोक्युलेंट का पता लगाने के लिए आपूर्ति के विभिन्न स्रोतों के साथ प्रयोगशाला पैमाने के फ्लोक्युलेंट परीक्षण किए गए थे।
3. उच्च दर वाले थिकनरों और नई स्ट्रीम के गहरे कोन वाशरों में प्रयोग के लिए विभिन्न फ्लोक्युलेंट के आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रयोगशाला पैमाने के अध्ययन किए गए थे (जब भी अपेक्षित होता है किए जाते हैं)।

प्रद्रावक

1. कार्बन संयंत्र को कच्ची सामग्री की गुणवत्ता में सुधार के लिए अध्ययन।
2. एनोड गुणवत्ता सुधार के लिए एनोड बैंच पैमाने के अध्ययन।
3. गुणवत्ता सुधार के लिए कास्ट उत्पादों और तरल धातु के समावेशी विश्लेषण के मटेलोग्राफिक अध्ययन।
4. स्लोटिड एनोड और पॉट लाइन में उच्च स्टब होल गहराई का पूर्ण पैमाने पर प्रयोग।
5. फलक्स का प्रयोग करके ड्रास के पैदा होने को कम करने के लिए परीक्षण किए गए।
6. रोल्ड एल्यूमीनियम शीटों से कुकवेयर के उत्पादन के लिए पहले चरण के परीक्षण किए गए।
7. विद्युत विश्लेषण सैलों में एनोड से केथोड का अनुमान लगाने के लिए गणितीय माडल विकसित किया गया।
8. एनोड गुणवत्ता के सुधार के लिए आपूर्तिकर्ता के सीपी कोक के गुण धर्मों को संशोधित करने के लिए प्रयोगशाला पैमाने और संयंत्र पैमाने पर अध्ययन किए गए।
9. गलन हानि को कम करने के लिए कास्ट हाउस में तरल धातु के अंतरण की साइफन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए परियोजना शुरू की गई।
10. पॉट लाइनों में तरल का तापमान मापन शुरू किया गया।
11. पॉट लाइनों में नई विकसित वेजिस को क्रियान्वित करने के लिए अनुरूपण अध्ययन किया गया।
12. "6063 बिलिट गुणवत्ता का निर्धारण" नामक परियोजना को पूरा किया गया।
13. नए उत्पाद के रूप में चेक शीट की बिक्री से विविधता और उत्पाद मिश्रण मिला है और अतिरिक्त राजस्व से प्रद्रावक संयंत्र को लाभ मिला है।
14. आर एंड डी प्रयास के कारण अच्छी गुणवत्ता वाले कोक का कार्बन संयंत्र में प्रयोग किया गया है और एनोड गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार हुआ था।

ख. सहयोगात्मक आर एंड डी गतिविधियां

वर्ष के दौरान पूरी की गई और शुरू की गई कुछ सहयोगात्मक आर एंड डी परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

1. बिशैले साइनाइड को नष्ट करने के लिए ताप उपचार प्रोसेस का विकास और स्पेंट पॉट लाइन सामग्रियों (एस पी एल) से बहुमूल्यों (सोडियम), फ्लोराइड, आदि) की वसूली – पूरी की गई।
2. धातु मेट्रिक्स कम्जोजिट का विकास – पूरी की गई।
3. एल्यूमीनियम विद्युत विश्लेषण सैलों में परफ्लूरो कार्बन (पी एफ सी) के लिए तकनीक और साधन – पूरी की गई।
4. इलेक्ट्रोलिटिक बाथ के तरलों के तापमान निर्धारण के लिए प्रोब का विकास – पूरी की गई।
5. गलन हानि और गलन हानि की कटौती के लिए समाधान प्राप्त करने में विस्तृत अध्ययन – पूरी की गई।
6. इलेक्ट्रोलिटिक बाथ की घुलनशीलता पर एल्यूमिना गुणवत्ता पर प्रभाव का अध्ययन – पूरी की गई।
7. डीसी कास्ट एए6063 में बिलिट गुणवत्ता का निर्धारण – पूरी की गई।
8. भारतीय एल्यूमीनियम उद्योग के लिए उच्च गति वाली निष्कासन मिश्र धातु का विकास।
9. स्पेंट पॉट लाइनों के कार्बन भाग के उपचार और उपयोग के लिए बैंच पैमाने का अध्ययन : कार्बन, सोडियम और फ्लोरीन मूल्य की वसूली – जारी।
10. नालको की कोयला राख का प्रयोग करके वियर रोधी सिरेमिक टाइल के निर्माण के लिए औद्योगिक पैमाने की जांच – जारी।
11. एल्यूमिना रिफाइनरी में इन्फ्रा रेड थर्मोग्राफी अध्ययन – जारी।
12. तापीय और गैर–तापीय हाइड्रोजन प्लाजमा के माध्यम से बाक्साइट के उपचार पर जांच – जारी।
13. सिलिका के बायो लीचिंग के माध्यम से नालको में एल्युमिना का उन्नयन और पाइरो/हाइड्रो मेटालाजिक रूटों के माध्यम से एल्युमिना की परवर्ती वसूली – जारी।

2. उपर्युक्त आर एंड डी (आंतरिक और सहयोगात्मक) के परिणाम के रूप में उदभूत लाभ

1. इस प्रकार निष्कर्षित वैनेडियम स्लज का बाजार में अच्छा मूल्य है, इस प्रकार यह एक राजस्व देने वाला उत्पाद हो सकता है। वेनेडियम स्लज को हटाने से लिकर में अशुद्धता कम हो जाती है, इस प्रकार स्केल फारमेशन न्यूनतम हो जाता है जिससे पाइप लाइन और ताप अंतरण उपस्करों के प्रवाह प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं। यह अतिरिक्त लाइम चार्जिंग (वेनेडियम को नियंत्रित करने के लिए) वर्तमान में की जा रही, को समाप्त करने में भी सहायता करेगा, इस प्रकार चूने की खपत कम हो जाएगी।

2. गेहूं की भूसी, एक प्राकृतिक चारा होने के कारण, उपयुक्त रूप से प्रतिस्थापित की जा सकती है।
3. नई उत्पादन स्ट्रीम को शुरू करने में पहले विभिन्न फ्लोक्युलेंट के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए।
4. नए उत्पाद के रूप में चेक शीट की बिक्री से विविधता और उत्पाद मिश्रण मिला है और वर्ष 2013–14 में 4.63 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व से प्रद्रावक संयंत्र को लाभ मिला है।
5. समावेशी विश्लेषण और मटेलोग्राफिक अध्ययनों ने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए सहायता दी है।
6. पॉट लाइन में स्लाटिड एनोड और उच्च स्टब होल गहराई वाले एनोड के प्रयोग से 100–150 किलोवाट घंटे/टी धातु द्वारा डीसी ऊर्जा खपत में कटौती के कारण लगभग 1 करोड़ रुपए/महीने का लाभ दिया है।
7. आर एंड डी प्रयासों के कारण कार्बन संयंत्र में अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले का प्रयोग किया गया है। उदभूत वित्तीय लाभ पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 25–30 लाख रुपए/महीना है, जिसका कारण कोयला तार पिच और केल्सीनिड पेट्रोलियम कोक की खपत में कटौती है।

3. भविष्य की कार्रवाई योजना और नई परियोजनाएं :

1. दोनों स्थलों पर आर एंड डी केंद्रों के पुनरूद्धार सहित भुवनेश्वर में विश्व स्तर के नालको अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना।
2. कुछ आर एंड डी प्रोसेसों का वाणिज्यिकरण।
3. सिरेमिक टाइल विनिर्माण, औद्योगिक जांच में फ्लाई एश का उपयोग।
4. फ्लाई एश से एल्यूमिना के निष्कर्षण के लिए जानकारी प्रोसेस का विकास।
5. विपणन के लिए ग्रीन लिकर से नमक को अलग करने के लिए ओक्सालेट हटाने के यूनिट/जिओलाइट संयंत्र की मौजूदा सुविधाओं का उपयोग।
6. सीजीएम के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना।
7. विभिन्न नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना और कास्ट हाउस में गलन हानि को कम करने के उपाय।
8. स्पेंट पॉट लाइनिंग कार्बन भाग से बहुमूल्यों की वसूली के लिए बैंच पैमाने पर और प्रायोगिक संयंत्र का विकास।
9. एनोड की गुणवत्ता में सुधार के लिए बैंच पैमाने/प्रायोगिक पैमाने पर अध्ययन।
10. मूल्य वर्धित और नए उत्पादों का विकास।
11. ऊर्जा की खपत को इष्टतम करने के लिए प्रद्रावक संयंत्र के लिए प्रोसेस के सुधार हेतु संबद्ध परियोजनाएं/अध्ययन।
12. एनोड के आक्सीकरण व्यवहार के सुधार पर अध्ययन।
13. पॉट लाइन के लिए निम्न ऊर्जा सैल प्रौद्योगिकी का विकास।
14. प्रयोगशाला पैमाने पर आंशिक रूप से लेटराइज्ड खोंडेलाइट (पी एल के) और फ्लाई एश से सिरेमिक प्रोपपेंट का विकास।

4. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय :

(लाख रुपए)

		2013-14	2012-13
(a)	पूंजी	796	1,226
(b)	रेकरिंग	591	666
(c)	योग	1,387	1,892
(d)	कुल आर एंड डी पर व्यय कुल कारोबार का प्रतिशत	0.20	0.26

5. प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन एवं नवाचार :

(क) एम एंड आर कॉम्प्लेक्स, दामनजोड़ी :

क्र.सं.	सुधार का विवरण	उसके लाभ
1	प्रेसिपिटेटर्स में स्पिल्ट फीडिंग	सोडे की अशुद्धता घटी
2	उच्च दर सेटलिंग टेक्नोलॉजी	एल्यूमिना की हानि में फिर से कमी, सोड़ा और ताप हानि, फुट प्रिंट एरिया और कैपेक्स में कमी
3	टी सी ए का फिल्टर एंड के तौर पर उपयोग	विशिष्ट फिल्ट्रेशन दर में सुधार हुआ, प्रवाह दर को बढ़ाया
4	केली फिल्टर्स के स्थान पर उन्नत वर्टिकल डायस्टर फिल्टर्स	प्रवाह दर बढ़ी और कैपेक्स में कमी आई। वाशिंग की जरूरत नहीं रही, सर्किट के हल्केपन में कमी आई इस प्रकार वाष्पीकरण की लागत में बचत हुई।
5	वर्तमान 3 स्टेज पी एच ई में दो स्टेज पी एच ई एलिमिनेटिंग	उच्चतर ताप वसूली
6	सीड ग्राइंडर शामिल करना और सीड पार्टिकल का औसत आकार नियमित आधार पर 45 एम से 10–12 प्रतिशत कम रखना	लिकर उत्पादकता में सुधार और सोडा उत्पाद में 200 पी पी एम तक कटौती

(ख) प्रगालक संयंत्र, अंगुल

क्र.सं.	सुधार का विवरण	उसके लाभ
1	पॉट लाइन में शटिड पॉट में संशोधित वेज के लिए बाइपासिंग.	पॉट लाइनों में डीसी ऊर्जा की खपत में कटौती
2	गहरी स्टब होल गहराई के साथ एनोड में समाहित करने के लिए स्टेम ब्रेकटों के पिन की लंबाई बढ़ाई गई है.	पॉट लाइनों में डीसी ऊर्जा की खपत में कटौती
3	रोलिंग संयंत्र में एक गलन और होल्डिंग भट्ठी के लिए अर्ध–स्वचालित फायरिंग नियंत्रण प्रणाली	रोलिंग संयंत्र में ईंधन की कटौती
4	कार्बन संयंत्र की रोडिंग शाप–1 के बट क्रशिंग क्षेत्र में डी–डस्टिंग प्रणाली का पुनरुद्धार	मशीन का बेहतर निष्पादन और विशिष्ट स्थान में धूल पैदा होने में कटौती
5	सी एच –बी में आई सी एम–1 के लिए रोकवेल पी एल सी के लिए सुदूर आई/ओ रेक की संस्थापना	आई सी एम –1 में कास्टिंग व्हील क्षेत्र पर किसी दुर्घटनावश आग के दौरान पर्याप्त डाउनटाईम और केबल क्षति से अलगाव

पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित/उन्नत प्रौद्योगिकी का विवरण :

(क) एम एंड आर काम्पलेक्स, दामनजोड़ी

आयातित प्रौद्योगिकी	आयात का वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह आत्मसात की गई है?	यदि पूरी तरह आत्मसात नहीं की गई है, तो वे क्षेत्र जहां इसे नही अपनाया गया, उसके कारण और भावी कार्य योजनाएं
टाइट्रेशन आधारित विश्लेषण के स्थान पर सोडा और डिजोल्वड एल्यूमिना के लिए बेयर लीकर का प्रोटेंशियोमीटर विश्लेषण	2008.09	पूरी तरह आत्मसात की गई है	.
माइक्रो फाइन्ड हाइड्रेट की वृद्धि के जरिए सीड ग्रेन साइज कंट्रोल	2008.09	पूरी तरह आत्मसात की गई है	.
फ्लोराइड, ऑक्सलेट आदि के विश्लेषण के लिए आयन क्रोमेटोग्राफ	2008.09	पूरी तरह आत्मसात की गई है	.
पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए ऑटो एनालाइजर	2010.11	.	न्यून मूल्यांकन
फर्नेसिस और वैद्युत स्विचयार्ड उपस्करों में हॉट स्पॉट्स का पता लगाने के आरईआर थर्मोग्राफी स्टडीज	2009.11	.	प्रक्रिया/प्रणाली स्थापनाधीन

ख) प्रद्रावक संयंत्र, अंगुल :

आयातित/उन्नत प्रौद्योगिकी	आयात का वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह आत्मसात की गई है?	यदि पूरी तरह आत्मसात नहीं गई है, तो वे क्षेत्र जहां इसे नही अपनाया गया, उसके कारण और भावी कार्य योजनाएं
एम्प्रेज में वृद्धि और बेहतर निष्पादन के लिए पॉटलाइन–3 में ग्रेफिटाइज्ड कैथोड को अर्ध–ग्रेफाइट कैथोड से उन्नत पॉटलाइनिंग सामग्री	2009-10	नहीं	240 पॉट में से 192 पॉट को ग्रेफाइटकृत कैथोड के साथ लाइन किया गया है। शेष को सभी पॉट के प्रचालन पर लाइन किया जाएगा।
पॉटलाइन फ्यूम ट्रीटमेंट प्लांट में आनलाइन मानीटरों की संस्थापना चार	2010-2012	हां	-
अनलोडिंग स्टेशन, कार्बन संयंत्र को तरल पिच के भंडारण प्रणाली	2010	हां	-
600 एमटी अतिरिक्त क्षमता को पूरा किया गया। पूरी प्रणाली आंतरिक रूप से विकसित की गई है।			
एनोड बेकिंग भट्ठी–2 में फ्यूम ट्रीटमेंट सेंटर की संस्थापना कार्बन संयंत्र में बैक्ड एनोड के लिए स्लॉट कटिंग मशीन	2012-13	हां	-
टी इनगोट कंटीन्यूअस पूर्णतः स्वचालित हॉरीजोन्टल	2010-11	हां	-
कास्ट हाउस में डायरेक्ट चिल (एचडीसी) कास्टिंग मशीन संस्थापित कास्ट हाउस में डायरेक्ट चिल (एचडीसी) कास्टिंग मशीन संस्थापित	2010-2011	हां	-
थाइरिस्टर नियंत्रण पैनल (टीसीपी), वैसल्स, पाइपिंग, स्वचालन प्रणाली	2011-12	हां	-
सहित 8X432 किलोवाट की क्षमता का ईएचटीएफ हीटर यह कार्बन संयंत्र में पुराने ऑयल फायर्ड बायलर की उन्नयन प्रणाली है। कार्बन संयंत्र की रोडिंग शॉप–I में नई यंत्रीकृत बाथ ब्रेकिंग और बाथ	2011-12	हां	-
फिनिशिंग मशीनें पॅटलाइन 1 में एएलपीएसवाईएस पॉट विनियमन प्रणाली को क्रियान्वित किया गया है। यह वर्तमान कुशलता को अधिकतम करने, एनोड प्रभाव फ्रीक्वेंसी और पीएफसी जनरेशन को कम करने में सहायता करेगा।	2012-13	हां	-
कार्बन संयंत्र की रोडिंग शॉप–2 की बाथ हैंडलिंग प्रणाली में नई बाथ बाईपास प्रणाली	2013-14	हां	
8", 9" और 10" बिलेट्स कास्ट के लिए एल्यूमीनियम बिलेट्स कास्टिंग सुविधा सज्जित	2013-14	हां	

परिशिष्ट-III

कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1.0 धारणा

कॉरपोरेट अभिशासन को कॉरपोरेट उत्कृष्टता की प्रोफाइल में पृथक ब्रांड और बैंचमार्क के रूप में देखा जाता है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर सेबी द्वारा दिशानिर्देशों, नियम और विनियमों को अद्यतन करने से स्पष्ट है।

अच्छी अभिशासन प्रथाएं संगठन की संस्कृति और पूर्वग्रह से पनपती हैं। गतिशील परिवेश में कारपोरेट अभिशासन को नियमित रूप से विकसित किए जाने की जरूरत है। यह सभी हिस्सेदारों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वचनबद्धता है। यह शेयरधारकों के प्रतिफल, उच्च क्रेडिट रेटिंग, अभिशासन प्रोसेसों और कार्य परिवेश पर संकेन्द्रित उद्यम के निष्पादन में प्रदर्शित होता है।

नालको में, कारपोरेट अभिशासन सब कुछ सत्यनिष्ठा के संवर्धन और बनाए रखने, पारदर्शिता और प्रबंध की जवाबदेही के बारे में है। कारपोरेट अभिशासन को उद्यम और इसके संसाधनों को नीतिशास्त्र के उच्चतम मानकों के साथ प्रभावशाली ढंग से कुशलता से प्रबंध में आशाओं को पूरा करने के लिए सभी स्तरों पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार नालको ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने और बनाए रखने के सभी प्रयास करता है जो निदेशक मंडल, आडिट समिति, लेखाकरण और कारपोरेट सचिवालय टीम, लेखा परीक्षकों और वरिष्ठ प्रबंधन में जटिल अंतर संबंधों को एकीकृत करती है।

2.0 निदेशक मंडल

एक प्रबुद्ध बोर्ड अभिशासन की गुणवत्ता के सुधार के उद्देश्य से दीर्घकालिक और नीति विचार प्रदान करता है। बोर्ड के कृत्य और कार्य को कंपनी के सर्वोत्तम हितों के अनुरूप बनाया जाता है। कंपनी के परिभाषित दिशानिर्देश हैं और कारपोरेट अभिशासन पर सूचीकरण करार के खंड 49 और डीपीई दिशानिर्देशों के तहत अपेक्षित के अनुरूप बोर्ड की संरचना और बैठकों के लिए ढांचा स्थापित किया है।

नालको बोर्ड का लगातार यह प्रयास रहता है कि सर्वोत्तम कारपोरेट अभिशासन प्रथाएं अपनाई जाएं। नालको द्वारा व्यवहार में लाए गए सर्वोत्तम अभिशासन मानदंड निम्नानुसार हैं :

- स्वतंत्र निदेशक सीपीएसई बोर्ड के गैर–सरकारी निदेशकों की भूमिका और जिम्मेदारी पर डीपीई के कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 20.06.2013 के साथ पठित दिनांक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28.12.2012 के अनुरूप वर्ष के दौरान अलग बैठक करते हैं।
- सभी प्रतिभूतियों से संबंधित सूचना और स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार में संशोधनों को कंपनी की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है जो शेयरधारकों की शिकायतों को भी देखती है।
- कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा को मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नामित वरिष्ठ कर्मचारी के पर्यवेक्षण के तहत स्वतंत्र चार्टर्ड लेखाकार फर्मों को सौंपा जाता है।
- स्वैच्छिक सचिवालीय लेखा परीक्षा कंपनी सचिव द्वारा की जाती है जो प्रथा में पूर्णकालिक है। सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न है और इसे सभी शेयरधारकों को परिचालित किया जाता है।

2.1 बोर्ड का आकार

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 81.06 प्रतिशत भारत के राष्ट्रपति धारण कर रहे हैं। सरकारी कंपनी होने के कारण बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार बोर्ड में निदेशकों की संख्या 4 से कम और अठारह से अधिक नहीं होगी।

2.2 संरचना

बोर्ड में 31 मार्च, 2014 को 14 निदेशक थे जिनमें अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित छह पूर्णकालिक निदेशक, दो गैर–कार्यपालक सरकारी निदेशक और छह गैर–कार्यपालक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक शामिल थे। दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 20.03.2014 को समाप्त हो गया। कारपोरेट अभिशासन पर सूचीकरण करार और डीपीई दिशानिर्देशों में यह शर्त है कि बोर्ड का आधा स्वतंत्र निदेशकों का होना चाहिए।

कारपोरेट अभिशासन पर सूचीकरण करार और डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का वर्ष के अधिकांश भाग में अनुपालन किया गया था। तथापि, 20.03.2014 को 2 स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल के समाप्त होने के कारण 21.03.2014 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए अपेक्षा का पालन नहीं किया गया था। तथापि, 21.03.2014 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई।

2.3 निदेशकों का सारांश

रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों और नियुक्ति चाहने वाले अतिरिक्त निदेशकों, जिसमें विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनके अभिनव का स्वरूप, उन कंपनियों के नाम जिनमें वे निदेशकता और बोर्ड / समिति की सदस्यता / अध्यक्षता धारण करते हैं, का संक्षिप्त सारांश वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के नोटिस के साथ संलग्न है।

2.4 निदेशकों की आयु–सीमा और कार्यकाल

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ओर अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की आयु–सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों के प्रभार ग्रहण करने की तारीख या सेवानिवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, शुरू में पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। निष्पादन के आधार पर पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यकाल को सेवानिवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार के आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, और आगे बढ़ाया जा सकता है।

स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव और ऊपर के स्तर के अधिकारी कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्त होते हैं। वे खान मंत्रालय के अधिकारी न रहने पर निदेशक मंडल में निदेशक नहीं रहते।

2.5 बोर्ड की बैठकें

सूचीकरण करार की अपेक्षाओं के अनुसार दो बोर्ड बैठकों में चार महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार, डीपीई के सीपीएसई के लिए कारपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देश विनिर्धारित करते हैं कि किसी दो बोर्ड बैठकों के बीच तीन महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। वित्तीय वर्ष के दौरान इन दिशानिर्देशों के अनुपालन में बोर्ड बैठकें हुई हैं।

चार बैठकों की न्यूनतम अपेक्षा की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान सात बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थीं। बैठकें 27.05.2013, 14.08.2013, 16.09.2013, 11.11.2013, 13.12.2012, 29.01.2014 और 25.02.2014 को आयोजित की गईं। किसी दो बैठकों के बीच न्यूनतम और अधिकतम समय का अंतर क्रमशः 26 दिन और 78 दिन था। बोर्ड बैठकों का ब्यौरा और बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

बोर्ड बैठक संख्या	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
266/27.05.2013	13	10
267/14.08.2013	13	12
268/26.09.2013	14	9
269/11.11.2013	14	13
270/13.12.2013	14	13
271/29.01.2014	15	13
272/25.02.2014	15	14

बोर्ड बैठकों का ब्यौरा जिनमें निदेशक उपस्थित हुए, पिछली आम वार्षिक बैठक की उपस्थिति, निदेशकों द्वारा धारित अन्य निदेशक पद/समिति सदस्यता की संख्या नीचे दी गई है :

क. पूर्णकालिक निदेशक

नाम और पदनाम	बोर्ड बैठक		27.09.2013 को आयोजित 32वीं एजीएम में उपस्थिति	अन्य निदेशकता की संख्या	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता*	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति			सदस्यता	अध्यक्षता
श्री अंशुमान दास, सीएमडी	7	7	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री बी. एल. बागरा, निदेशक (वित्त) (30.04.2013 तक)	-	-	लागू नहीं	2	1	-
श्री एस. एस. महापात्र, निदेशक (उत्पादन)	7	7	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एन. आर. महान्ति, (पी एंड टी)	7	6	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एस. सी. पाढ़ी, निदेशक (मानव संसाधन)	7	7	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री के. सी. सामल, निदेशक (वित्त) (30.01.2014 तक)	2	2	लागू नहीं	2	शून्य	शून्य
सुश्री सोमा मंडल निदेशक (वाणिज्यिक) (11.03.2014 से))	-	-	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

ख (i) अंशकालिक सरकारी निदेशक (गैर–स्वतंत्र)

सुश्री गौरी कुमार, आईएएस (30.06.2013 तक)	1	1	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री दुर्गा शंकर मिश्र, आईएएस (04.07.2013 तक)	6	5	नहीं	02	02	शून्य
श्री आर. श्रीधरन, आईएएस (30.08.2014 से)	5	3	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

b (ii) अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री वेद कुमार जैन, (20.03.2014 तक)	7	7	हां	7	3	2
श्री पी.सी. शर्मा, आईएएस (सेवानिवृत्त) (20.03.2014 तक)	7	5	हां	2	1	1
श्री जी.पी. जोशी, आईएएस (सेवानिवृत्त)	7	6	नहीं	3	शून्य	शून्य
श्री एस. एस. खुराना	7	7	हां	1	1	शून्य
श्री मधुकर गुप्ता, आईएएस (सेवानिवृत्त)	7	4	नहीं	1	शून्य	शून्य
श्री जी. एच. अमीन	7	6	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री केसर शमीम	7	6	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री संजीव बत्रा	7	5	नहीं	2	2	शून्य

* केवल लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति में सदस्यता/अध्यक्षता पर सूचीकरण करार के अनुसार विचार किया जाता है।

2.6 संस्थागत निर्णय लेने का प्रोसेस

(i) बोर्ड संगठन के नीति और योजना से संबंधित सभी निर्देश तय करने के लिए जिम्मेदार है और सुनिश्चित करेगा कि बनाए गए प्रोसेस परिणाम देंगे। पूर्णकालिक निदेशक कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंध करते हैं।

(ii) बोर्ड की बैठकें अधिकतर नई दिल्ली में आयोजित की जाती हैं और कभी–कभी भुवनेश्वर में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में की जाती हैं।

(iii) बोर्ड बैठकें कम से कम सात दिन का अग्रिम नोटिस देकर आयोजित की जाती हैं। आवश्यकता के मामले में कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार प्रस्ताव परिचालन द्वारा पारित किए जाते हैं। तथापि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी बैठकें 7 दिन से अधिक का नोटिस देकर आयोजित की गई थी।

(iv) सभी यूनिट/विभागों को बैठक की तारीख के बारे में काफी पहले सूचित कर दिया जाता है ताकि उनके मामले जिनको बोर्ड की चर्चा/अनुमोदन/निर्णय अपेक्षित हैं को बैठक के एजेंडा में शामिल करने के लिए कंपनी सचिव विभाग को संप्रेषित किया जा सके। आपवादिक परिस्थितियों में एजेंडा में पूरक मदों को बोर्ड के समक्ष पटल पर रखा जाता है।

(v) एजेंडा प्रपत्र विभागों द्वारा तैयार किए जाते हैं और सीएमडी द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। एजेंडा मदें, जिनमें व्यय शामिल होता है, को अनुमोदन के लिए सीएमडी को प्रस्तुत करने से पहले निदेशक (वित्त) द्वारा सहमति दी जाती है।

(vi) बोर्ड के सदस्यों को सभी सूचना के लिए पूरी पहुंच होती है और बैठक के दौरान किसी एजेंडा मद पर अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को बुलाने के लिए स्वतंत्र होते हैं।

(vii) बोर्ड को उत्पादन, विपणन, वित्त, व्यवसाय विकास, विकास योजनाओं, सहयोग/संयुक्त उद्यम प्रचालनों आदि को कवर करते हुए नियमित अंतरालों पर प्रस्तुतिकरण दिया जाता है।

(viii) बोर्ड के समक्ष रखी जाने वाली सूचना में निम्न शामिल होता है :

- वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा उनमें कोई संशोधन
- पूंजीगत बजट और कोई अन्य अद्यतन सूचना
- कंपनी का तिमाही वित्तीय परिणाम और व्यवसाय प्रखंड
- बोर्ड की समितियां बनाना/पुनर्गठन
- बोर्ड समितियों के विचारार्थ विषय
- बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठक के कार्यवृत्त
- वस्तुपरक महत्वपूर्ण मामलों के कारण बताओ, मांग, अभियोजन और अर्थदंड नोटिस, यदि कोई हो
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई सामग्री उत्सर्जन या प्रदूषण समस्या
- कंपनी द्वारा बेचे गए माल के पर्याप्त गैर–भुगतान या कंपनी को और द्वारा वित्तीय दायित्व में कोई वास्तविक चूक
- कोई मुद्दा, जिसमें पर्याप्त स्वरूप के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देनदारी दावे शामिल हों, जिसमें कोई निर्णय या आदेश जिसमें कंपनी के आचरण पर निंदा पारित की गई हो या किसी अन्य उद्यम के संबंध में प्रतिकूल दृष्टिकोण लिया गया हो जिसका कंपनी पर नकारात्मक निहितार्थ हो सकता है।
- निदेशकों के हित का सामान्य नोटिस
- निवेश, विलय या अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव
- संयुक्त उद्यमों, अधिग्रहणों और सहयोग करारों के ब्यौरे
- सामग्री के स्वरूप, निवेशों की सहायक कंपनियों, आस्तियों की बिक्री जो व्यवसाय के सामान्य कार्य में नहीं है
- किसी विनियामक, सांविधिक या सूचीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन न करना और शेयरधारक सेवा जैसे कि लाभांश की अदायगी न करना, शेयर अंतरण में देरी आदि
- मजदूरी बातचीत और समझौता, उल्लेखनीय श्रमिक समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान
- सांविधिक घटनाक्रमों, सरकार की नीतियों में परिवर्तन के साथ उसके प्रभाव पर संक्षेप।

2.6.1 अनुपालन

प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारियों की पहचान कानून के सभी प्रयोज्य उपबंधों, नियमों, दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। नोडल अधिकारी उनके विभागों से संबंधित प्रयोज्य कानूनों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए कंपनी सचिव को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कंपनी सचिव सभी कानूनों के अनुपालन से संबंधित सभी डाटा संकलित करता है, गैर–अनुपालन, यदि कोई हो, और उसके कारणों को बोर्ड के समक्ष सूचना और मार्गदर्शन के लिए रखता है।

3.0 बोर्ड की समितियां

बोर्ड ने निम्नलिखित समितियां गठित की हैं :

क. लेखापरीक्षा समिति (निवेशकों की शिकायत समिति की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं)।

ख. मानव संसाधन समिति

ग. पारिश्रमिक समिति

घ. प्रौद्योगिकी समिति

ङ. अनअंकेक्षित परिणामों के विचार के लिए निदेशकों की समिति

च. नीतिशास्त्र और कारपोरेट अभिशासन समिति

छ. जोखिम प्रबंध समिति

ज. सीएसआर और संधारणीय विकास समिति

झ. परियोजनाओं और नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति

ञ. स्वतंत्र निदेशकों की समिति

3.1 लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 1956, सूचीकरण करार और कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 1956, सूचीकरण करार और कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के तहत सभी क्षेत्रों को कवर करते हैं। इसके अलावा, लेखापरीक्षा समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. यह जांच करना कि प्रचालनों के आकार के अनुरूप नियंत्रण पर्याप्त हैं।
2. उन क्षेत्रों जिनमें आय बढ़ाई जा सकती है और ऐसे क्षेत्र जिनमें लागत कम की जा सकती है, का अध्ययन करना।
3. उपर्युक्त प्रत्येक क्षेत्र में प्रबंध आसूचना प्रणाली।

वर्ष के दौरान समिति में निम्नलिखित शामिल थे :

1. श्री वी.के. जैन – स्वतंत्र निदेशक (20.03.2014 तक)
2. श्री पी.सी. शर्मा – स्वतंत्र निदेशक (20.03.2014 तक)
3. श्री जी.पी. जोशी – स्वतंत्र निदेशक
4. श्री करीर शमीम – स्वतंत्र निदेशक

श्री वी. के. जैन समिति के अध्यक्ष हैं। सभी सदस्य वित्तीय और लेखाकरण जानकारी रखते हैं।

निदेशक (वित्त), सांविधिक लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रमुखों को सदस्यों के साथ परस्पर संपर्क के लिए बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। अन्य कार्यात्मक निदेशकों को विशेष आमंत्रित के रूप में बैठकों में भाग लेने के लिए सदैव आमंत्रित किया जाता है। वरिष्ठ कार्यात्मक कार्यपालकों को समिति को आवश्यक सूचना प्रदान करने के लिए जब भी अपेक्षित होता है बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 27.05.2013, 12.07.2013, 13.08.2013, 26.09.2013, 11.11.2013 और 29.01.2014 को छह बैठकें आयोजित की गई थी। दो लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में अधिकतम अंतर 78 दिन का था। आयोजित बैठकों और सदस्यों की उपस्थिति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

लेखापरीक्षा समिति के सदस्य	आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति
श्री वी. के. जैन	6	5
श्री पी. सी. शर्मा	6	4
श्री जी. पी. जोशी	6	5
श्री करीर शमीम	6	4

यद्यपि वर्ष के दौरान श्री जैन ने 5 बैठकों की अध्यक्षता की, फिर भी एक बैठक की अध्यक्षता श्री पी. सी. शर्मा द्वारा की गई। श्री वी. के. जैन के लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष होने के कारण शेयरधारकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 27.09.2013 को आयोजित पिछली आम वार्षिक बैठक में भाग लिया।

3.2 निवेशक शिकायत समिति

लेखापरीक्षा समिति की शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। समिति शेयर ट्रांसफर/ट्रांसमिशन, लाभांश/वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, शेयरों का अभौतिकीकरण और पुनः भौतिकीकरण, पते, बैंक विवरण में परिवर्तन और अन्य विविध मामलों के बारे में निवेशकों/शेयरधारकों की शिकायतों/समस्याओं का निपटारा करती है।

श्री के. एन. रवीन्द्र, कंपनी सचिव सूचीयन समझौते के उपबंध 47 के अनुसार अनुपालन अधिकारी हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त, समाधान की गई और लंबित शिकायतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

विवरण	अथशेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	समाधान की गई	लंबित
स्कोर्स – सेबी	शून्य	05	05	शून्य
स्टॉक एक्सचेंज	शून्य	02	02	शून्य
व्यक्ति और संस्थाएं	शून्य	90	90	शून्य
कुल		**97**	**97**	**शून्य**

कंपनी शेयरधारकों/निवेशकों की सभी शिकायतों को तेजी से संबोधित करती है और इनका डुप्लीकेट वारंट/डीडी के जारी करने के मामलों या मामले जिनमें कतिपय कानूनी अनुपालन अपेक्षित हो सामान्यतः 2–3 दिन में समाधान किया जाता है। प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों के ब्यौरे को कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणामों के साथ प्रकाशित किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान उन मामलों को छोड़कर जहां कानूनी पेचिदगियां शामिल हैं, कंपनी ने तीव्रता के साथ शिकायतों को दूर किया है। विभिन्न प्रकार की शिकायतों का विवरण और कुल प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा निवेशकों की संतोषजनक ढंग से हल की गई शिकायतों की संख्या नीचे दी गई है :–

शिकायतों का स्वरूप	शिकायतों की संख्या
लाभांश प्राप्त न होना	87
वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना	06
एनईसीएस सूचना स्लिप का प्राप्त न होना	01
डिबेंचर्स पर ब्याज प्राप्त न होना	01
शेयरों का अंतरण	02
कुल	**97**

3.3 मानव संसाधन समिति

मानव संसाधन समिति के विचारार्थ विषयों में :

निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावों का अध्ययन करना और अनुमोदन के लिए बोर्ड के पास भेजना।

(i) बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों के संबंध में भर्ती, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित नियमों और विनियमों को तैयार करना।

(ii) कंपनी के कर्मचारियों का वेतन ढांचा और वेतनमान तथा उनमें कोई परिवर्तन

(iii) मानवशक्ति नियोजन सहित संगठनिक चार्ट

(iv) बोर्ड द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत कोई अन्य संदर्भ

मानव संसाधन समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

1. श्री पी.सी. शर्मा – स्वतंत्र निदेशक (20.03.2014 तक)
2. श्री एस. एस. खुराना – स्वतंत्र निदेशक
3. श्री जी. एच. अमिन – स्वतंत्र निदेशक
4. निदेशक (उत्पाद)
5. निदेशक (मानव संसाधन)

श्री पी. सी. शर्मा, स्वतंत्र निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं।

बैठकें और उपस्थिति

वर्ष के दौरान मानव संसाधन समिति की तीन बैठकें हुईं। बैठकों की तिथियों और बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	बैठकों की तिथियां		
		21.05.13	26.09.13	25.02.14
1.	श्री पी सी शर्मा	✓	✓	✓
2.	श्री एस एस खुराना	✓	✓	✓
3.	श्री जी एच अमिन	×	✓	✓
4.	श्री एस एस महापात्रा, निदेशक (उत्पादन)	✓	✓	✓
5.	श्री एस सी पाढ़ी, निदेशक (मानव संसाधन)	✓	✓	✓

3.4 पारिश्रमिक समिति

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण निदेशकों का कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किया जाता है। तथापि, डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक बोनस/परिवर्ती वेतन पूल और इसके विनिर्धारित सीमा में कार्यपालकों और गैर–संघीय पर्यवेक्षकों में वितरण के लिए नीति का निर्णय लेने के लिए पारिश्रमिक समिति गठित की गई है।

पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

1. श्री मधुकर गुप्ता – स्वतंत्र निदेशक
2. श्री पी. सी. शर्मा – स्वतंत्र निदेशक (20.03.2014 तक)
3. श्री संजीव बत्रा – स्वतंत्र निदेशक

वर्ष के दौरान सदस्यों की 08.10.2013 को एक बैठक हुई।

निदेशकों का पारिश्रमिक

(क) पूर्णकालिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

नाम	अन्य निदेशकों के साथ संबंध	वर्ष 2013–14 के लिए पारिश्रमिक (रुपए)		
		पारिश्रमिक पैकेज के सभी तत्व अर्थात वेतन, पीएफ अंशदान, पेंशन, उपादान आदि	अन्य लाभ*	कुल
श्री अंशुमन दास, सीएमडी	कोई नही	47,51,313	2,33,370	49,84,683
श्री एस. एस. महापात्र, निदेशक (उत्पादन)	कोई नहीं	42,67,163	92,698	43,59,861
श्री एन. आर. महान्ति, निदेशक (परि. व तक.)	कोई नहीं	37,31,979	1,88,618	39,20,597
श्री एस. सी. पाढ़ी, निदेशक (मानव संसाधन)	कोई नहीं	25,95,695	1,51,704	27,47,399
श्री के. सी. सामल, निदेशक (वित्त) (11.03.2014 से)	कोई नहीं	6,61,371	18,421	6,79,792
सुश्री सोमल मंडल, निदेशक (वाणिज्यिक) (11.03.2014 से)	कोई नहीं	1,52,974	2,423	1,55,397
श्री बी. एल. बागरा,निदेशक (वित्त) (30.04.2013 से)	कोई नहीं	10,36,450	4,461	10,40,911

* अन्य लाभों में चिकित्सा सुविधा, छुट्टी यात्रा रियायत, रिहायशी आवास, बिजली और जल प्रभार, अनुरक्षण भत्ता, मनोरंजन भत्ता, उत्पादकता और निष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन आदि शामिल हैं।

कंपनी ने वर्ष 2013–14 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

(ख) अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विनिर्धारित अधिकतम सीमा के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों को सिटिंग फीस देय है। वेतमान में, बोर्ड/समिति की प्रत्येक बैठक के लिए प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को 20,000/–रुपए की सिटिंग फीस अदा की जा रही है।

वित्तीय वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को अदा की गई सिटिंग फीस के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

नाम	सिटिंग फीस (रुपए)*		
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	कुल
श्री वेद कुमार जैन (20.03.2014 तक)	1,40,000	1,40,000	2,80,000
श्री पी सी शर्मा (20.03.2014 तक)	1,00,000	1,80,000	2,80,000
श्री जी पी जोशी	1,20,000	1,40,000	2,60,000
श्री एस एस खुराना	1,40,000	1,20,000	2,60,000
श्री मधुकर गुप्ता	80,000	60,000	1,40,000
श्री जी एच अमिन	1,20,000	80,000	2,00,000
श्री केशर शमीम	1,20,000	1,40,000	2,60,000
श्री संजीव बत्रा	1,00,000	80,000	1,80,000

*लागू कर के अध्यधीन

(ग) अंशकालिक निदेशक

31 मार्च, 2014 को कंपनी के बोर्ड में दो अंशकालिक सरकारी निदेशक थे। अंशकालिक अधिकारिक निदेशकों को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया।

<u>**सेवा संविदा, नोटिस की अवधि, सेवा फीस**</u>

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रभार ग्रहण करने की तारीख से या सेवानिवृत्ति की तारीख तक (वर्तमान में 60 वर्ष की आयु) या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

अंशकालिक निदेशक खान मंत्रालय से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वे खान मंत्रालय के अधिकारी न रहने पर बोर्ड से रिटायर हो जाते हैं।

स्वतंत्र निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

सेवा फीस के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

3.5 प्रौद्योगिकी समिति

प्रौद्योगिकी समिति कंपनी की स्वयं की प्रौद्योगिकी की स्थिति के मूल्यांकन, कंपनी को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जरूरी प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण और आत्मसात करने, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सतत मजबूत बनाए रखने के लिए स्वयं के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों और स्मेलटर, रिफाइनरी आदि से संबंधित विशिष्ट खपत नियमों का निर्धारण करने के प्रति विशेष ध्यान देती है।

समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

1. श्री एस एस खुराना – स्वतंत्र निदेशक
2. श्री पी जी जोशी – स्वतंत्र निदेशक
3. श्री संजीव बत्रा – स्वतंत्र निदेशक
4. निदेशक (उत्पादन)
5. निदेशक (पी एंड टी)

समिति की अध्यक्षता श्री एस एस खुराना, स्वतंत्र निदेशक करते हैं।

वर्ष के दौरान सदस्यों की एक बार 13.12.2013 को बैठक हुई।

3.6 गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार के लिए निदेशकों की समिति

जब कभी बोर्ड की बैठक को बुलाना सुविधाजनक नहीं होता है तो समिति सूचीयन समझौते के उपबंध 41(II) की शर्तों के अनुरूप तिमाही वित्तीय परिणामों पर विचार करती है और उसको रिकार्ड में लेती है। बैठक के कार्यवृत्त बाद में सूचना के लिए बोर्ड की बैठक में रखे जाते हैं।

समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

1. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
2. निदेशक (वित्त)
3. लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष
4. अंशकालिक सरकारी निदेशक
5. श्री मधुकर गुप्ता – स्वतंत्र निदेशक

चूंकि तिमाही वित्तीय परिणामों पर बोर्ड विचार करता है, इसलिए समिति की वर्ष के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

3.7 नीति शास्त्र और निगम अभिशासन समिति

समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित सम्मिलित है :

(i) सभी स्तरों पर निगम अभिशासन के व्यवहार और जहां कहीं आवश्यक है सुधारात्मक उपाय सुझाना।

(ii) मीडिया के समक्ष सही तस्वीर प्रस्तुत करना ताकि कंपनी की छवि और स्टैंडिंग की संरक्षा हो सके।

(iii) निवेशकों, संस्थानों और जनता को बड़े पैमाने पर सही तथ्यात्मक सूचना को प्रदान करना।

(iv) वर्तमान और संभावित एफआईआई और रेटिंग एजेंसियों आदि के साथ संपर्क।

(v) कंपनी की ओर से परामर्शदाताओं/सलाहकारों की सहायता से, यदि आवश्यक हो, महत्वपूर्ण कारपोरेट कम्युनिकेशन पर निरीक्षण की स्थापना करना।

(vi) पूरी कंपनी में उच्च स्तरीय अनुशासन की सुविधा के लिए आंतरिक संप्रेषण के मानकीकृत चैनलों का संस्थापन।

(vii) सेबी और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुपालन निम्नानुसार तैयार किए गए :

क) वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार–संहिता

ख) आंतरिक व्यापार नियमन

ग) संबंधित पक्ष लेनदेन

घ) सतर्कता संबंधी मुद्दे

ड.) भ्रष्टाचार विरोधी नीति

समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

1. श्री जी एच अमिन – स्वतंत्र निदेशक
2. श्री केसर शमीम – स्वतंत्र निदेशक
3. निदेशक (वित्त)
4. निदेशक (मानव संसाधन)

श्री जी एच अमिन समिति के अध्यक्ष हैं।

समिति की वर्ष के दौरान एक बार 21.05.2013 को बैठक हुई।

3.8 जोखिम प्रबंधन समिति

विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित शामिल है :

– प्रचालन, रणनीतिक और बाहरी वातावरण जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और शमन के संबंध में जिम्मेदारियों की देखरेख में निदेशकों के बोर्ड की सहायता करना।

– कंपनी की जोखिम नीतियों और संबद्ध व्यवहारों की निगरानी और अनुमोदन के लिए समग्र जिम्मेदारी

– किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज या प्रकटन में जोखिम प्रकटन विवरण की समीक्षा और अनुमोदन।

समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

1. श्री एस एस खुराना – स्वतंत्र निदेशक
2. श्री मधुकर गुप्ता – स्वतंत्र निदेशक
3. श्री जी एच अमिन – स्वतंत्र निदेशक
4. निदेशक (वित्त)
5. निदेशक (उत्पादन)

श्री एस एस खुराना समिति के अध्यक्ष हैं।

वर्ष के दौरान समिति की 27.05.2013 को एक बैठक हुई।

3.9 सीएसआर और संधारणीय विकास समिति

विचारार्थ विषयों में शामिल हैं :

(i) संबंधित पुनर्वास परिधीय विकास सलाहकार समितियों (आर पी डी ए सी) तथा एम एम डी आर बिल के जरिए कंपनी द्वारा संचालित और प्रस्तावित परिधीय विकास गतिविधियों की देखरेख करना।

(ii) नालको फाउंडेशन

(iii) पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण

समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

1. श्री केसर शमीम – स्वतंत्र निदेशक
2. श्री संजीव बत्रा – स्वतंत्र निदेशक
3. निदेशक (उत्पादन)
4. निदेशक (मानव संसाधन)

श्री केसर शमीम समिति के अध्यक्ष हैं।

समिति की वर्ष के दौरान 01.08.2013 को एक बैठक हुई है।

3.10 परियोजनाओं और नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति

विचारार्थ विषयों में शामिल हैं :

क) नई परियोजनाओं की डीपीआर तैयार किए जाने सहित विभिन्न चरणों के संबंध में प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं का मूल्यांकन और अनुमोदन।

ख) भारत और विदेश में प्रत्येक 10 करोड़ रुपए से अधिक की नई परियोजनाओं में निवेश के लिए प्रस्तावों का अध्ययन और बोर्ड को सिफारिश करना।

ग) प्रत्येक 100 करोड़ रुपए से ऊपर की पूंजीगत परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करना।

समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

1. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
2. निदेशक (वित्त)
3. निदेशक (उत्पादन)
4. निदेशक (पीएंडटी)
5. निदेशक (वाणिज्यिक)
6. अंशकालिक सरकारी निदेशक
7. श्री वी के जैन – स्वतंत्र निदेशक
8. श्री जी पी जोशी – स्वतंत्र निदेशक
9. श्री मधुकर गुप्ता – स्वतंत्र निदेशक

समिति की वर्ष के दौरान 11.11.2013 को एक बैठक हुई।

3.11 स्वतंत्र निदेशकों की समिति

स्वतंत्र निदेशकों की समिति का गठन सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. 16(4)/2012–जीएम, दिनांक 28.12.2012 और 20.6.2013 के अनुसार किया गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष में स्वतंत्र निदेशकों की कम से कम एक बैठक होगी। बैठक, बोर्ड को उनके कर्तव्यों को प्रभावशाली ढंग से और समुचित रूप से निष्पादन के लिए आवश्यक कंपनी प्रबंध और बोर्ड के बीच गुणवत्ता, मात्रा और सूचना के समय पर प्रवाह का मूल्यांकन करेगी।

समिति के अध्यक्ष श्री मधुकर गुप्ता हैं।

26.02.2014 को ऐसी एक बैठक आयोजित की गई थी।

3.12 अन्य समितियां

बोर्ड द्वारा अनुमोदन के कार्य क्षेत्र में कतिपय नियमित गतिविधियों की देखभाल हेतु कार्यात्मक निदेशकों की कुछ समितियां हैं। ये समितियां हैं :–

क. निवेश समिति

ख. बिक्री हेतु निदेशकों की समिति

ग. प्रापण हेतु निदेशकों की समिति

घ. शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति को छोड़कर, जहां सीएमडी सदस्य नहीं है, इन समितियों के सदस्यों में अध्यक्ष–सह–निदेशक सहित केवल कार्यकारी निदेशक हैं।

4.0 कार्यकारी निदेशकों की जवाबदेही

कंपनी प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात खान मंत्रालय के साथ वित्तीय और गैर–वित्तीय क्षेत्रों में लक्ष्यों के निर्धारण के लिए वार्षिक आधार पर समझौता ज्ञापन करती है। समझौता ज्ञापन के संबंध कार्यनिष्पादन की तिमाही निष्पादन समीक्षा (क्यू पी आर) के माध्यम से तिमाही आधार पर मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाती है।

5.0 सांविधिक लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड ए जी) द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक वार्षिक आधार, सामान्यतः चार वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए मैसर्स अगास्ती एंड एसोसिएट्स, भुवनेश्वर और मैसर्स एबीपी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड लेखाकारों को कंपनी के संयुक्त लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था।

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा फीस 16 लाख रुपए, तीन तिमाहियों के लिए त्रैमासिक सीमित समीक्षा रिपोर्ट के लिए प्रयोज्य कर के साथ 12 लाख रुपए, कर लेखापरीक्षा के लिए और प्रयोज्य कर के साथ 3.20 लाख रुपए और कारपोरेट अभिशासन पर प्रमाणन के लिए प्रयोज्य कर के साथ फीस 0.80 लाख रुपए देय थी।

मैसर्स एस ठल एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकारों को वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

मैसर्स डी एस मिश्रा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी के सचिवालीय लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है।

6.0 शेयरधारकों की आम बैठक

पिछले 3 वर्षों के दौरान शेयरधारकों की आयोजित आम बैठकों का विवरण

वार्षिक साधारण बैठकें :

वर्ष	2011	2012	2013
तिथि / समय	29.09.2011/प्रातः 11.00 बजे	14.08.2012/प्रातः 11.00 बजे	27.09.2013/प्रातः 11.00 बजे
स्थान	नालको भवन, पी / 1, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751 013	नालको भवन, पी / 1, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751 013	नालको भवन, पी / 1, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751 013
विशेष संकल्प	शून्य	शून्य	शून्य

असाधारण आम बैठक

वर्ष	2011	2012	2013
तिथि / समय	05.03.2011/10.00AM	--	--
स्थान	नालको भवन, पी / 1, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751 061	--	--
विशेष संकल्प	1. संस्थान के अंतर्नियमों में संशोधन 2. ई एस ओ पी के अधीन कर्मचारियों को शेयरों का प्रस्ताव	शून्य	शून्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पोस्टल बैलेट के जरिए कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।

7.0 प्रकटीकरण

सामग्री अनुबंध / संबंधित पक्ष का लेनदेन

ऐसा कोई हकीकत में महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं है जिसकी व्यापक स्तर पर कंपनी के हित के साथ टकराव की संभावना हो। कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के लेखा मानक (एएस)–18 के अनुरूप संबंधित पक्ष लेनदेन के विवरण लेखा टिप्पणियों में शामिल किए गए हैं। संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरण की टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 45 में घोषित किया गया है।

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश के अनुरूप निम्नलिखित सूचना प्रकट की जाती है :

i. लेखा बहियों में अंतरित व्यय की मदें, जो व्यवसाय से संबंधित नहीं है – शून्य

ii. ऐसे व्यय जो कि व्यक्तिगत प्रकृति के हैं और निदेशक मंडल तथा सर्वोच्च प्रबंध पर किया गया व्यय – शून्य

iii. कुल खर्चों के प्रतिशत के तौर पर प्रशासनिक और कार्यालय व्यय नीचे दिया गया है :

(लाख रूपए में)

विवरण	2013-14	2012-13
प्रशासनिक और कार्यालय खर्च	93.27	93.47
कुल खर्च	6371.38	6522.49
कुल खर्चों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय खर्च	1.46	1.43

वर्तमान वर्ष के लिए वित्तीय खर्च शून्य है। (पिछले वर्ष 7.45 लाख)।

अनुपालन

पूंजीगत बाजारों या सूचीयन समझौते से संबंधित किसी भी मामले में, निदेशक मंडल के संयोजन पर आंतरायिक अनुपालन को छोड़कर, कंपनी द्वारा किसी तरह की अनुपालन की कोई घटना नहीं है। निदेशक मंडल के संयोजन की अनुपालन कंपनी के नियंत्रण से बाहर है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी पर किसी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया।

कंपनी ने लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए कारपोरेट अभिशासन पर जारी दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। कंपनी लोक उद्यम विभाग द्वारा कारपोरेट अभिशासन पर निर्धारित दिशानिर्देशों की अनुपालन पर तिमाही स्वयं मूल्यांकित रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करती है। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए "उत्कृष्ट" ग्रेड प्रदान किया गया है।

कंपनी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी राष्ट्रपति के सभी निर्देशों का अनुपालन किया है।

8.0 कारपोरेट आचार संहिता

आंतरिक व्यापार को रोकने के लिए आचार संहिता

समय–समय पर यथा–संशोधित सेबी (आंतरिक व्यापार की रोकथाम) विनियमन, 1992 के अनुरूप, कंपनी ने अप्रकाशित मूल्य संवेदन सूचना के आधार पर किसी आंतरिक व्यक्ति द्वारा कंपनी के शेयरों में व्यापार की रोकथाम के उद्देश्य से "आंतरिक व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता" तैयार की है। जब व्यापार खिड़की बंद हो जाती है सभी आंतरिक व्यक्तियों अर्थात निदेशकों, अधिकारियों, पदनामित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कंपनी के शेयरों में कारोबार करने से निषेध किया जाता है। विनिर्दिष्ट सीमा से बाहर कंपनी की प्रतिभूतियों के कारोबार के लिए अनुपालन अधिकारी की अनुमति अपेक्षित होती है। सभी निदेशकों/अधिकारियों/पदनामित कर्मचारियों के लिए संहिता के अनुरूप आवधिक रूप से अपनी धारिता को घोषित करना भी अपेक्षित होता है और इसे शेयर बाजारों को अग्रेषित किया जाएगा।

आचार संहिता

कंपनी ने लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित व्यापक व्यापार आचार संहिता को अपनाया है। इस आचार संहिता को बोर्ड के सभी सदस्यों और प्रबंधन कार्मिकों को संचारित किया जाता है और उनके द्वारा वार्षिक रूप से अनुपालन की पुष्टि की जाती है।

आदर्श व्यवसाय आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर प्रकाशित की गई है।

इस संबंध में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है :

"मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकों (प्रमुख कार्यपालकों) से यह अभिपुष्टि प्राप्त कर ली है कि उन्होंने निदेशकों

हस्ता/–
(अंशुमान दास)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

सूचीयन समझौते के अनुच्छेद 49 के अनुरूप यथा अपेक्षित कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रणों का वार्षिक प्रमाणन निदेशक मंडल की 28.05.2014 की बैठक में प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) सूचीयन समझौते के उपबंध 41 के अनुरूप गैर लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को विचार हेतु बोर्ड/निदेशकों की समिति के समकक्ष तिमाही परिणाम प्रस्तुत करते समय भी प्रमाणन देते हैं।

9.0 संप्रेषण के साधन

(i) तिमाही परिणाम :

कंपनी के तिमाही परिणाम भारत में अग्रणी अंग्रेजी और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं और कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर प्रदर्शित किए जाते हैं। परिणामों को फैक्स और ई–मेल के जरिए स्टाक एक्सचेंजों को भी भेजा जाता है। इन्हें एनएसई के एनईएपीएस और बीएसई के सूचीकरण केंद्र में इलेक्ट्रानिक रूप से नियमित रूप से दाखिल किया जाता है।

(ii) संस्थागत निवेशकों/विश्लेषकों को प्रस्तुतीकरण :

कंपनी संस्थागत निवेशकों से संप्रेषण करती है और समय–समय पर निवेशक सम्मेलनों में प्रस्तुतिकरण करती है। ऐसे सभी प्रस्तुतिकरण पहले स्टाक एक्सचेंजों को भेजे जाते हैं और इसके साथ–साथ कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड भी किए जाते हैं।

(iii) वेबसाइट :

कंपनी की वेबसाइट में एक अलग खंड "निवेशक सेवाएं" हैं जहां सभी किस्म की शेयरधारकों की सूचना उपलब्ध है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट भी वेबसाइट पर उपयोगकर्ता के अनुकूल और डाउनलोड किए जा सकने वाले रूप में है।

(iv) अध्यक्ष की विज्ञप्ति :

अध्यक्ष के भाषण की मुद्रित प्रति सभी शेयरधारकों को आम वार्षिक बैठकों में वितरित की जाती है। इसे कंपनी के वेबसाइट पर रखा जाता है।

(v) निवेशकों को अनुस्मारक :

प्रत्येक वर्ष रिकार्ड के अनुसार शेयरधारकों को अदावित/अदत्त लाभांश के लिए अनुस्मारक भेजे जाते हैं। अदत्त/अदावित लाभांश की सूची वर्ष–वार वेबसाइट में "निवेशक सेवा" पृष्ठ पर भी उपलब्ध है।

(vi) एनएसई की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग प्रणाली (एन ई ए पी एस) :

एनईएपीएस कारपोरेट के लिए नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा विकसित अनुप्रयोग आधारित वेब है।

(vii) बीएसई कारपोरेट अनुपालन और सूचीकरण केंद्र ("सूचीकरण केंद्र") :

बीएसई का सूचीकरण केंद्र कारपोरेट के लिए बंबई स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) द्वारा विकसित वेब आधारित अनुप्रयोग है। सभी आवधिक अनुपालन को दाखिल करने नामतः शेयरधारिता पैटर्न, कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट, तिमाही परिणाम, प्रेस विज्ञप्ति आदि सूचीकरण केंद्र में इलेक्ट्रानिक रूप से दाखिल किए जाते हैं।

(viii) सेबी शिकायत समाधान प्रणाली (स्कोर्स) :

निवेशकों की शिकायतों को केंद्रीयकृत वेब आधारित शिकायत समाधान प्रणाली में प्रोसेस किया जाता है। यह प्रणाली सभी शिकायतों, कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई (एटीआर) रिपोर्ट को ऑनलाइन अपलोड करने और शिकायतों पर की गई कार्रवाई और इसकी मौजूदा स्थिति को निवेशकों द्वारा ऑनलाइन देखने के केंद्रीयकृत डाटाबेस प्रदान करती है।

10.0 शेयरधारकों के लिए सूचना

(i) कंपनी के पंजीकरण के ब्यौरे :

कंपनी उडीसा राज्य, भारत में पंजीकृत है। कंपनी को आबंटित कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) एल 27203 ओआर 1981 जीओआई 1000920 है।

(ii) वार्षिक आम बैठक :

दिनांक : 27.09.2014

समय : प्रातः 11.00 बजे

स्थान : नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751013

(iii) वर्ष 2014–15 के लिए वित्तीय कैलेंडर :

घटनाक्रम	संभावित तिथि
पहली तीन तिमाहियों के लिए अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम	संबंधित तिमाही के बंद होने के 45 दिनों के भीतर
चौथी तिमाही के परिणामों सहित वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	वित्तीय वर्ष बंद होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर
31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक	सितम्बर, 2015 तक

(iv) खाते बंद होने की तारीख :

खाता बंदी/रिकार्ड तिथि	उद्देश्य
6 मार्च, 2014	वर्ष 2013–14 के लिए 1.10 रुपए प्रति शेयर की दर से
अंतरिम लाभांश सितम्बर, 2014 से 19 सितम्बर, 2014 तक	वर्ष 2013–14 के लिए 0.40 रुपए की दर से अंतिम लाभांश

(v) लाभांश का भुगतान :

बोर्ड ने 25.03.2014 को अदा किए गए 1.10 रुपए प्रति शेयर (चुकता शेयर पूंजी का 22 प्रतिशत) के अंतरिम लाभांश के अलावा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 0.40 रुपए प्रति शेयर (चुकता शेयर पूंजी का 8 प्रतिशत) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

कुल लाभांश पिछले वर्ष के 5 रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर के लिए 1.25 रुपए की तुलना में वर्ष 2013–14 के लिए प्रत्येक 5 रुपए के इक्विटी शेयर पर 1.50 रुपए बैठता है। वर्ष 2013–14 के लिए प्रस्तावित कुल राशि 386.59 करोड़ रुपए है जबकि पिछले वर्ष में यह 322.15 करोड़ रुपए थी।

(vi) लाभांश का इतिहास :

वर्ष	प्रति शेयर लाभांश (रुपए)	कुल इक्विटी शेयर	कुल लाभांश (करोड़ रुपए में)
2008-2009	5.0*	64,43,09,628	322.15
2009-2010	2.5*	64,43,09,628	161.07
2010-2011	2.5*	257,72,38,512 #	257.72
2011-2012	1.0*	257,72,38,512 #	257.72
2012-2013	1.25*	257,72,38,512 #	322.15

* अंतरिम लाभांश सहित

\# विभाजन और बोनस निर्गम के बाद

कंपनी ने अपने प्रारंभ से लाभांश के रूप में 4802.68 करोड़ रुपए (वर्ष 2013–14 के लिए सिफारिश किए गए अंतिम लाभांश को छोड़कर) अदा किए हैं।

(vii) उचनत खाते में इक्विटी शेयर :

समीक्षाधीन वर्ष के लिए सूचीकरण करार के खंड 5क(1) के अनुसार उचनत खाते में कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

(viii) अदत्त/अदावित लाभांश का आईईपीएफ में अंतरण :

कंपनी उन सभी शेयरधारकों को अनुस्मारक नोटिस भेजती है जिन्होंने दावा या अपने लाभांश वारंट को भुनाया नहीं होता। अदत्त/अदावित लाभांश के ब्यौरे, खातावार शेयरधारकों की सूचना के लिए कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निम्नलिखित अदत्त/अदावित लाभांश निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित किए गए थे :

वित्तीय वर्ष	भुगतान का स्वरूप	राशि (रुपए)	अंतरण की तारीख
2005-06	अंतिम लाभांश	6,47,451	07.10.2013
2006-07	पहला अंतरिम लाभांश	6,22,392	06.02.2014
2006-07	दूसरा अंतरिम लाभांश	3,42,853	18.03.2014

(ix) शेयर बाजारों के साथ सूचीयन

शेयर बाजारों में नालको शेयरों की सूचीयन स्थिति नीचे दी गई है :

विवरण	शेयर बाजार जहां सूचीबद्ध हैं	
	बीएसई लिमिटेड	नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
स्क्रिप कोड	532234	नेशनलम
से व्यापारित	19.10.1992	28.04.1999
स्टॉक कोड (आई एस आई एन)	आईएनई 139ए01034	आईएनई139ए01034
2014–15 के लिए सूचीयन फीस का भुगतान	22.04.2014	22.04.2014

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वार्षिक कस्टडी फीस का भुगतान दोनों डिपाजिटरी अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल को क्रमशः 09.05.2014 और 30.05.2014 को कर दिया गया था।

(x) बाजार मूल्य डाटा

माह	शेयर मूल्य (बीएसई)			शेयर मूल्य (एनएसई)		
	उच्चतम	निम्नतम	औसत दैनिक कारोबार	उच्चतम	निम्नतम	औसत दैनिक कारोबार
अप्रैल, 2013	36.30	32.70	125037	36.25	32.50	321092
मई	37.80	33.30	90426	37.70	33.15	261861
जून	34.85	28.25	71809	34.80	28.35	271769
जुलाई	32.00	26.75	78604	32.00	26.50	347697
अगस्त	34.45	24.10	169865	34.60	24.20	513457
सितम्बर	35.65	31.50	165834	35.65	31.60	329398
अक्तूबर	36.90	31.80	110568	36.95	29.25	328165
नवम्बर	40.75	35.35	160576	40.80	35.30	490103
दिसम्बर	39.20	36.10	61940	39.20	35.40	259143
जनवरी, 2014	38.65	33.10	200250	39.95	33.35	256591
फरवरी	33.80	31.80	32568	34.00	31.55	183318
मार्च	39.90	32.55	97686	40.10	32.45	434620

H=Highest, L=Lowest स्रोत : बीएसई और एनएसई की वेबसाइटें

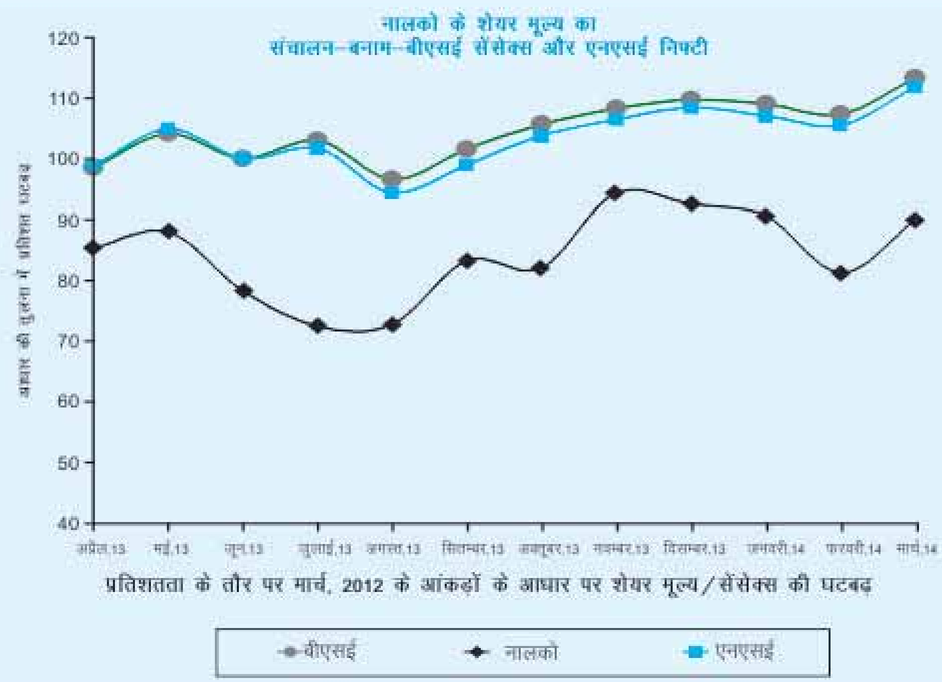

(xi) शेयर पूंजी का समाधान

एक योग्य एवं कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सैंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) के साथ कुल प्रवेशित पूंजी और कुल जारी तथा सूचीबद्ध पूंजी का समाधान करने के लिए शेयर पूंजी लेखापरीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा पुष्टि करती है कि कुल जारी/प्रदत्त पूंजी भौतिक स्वरूप में कुल शेयरों की संख्या ओर एनएसडीएल और सीडीएसएल द्वारा धारित कुल डिमेटीरिलाइज्ड शेयरों की संख्या के अनुरूप है।

सूचीयन समझौते के उपबंध 47–सी के अनुसरण में कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त शेयर अंतरण औपचारिकताओं की अनुपालन पर अर्द्ध–वार्षिकी प्रमाणपत्र समय पर शेयर बाजारों को प्रस्तुत कर दिया गया है।

11.0 गैर अनिवार्य अपेक्षाएं

कंपनी ने सूचीयन समझौते के उपबंध 49 के निम्नलिखित गैर–अनिवार्य प्रावधानों को अपनाया है :

पारिश्रमिक समिति

कंपनी ने अपने कार्यपालकों और गैर–यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के बीच वितरण के लिए, निर्धारित सीमाओं के भीतर, वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल और नीति का फैसला करने के वास्ते एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। उस हैसियत से पारिश्रमिक समिति का गठन करना केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए कारपोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अधीन अनिवार्य है।

लेखाकरण मानदंड

कंपनी पिछले 14 वर्षों से नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से "शून्य" टिप्पणी प्राप्त कर रही है जो बिना शर्त वित्तीय विवरणों की व्यवस्था को इंगित करता है।

भ्रष्टचार विरोधी नीति

कंपनी ने कंपनी में अनैतिक/गैर–कानूनी व्यवहार या गतिविधियों की रिपोर्टिंग के लिए एक तंत्र कायम किया है। भ्रष्टाचार विरोधी नीति कर्मचारियों की पहचान की गोपनीयता बनाए रखी है जिससे कि वे किसी अनैतिक व्यवहार, आचरण के उल्लंघन, वास्तविक और संदिग्ध घोटाले की रिपोर्ट कर सकें जिसका कंपनी के कामकाज पर गंभीर दुष्प्रभाव हो सकता है। नीति कंपनी की वेबसाइट पर डाली गई है।

कंपनी दृढ़तापूर्वक पुष्टि करती है कि उसने अनुपालन अधिकारी, नामित समिति या लेखापरीक्षा समिति तक किसी कार्मिक की पहुंच से इंकार नहीं किया है।

बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

स्वतंत्र निदेशकों को स्कोप, लोक उद्यम विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित और प्रायोजित किया जाता है जिससे कि वे निदेशकों आदि के तौर पर कर्तव्य के निर्वहन, कारपोरेट अभिशासन में नवीनतम परिवर्तनों/अद्यतनों की जानकारी प्राप्त कर सकें।

12.0 रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट्स

कंपनी भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रकार से निवेशक संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए घरेलू शेयर रजिस्ट्री रखती है। शेयर रजिस्ट्री का विवरण अर्थात पता, संपर्क नम्बर, ई–मेल पता नीचे दिया गया है :

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

शेयर रजिस्ट्री

नालको भवन, प्लाट नम्बर पी/1, नयापल्ली,

भुवनेश्वर –751 013 (ओडिशा)

टेलीफोन : 0674–2303197, 0674–2301988 से 2301999 (12 लाइनें) (ईपीएबीएक्स)

(विस्तार–2585–87)

फैक्स : 0674–2300677

ई–मेल पता: i) knravindra@nalcoindia.co.in
ii) nkmohanty@ nalcoindia.co.in
iii) bharatsahu@ nalcoindia.co.in

(ii) 31.03.2014 को शेयरधारण पद्धति

क्र.स.	श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
1.	प्रमोटर्स (भारत सरकार)	1	208,90,59,622	81.06
2.	म्यूचुअल फंड	40	67,92,354	0.26
3.	बैंक/वित्तीय संस्थान	37	7,83,47,621	3.04
4.	बीमा कंपनियां	8	17,81,42,359	6.91
5.	वित्तीय संस्थान	74	9,80,47,365	3.81
6.	कारपोरेट संस्थाएं	1,063	8,97,06,705	3.48
7.	भारतीय जनता	61,568	3,16,47,866	1.23
8.	अन्य	2562	54,64,420	0.21
	कुल	**65,353**	**257,72,38,512**	**100.00**

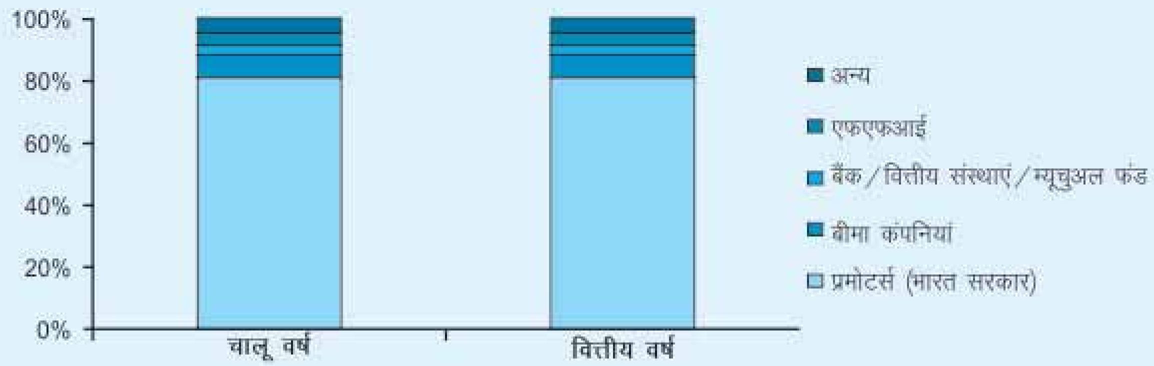

(iii) शेयरधारिता की वितरण अनुसूची

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	कुल धारित शेयर पूंजी (रुपए)	शेयर पूंजी प्रतिशतता
1-200	37,990	1,89,92,680	0.15
201-500	14,898	2,84,42,185	0.22
501-1000	6,403	2,60,41,975	0.20
1001-50000	5,920	11,39,21,235	0.88
50001-100000	52	1,76,10,870	0.14
100001 and above	90	1268,11,83,615	98.41

(iv) 31.03.2014 को प्रमुख शेयर धारक

31.03.2014 को चुकता पूंजी का 1 प्रतिशत से अधिक धारण करने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे :

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	प्रदत्त पूंजी का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	208,90,59,622	81.06
भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य	14,92,66,579	5.79
फ्रेंकलिन टेम्पलेटन इंवेस्टमेंट फंड्स	6,30,10,810	2.44
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2,86,67,404	1.11

(v) सूचीबद्ध शेयरों का डिमेटीरियलाइजेशन/रीमेटीरियलाइजेशन एवं लिक्विडिटी

नालकों शेयरों को अनिवार्य डिमेटीरियलाइज्ड खंड में व्यापारित किया जाता है। कंपनी की 99.90 प्रतिशत शेयर पूंजी 31 मार्च, 2014 को डिमेटीरियलाइज्ड हो चुकी है।

कंपनी की शेयर पूंजी के समाधान के लिए सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रेक्टिस करने वाले कंपनी सचिव से तिमाही में प्राप्त की जाती है और निर्धारित समय में स्टाक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाती है।

भौतिक और डिमेटीरियलाइज्ड रूप में धारित कुल शेयरों की संख्या नीचे दी गई है :

	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरधारकों की संख्या
एनएसडीएल के पास डिमेट शेयर	2,53,69,92,120	98.44	43,915
सीडीएसएल के पास डिमेट शेयर	3,76,33,992	1.46	17,114
भौतिक रूप में शेयर	26,12,400	0.10	4,324
कुल	**2,57,72,38,512**	**100**	**65,353**

वर्ष के दौरान कंपनी ने 36,604 शेयरों के लिए 64 डिमेटीरिलाइजेशन अनुरोधों की पुष्टि की है। कंपनी ने 96,825 शेयरों के लिए 3 रिमेटीरिलाइजेशन अनुरोधों की भी पुष्टि की है।

13.0 बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय साधन, कन्वर्जन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी ने कोई जीडीआर/एडीआर जारी नहीं किया है और न ही आज की तिथि को कोई बकाया परिवर्तनी साधन है।

14.0 कंपनी के संयंत्रों के स्थान

पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय नालको भवन, प्लाट नम्बर पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751 061 (ओडिशा)	**स्मेल्टर संयंत्र** नालको नगर, अंगुल–759122 (ओडिशा)
खान एवं रिफाइनरी खान एवं रिफाइनरी काम्प्लेक्स दामनजोडी–763 008 जिला – कोरापुट (ओडिशा)	**ग्रहीत विद्युत संयंत्र** अंगुल–759122 (ओडिशा)
पत्तन सुविधाएं ओर हैंडलिंग कॉम्पलेक्स के पीछे पत्तन क्षेत्र, विशाखापत्तनतम –530 035 (आंध्र प्रदेश)	**उत्कल ई–कोल ब्लॉक** एस एंड पी काम्पलेक्स, नालको नगर, अंगुल–759145 (ओडिशा)
जैसलमेर 47.6 मेवा पवन विद्युत संयंत्र नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड गांव–लुडारवा, कहेला, खाडेरो–की–ढाणी तवारिया, चातरेल डिवीजन/तालुक/जिला–जैसलमेर, राजस्थान–345 001	**गंडिकोटा 50.4 मेवा पवन विद्युत संयंत्र** नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड गांव–गांडिकोटा, डिवीजन–प्रोडातुर, तालुका–जमालमाडुगु, जिला–कडप्पा, आंध्र प्रदेश –516 434

—— * ——

लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

सेवा में

सदस्यगण

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

भुवनेश्वर

हमने **नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड** द्वारा इस कंपनी के शेयर बाजारों के साथ सूचीकरण समझौते के अनुच्छेद 49 में नियत अनुसार 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की स्थितियों की जांच की है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा आत्मसात की गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह कंपनी के वित्तीय विवरण पर न तो लेखापरीक्षा है और न ही उस पर किसी राय का प्रकटन है।

हमारी राय में हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुरूप तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के अनुरूप हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित के विषयाधीन ऊपर वर्णित सूचीयन समझौते में यथा निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

कंपनी के पास उसके बोर्ड में 21.03.2014 से 31.03.2014 तक अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

हमारा आगे कथन है कि ऐसा अनुपालन न तो भविष्य में कंपनी की व्यवहार्यता के अनुसार आश्वासन है और न ही ऐसी कुशलता या प्रभावकारिता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्य किए हैं।

कृते अगरित एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 313043ई

(सीए बी. अगरित)
साझेदार सदस्यता सं. 051026

कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 315104ई

(पी. के. पाण्डा)
साझेदार सदस्यता सं. 057140

स्थान : भुवनेश्वर
तारीख : 7 अगस्त, 2014

परिशिष्ट-IV

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर

हमने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित सभी रजिस्टरों, रिकार्डों और दस्तावेजों की जांच की है :–

- कंपनी अधिनियम, 1956 और इसके तहत बनाए गए नियम
- डिपाजिटरीज अधिनियम, 1996 और डिपाजिटरीज के बिजनेस नियम
- भारतीय प्रतिभूति एवं बिनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992 के तहत निर्धारित विभिन्न विनियम और दिशानिर्देश
- नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) तथा मुंबई स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ इक्विटी सूचीयन समझौता

हमारी जांच, रिकार्ड, दस्तावेजों के सत्यापन तथा कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई सूचना और व्याख्या के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. वैधानिक रिकार्ड का अनुरक्षण

कंपनी अधिनियम, 1956, डिपाजिटरी अधिनियम, 1996 और इनके तहत बनाए गए नियमों के तहत विभिन्न प्रावधानों के तहत यथा निर्धारित वैधानिक रजिस्टरों और अन्य रजिस्टरों में की गई सभी प्रविष्टियों के रिकार्ड उपयुक्त रूप में रखा गया है एवं इसका सही अनुरक्षण किया गया है। सदस्यों के रजिस्टर की बंदी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया है।

2. वैधानिक रिटर्न दाखिल करना

कंपनी रजिस्ट्रार और अन्य वैधानिक प्राधिकारियों के पास विभिन्न फार्मों और रिटर्न के समय पर दायर किए जाने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और अन्य विधानों का विधिवत अनुपालन किया गया है। विभिन्न विधियों/सूचीयन समझौतों/बिजनेस नियमों के तहत सभी दस्तावेजों/सूचनाओं को देय तिथियों के भी स्टाक एक्सचेंजों और डिपाजिटरीज (एनएसडीएल और सीडीएसएल) के पास नियमित रूप से दायर किया गया।

3. बोर्ड का संयोजन

सूचीयन समझौते के अनुच्छेद 49 के तहत अपेक्षित है कि यदि कंपनी का अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष है तो बोर्ड के निदेशकों में आधे से अधिक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। जहां तक बोर्ड के संयोजन से संबंधित सूचीयन समझौते के अनुच्छेद 49 के अनुपालन का संबंध है, कंपनी ने 21.03.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि को छोड़कर, प्रावधानों का अनुपालन किया है।

4. बोर्ड बैठकें

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान सात बोर्ड बैठकें आयोजित की और लगातार दो बैठकों के बीच अधिकतम 78 दिनों के अंतराल था, साथ ही सभी बैठकों में उपस्थिति का वैध कोरम भी था। कंपनी ने कार्यवृत्त पुस्तिका में परिपत्र प्रस्तावों सहित बोर्ड बैठकों की सूचना देने, बैठकों की सभी कार्यवाहियों को दर्ज करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

5. इन–हाउस शेयर रजिस्ट्री

कंपनी की स्वयं की इन–हाउस रजिस्ट्री है जो कि इसके पंजीकृत कार्यालय नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751061 में स्थित है। इसने सेबी परिपत्र संख्या डी एंड सीसी/एफ आई टी टी सी/सीआईआर–15/2002 दिनांक 27.12.2002 के अनुपालन में सभी शेयर संबंधी गतिविधियों भौतिक और इलेक्ट्रानिक दोनों की देखरेख की है।

6. शेयर अंतरण समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित शेयर अंतरण समिति शेयरों के कटने–फटने/विकृत/विरूपित/गुम/पुनः भौतिकरण होने के मामले में विचार और नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का अनुमोदन करने के अलावा शेयरों के अंतरण/ट्रांसमिशन पर विचार और अनुमोदन करती है। अनुरोध के तुरंत निपटारे के लिए बोर्ड ने शेयरों के अंतरण/ट्रांसमिशन पर विचार करने के लिए कंपनी सचिव को प्राधिकृत किया है। 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान शेयर ट्रांसफर समिति के जरिए शेयर अंतरण/ट्रांसमिशन सहित कटने–फटने/विकृत/विरूपित/गुम/पुनः भौतिकीकरण के फलस्वरूप नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का 6 बार अनुमोदन किया गया तथा कंपनी सचिव ने सिर्फ 11 बार शेयर अंतरण/ट्रांसमिशन का अनुमोदन किया।

7. निवेशकों की शिकायतों का समाधान

शेयर अंतरण, ट्रांसमिशन, शेयरों की डीमैट/रीमैट, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, लाभांश के भुगतान इत्यादि संबंधी सभी शिकायतों/समस्याओं को न सिर्फ सुना गया बल्कि उनकी प्राप्ति के 2 से 3 दिन के भीतर समाधान भी किया गया। इन शिकायतों/समस्याओं, शेयर ट्रांसफर, शेयरों की इलेक्ट्रानिक होल्डिंग (एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों) का विवरण लेखा परीक्षा की प्रत्येक बैठक में रखा गया (लेखा परीक्षा समिति का भी निवेशकों की शिकायतों के समाधान को देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है)।

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को सेबी द्वारा शुरू की गई वेब आधारित शिकायत निपटान प्रणाली स्कोर्स के जरिए दायर 5 शिकायतों सहित कुल 97 शिकायतें प्राप्त हुई। सभी शिकायतों का विधिवत निपटान कर दिया गया।

8. सूचीबद्ध और चुकता पूंजी का समाधान

भौतिक और डीमैटीरियलाइज्ड शेयरों का मिलान कंपनी द्वारा कुल जारी शेयरों के साथ दैनिक आधार पर संचालित किया जाता है। उपर्युक्त मिलान संचालित करने के लिए पर्याप्त पारदर्शी प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं। कंपनी ने डीमैटीरियलाइज्ड सिक्यूरिटीज के रिकार्ड की कंपनी द्वारा जारी सभी सिक्यूरिटीज के साथ मिलान के संबंध में डिपाजिटरीज अधिनियम, 1996 और इसके तहत बनाई गई उप–विधियों का अनुपालन किया है।

9. डीमैटरियलाइजेशन/रीमैटीरियलाइजेशन

डिपाजिटरीज (एनएसडीएल/सीडीएसएल) के सहभागियों (डीपी) से प्राप्त अनुरोधों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। अनुरोधों की पुष्टि डिपाजिटरीज द्वारा निर्धारित प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों और सेबी द्वारा निर्धारित व्यक्तिगत अनुरोधों की अपलोडिंग की तिथि से 21 दिनों के मुकाबले 3–4 दिनों में कर दी जाती है। कंपनी द्वारा सिक्यूरिटीज के डीमैटीरियलाइजेशन/रीमैटीरियलाइजेशन के संबंध में डिपाजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नालको के डीपी प्रचालनों की जांच एनएसडीएल और सीडीएसएल के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा 11.02.2014 को की गई। सीडीएसएल के निरीक्षण के उपरांत कोई टिप्पणी/अभ्युक्तियां प्राप्त नहीं हुई। एनएसडीएल की प्रचालन तरफ भी कोई अभ्युक्ति नहीं है।

10. शेयरधारकों को कॉरपोरेट नकद लाभों का भुगतान

घोषणा के उपरांत समय पर शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया है और जहां कहीं आवश्यक है, लाभांश के अधिकारों को शेयरों के लंबित पंजीकरण/विधिक मामलों के लंबित निपटान के अधीन स्थगित रखा जाता है। कंपनी ने 25.02.2014 को प्रति शेयर 5 रुपए के फेस वेल्यू पर 1.10 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है और वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 0.40 रुपए प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है तथा इस प्रकार उसने इसे कुल 1.50 रुपए प्रति शेयर कर दिया है।

11. निदेशक शिक्षा और संरक्षण कोष को स्थानांतरण

घोषणा/भुगतान की तिथि से 7 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर कंपनी नियम, 1956 की धारा 205क तथा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (निवेशकों की जागरूकता एवं संरक्षण) नियम 2001 की शर्तों के तहत, कंपनी ने निम्नलिखित अदत्त/दावारहित ब्याज और लाभांश को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया है :

अदत्त/दावारहित लाभांश का अंतरण

वित्तीय वर्ष	राशि (रुपए)	अंतरण की तिथि
2005-2006 (अंतिम लाभांश)	6,47,451/-	07.10.2013
2006-2007(पहला अंतरिम लाभांश)	6,22,392/-	06.02.2014
2006-2007 (दूसरा अंतरिम लाभांश)	3,42,853/-	18.03.2014

12. कारपोरेट गवर्नेंस, बिजनेस आचार एवं नीति संहिता

निदेशक मंडल ने लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित कारपोरेट अभिशासन, बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण एवं नीति के लिए आदर्श बिजनेस संहिता पर दिशानिर्देशों को लागू किया है। बिजनेस आचरण की संहिता सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन को वित्तीय वर्ष की शुरूआत में संचारित की जाती है और उनके द्वारा इसकी वार्षिक तौर पर पुष्टि की जाती है।

13. भ्रष्टाचार विरोधी नीति

कंपनी ने कंपनी में अनैतिक/गैर–कानूनी व्यवहार या गतिविधियों की रिपोर्टिंग के लिए एक तंत्र कायम किया है। भ्रष्टाचार विरोधी नीति कर्मचारियों की पहचान की गोपनीयता बनाए रखती है जिससे कि वे किसी अनैतिक व्यवहार, आचरण के उल्लंघन, वास्तविक और संदिग्ध घोटाले की रिपोर्ट कर सकें जिसका कंपनी के कामकाज पर गंभीर दुष्प्रभाव हो सकता है। नीति कंपनी की वेबसाइट पर डाली गई है।

14. आंतरिक ट्रेडिंग विनियम

कंपनी ने निदेशक, अधिकारियों और पदनामित कर्मचारियों द्वारा प्रकटन के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 1992 के प्रावधानों का अनुपालन किया है और इन विनियमों के तहत अपेक्षित रिकार्ड का रखरखाव किया है। विनियम के अनुरूप कंपनी ने आंतरिक प्रक्रियाएं और आचरण की संहिता भी तैयार की है।

15. कानूनी नोटिस

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी को सिक्यूरिटीज के कारोबार में किसी तरह की कमी/त्रुटि के लिए किसी भी वैधानिक प्राधिकरण जैसे कि सेबी, स्टाक एक्सचेंजों और कंपनी रजिस्ट्रार आदि से कोई भी कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

16. सार्वजनिक जमाएं

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनीज (जमाओं की स्वीकार्यता) नियम, 1975 के तहत किसी भी सार्वजनिक जमा को स्वीकार नहीं किया है। कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी जीडीआर/एडीआर और कोई परिवर्तनीय इंस्ट्रयूमेंट जारी नहीं किया है।

मैसर्स डी एस मिश्रा एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

डी एस मिश्रा
(सी.पी. नम्बर–4002)

स्थानः भुवनेश्वर
तिथिः 22.07.2014

परिशिष्ट-V

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

1. उद्योग संरचना और घटनाक्रम

वर्ष 2013–14 के दौरान एल्यूमिना और एल्यूमीनियम उद्योग में घटनाक्रम का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

एल्यूमिना

विश्व के एल्यूमिना में उत्पादन वर्ष 2013 के दौरान 5.7 प्रतिशत बढ़ा और 101.56 मिलियन टन के स्तर तक पहुंच गया जबकि विश्व की खपत इसी अवधि के दौरान 5.2 प्रतिशत बढ़कर 98.68 मिलियन टन हो गई, जिससे वर्ष के दौरान 2.88 मिलियन टन का वैश्विक अधिशेष हो गया।

गिरती हुई एल्यूमीनियम की कीमतें और कुल मिलाकर मंद बाजार स्थिति के पृष्ठपट से वर्ष 2013 में एल्यूमीनियम की कीमतें लगातार कम बनी रहीं। विश्व के बहुत से भागों (यूरोप, उत्तरी अमरीका और ब्राजील सहित) में प्रगालन क्षमताओं को कमजोर एल्यूमीनियम कीमतों और लगातार प्रचालन हानियों को ध्यान में रखते हुए कम / बंद किया गया है। एल्यूमीनियम कीमतों में उपलब्ध एल्यूमिना कार्गो के अधिशेष और निम्न धातु मूल्यों से कमी की प्रवृत्ति रही।

इन घटनाक्रमों के बावजूद धातुकर्मीय ग्रेड के एल्यूमिना (एमजीए) के लिए मांग वर्ष 2014 के दौरान बढ़ने की आशा है, जो मुख्यतः एल्यूमिना के लिए मध्य पूर्व में बढ़ती मांग के कारण है।

एल्यूमीनियम

वैश्विक एल्यूमीनियम उत्पादन जो वर्ष 2012 में 5.5 प्रतिशत बढ़कर 47.96 मिलियन टन से वर्ष 2013 में 50.61 मिलियन टन हो गया जबकि वैश्विक खपत जो वर्ष 2012 में 5.4 प्रतिशत बढ़कर 47.57 मिलियन टन से वर्ष 2013 में 50.15 मिलियन टन हो गई। इस प्रकार एल्यूमीनियम के बाजार ने वर्ष 2013 में 0.46 मिलियन टन का मामूली अधिशेष दर्ज किया। चीन 24.91 मिलियन टन के उत्पादन के साथ एल्यूमीनियम का सबसे बड़ा उत्पादक बना रहा, जो कुल विश्व उत्पाद का मोटे तौर पर 49 प्रतिशत है। चीन में उत्पादन में वृद्धि लगभग 12 प्रतिशत थी जबकि शेष विश्व में वृद्धि (–) 0.3 प्रतिशत थी। वर्ष 2013 के दौरान मध्य पूर्व में प्राथमिक एल्यूमीनियम के उत्पादन में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मध्य पूर्व में क्षमता में वर्ष 2013 के लगभग 4.3 मिलियन टन से वर्ष 2015 तक लगभग 5.8 मिलियन टन तक बढ़ने की आशा है।

चीन 24.14 मिलियन टन के खपत स्तर के साथ विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, कुल विश्व उत्पादन में इसका भाग 48 प्रतिशत है। यद्यपि वर्ष 2012 के संबंध में चीन में खपत में लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, फिर भी शेष विश्व में खपत में वृद्धि लगभग 0.5 प्रतिशत थी।

एलएमई एल्यूमीनियम कीमतें पूरे वर्ष में अत्यधिक चंचल नहीं और फरवरी, 2013 में 2,123 अमरीकी डालर के उच्चतम से दिसम्बर, 2013 में 1,695 अमरीकी डॉलर के निम्नतम पर रहीं (जो वर्ष 2009 से निम्नतम एलएमई स्तर था)। वर्ष 2013 के लिए एलएमई नकद निपटान औसत मूल्य 1,846 अमरीकी डॉलर था।

वैश्विक एल्यूमीनियम बाजार के लिए संभावना कुछ मंदी रही, जो मुख्यतः मांग और आपूर्ति असंतुलन और एलएमई के भांडागारों में भंडार की प्रचुरता के कारण थी। तथापि, हाल के समय में एल्यूमीनियम के लिए बाजार संवेदना में पर्याप्त सुधार हुआ है और मुख्यतः यूरोप और यूएस में धातु के लिए अंत्य उपयोगकर्ता मांग में सुधार के कारण था। मध्य / दीर्घावधिक संभावना के लिए एल्यूमीनियम की मांग विश्व में उभरते हुए सकारात्मक जनसांख्यिक, आटोमोटिव क्षेत्र में बढ़ते उपयोग और वैश्विक विनिर्माण गतिविधि के विकास के नए चरण में प्रवेश से संरचनात्मक है।

एल्यूमीनियम के लिए वैश्विक मांग में वर्ष 2014 में 6 से 7 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है। यद्यपि चीन की मांग में वृद्धि वर्ष 2014 के दौरान कम होकर 10 प्रतिशत से कम रहने (वर्ष 2013 के दौरान दर्ज) क्योंकि देश निवेश से आर्थिक विकास से दूर ले जा रहा है, शेष विश्व में क्षेत्र जैसे उत्तरी अमरीकी और यूरोप के मंदी से उभरने की आशा है। वैश्विक रूप से मांग को बढ़ाने वाले संभावित मुख्य क्षेत्र हैं : ऐरोस्पेस, आटोमोटिव, पेय केन पैकिंग और वाणिज्यिक निर्माण।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान एल्यूमीनियम धातु की कुल घरेलू मांग 1.73 मिलियन टन थी जो व्यावहारिक रूप से उसी स्तर पर है जैसा कि वित्तीय वर्ष 2012–13 से थी। देश में प्राथमिक धातु की कुल घरेलू खपत में वर्ष 2013–14 में 2008–09 में 1.14 मिलियन टन से 1.58 मिलियन टन तक लगभग 7 प्रतिशत (सीएजीआर) की वृद्धि हुई है। तथापि, प्राथमिक धातु की घरेलू खपत में वर्ष 2013–14 में वर्ष 2012–13 में 1.68 मिलियन टन से वर्ष 2013–14 में 1.58 मिलियन टन तक की लगभग 6 प्रतिशत की कमी हुई है। कमी मुख्यतः देश में विद्युत क्षेत्र से कम खरीद के कारण है। घरेलू खपत में कमी से प्राथमिक उत्पादकों द्वारा अधिक निर्यात किए गए हैं। तथापि, इस प्रवृत्ति के उलटने की संभावना है और अवसंरचना पर बढ़े हुए बल के कारण वित्तीय वर्ष 2014–15 में मजबूत विकास की आशा है।

2. मजबूतियां और कमजोरियां

मजबूतियां

जैसाकि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में सूचित किया गया था कि कुशल और वचनबद्ध मानवशक्ति, वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य गुणवत्ता वाले बाक्साइट भंडार, कुशल प्रौद्योगिकी, विभिन्न ठीक नियोजित और आदर्श रूप से अवस्थित अवसंरचना सुविधाएं, कुशल प्रचालन, उत्पादन, गुणवत्ता वाली एल्यूमिना और एल्यूमीनियम उत्पादों का उत्पादन, पारदर्शी और स्पर्धात्मक प्रापण प्रथाएं, सतर्क विपणन नीति, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंध, सही स्वीकार की गई सीआर पहलें और प्रचालनों के सभी पक्षों में सुदृढ़ कारपोरेट अभिशासन के लिए वचनबद्ध आपकी कंपनी की कुछ आधारभूत मजबूतियां हैं और आपके निदेशक आपकी कंपनी के सतत विकास के लिए इन मजबूतियों का लाभ लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

कमजोरियां

उचित मूल्य पर कोयले की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध नहीं होना, श्रम सहित उत्पादन की बढ़ती लागत, एलएमई मूल्यों में घटबढ़ कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो आपकी कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित करती रहती हैं।

3. अवसर और खतरे

अवसर

भारतीय संदर्भ में परिवहन, भवन और निर्माण क्षेत्रों में भविष्य में जोरदार विकास होने की संभावना है। सरकार के अवसंरचना विकास पर बल से विद्युत क्षेत्र में विकास होने की संभावना है। पैकिंग और औद्योगिक मशीनरी, विशेष रूप से वाहन क्षेत्र द्वारा विकास दर्शाने की आशा है।

तथापि, घरेलू बाजार में अवसर मौजूद हैं क्योंकि भारत में एल्यूमीनियम की प्रति व्यक्ति खपत विश्व में 1.4 किलोग्राम पर निम्नतम थी जबकि इसकी तुलना में विश्व का औसत लगभग 7 किलोग्राम है। पड़ोसी देशों को निर्यात के अवसर उल्लेखनीय रूप से मौजूद हैं क्योंकि उनके उत्पादन के स्तर कम हैं।

डाउनस्ट्रीम उत्पादों और अर्ध उत्पादों की खपत में भी खपत, विशेष रूप से शीटों, निष्कासन और कास्टिंग में अधिक होने की आशा है। नए उपयोग और अनुप्रयोग, गवेषण और अन्य उद्योगों के साथ सहयोग जहां एल्यूमीनियम अन्य सामग्रियों को प्रतिस्थापित कर सकता है, विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार मिश्र धातुओं का विकास, विभिन्न उत्पादों की कार्यात्मकता में सुधार के उद्देश्य से डिजाइन पैटर्न को बदलना आदि के लिए आर एंड डी प्रयास किए जा रहे हैं।

कंपनी के पास दूसरे चरण के विस्तार के पश्चात फालतू एल्यूमिना है जिसके एल्यूमीनियम रिफाइनरी के स्ट्रीम में आने से प्रस्तावित 5वीं स्ट्रीम के पश्चात और बढ़ने की संभावना है। नालको फालतू एल्यूमिना पर आधारित ओडिशा के सुन्दरगढ़ जिले में ग्रीनफील्ड एल्यूमीनियम प्रद्रावक की स्थापना का अनुसरण कर रहा है। तथापि, एल्यूमीनियम प्रद्रावक के ऊर्जा प्रधान उद्योग होने के कारण परियोजना की व्यवहार्यता के लिए सस्ती दर पर ऊर्जा की जरूरतें हैं। कंपनी सक्रिय रूप से सरकार के वितरण रूट के तहत परियोजना के लिए आबद्ध कोयला ब्लाक के आवंटन के लिए प्रयास कर रही है।

खतरे

कुछ क्षमता के बंद होने के बावजूद चीन के उत्पादन में वृद्धि एल्यूमीनियम बाजार को दबाव में डाल रही है। चीनी सरकार विद्युत आर्थिक सहायता प्रदान करती रही है और इस प्रकार एल्यूमीनियम प्रगालकों को हानियों से बचने के लिए सहायता करती है और वस्तुतः देश में कुछ एल्यूमीनियम क्षमता पुनः शुरू हो रही है। यद्यपि एल्यूमीनियम की कीमतें कम रही हैं फिर भी कम मांग के बावजूद उत्पाद वास्तव में लगातार बढ़ता रहा है, इस प्रकार प्राथमिक धातु बाजार में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

एल्यूमीनियम उत्पादन के लिए विद्युत एक प्रमुख निविष्टि है, जो उत्पादन लागत का मोटे रूप से 40 प्रतिशत है। हाल में विगत में कोयले में अत्यधिक वृद्धि ने भारत में एल्यूमीनियम उत्पादन पर अतिरिक्त लागत दबाव डाला है। दूसरी ओर, पश्चिम एशिया में प्रद्रावकों से निम्न लागत वाले एल्यूमीनियम की उपलब्धता के भारतीय प्रद्रावकों को प्रभावित करने की आशंका है, जहां उत्पादन क्षमता पिछले दशक में एल्यूमीनियम संयंत्रों की स्थापना के लिए आदर्श क्षेत्र बनाने के कारण तेल रिफाइनरियों से सस्ती गैस के कारण पर्याप्त रूप से बढ़ी है।

अन्य खतरे के बीच में स्क्रैप से प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्थापन सामग्रियों विशेष रूप से प्लास्टिक की बड़े पैमाने पर उपलब्धता और बढ़ती हुई कच्ची सामग्री की लागतें शामिल हैं।

कोयले की लागत और इसकी लगातार उपलब्धता ऊर्जा प्रधान एल्यूमीनियम उद्योग के लिए समस्या है। इनपुट सामग्री की लागत में वृद्धि एल्यूमीनियम उत्पादकों जैसे नालको के लिए प्रमुख खतरा है।

कंपनी के लिए खतरे के बीच में एलएमई में मूल्य अस्थिरता, कम होते हुए लाभ मार्जिन, निजी कारोबारियों से प्रतिस्पर्धा शामिल है। लागत में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ लाभ मार्जिन को बनाए रखना एक चुनौती है।

4. भविष्य के लिए संभावना

एल्यूमिना और एल्यूमीनियम के क्षेत्र में मजबूती से अपनी स्थिति को समेकित करने के पश्चात कंपनी अपनी स्थिति क्षेत्रों जैसे पवन ऊर्जा, रणनीतिक धातुओं और मिश्र धातुओं में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रही है।

इसके रणनीतिक भविष्य की विकास योजनाओं में कंपनी कतिपय पिछड़े और अगले एकीकरण से खान, रिफाइनरी, प्रगालक और आबद्ध विद्युत संयंत्र में क्षमताओं के और विस्तार के साथ अपनी कोर सक्षमता के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देगी।

गुजरात रिफाइनरी के तैयार होने और दामनजोड़ी में 5वीं स्ट्रीम जुड़ने से कंपनी एक प्रमुख एल्यूमिना उत्पादक बनने के लिए तैयार है। कंपनी का विद्युत के अन्य स्रोतों, विशेष रूप से पवन ऊर्जा में विविधीकरण इसे पर्यावरण की देखभाल करने वाले जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में नया पदचिह्न देता है।

कंपनी रणनीतिक धातुओं में प्रवेश करने का प्रस्ताव करती है जिसके लिए इसने छत्रपुर, ओडिशा में टाइटेनियम स्लैग परियोजना के विकास के लिए इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड (आई आर ई एल) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

घरेलू बाजार की संभावनाएं

भारतीय प्राथमिक एल्यूमीनियम उत्पादक अपनी ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड विस्तार परियोजनाओं के माध्यम से अपनी प्रद्रावण क्षमताओं में वृद्धि कर रहे हैं और 12वीं योजना अवधि के अंत तक देश में एल्यूमीनियम क्षमता के लगभग 4.5 मिलियन टन होने की आशा है।

भारत में एल्यूमीनियम की मांग में मुख्यतः लगभग 5.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वार्षिक विकास दर के अनुरूप बढ़ने का पूर्वानुमान है। घरेलू खपत में विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों में एल्यूमीनियम के प्रयोग में तदनुरूपी वृद्धि से बढ़ने की संभावना है। मांग में वृद्धि के परिवहन, भवन और निर्माण क्षेत्रों में उच्चतम होने की संभावना है, परंतु अन्य क्षेत्रों के लिए मांग भी साथ–साथ बढ़ने की आशा है। अवसंरचना पर बल से सरकार के ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत क्षेत्र से खपत पर बल से बढ़ावा मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण और पैकिंग उद्योगों के अलावा, देश के शहरी आवास – रिहायशी और वाणिज्यिक दोनों में उच्च वृद्धि से इन क्षेत्रों द्वारा एल्यूमीनियम की कुल खरीद में तेजी से वृद्धि होने की आशा है।

अंतर्राष्ट्रीय संभावना

- एल्यूमीनियम का वैश्विक उत्पादन वर्ष 2014 में लगभग 52 मिलियन टन होने की आशा है जो मुख्यतः चीन और मध्य पूर्व देशों द्वारा चालित है।
- खाड़ी में ईएमएएल प्रद्रावक और मेडेन प्रद्रावक में उत्पादन में वृद्धि जारी है। ईरान की प्रद्रावण परियोजनाओं से क्षमता में वृद्धि भी मध्य पूर्व से अतिरिक्त आपूर्तियां देगी। भारत में हिंडाल्कों के 359,000 टीवीवाई महान प्रद्रावक और 359,000 टीवीवाई एल्यूमीनियम प्रद्रावक का रैम्प–अप प्रगति पर है।
- यद्यपि चीन में आपूर्ति पक्ष में वृद्धि है, फिर भी चीनी उत्पादन पूर्वोत्तर प्रदेशों में क्षमता में रैम्पिंग–अप से लगातार बढ़ा है।
- खपत के पक्ष में, चीनी मांग में वृद्धि के आटोमेटिव और निर्माण उद्योगों द्वारा बढ़ने की संभावना है। विशेष रूप से चीन में निर्माण मांग नई सरकार के बढ़ावा देने के उपायों समर्थन से सुधरी हुई भावना द्वारा समर्थित होने की आशा है जिसमें सस्ते मकानों को पुनः बनाना और अवसंरचना निवेश पर खर्च को बढ़ावा शामिल है।
- शेष विश्व में धातु के लिए मांग बढ़ाने के मुख्य क्षेत्र ऐरोस्पेस, परिवहन, पैकेजिंग और वाणिज्यिक क्षेत्रों में होने की संभावना है।

5. जोखिम और चिंताएं

एलएमई मूल्यों में घटबढ़, अमरीकी डालर की विनिमय दर में घटबढ़ (क्योंकि एलएमई मूल्य अमरीकी डालर में हैं), बढ़ती हुई इनपुट लागतें – विशेष रूप से कोयला और ईंधन तेल की कीमतें, पारम्परिक रूप से सुदृढ़ अर्थव्यवस्थाओं में कमजोर मांग चिंता के कारण बनी रहीं।

पूर्ण मात्रा का प्राप्त न होना और लिंकेज कोयले की खराब गुणवत्ता, सिलिका के ऊंचे प्रतिशत के कारण एल्यूमिना और बाक्साइट की अधिक खपत चिंता के कुछ कारण हैं।

6. जोखिम प्रबंध

कंपनी की जोरदार जोखिम नीति है, जो अन्यों के साथ–साथ, समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को शामिल करती है। जोखिम प्रबंधन सामान्य व्यवसाय प्रथा के भाग के रूप में किया जाता है और यह तय समयों पर अलग कार्य के रूप में है।

कंपनी में बोर्ड स्तर पर जोखिम प्रबंध समिति है। समिति आपवादिक जोखिम रिपोर्टों की समीक्षा करती है और समय–समय पर उपचारी उपायों पर सलाह देती है। जोखिम को कम करने के उपायों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और कार्यकारी प्रबंधन उचित रूप से परिभाषित ढांचे के जरिए जोखिमों को नियंत्रित करता है। पहचान किए गए जोखिमों के लिए नामित जोखिम अधिकारी विनिर्धारित फार्मेट में जोखिम रजिस्टर रखता है जिनको कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा भी देखा जाता है। यदि कोई विपथन होता है तो लेखापरीक्षा समिति और जोखिम प्रबंध समिति को सूचित किया जाता है।

7. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने इसकी प्रकृति और आकार के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को सुस्थापित किया है। कंपनी ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इसके वित्तीय लेनदेनों के उद्देश्यपूर्ण एवं निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए आठ प्रतिष्ठित और अनुभवी बाहरी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों को अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा है। लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर प्रथमतः कार्यकारी निदेशकों के स्तर पर चर्चा की जाती है और लेखापरीक्षा समिति को वास्तविक टिप्पणियां उसकी समीक्षा, विश्लेषण और सभी वास्तविक नियंत्रणों, वित्तीय नियंत्रणों और अनुपालन नियंत्रणों को शामिल करते हुए आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को और सुदृढ़ करने के लिए परामर्श देने के वास्ते प्रस्तुत किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर लेखापरीक्षा समिति की टिप्पणियों पर कार्रवाई रिपोर्ट नियमित रूप से लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाती है।

8. प्रचालनात्मक निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

A. वित्तीय प्रचालन :

I. प्रचालन से राजस्व

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2013-14	2012-13	प्रतिशत परिवर्तन
निर्यात कारोबार	3,719.27	3,410.49	+09
घरेलू कारोबार	3,305.00	3,836.68	-14
सकल कारोबार	7,024.27	7,247.17	-03
घटाएं : उत्पाद शुल्क	375.47	437.72	-14
निवल कारोबार	6,648.80	6,809.45	-02
अन्य प्रचालन आय	132.05	107.03	+23
कुल	**6,780.85**	**6,916.48**	**-02**

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी ने रसायन बिक्री की मात्रा में पिछले वर्ष के दौरान 9.85 लाख एमटी की प्राप्ति की तुलना में 13.43 लाख एमटी की प्राप्ति की। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान धातु की बिक्री मात्रा पिछले वर्ष के दौरान 4.03 लाख एमटी की तुलना में 3.20 लाख एमटी थी। यद्यपि, वर्ष 2013–14 के दौरान एल्यूमिना और धातु के लिए औसत बिक्री प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी, फिर भी धातु उत्पादन की कम मात्रा के फलस्वरूप कम बिक्री से कारोबार में कटौती हुई।

II. अन्य आय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2013-14	2012-13	प्रतिशत परिवर्तन
अन्य आय	557.71	511.05	+09

अन्य आय अधिकांशतः फालतू निधियों के निवेश से आय को दर्शाती है।

आय विभाजन (2013–14) करोड़ रुपए में

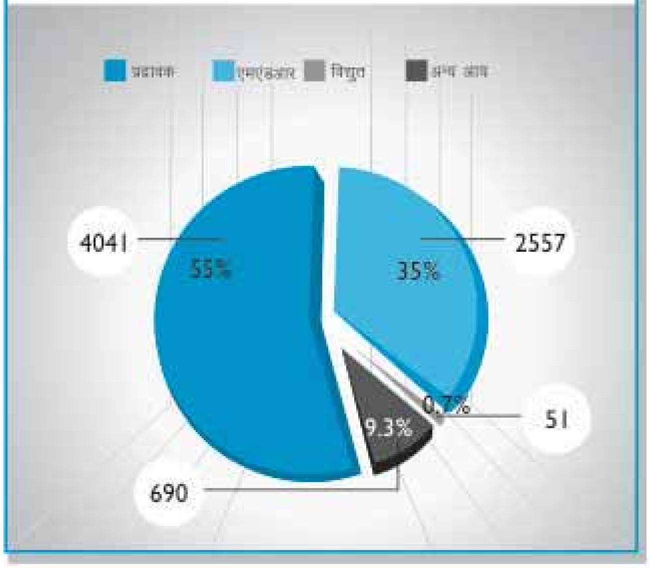

आय विभाजन (2013–14) करोड़ रुपए में

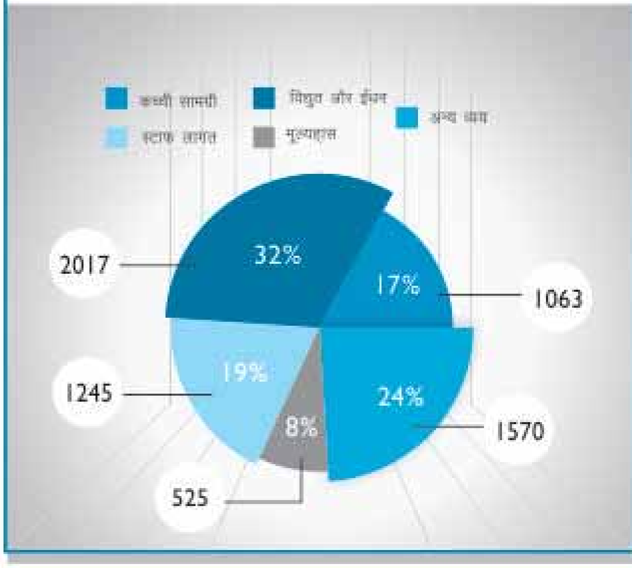

III. व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2013-14	2012-13	प्रतिशत परिवर्तन
खपत की गई कच्ची सामग्री	1063.16	1167.83	-09
विद्युत और ईंधन	2017.67	2432.27	-17
कर्मचारी लाभ व्यय	1245.33	1153.93	+08
स्टाक में वृद्धि/कमी	58.55	(64.25)	--
अन्य व्यय	1461.94	1319.83	+11
वित्त लागत	-	7.45	-
मूल्यह्रास	524.73	505.43	+04
कुल	**6371.38**	**6522.49**	**-02**

- पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कच्ची सामग्री के व्ययों में कटौती धातु उत्पादन में कम मात्रा और कुछ इनपुट सामग्रियों की कीमतों में कमी के कारण है। इस प्रकार लाभ आंशिक रूप से गवेषित वाक्साइट में घटिया खनिजीय संरचना के कारण रिफाइनरी में कास्टिक सोडे के अधिक खपत से प्रतिसंतुलित हो गया।
- विद्युत और ईंधन लागत में कटौती विद्युत उत्पाद और धातु उत्पाद की कम मात्रा के कारण थी। इसके अलावा, धातु उत्पादन के लिए राज्य ग्रिड से विद्युत की खरीद बंद कर दी गई थी। सभी क्षेत्रों में ईंधन तेल खपत की कुशलता सुधारने से भी पर्याप्त बचतें हुईं।
- कर्मचारी लागत में वृद्धि अधिकांशतः सामान्य वेतन/डीए में वृद्धि के कारण थी।
- अन्य व्ययों में वृद्धि मुख्यतः वर्ष के दौरान किए गए कुछ प्रमुख प्रतिस्थापनों के कारण थी। विवादित बकायों पर ब्याज के लिए प्रावधान ने भी वृद्धि में योगदान दिया।

IV. आपवादिक मद

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2013-14	2012-13	प्रतिशत परिवर्तन
खपत की गई कच्ची सामग्री	(49.37)	-	-

आपवादिक मद (व्यय) कर्मचारियों के लिए विभेदी सेवानिवृत्ति लाभ और समझौते से उठने वाली पिछली अवधियों से संबंधित गैर–कार्यपालक को प्रोत्साहन भुगतान को दर्शाती है।

V. कर व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2013-14	2012-13	प्रतिशत परिवर्तन
चालू कर	264.65	263.30	+01
आस्थगित कर	7.15	54.02	-87
पहले के वर्षों के लिए	3.66	(5.11)	--
कुल	**275.46**	**312.21**	**-12**

अधिभार में परिवर्तन के एक बार के प्रभाव के कारण पिछले वर्ष के लिए आस्थगित कर देनदारी अधिक थी।

VI. कर पश्चात लाभ और प्रतिशेयर आय

(करोड़ रुपए में)

विवरण		2012-13	प्रतिशत परिवर्तन
कर पश्चात लाभ		592.83	+08
5 रुपए प्रत्येक के प्रति शेयर पर आय		2.30	+08

मात्रा में कमी और कतिपय क्षेत्र में निश्चित व्ययों में वृद्धि के बावजूद निवल लाभ को मुख्यतः प्रचालनात्मक कुशलता, विशेष रूप से ऊर्जा प्रबंध के क्षेत्रों में और सक्रिय निधि प्रबंध द्वारा पूरक होने के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका। परंतु लंबे समय से लंबित समझौते के कारण उठने वाली अपवादिक मद से निवल लाभ 674.94 करोड़ रुपए होता अर्थात सांकेतिक कर प्रभाव पर विचार करते हुए 32.59 करोड़ रुपए अधिक होता।

VII. लाभांश विवरण

विवरण	2013-14	2012-13	प्रतिशत परिवर्तन
अंतरिम लाभांश (प्रतिशत)	22	15	--
प्रस्तावित अंतिम लाभांश (प्रतिशत)	8	10	--

लाभ में वृद्धि और निवेशकों के हितों पर विचार करते हुए वर्ष 2013–14 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में अधिक लाभांश का प्रस्ताव किया गया है।

B. वित्तीय स्थिति

I. गैर–चालू आस्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2013-14	2012-13	प्रतिशत परिवर्तन
स्थायी आस्तियां			
मूर्त आस्तियां	6688.80	6523.80	+03
अमूर्त आस्तियां	103.14	105.09	-02
प्रगति पर पूंजीगत कार्य	768.74	1001.92	-23
गैर–चालू निवेश	1.04	161.04	-99
दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	1517.27	1474.04	+03
अन्य गैर–चालू आस्तियां	43.32	36.49	+19

- **स्थायी आस्तियां और प्रगति पर पूंजी कार्य : (टिप्पणी 9 और 10)** : मूर्त स्थायी आस्तियों में वृद्धि और प्रगति पर पूंजीगत कार्य में कमी मुख्यतः पवन विद्युत संयंत्र के पंजीकरण और एल्यूमिना रिफाइनरी में चौथी स्ट्रीम के उन्नयन के कारण थी।
- **दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम : (टिप्पणी 12)** : दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम सांविधिक प्राधिकरणों के पास की गई जमा, कर्मचारियों आदि को ऋण और अग्रिम को दर्शाता है। मामूली वृद्धि मांग के विरूद्ध आयकर प्राधिकारियों के पास जमा राशियों के कारण है।

II. चालू आस्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2013-14	2012-13	प्रतिशत परिवर्तन
चालू निवेश	1244.00	1329.02	-06
माल सूची	1173.66	1380.64	-15
व्यापार प्राप्य	243.57	148.65	+64
नकद और बैंक शेष	4048.29	3504.38	+16
दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	481.38	473.76	+02
अन्य चालू आस्तियां	235.30	193.78	+21

- **माल सूचियां : (टिप्पणी 15)** – सावधानीपूर्वक मानीटरिंग से सभी श्रेणियों में 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार माल सूची धारण में पर्याप्त कटौती (अर्थात लगभग 15 प्रतिशत तक) हुई है।
- **व्यापार प्राप्य : (टिप्पणी 16)** – कंपनी अपने उत्पादों की बिक्री निश्चित वित्तीय व्यवस्था के विरूद्ध करती है, और इस प्रकार कोई क्रेडिट बिक्री नहीं है। व्यापार प्राप्य अधिकांशतः वर्ष के अंत में बिक्री, जो प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक प्राप्त नहीं की जाती, को दर्शाता है।
- **नकद और बैंक शेष : (टिप्पणी 17)** – नकद और बैंक शेष में वृद्धि प्रचालनों के साथ–साथ म्यूचुअल फंड से परिपक्वता जो बैंकों के पास सावधि के जमा में निवेशित हो जाती है, से अधिशेष के कारण है।
- **अन्य चालू आस्तियां : (टिप्पणी 19)** – अन्य चालू आस्तियों में वृद्धि मुख्यतः बैंकों के पास सावधि जमा पर उद्भूत अधिक ब्याज के कारण है।

III. गैर–चालू देनदारियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2013-14	2012-13	प्रतिशत परिवर्तन
आस्थगित कर देनदारियां (निवल)	910.13	903.13	+01
अन्य दीर्घकालीन देनदारियां	54.96	70.82	-22
दीर्घकालीन प्रावधान	218.22	208.62	+05

अन्य दीर्घकालीन देनदारियां : (टिप्पणी 4) – अन्य दीर्घकालीन देनदारियां चालू वर्ष में देनदारियों के निर्वहन के कारण कम हैं।

IV. चालू देनदारियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2013-14	2012-13	प्रतिशत परिवर्तन
व्यापार देय	531.12	509.17	+04
अन्य चालू देनदारियां	2564.38	2545.75	+01
अल्पकालीन प्रावधान	147.25	162.67	-09

अल्पकालीन प्रावधान : (टिप्पणी 8) – अल्पकालीन प्रावधान प्रस्तावित कम अंतिम लाभांश और उस पर कर के कारण कम हैं।

C. खंड–वार निष्पादन

विस्तृत खंडवार सूचना नीचे दी गई है :

	रसायन (एल्यूमिना)		एल्यूमीनियम		अनआवंटनीय		कुल
	₹ करोड़ में	शेयर(%)	₹ करोड़ में	शेयर(%)	₹ करोड़ में	शेयर(%)	₹ करोड़ में
निवल बिक्रियां	2,557	38.46	4,045	60.84	47	0.70	6,649
पी बी आई टी	822	89.54	(259)	-28.21	355	38.67	918
नियोजित पूंजी#	3,097	23.76	4,061	31.16	5,875	45.08	13,033
आर ओ सी ई (%)	-	26.54	-	-6.38	-	6.04	7.04
पी बी आई टी मार्जिन (%)	-	32.15	-	-6.40	-	-	13.81

#"अनआवंटनीय सामान्य" के तहत नियोजित पूंजी में नकद शेष और विस्तार यूनिटों के पूंजीगत निर्माण कार्यों में प्रगति शामिल है।

9. नियोजित लोगों की संख्या सहित मानव संसाधन / औद्योगिक संबंधों के पक्ष में वास्तविक घटनाक्रम

मानव संसाधन

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी की मानव शक्ति की संख्या 7,425 थी जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष यह 7,555 थी। विस्तृत विभाजन नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	हैसियत* / पद	31.03.2014 को	31.03.2013 को
क.	कार्यपालक	1,809	1,799
ख.	पर्यवेक्षक	881	863
ग.	कुशल / अत्यधिक कुशल	3,839	3,951
घ.	अकुशल / अर्धकुशल	896	942
	जोड़	**7,425**	**7,555**

* जीईटी / एमटी / एसओटी / जेओटी सहित

प्रशिक्षण और विकास

जैसाकि किसी सफल संगठन में होता है, मानव संसाधन विकास हमारे संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रवेश और पुनर्विन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जरूरत के अलावा, आपकी कंपनी कुशल अप्रचलनता को रोकने के लिए कुशलता उन्नयन कार्यक्रम को बल देती है। सैद्धान्तिक और व्यावहारिक इनपुट के ठीक मिश्रण को प्राप्त करने के लिए आंतरिक और बाह्य संकायों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। गुणवत्ता वाली प्रबंध प्रणालियों की अपेक्षाओं सहित कंपनी के उद्देश्यों के अनुरूप प्रशिक्षण की प्रभाविता के लिए प्रशिक्षण की जरूरत के शुरू से बारीकी से ध्यान दिया जाता है।

वर्ष 2013–14 के लिए प्रशिक्षण के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

विवरण	व्यक्ति	मानव दिवस
कार्यपालक	1,766	6,566
गैर–कार्यपालक	3,362	11,726
कुल	**5,128**	**18,293**

10. कारपोरेट योजना और व्यवसाय विकास

कारपोरेट योजना

कंपनी ने धातु और ऊर्जा में प्रतिष्ठित वैश्विक कंपनी बनने के लिए विजन 2010 लागू किया है। 2009 में बनी कारपोरेट योजना में भारत और विदेश में एल्यूमिना और एल्यूमिनियम क्षेत्रों में विस्तार करने, ऊर्जा क्षेत्र में विविधता लाने और अन्य धातुओं में व्यापारिक अवसरों की तलाश करने की योजना का उल्लेख है। अपने बृहत दृष्टिकोण के साथ कंपनी भविष्य में वैश्विकरण, विविधीकरण और विकास के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तीन प्रमुख दिशाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। व्यवसाय परिदृश्य में परिवर्तन से कंपनी अपनी कारपोरेट योजना को वर्तमान समय की मांग के अनुरूप बनाने के लिए समीक्षा और संशोधित करने का इरादा रखती है। एक नई कारपोरेट योजना शीघ्र तैयार की जाएगी।

व्यवसाय विकास

- **गुजरात में एल्यूमिना रिफाइनरी परियोजना**

  कंपनी जीएमडीसी की खानों में बाक्साइट की आपूर्ति पर आधारित गुजरात के कच्छ जिले में 1 एमटीपीए एल्यूमिना रिफाइनरी की स्थापना के लिए कार्य कर रही है जिसके लिए परियोजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पहली ही तैयार की जा चुकी है। परियोजना को जीएमडीसी के साथ जेवी में शुरू किए जाने की संभावना है।

- **न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एन पी सी आई एल) के साथ संयुक्त उद्यम में न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र**

  2X700 मेगावाट काकारापार परमाणु विद्युत स्टेशन (के ए पी एस) 3 और 4 की स्थापना के लिए जेवी कंपनी एन पी सी आई एल – नालको विद्युत कंपनी लिमिटेड "एन एन पी सी एल" में इक्विटी डालने के अनुमोदन को सरकार के स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है।

- **ओडिशा में दूसरा प्रद्रावक और सीपीपी**

  सुन्दरगढ़ जिले, ओडिशा में प्रद्रावक और विद्युत संयंत्र के लिए प्रस्ताव को सितम्बर, 2012 में ओडिशा सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार ने परियोजना के लिए हीराकुंड जलाशय से 50 क्यूसिक जल की उपलब्धता की पुष्टि की है। तथापि, इसके लिए स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। कंपनी सरकारी वितरण रूट के माध्यम से उक्त परियोजना के लिए कोयला ब्लाक के आवंटन पर सक्रिय रूप से काम कर रही है जो परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए आवश्यक होगा।

- **आंध्र प्रदेश में खानें और रिफाइनरी**

  खनन योजना तैयार करने को रोक दिया गया है क्योंकि सुरक्षा चिंताओं के कारण फील्ड दौरा संभव नहीं है। समय के इस बिंदु पर परियोजना को तेजी से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।

- **दामनजोड़ी में 14 मेगावाट विद्युत संयंत्र**

  कंपनी दामनजोड़ी में बाक्साइट खानों के खनित क्षेत्र में 14 मेगावाट की पवन विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए योजना बना रही है। विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) तैयार की गई है।

- **100 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र**

  कंपनी की 660 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से भारत में उपयुक्त स्थान पर 100 मेगावाट की पवन विद्युत परियोजना स्थापित करने की भी योजना है। पवन विद्युत विकासकर्ता का चयन जारी है।

- **सौर विद्युत परियोजना**

  कंपनी अपने सौर नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) को पूरा करने के लिए भारत में उपयुक्त स्थान पर 120 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 15 मेगावाट का सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है।

  चूंकि पिछले कुछ वर्षों में सौर परियोजनाओं की पूंजीगत लागत गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रही है, इसलिए कंपनी परियोजनाओं की व्यवहार्यता के आधार पर स्टैंड अलोन आधार पर सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना पर विचार करेगी।

- **छत पर सौर विद्युत संयंत्र**

  कंपनी ने पहले ही अपने कारपोरेट कार्यालय में 160 केडब्ल्यूपी छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। भुवनेश्वर नगर में 100 केडब्ल्यूपी छत पर सौर विद्युत संयंत्रों की संस्थापना जारी है। कंपनी नालको अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंद्र (एनआरटीसी), भुवनेश्वर में भूमि पर और छत पर सौर विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन भी कर रही है।

- **कास्टिक सोडा परियोजना**

  कंपनी जीएसीएल के साथ संयुक्त उद्यम में 950 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से गुजरात में दहेज में 2 लाख टीपीए के कास्टिक सोडा संयंत्र की स्थापना करने की योजना रखती है जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।

- **एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु कंडक्टर संयंत्र**

  कंपनी की योजना पावरग्रिड के साथ संयुक्त उद्यम में एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु कंडक्टर स्थापित करने की है जिसके लिए प्रौद्यो–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टी ई एफ आर) बनाई गई है। ओडिसा सरकार ने अंगुल एल्यूमीनियम पार्क में 30 एकड़ भूमि सिद्धांत रूप में आबंटित की है।

11. आनुषंगिक विकास

आपकी कंपनी ने आनुषंगिक उद्योगों के विकास में प्रयासों को जारी रखा।

आनुषंगिक उद्योगों के विकास में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्न कार्रवाई की गई :

- 4 और एमएसएमई को आनुषंगिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके साथ आनुषंगिक दर्जे वाले एमएसएमई के कुल संख्या 57 हो गई है।
- आनुषंगिक उद्योगों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों में भाग लिया और आयोजन किया :
  - मई / जून, 2013 के दौरान क्रमशः अंगुल और दामनजोड़ी में उप–पीएलएसी बैठक।
  - जून, 2013 के दौरान दामनजोड़ी एम एंड आर काम्पलेक्स में उद्यमकर्ता सप्ताह।
  - दिसम्बर, 2013 के दौरान खरीददार बिक्रीकर्ता परस्पर संपर्क बैठक।
  - प्रद्रावक में एससी और एसटी एमएसएमई के लिए विक्रेता कार्यक्रम।
- विभिन्न एमएसएमई प्रदर्शनियों में भाग लिया जैसे :
  - 20 से 23 अक्तूबर, 2013 को खरीददार बिक्रीकर्ता बैठक जैसे एमएसएमई उद्यम ओडिशा –2013। आपकी कंपनी ने ओडिशा सरकार के साथ सीआईआई के सहयोग में आयोजित ओडिशा 2013 में सर्वोत्तम प्रदर्शन पुरस्कार जीता।
  - ओडिशा सरकार और मैसर्स एनएसआई द्वारा आयोजित भुवनेश्वर में जनवरी, 2014 के दौरान आयोजित ओडिशा एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2014 ।

12. कम्प्यूटरीकरण गतिविधियां

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के व्यवसाय प्रोसेसों के साथ–साथ उत्पादन तथा विनिर्माण प्रणालियों का अभिन्न अंग है। प्रमुख उद्यम अनुप्रयोग जैसे प्रापण, मालसूची प्रबंध, वित्त और लेखाकरण, विपणन और मानक संसाधन प्रबंध एसएपी ईआरपी में क्रियान्वित किए गए हैं और इनका लगातार उन्नयन किया जाता है। प्रापण प्रोसेस में हाल ही में कंपनी ने एसएपी के एसआरएम माडयूल के माध्यम से ई–निविदा शुरू की गई है।

केंद्रीयकृत आईटी अनुप्रयोग और सेवाएं कारपोरेट कार्यालय, भुवनेश्वर में स्थित आंतरिक डाटा केंद्र में लगाई गई है जो दामनजोड़ी में स्थित आपदा सुधार स्थल और अंगुल में आपदा नेटवर्क प्रचालन केंद्र (एनओसी) द्वारा समर्थित हैं ताकि आईटी आधारित प्रोसेसों के लिए व्यवसाय निरंतरता योजना को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। उसी ढांचे में सभी युक्तियों और सर्वरों को रखने के लिए इसमें उपग्रह आधारित समय सिन्क्रोनाइजेशन सर्वर भी है। सभी संयंत्रों और कार्यालयों में अत्याधुनिक उपस्कर और सहायक उपकरणों के साथ 10 जीबीपीएस फाल्ट टालरेंट के साथ प्रतिस्थापनाधीन है।

विनिर्दिष्ट अनुभागों को पूर्ण आईटी संसाधनों को प्रदान करने के लिए नई पहलें जैसे डेस्क टाप वर्चुलाइजेशन और मोबिल्टि सोल्यूशन सक्रिय कार्यान्वयन के तहत है। कंपनी की ई–मेल का स्मार्ट मोबाइल तक विस्तार किया गया है। दस्तावेज प्रबंध प्रणाली के साथ दस्तावेज के डिजिटीकरण द्वारा पेपर रहित संगठन की दिशा में कदम उठाया गया है, जिसका कार्यान्वयन प्रद्रावक में शुरू किया गया है।

ई–अभिशासन उपायों को सभी यूनिटों में बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली, केंद्रीयकृत पे–रोल प्रणाली, निष्पादन मूल्यांकन की तेजी से प्रोसेसिंग के लिए कार्यपालकों के लिए आनलाइन निष्पादन मूल्यांकन शुरू करके व्यापक बनाया गया है। जीईटी भरती में आवेदनों को आनलाइन प्राप्त करने और भर्ती प्रोसेस के विभिन्न चरणों में और परस्पर संपर्क करने का प्रावधान है।

13. संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध

वर्ष के दौरान विभिन्न गुणवत्ता प्रबंध की पहल की गई :

एकीकृत प्रबंध प्रणाली

सभी पांच यूनिट में अर्थात प्रगालक, सीपीपी, एल्यूमिना रिफाइनरी, खान और पत्तन सुविधाओं में गुणवत्ता प्रणाली के आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस 18001 को शामिल करके एकीकृत प्रबंध प्रणाली में एकीकृत किया गया है। सभी पांचों यूनिट की वर्ष के दौरान एकीकृत प्रबंध प्रणाली की बाह्य लेखापरीक्षा सफलतापूर्वक की गई है।

ऊर्जा प्रबंध प्रणाली (आईएसओ 50001)

वर्ष के दौरान आईएसओ 50001 के अनुरूप ऊर्जा प्रबंध प्रणाली को एल्यूमिना रिफाइनरी में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है और यूनिट को 31.03.2014 को प्रमाणित किया गया था। प्रगालक में ईएमएस का दस्तावेजीकरण पूरा किया गया है और चरण–1 की लेखापरीक्षा को पूरा किया गया है।

गुणवत्ता सर्किल गतिविधि

- राज्य में गुणवत्ता वाली गतिविधियों के संवर्धन के लिए कंपनी ने अखिल ओडिशा गुणवत्ता सर्किल सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन राज्य में विभिन्न संगठनों के तैइस यूनिट/संयंत्रों से सहभागियों के रूप में 33 गुणवत्ता सर्किल/टीपीएम सर्किलों से राज्य के गुणवत्ता आंदोलन में फ्लैगशिप कार्यक्रम है।
- दिसम्बर, 2013 में कोलकाता में क्यूसीएफआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सर्किल गुणवत्ता सर्किल सम्मेलन में आपकी कंपनी से 10 क्यूसी ने भाग लिया जिसमें पांच क्यूसी को उच्चतम श्रेणी अर्थात सम–उत्कृष्ट प्रदान किया गया था।

लीन सिक्स सिग्मा पहलें

प्रद्रावक के अलावा सीसीपी, एल्यूमिना रिफाइनरी और खानों में लीन सिक्स सिग्मा पहलें प्रत्येक यूनिट में परियोजनाओं को लेकर शुरू की गई थीं।

14. सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य

किसी उद्योग के संधारणीय प्रचालन के लिए इसके तीन महत्वपूर्ण कारकों, पर्यावरण, सुरक्षा और व्यावसायिक की ओर ध्यान देने की जरूरत होती है। एक जिम्मेदार कारपोरेट हस्ती होने के कारण कंपनी ने अपनी सभी गतिविधियों में पर्यावरण, सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य की अत्यधिक देखभाल की है। तद्नुसार, सभी उत्पादन यूनिट ओएचएएस एएस 18001, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के तहत अंतर्राष्ट्रीय मानक के लिए प्रमाणित हो गए हैं और ये प्रचालन वर्ष 2013–14 के दौरान वैध हैं।

सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य पर जागरूकता विकसित करने के लिए कंपनी ने अपने कर्मचारियों और ठेके के कामगारों को आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण दिया है।

आपकी कंपनी ने एसएंडपी काम्पलेक्स के साथ–साथ इसके एमएंडआर काम्पलेक्स में वृत्तिगत स्वास्थ्य केंद्र (ओएचसी) प्रदान किया है। दोनों ओएचसी को योग्य डाक्टर, सभी आधुनिक जांच सुविधाओं से संबद्ध योग्य तकनीकी स्टाफ प्रदान किया गया है। पीएमई परिणाम का विश्लेषण निर्दिष्ट करता है कि दोनों काम्पलेक्स में किसी वृत्तिगत बीमारी को नहीं देखा गया है।

15. पर्यावरणीय परिरक्षण और संरक्षण

कंपनी ने पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

- वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के सभी प्रचालन यूनिटों ने जल (पीसीपी) अधिनियम, 1974 और वायु (पीसीपी) अधिनियम, 1981, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंध और निपटाने के नियमों के तहत वैध प्राधिकारों, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियमों, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंध और निपटाने के नियम और संगठन को लागू होने वाले विभिन्न सांविधिक विनियमों के तहत वैध लाइसेंसों के तहत "प्रचालन के लिए सहमति" वैध के साथ प्रचालन किया है।
- आपकी कंपनी के सभी प्रचालन यूनिटों ने अपने अपशिष्ट जल प्रबंध के साथ–साथ मल अपशिष्ट जल प्रबंध के संबंध में शून्य स्राव को अपनाया है। उपचारित अपशिष्ट जल को पुनःचक्रित किया गया था और इसका प्रोसेस/बागवानी प्रयोजनों के लिए पुनः प्रयोग किया गया था।
- वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के उत्पादन यूनिटों में और आसपास 1,85,828 छोटे पौधे लगाए गए थे।
- आपकी कंपनी ने अपने अंगुल में ग्रहीत विद्युत संयंत्र और दामनजोड़ी में भाप और विद्युत संयंत्र में क्रमशः 71.67 प्रतिशत और 69.64 प्रतिशत राख का उपयोग किया है।
  - अतिरिक्त पास की संस्थापना द्वारा पुराने छठे सीपीसी यूनिटों के लिए ईएसपी की रिट्रोफिटिंग और मौजूदा ईएसपी का पुनरूद्वार 100 मिलीग्राम/एनएम3 के नीचे स्टैक उत्सर्जन को कम करने के लिए शुरू किया गया है। 4 यूनिटों में रिट्रोफिटिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और शेष दो यूनिटों (यूनिट #2 और #4) में कार्य प्रगति पर है।
  - कास्ट हाउस (बी) स्टैक, एफटीपी 7 और 8 के लिए वास्तविक समय डाटा अधिग्रहण प्रणाली (आरटीडीएएस) और जीपीआरएस सेवा के माध्यम से ओएसपीसीबी के सर्वर को आनलाइन डाटा प्रोषण को पूरा किया गया है।
  - काफी सीमा तक धूल पैदा होने को कम करने के लिए एकीकृत आटोमेटिड एल्यूमिना और बाथ मिक्सिंग प्रणाली को चालू किया गया है।
  - तीसरे होल्डिंग पूल की एचडीपीई लाइनिंग को पूरा किया गया है, जो उपचार के पश्चात् अपशिष्ट जल को धारण करने के कारण भूमिगत जल के दूषण को रोकेगा।

अगस्ती एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
प्लाट नम्बर 97, भोई नगर
भुवनेश्वर–751 002
ई–मेल : agasti_associates@yahoo.com

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
11ए, बापूजी नगर,
भुवनेश्वर–751 009
ई–मेल : mail@caabp.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की जांच की है जिसमें 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 13 सितम्बर, 2013 के सामान्य परिपत्र 15/2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 की उप–धारा (3सी) में संदर्भित लेखाकरण मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और नकदी प्रवाह के संबंध में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के संगत आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो सही और निष्पक्ष तथा तथ्यात्मक रूप से गलत विवरण से मुक्त, चाहे किसी घोटाले अथवा त्रुटि के कारण हो, वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानदंडों के अनुरूप अपनी लेखापरीक्षा संचालित की है। इन मानदंडों के तहत यह अपेक्षित है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस संबंध में एक उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और उसे निष्पादित करें कि क्या ये वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गड़बड़ी से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच और राशि के समर्थन में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने संबंधी प्रक्रियाओं का निष्पादन और वित्तीय विवरण में प्रकटन शामिल होते हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिनमें वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गड़बड़ी, चाहे घोटाले अथवा त्रुटिवश हुई हो, के जोखिम का मूल्यांकन शामिल होता है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में, लेखापरीक्षा लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के वास्ते वित्तीय विवरणों को तैयार करने और निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण में कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो स्थिति अनुरूप उपयुक्त हों लेकिन वह ऐसा कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर कोई राय व्यक्त करने के लिए नहीं करता है। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन एवं लेखा आकलनों के औचित्य तथा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों का संपूर्ण मूल्यांकन भी शामिल रहता है।

हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्राप्त प्रमाण हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

राय

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम की अपेक्षानुसार तथा सामान्य रूप से भारत में स्वीकार्य सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं :

क) 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के क्रियाकलापों के तुलनपत्र के मामले में;

ख) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ के संबंध में लाभ और हानि विवरण के मामले में;

ग) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाहों के संबंध में नकद प्रवाह विवरण के मामले में।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 227 की उप धारा (4ए) के अनुरूप भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 ("आदेश") द्वारा यथा अपेक्षित, हम अनुलग्नक में आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 227(3) में यथा अपेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं कि :
   क. हमने वे सभी जानकारी और व्याख्याएं प्राप्त की हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थीं।
   ख. हमारी राय में, जहां तक हमारे द्वारा बहियों की जांच से प्रतीत होता है, कंपनी ने लेखा बहियों का कानून द्वारा यथापेक्षित उचित रखरखाव किया है।
   ग. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लेखाबहियों के सुसंगत हैं।
   घ. हमारी राय में तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 13 सितम्बर, 2013 को जारी सामान्य परिपत्र 15/2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उप–धारा (3सी) में संदर्भित लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं; और
   ङ. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, कंपनी मामलों के विभाग, की अधिसूचना संख्या जीएसआर 829(ई) दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 की शर्तों में सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

कृते अगस्ती एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 313043ई

(सीए. बी. अगस्ती)
पार्टनर सदस्यता संख्या 051026

कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 315104ई

(सीए. प्रभात के. पंडा)
पार्टनर सदस्यता संख्या 057140

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 मई, 2014

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

("अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट" शीर्ष के तहत हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के पैरा 1 के संदर्भ में)

i) स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में :

(क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और अपनी स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति सहित ज्यादातर मामलों में पूर्ण विवरण को दर्शाने वाले समुचित रिकार्ड रखे हैं ;

(ख) वर्ष के दौरान चार्टर्ड एकाउंटेंटों की फर्म द्वारा सभी अस्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। इस प्रकार के सत्यापन के दौरान कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई;

स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा तीन वर्ष के अंतराल के बाद कराया गया है, जो कि हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को लेकर न्यायोचित है;

हमें दी गई सूचना के अनुसार बहियों के रिकार्ड और भौतिक परिसंपत्तियों के बीच कोई भौतिक विसंगतियां नजर में नहीं आई है;

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों के किसी उल्लेखनीय हिस्से को नहीं बेचा है और कंपनी की लाभकारी स्थिति प्रभावित नहीं हुई है।

ii) मालसूचियों के संबंध में :

(क) हमें दी गई व्याख्या के अनुसार विस्तार परियोजना संबंधी स्टॉक अन्य पक्षों के पास स्थित स्टॉक और मार्गस्थ स्टॉक के सिवाय सभी माल सूचियों का वर्ष के दौरान युक्तिसंगत अंतराल पर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्म द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है;

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार माल सूचियों के भौतिक सत्यापन के लिए प्रबंधन ने जिन प्रक्रियाओं का पालन किया है वे युक्तिसंगत हैं और कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति की दृष्टि में पर्याप्त हैं;

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार, कंपनी ने अपनी माल सूचियों का समुचित रिकार्ड रखा है। भौतिक स्टॉक और कमी संबंधी बही रिकार्ड के बारे में मालूम हुई विसंगतियों से लेखा बहियों में निपटा गया है, जबकि अधिकता की अनदेखी की गई है;

iii) हमें दी गई सूचना तथा व्याख्याओं के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षों को / से कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया / लिया है। परिणामतः आदेश के पैरा 4 के उपबंध (क) से (जी) लागू नहीं हैं;

iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार कंपनी के आकार और माल, स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद और सामान एवं सेवाओं की बिक्री के संबंध में अपने व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। अपनी लेखा परीक्षण की अवधि के दौरान, हमने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में किसी बड़ी कमी को सही करने में निरंतर असफलता को नहीं देखा है;

v) हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार, कंपनी ने कोई ऐसा अनुबंध या व्यवस्था नहीं की है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता हो। अतः आदेश के पैरा 4 का उपबंध (v) (बी) लागू नहीं है;

vi) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए, 58एए या किसी अन्य प्रावधान और इसके तहत बनाए गए नियमों के भीतर जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है;

vii) हमारी राय में कंपनी के पास इसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है;

viii) हमने विनिर्माण गतिविधियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के तहत लागत रिकार्ड के अनुरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत लेखा रिकार्ड) नियमावली, 2011 के अनुपालन में कंपनी द्वारा रखे गए रिकार्ड की विस्तृत समीक्षा की है और हम यह राय व्यक्त करते हैं कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लागत रिकॉर्ड रखे गए हैं। तथापि, हमने यह निर्धारित करने के लिए विस्तृत परीक्षण नहीं किया है कि क्या ये सटीक और संपूर्ण हैं;

ix) (क) हमें दी गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार और रिकार्डों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर हमारी राय में कंपनी भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और विद्युत शुल्क सहित अविवादित सांविधिक देय उपयुक्त प्राधिकारी के पास आमतौर पर नियमित रूप से जमा कराती है;

हमें दी गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार 31 मार्च, 2014 को देय तिथि से 6 महीनों से अधिक अवधि के लिए भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और कोई अन्य उल्लेखनीय सांविधिक अविवादित राशि देय नहीं हैं।

(ख) हमें दी गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार, निम्नलिखित विवादित सांविधिक देयताओं को 31 मार्च, 2014 तक जमा नहीं किया गया है :

संविधि का नाम	देयता की प्रकृति	विवादित राशि (करोड़ रुपए में)	जमा राशि (करोड़ रुपए में)	मंच जहां विवाद लंबित हैं
बिक्री कर	बिक्री कर	139.85	28.29	आयुक्त
		179.73	52.72	अधिकरण
		116.88	5.86	उच्च न्यायालय
		436.46	**86.87**	
प्रवेश कर	प्रवेश कर	145.93	33.51	आयुक्त
		29.18	20.94	अधिकरण
		7.63	5.04	उच्च न्यायालय
		182.74	**59.49**	
केंद्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क			
		9.65	2.71	आयुक्त
		25.19	0.59	अधिकरण
		0.03	उच्च न्यायालय	44.26
		79.10	**3.33**	
सेवा कर		1.55	0	आयुक्त
		0.07	0	अधिकरण
		1.62	**0.00**	
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	7.47	0.06	आयुक्त
		7.47	**0.06**	
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	709.90	524.52	आयुक्त
		107.65	61.65	उच्च न्यायालय
		817.55	**586.17**	
	कुल:	**1524.94**	**735.92**	

iii) कंपनी को वित्त वर्ष के आखिर में कोई संचित हानि नहीं है। वित्त वर्ष अथवा उससे ठीक पहले के वित्त वर्ष के दौरान कंपनी को नकद हानि नहीं हुई है;

iv) वर्ष के दौरान कंपनी पर किसी वित्तीय संस्था, बैंकों अथवा ऋणपत्रधारकों का कोई देय बकाया नहीं है;

v) हमें दी गई सूचना और व्याख्याओं के आधार पर कंपनी ने शेयरों, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर सुरक्षा के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं किया है;

vi) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार कंपनी चिट फंड/निधि/ म्यूचुअल लाभ फंड/सोसायटी नहीं है। इसलिए कंपनी पर आदेश के अनुच्छेद 4 के उपबंध (xiii) के प्रावधान लागू नहीं हैं;

vii) कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों एवं अन्य निवेशों का व्यापार नहीं कर रही है। इसलिए कंपनी पर आदेश के उपबंध 4 (xiv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं;

viii) हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार कंपनी ने बैंक या वित्तीय संस्थानों से दूसरों द्वारा लिए गए ऋण के लिए गारंटी नहीं दी है।

ix) हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के आधार पर, कंपनी ने लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है;

x) हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार और कंपनी के तुलनपत्र के संपूर्ण परीक्षण के आधार पर, हमें रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के दीर्घावधि निवेश के लिए लघु अवधि आधार पर एकत्र कोई फंड इस्तेमाल नहीं किया गया है।

xi) हमें दी गई सूचना और व्याख्या के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों को शेयरों का कोई अधिमानी आबंटन नहीं किया है।

xii) हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋणपत्र जारी नहीं किए हैं।

xiii) हमें दी गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक इश्यू के जरिए कोई धन नहीं जुटाया है।

xiv) हमें दी गई सूचना एवं व्याख्यायों के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी पर अथवा द्वारा कोई धोखाधड़ी देखी अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

कृते अगस्ती एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 313043ई
(सीए. बी. अगस्ती)
पार्टनर सदस्यता संख्या 051026

कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 315104ई
(सीए. प्रभात के. पांडा)
पार्टनर सदस्यता संख्या 057140

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के खातों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुरूप 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अपने पेशेवर निकाय दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुरूप स्वतंत्र लेखापरीक्षण पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उन्होंने दिनांक 28.05.2014 की अपनी लेखापरीक्षण रिपोर्ट में किया गया बताया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, मैंने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(बी) के तहत पूरक लेखा परीक्षण किया है। यह पूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से किया गया है और प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ तथा कुछ चुनिंदा लेखा रिकार्ड के परीक्षण तक सीमित हैं। अपने लेखा परीक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं आया जिससे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की पूरक रिपोर्ट पर या उसके संबंध में कोई टिप्पणी की जाए।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

(प्रमोद कुमार)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक
एवं पदेन सदस्य, आडिट बोर्ड–1
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 25.06.2014

31.03.2014 को तुलनपत्र

(करोड़ रुपए में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
इक्विटी और देनदारियां			
शेयरधारकों की निधि			
शेयर पूंजी	1	1,288.62	1,288.62
आरक्षित और अधिशेष	2	10,833.83	10,643.83
गैर–चालू देनदारियां			
आस्थगित कर देनदारियां (निवल)	3	910.13	903.13
अन्य दीर्घावधि देनदारियां	4	54.96	70.82
दीर्घावधिक प्रावधान	5	218.22	208.62
चालू देनदारियां			
व्यापार देय	6	531.12	509.17
अन्य चालू देनदारियां	7	2,564.38	2,545.75
अल्पावधिक प्रावधान	8	147.25	162.67
कुल		**16,548.51**	**16,332.61**
परिसंपत्तियां			
गैर–चालू परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्ति			
मूर्त परिसंपत्ति	9	6,688.80	6,523.80
अमूर्त परिसंपत्ति	9	103.14	105.09
चल रहे पूंजी कार्य	10	768.74	1,001.92
गैर चालू निवेश	11	1.04	161.04
दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम	12	1,517.27	1,474.04
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	13	43.32	36.49
चालू परिसंपत्तियां			
चालू निवेश	14	1,244.00	1,329.02
मालसूचियां	15	1,173.66	1,380.64
व्यापार प्राप्तियां	16	243.57	148.65
नकदी एवं बैंक जमा राशियां	17	4,048.29	3,504.38
अल्पावधिक ऋण और अग्रिम	18	481.38	473.76
अन्य चालू परिसंपत्तियां	19	235.30	193.78
जोड़		**16,548.51**	**16,332.61**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें 1–45

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(सीएस के. एन. रवीन्द्र)
कंपनी सचिव

(के. सी. सामल)
निदेशक (वित्त)

(अंशुमान दास)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुरूप संलग्न

कृते अगस्ती एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 313043ई

(सीए. बी. अगस्ती)
पार्टनर सदस्यता संख्या 051026

कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 315104ई

(सीए. प्रभात के. पांडा)
पार्टनर सदस्यता संख्या 057140

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2014

31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के आंकड़े
प्रचालन से राजस्व	22	6,780.85	6,916.48
अन्य आय	23	557.71	511.05
कुल राजस्व		7,338.56	7,427.53
व्यय :			
प्रयुक्त सामग्री की लागत	24	1,063.16	1,167.83
बिजली और ईंधन	25	2,017.67	2,432.27
तैयार माल की सूची में परिवर्तन			
बिथौलिया और चल रहे कार्य	26	58.55	(64.25)
कर्मचारी लाभ व्यय	27	1,245.33	1,153.93
वित्त लागत	28	-	7.45
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	29	524.73	505.43
अन्य व्यय	30	1,461.94	1,319.83
कुल व्यय		6,371.38	6,522.49
असाधारण वस्तु और कर पूर्व लाभ		967.18	905.04
असाधारण वस्तुएं	31	49.37	-
कर पूर्व लाभ		917.81	905.04
कर व्यय:			
(1) वर्तमान कर		264.65	263.30
(2) आस्थगित कर		7.15	54.02
(3) पूर्व वर्ती वर्ष		3.66	(5.11)
अवधि के लिए लाभ/(हानि)		642.35	592.83
प्रति शेयर आय			
(क) कर उपरांत लाभ		642.35	592.83
(ख) इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (अंकित मूल्य 5/–रुपए प्रत्येक)		2,577,238,512	2,577,238,512
प्रति शेयर आय (रुपए) – मूल (क/ख)		2.49	2.30
प्रति शेयर आय (रुपए) – मंदित (क/ख)		2.49	2.30

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें 1–45

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(सीएस के. एन. रवीन्द्र)
कंपनी सचिव

(के. सी. सामल)
निदेशक (वित्त)

(अंशुमान दास)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुरूप संलग्न

कृते अगस्ती एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 313043ई

(सीए. बी. अगस्ती)
पार्टनर सदस्यता संख्या 051026

कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 315104ई

(सीए. प्रभात के. पांडा)
पार्टनर सदस्यता संख्या 057140

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2014

वर्ष 2013–14 के दौरान नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रुपए में)

	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन के आंकड़े	
A. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह:				
कर और असाधारण आय से पूर्व निवल लाभ		917.81		905.04
निम्न के लिए समायोजन				
मूल्यह्रास	524.73		505.43	
ब्याज और वित्त पोषण प्रभार	-		7.45	
प्रावधान (निवल)	32.34		24.99	
बट्टे खाते डाले गए स्टोर, पुर्जे, दावे	19.45		13.85	
विभाजित आय:	(122.48)		(73.10)	
लाभांश आय	(368.88)		(395.03)	
संपत्ति की बिक्री पर हानि/(लाभ) निवल	0.06		0.17	
		85.22		83.76
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन करने से पहले प्रचालन लाभ		1,003.03		988.80
समायोजन के लिए :				
माल सूचियां	191.30		(205.25)	
व्यापार और अन्य प्राप्तियां	(122.37)		(120.66)	
व्यापार और अन्य देय	268.97		213.68	
		337.90		(112.23)
प्रचालन से नकदी सृजन		1,340.93		876.57
प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी तथा विवादाधीन जमा शमिल हैं)		(359.59)		(435.11)
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद		981.34		441.46
B. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:				
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(618.68)		(648.93)	
निवेशों की (खरीद)/बिक्री	245.02		(735.80)	
म्यूचुअल फंड से विभाजित आय	122.48		73.10	
जमा, ऋण और अग्रिम से ब्याज आय	329.23		434.71	
निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल निवल नकद		78.05		(876.92)
C. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह				
ब्याज और वित्त पोषण प्रभार	-		(7.45)	
भुगतान किए गए लाभांश कर सहित लाभांश	(515.48)		(221.06)	
वित्तीय गतिविधियों में उपयोग में लाए गए शुद्ध नकद		(515.48)		(228.51)
D. नकद और नकद समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)		543.91		(663.97)
E. नकद और नकद समकक्ष – आदि शेष		3,504.38		4,168.35
F. नकद और नकद समकक्ष –इति शेष (घ+ङ.)		4,048.29		3,504.38

क) वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत टिप्पणी 17 पर नकदी एवं बैंक अधिशेष नकदी और नकदी प्रवाह विवरण तैयार करने के उद्देश्य से नकद समतुल्यता है। अतः लेखाकरण मानक 3 के पैरा 42 के तहत अपेक्षित पुनर्मिलान विवरण अलग से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ख) नकदी और नकदी समतुल्य में 672.67 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष में 571.13 करोड़ रुपए) विवादित बिजली शुल्क के रूप में, 4.32 करोड़ रुपए गैर भुगतान लाभांश (पूर्ववर्ती वर्ष 37.36 करोड़ रुपए) के रूप में है, जो कि कंपनी के उपयोग के लिए मुक्त रूप में उपलब्ध नहीं हैं।

ग) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े नकद बहिर्प्रवाह/आय, जो भी मामला हो, हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(सीएस के. एन. रवीन्द्र)
कंपनी सचिव

(के. सी. सामल)
निदेशक (वित्त)

(अंशुमान दास)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुरूप संलग्न

कृते अगरस्ती एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 313043ई

(सीए. बी. अगरस्ती)
पार्टनर सदस्यता संख्या 051026

कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 315104ई

(सीए. प्रभात के. पांडा)
पार्टनर सदस्यता संख्या 057140

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2014

वर्ग–वार सूचना

(करोड़ रुपए में)

व्यवसाय क्षेत्र	रसायन		एल्यूमिनियम		गैर–आबंटित सामान्य		योग	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
A. राजस्व								
बाह्य बिक्री	**2,556.81**	1,783.83	**4,045.18**	5,022.98	**46.81**	2.64	**6,648.80**	6,809.45
अंतर–वर्ग अंतरण	**1,160.01**	1,414.53	**184.95**	135.04	**-**	-	**1,344.96**	1,549.57
कुल राजस्व	**3,716.82**	3,198.36	**4,230.13**	5,158.02	**46.81**	2.64	**7,993.76**	8,359.02
घटाएं : निकासी							**(1,344.96)**	(1,549.57)
निवल राजस्व							**6,648.80**	6,809.45
B. परिणाम								
वर्ग परिणाम	**821.80**	715.24	**(258.99)**	(120.20)	**(136.36)**	(150.68)	**426.45**	444.36
ब्याज से व्यय							**-**	7.45
ब्याज से आय							**491.36**	468.13
आय कर							**275.46**	312.21
निवल लाभ							**642.35**	592.83
C. अन्य सूचनाएं								
वर्ग परिसंपत्तियां	**3,663.63**	3,356.25	**6,476.38**	6,773.47	**6,408.50**	6,202.89	**16,548.51**	16,332.61
वर्ग देनदारियां	**566.70**	510.83	**2,415.48**	2,232.63	**533.75**	753.57	**3,515.93**	3,497.03
पूंजीगत व्यय	**301.57**	146.91	**171.87**	205.28	**(43.49)**	470.33	**429.95**	822.52
मूल्यहास	**187.72**	177.33	**312.82**	319.55	**24.19**	8.54	**524.73**	505.42
गैर–नकदी व्यय (मूल्यहास को छोड़कर)	**14.51**	7.15	**59.78**	31.68	**1.54**	-	**75.83**	38.83

भौगोलिक वर्ग	भारत		भारत से बाहर			योग	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
A. राजस्व							
बाह्य बिक्री	**2,929.53**	3,398.96	**3,719.27**	3,410.49		**6,648.80**	6,809.45
B. अन्य सूचनाएं							
वर्ग परिसंपत्तियां	**16,339.16**	16,206.79	**209.35**	125.82		**16,548.51**	16,332.61
पूंजीगत व्यय	**429.95**	822.52	**-**	-		**429.95**	822.52

टिप्पणी :

(i) कंपनी ने रसायनों और एल्यूमिनियम को दो प्रमुख व्यावसायिक वर्ग माना है। रसायनों में कैल्सीकृत एल्यूमिना, एल्यूमिना हाइड्रेट और अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम इन्गॉट्स, वायर रॉड्स, बिलेट्स, स्ट्रिप्स, रोल्ड और अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिना के उत्पादन के लिए कैप्टिव खपत के लिए उत्पादित बॉक्साइट को रसायनों के अंतर्गत शमिल किया गया है और एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए कैप्टिव खपत के लिए उत्पादित विद्युत को एल्यूमिनियम वर्ग में शामिल किया गया है। मुख्यतः संभाव्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाने के लिए प्रारंभ किए गए पवन विद्युत संयंत्र को गैर–आबंटित सामान्य वर्ग में शामिल किया गया है।

(ii) भारत और भारत के बाहर दो भौगोलिक वर्ग हैं। चूंकि सभी उत्पादन और अन्य सुविधाएं भारत में अवस्थित हैं इसलिए निर्यात कर्जदारों के अतिरिक्त इस वर्ग की परिसंपत्तियों को एक ही भौगोलिक वर्ग अर्थात भारत के अंतर्गत दिखाया गया है।

(iii) कैल्सीकृत एल्यूमिना के अंतरवर्ग अंतरण पर इस अवधि के दौरान निर्यात बिक्रियों से प्राप्त बिक्री राशि की औसत वसूली से रिफाइनरी से विजाग स्थित पत्तन तक किराए (फ्रेट) तथा निर्यात प्रोत्साहन के योग को घटाते हुए विचार किया जाता है। विद्युत के एल्यूमिनियम वर्ग से रसायन वर्ग में अंतरित करने पर एल्यूमिना रिफाइनरी स्थित राज्य ग्रिड से विद्युत के वार्षिक/आवधिक औसत खरीद मूल्य के आधार पर विचार किया जाता है।

(iv) राजस्व और व्यय को प्रचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर वर्गों के लिए अभिज्ञात किया गया है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और दायित्व जो कि समग्र रूप से उद्यम से संबंधित हैं और तर्कसंगत आधार पर आबंटन योग्य नहीं हैं, को गैर–आबंटित सामान्य वर्ग में शामिल किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखाकरण का आधार

वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों, कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों उसके अंतर्गत अधिसूचित लेखाकरण मानकों के अनुसार लेखाकरण के प्रोदभवन के आधार पर ऐतिहासिक लागत परम्परा के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं।

2. प्राक्कलनों का प्रयोग

भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में कंपनी अनुमान और पूर्वानुमान लगाती है जिनसे परिसंपत्तियों और देयताओं की बताई गई राशि और विवरण तैयार करने की तारीख को आकस्मिक देयताओं का प्रकटन तथा आलोच्य अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की मात्रा प्रभावित होती है। कुछ मामलों में वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे अनुमानों में किसी संशोधन को परिणाम निर्धारित किए जाने वाली अवधि में स्वीकार किया जाता है।

3. स्थायी परिसंपत्तियां

3.1 सभी स्थायी मूर्त परिसंपत्तियों का विवरण ऐतिहासिक लागत से संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति, यदि कोई हो, से घटाते हुए तैयार किया जाता है। इस लागत में अधिग्रहण संबंधी सभी व्यय, दी जाने वाले उधारी लागत और सेनेवेट / वैट क्रेडिट, जहां कहीं लागू हैं, शामिल होते हैं।

3.2 मौजूदा मूर्त परिसंपत्तियों का जीवन काल और/अथवा किसी मौजूदा परिसंपत्ति की दक्षता में वृद्धि करने के लिए उसके नवीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में किया गया व्यय संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है।

3.3 पट्टे पर दी गई भूमि सहित भूमि का विकास करने पर हुआ व्यय भूमि की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

3.4 अमूर्त परिसंपत्तियां अधिग्रहण लागत से संचित परिशोधन को घटाकर उल्लिखित की जाती हैं।

खनन अधिकार (एनपीवी और बॉक्साइट खानों के लिए सरकारी प्राधिकरणों को किए गए संबंधित भुगतान), सॉफ्टवेयर (ईआरपी जैसे अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर पैकेज और आरडीबीएमएस जैसे अनुप्रयोग विकास साधन), लाइसेंस और फ्रैंचाइजी (तकनीकी जानकारी संबंधी अधिकार) और अनुसंधान तथा विकास संबंधी जानकारी को अमूर्त परिसंपत्तियां माना जाता है।

3.5 विशिष्ट प्रयोक्ता अधिकार वाली संयुक्त रूप से नियंत्रित की जाने वाली परिसंपत्तियों पर परिसंपत्ति में कंपनी के हिस्से की सीमा तक किए जाने वाले पूंजी व्यय को सीडब्ल्यूआईपी के रूप में दर्शाया जाता है और पूर्ण होने पर इसे मूर्त स्थायी परिसंपत्ति माना जाता है।

3.6 1.00 लाख रुपए प्रति इकाई से अधिक मूल्य वाली स्थायी परिसंपत्ति से संबंधित मशीनरी कलपुर्जों (बीमा कलपुर्जो) को स्थायी परिसंपत्ति के साथ पूंजीकृत किया जाता है।

3.7 सक्रिय उपयोग से हटाई गई और निपटान के लिए रखी गई स्थायी परिसंपत्तियों को संदिग्ध वसूली, यदि कोई हो, संबंधी प्रावधान घटाते हुए निवल बही मूल्य पर उल्लिखित किया जाता है और निपटान होने तक इसे अन्य चालू परिसंपत्तियों के समान माना जाता है।

4. मूल्यह्रास

4.1 मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–XIV के तहत निर्धारित स्ट्रेट लाइन रीति और दरों पर दिया जाता है सिवाय कुछ परिसंपत्तियों से जुड़े मामलों को छोड़कर जहां मूल्यह्रास उनके अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर दिया जाता है, जिन्हें निम्नलिखित परिसंपत्तियों के आधार आवधिक अनुमान के आधार पर आकलित किया जाता है।

क) एल्यूमिना रिफाइनरी में लाल मिट्टी वाला तालाब;

ख) एल्यूमिना रिफाइनरी में राख तालाब;

ग) कैप्टिव विद्युत संयंत्र में राख तालाब

4.2 अमूर्त परिसंपत्तियां :

क) अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत सॉफ्टवेयर को 3 वर्ष की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

ख) खनन अधिकारों को भुगतान की तारीख अथवा खनन पट्टे के नवीकरण/संभावित नवीकरण की तारीख से 20 वर्ष की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

लाइसेंस (तकनीकी जानकारी) संबंधित संयंत्र और मशीनरी के पूर्ण जीवनकाल के लिए वैध है। तदनुसार, अमूर्त परिसंपत्ति ''तकनीकी जानकारी का आधार – आर टी ए लाइसेंस'' के उपयोगी जीवनकाल को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के उपयोगी जीवनकाल के पूरा होने पर परिशोधित किया जाता है।

4.3 रेलवे साइडिंग्स और वैगन्स के संबंध में मूल्यह्रास सतत प्रक्रिया संयंत्र की तर्ज पर 5.28 प्रतिशत की दर से उपलब्ध करवाया जाता है।

4.4 बंदरगाह सुविधा की कुछ परिसंपत्तियां, जो बंदरगाह की जमीन पर संस्थापित की गई थीं, पट्टे की शेष अवधि के आधार पर परिकलित की गई थी, की दरों के आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है।

4.5 5,000/–रुपए या कम की परिसंपत्ति का पूर्ण मूल्यह्रास उस वर्ष में किया जाता है जिस वर्ष में वे प्रयोग में लाई गई थीं।

4.6 जहां किसी परिसंपत्ति का जीवनकाल और/अथवा कुशलता नवीकरण, आधुनिकीकरण अथवा किसी बड़े प्रतिस्थापन के कारण बढ़ती है वहां पर मूल्यहरास किए जाने वाले मूल्य को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के संशोधित उपयोगी जीवनकाल के बाद भावी दृष्टिकोण के साथ परिशोधित किया जाता है।

4.7 जमीन पर पड़ी परिसंपत्तियां, जो कंपनी के स्वामित्व में न हों का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोग में लाने के लिए तैयार होने की तारीख से पांच वर्ष के बाद किया जाता है।

4.8 संयंत्र और मशीनरी का सतत और गैर–सतत में वर्गीकरण तकनीकी राय और तदनुसार किए गए मूल्यह्रास के आधार पर किया जाता है।

4.9 मूल्य समायोजन से संबंधित मूल्यह्रास भावी प्रभाव से दिया जाता है।

5. उधार लागत

5.1 अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के कारण होने वाली सामान्य या विशिष्ट उधार लागत तब तक उस परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत की जाती है जब तक कि परिसंपत्ति अभीष्ट प्रयोग के लिए तैयार न हो जाए।

5.2 अन्य उधार लागतें उस अवधि के लिए व्यय मानी जाती है जिस अवधि में वे खर्च हुई हैं।

6. क्षति

आंतरिक/बाह्य संकेतकों पर आधारित क्षति का कोई संकेत होने पर नकद उत्पादनकर्ता इकाइयों की रखरखाव राशि की समीक्षा की जाती है। लाभ एवं हानि विवरण में रखरखाव राशि के नकद उत्पादनकर्ता इकाइयों की वसूलीयोग्य राशि से अधिक होने की स्थिति में क्षति की स्थिति स्वीकार की जाती है।

वसूली योग्य राशि में परिवर्तन होने पर क्षति पलट जाती है और इस प्रकार की क्षति समाप्त हो जाती है अथवा कम हो जाती है।

7. निवेश

7.1 जिन निवेशों को उनके निवेशित किए जाने की तारीख से एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं रोका जाता, उन्हें चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेशों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दीर्घावधिक निवेशों (संयुक्त उद्यमों में निवेश सहित) को स्थायी स्वरूप का होने की स्थिति में मूल्य में कमी के लिए प्रावधान करने के पश्चात लागत पर अनुरक्षित किया जाता है।

7.2 चालू निवेश को लागत या बाजार मूल्य जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है।

8. माल सूची

8.1 कच्चे माल, स्टोरों और अतिरिक्त उपकरणों की माल सूची का मूल्यांकन, जहां कहीं लागू हो, सेनवैट/वैट के आधार पर किया जाता है। लागत का निर्धारण वास्तविक समय आधार पर गतिशील भारित औसत मूल्य पर किया जाता है।

8.2 बीमा स्पेयर से इतर स्टोरों और स्पेर, जिन्हें रोक कर रखा जाता है परंतु 5 वर्ष से अधिक समय के लिए जारी नहीं किया जाता, का 5 प्रतिशत की लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

8.3 प्राप्त की गई मात्रा के 1 प्रतिशत से कम कोयले की कमी को सामान्य हानि मानी जाती है तथा 1 प्रतिशत से अधिक को असामान्य हानि मानी जाती है।

8.4 उत्पादन में प्रयोग के लिए रखी गई सामग्री तथा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएं (गैर–गतिशील मानी गई को छोड़कर) की कीमत लागत से कम नहीं लिखी जाती है यदि तैयार माल जिसमें उनका समावेश किया जाना है, को लागत मूल्य पर या अधिक मूल्य पर बेचे जाने की संभावना है।

8.5 अस्वीकृत माल को छोड़कर माल, अर्द्ध तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद और चल रहे कार्य का मूल्यांकन लागत से कम पर और वसूले जाने योग्य निवल मूल्य पर किया जाता है। आमतौर पर लागत का निर्धारण वास्तविक समय आधार पर सामग्री के गतिशील भारित औसत मूल्य, श्रम के उचित हिस्से और संबंधित ऊपरी खर्च के आधार पर किया जाता है। साधारण व्यापार में वसूले जाने योग्य निवल मूल्य अनुमानित विक्रय मूल्य में से अनुमानित लागत घटा लेने के बाद शेष बचता है।

अस्वीकृत माल का मूल्यांकन विगत में वसूले गए मूल्य पर या प्रत्यक्ष माल लागत के 45 प्रतिशत पर किया जाता है।

8.6 अनेक प्रकार के आंतरिक रूप से तैयार कबाड़ का मूल्यांकन अनुमानित वसूले जाने योग्य निवल मूल्य पर किया जाता है।

9. सरकारी अनुदान

9.1 सरकार से प्राप्त अनुदान से अधिग्रहीत अचल परिसंपत्तियों की लागत प्राप्त सहायता अनुदान को सब्सिडी रिजर्व में जमा कर दर्शायी जाती है।

9.2 राजस्व से संबंधित अनुदानों को उस अवधि से संबंधित राजस्व माना जाता है जिससे वे संबंध रखते हैं।

10. विदेशी मुद्रा लेन–देन

10.1 सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन, लेनदेन की तारीख को लागू विनिमय दर के अनुसार दर्ज किए जाते हैं।

10.2 विदेशी मुद्रा में मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्ष के अंत के विनिमय दर पर पुनः उल्लेख किया जाता है। पुनः उल्लेख के संबंध में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

10.3 फार्म वायदों से संबंधित फारवर्ड कांट्रैक्ट्स और उच्च संभावित अनुमान कारोबारों के संबंध में विनिमय अंतर के कारण हानि को उस रिपोर्टिंग अवधि में लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है जिसमें विनिमय दर में परिवर्तन होता है।

11 राजस्व की स्वीकृति

11.1 बिक्री

क) एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की बिक्री : घरेलू बाजार में बिक्री को खरीददार को सामग्री भेजने के समय स्वीकार किया जाता है। निर्यात बिक्री को माल के जमीन पर उतरने के समय जारी करने पर स्वीकार किया जाता है। घरेलू बिक्री में उत्पादन शुल्क शामिल होता है और इसमें छूट और मूल्य रियायत दी जाती है।

ख) पवन विद्युत की बिक्री : पवन विद्युत की बिक्री को संबंधित प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित मूल्य पर डिस्कॉम्स को विद्युत पारेषित करने के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

ग) ताप विद्युत की बिक्री : सीपीपी से विद्युत की बिक्री पर रिफाइनरी को व्हीलिंग को छोड़कर लेकिन उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित मूल्य पर विद्युत की असावधानीपूर्वक बिक्री को शामिल करते हुए राज्य ग्रिड को आपूर्ति की गई मात्रा के आधार पर विचार किया जाता है।

11.2 प्राप्य / प्रोत्साहन :

क) दावे तथा ब्याज से प्राप्तियों को उनकी वसूली की निश्चितता के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है। सावधि जमा पर ब्याज से आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ख) निर्यात प्रोत्साहन अर्थात ड्यूटी ड्रा बैक और संकेन्द्रित मार्केटिंग लाइसेंस को बीओएल / निर्यात इन्वायस के अनुसार शिपिंग मात्रा पर प्रोदभवन के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

ग) नवीकरणीय ऊर्जा से आय संबंधी प्रमाणपत्र (आरईसी) को रिपोर्टिंग अवधि के व्यापार के अंतिम दिन स्वीकृत विद्युत विनिमय के उद्धृत मूल्य के भारित औसत पर डिस्कॉम्स को प्रस्तुत किए गए विद्युत के बिल के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

घ) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) को स्कीम के अनुसार लागू दर पर इन्वायस मात्रा पर स्वीकृत किया जाता है।

ड.) यदि वसूली में अनिश्चितता की स्थिति हो तो राजस्व स्वीकृति को आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है।

12. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

12.1 परिभाषित अंशदान योजना : भविष्य निधि और पेंशन स्कीम के लिए अंशदान जिस अवधि में निधि के लिए अंशदान देय होता है, उससे संबंधित लाभ और हानि खाते में प्रभारित होते हैं।

12.2 परिभाषित लाभ योजना : उपदान, प्रोदभवित छुट्टी, दीर्घकालिक सेवा अवार्ड, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा और बंदोबस्ती लाभ, दिवंगत कर्मचारियों के वैध उत्तराधिकारियों को एनईएफएफएआरएस स्कीम संबंधी प्रावधानों / देयताओं को वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर आंका जाता है तथा बीमांकिक लाभ / हानि पर विचार करने के पश्चात लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

12.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रतिपूर्ति पर होने वाला व्यय उस वर्ष में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष में यह होता है।

13. पूर्व अवधि / पूर्व भुगतान की गई मदें

प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपए तक की पूर्व अवधि से संबंधित आय / व्यय को चालू वर्ष के लिए आय / व्यय माना जाता है।

14. नई परियोजनाओं से संबंधित आय

निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त होने तक नई संभावनायुक्त परियोजनाओं के कारण होने वाला व्यय राजस्व से प्रभारित किया जाता है। सफल परियोजनाओं के मामले में इसके पश्चात् होने वाले व्यय को चल रहे पूंजी कार्य में शामिल किया जाता है और तदनंतर पूंजीकृत किया जाता है।

15. अनुसंधान और विकास पर व्यय

अनुसंधान चरण के दौरान हुआ व्यय राजस्व में प्रभारित किया जाता है जब ऐसे अनुसंधान से कोई अमूर्त परिसंपत्ति अर्जित नहीं होती। पूंजी प्रकृति से इतर विकास व्यय वर्ष में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है जो आनुषंगिक आय, यदि कोई हो के समायोजन के बाद होता है।

16. विशेष मदें

विशेष मदें आय और व्यय की वे मदें हैं जो ऐसे आकार, प्रकृति या घटना से घटित होती हैं जिनका प्रकटन करना आवश्यक है।

17. आस्थगित कर

17.1 आस्थगित कर व्यय या लाभ किसी कर योग्य आय और ऐसी लेखाकरण आय जो किसी एक अवधि में शुरू होकर बाद की एक या अधिक अवधि में जाती है, के बीच का अंतर है।

17.2 आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं की गणना अधिनियमित या बाद में तुलनपत्र द्वारा व्यवस्था किए जाने वाली कर दरों और कर विधियों का प्रयोग करके की जाती है।

18. संयुक्त उद्यम

18.1 संयुक्त रूप से नियंत्रित किसी कंपनी में लेखाकरण मानक (एएस) 13, निवेशों के लिए लेखाकरण, के अनुसार ब्याज की गणना निवेश के रूप में की गई है। तथापि, आवश्यक प्रकटीकरण लेखाकरण मानक (एएस) 27, संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग की तर्ज पर किए जाते हैं।

18.2 संयुक्त रूप से नियंत्रित परिसंपत्ति में ब्याज को परिसंपत्तियों की प्रकृति के अनुरूप वर्गीकृत और प्रकटीकृत किया जाता है।

19. प्रावधान और आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

19.1 कोई प्रावधान उस स्थिति में मान्य होता है जब पिछले कारणों से वर्तमान दायित्व हों और संभव है कि दायित्व को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में संसाधन आवश्यक हो तथा उनके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। प्रत्येक वर्ष के अंत में इनकी समीक्षा की जाती है तथा सर्वोत्तम वर्तमान अनुमान दर्शाने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।

19.2 सरकारी विभागों / सरकारी कंपनियों को छोड़कर अन्य कंपनियों से 3 वर्ष से अधिक के लिए भुगतान की जाने वाली / प्राप्त की जाने वाली राशि के कारण राशि के संबंध में प्रावधान किया जाता है / वापस लिखा जाता है। सरकारी विभाग / सरकारी कंपनियों के मामले में इसे मामले की स्थिति के अनुसार मामला–दर–मामला आधार पर नियत किया जाता है।

19.3 आकस्मिक देयता के संबंध में उस स्थिति में प्रकटन किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व हो या ऐसा वर्तमान दायित्व हो जिसके लिए संभवतः अधिक संसाधन आवश्यक नहीं होंगे।

19.4 यदि कोई संभावित दायित्व हो या वर्तमान दायित्व हो और संसाधनों की अधिकता की संभावना कम हो तो किसी प्रावधान को स्वीकार नहीं किया जाता और न ही आकस्मिक देयता के लिए प्रकटन किया जाता है।

19.5 आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में न तो स्वीकार किया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
टिप्पणी 1 : शेयर पूंजी		
शेयर पूंजी		
इक्विटी शेयर पूंजी		
अधिकृत		
5/–रुपए प्रत्येक के 600,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 5/–रुपए प्रत्येक के 600,00,00,000 इक्विटी शेयर	3,000.00	3,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त		
5/–रुपए प्रत्येक के 2,57,72,38,512 इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त (पिछले वर्ष 5/–रुपए प्रत्येक के 2,57,72,38,512 इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त)	1288.62	1288.62

क) कंपनी के कुल इक्विटी शेयरों में भारत सरकार के 208,90,59,622 इक्विटी शेयर (81.06 प्रतिशत) हैं, पिछले वर्ष कंपनी के 208,90,59,622 इक्विटी शेयर (कुल इक्विटी शेयरों का 81.06 प्रतिशत)।

ख) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कंपनी की इक्विटी शेयरों की धारिता 14,92,66,5795.79 प्रतिशत), पिछले वर्ष 15,52,66,5796.02 प्रतिशत)।

ग) इक्विटी शेयर के धारकों को समय–समय पर यथा घोषित लाभांश प्राप्त होता है और कंपनी की बैठकों में प्रति शेयर एक वोट के हकदार होते हैं।

घ) वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान, कंपनी ने पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयरों के तौर पर 128,86,19,256 इक्विटी शेयर जारी किए। उक्त वर्ष में बोनस इश्यू में शेयरों को उनकी प्रत्येक के अंकित मूल्य 10/–रुपए को 5/–रुपए प्रत्येक के दो इक्विटी शेयरों में तोड़ने के बाद जारी किया गया। उक्त बोनस इश्यू के अलावा कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में कोई भी इक्विटी शेयर जारी/पुनर्खरीद नहीं की है।

विवरण		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि	
टिप्पणी 2 : आरक्षित एवं अधिशेष					
क) आरक्षित पूंजी					
पिछले तुलन पत्र के अनुरूप		-		0.35	
घटाएं : सब्सिडी आरक्षित में अंतरित		-		0.35	
घटाएं : अधिशेष में अंतरित		-			
	इति शेष		-		-
ख) सामान्य आरक्षित					
पिछले तुलन पत्र के अनुरूप		10,639.90		10,419.90	
जोड़े : अधिशेष से अंतरित		190.00		220.00	
	इति शेष		10,829.90		10,639.90
ग) अधिशेष					
– वर्ष के शुरूआत में शेष		3.63		6.21	
– जोड़ें : कर उपरांत वर्ष के लिए लाभ लाभ और हानि के विवरण से अंतरित		642.35		592.83	
– जोड़ें : आरक्षित पूंजी से अंतरित		-		-	
– घटाएं : सामान्य आरक्षित में अंतरित		190.00		220.00	
– घटाएं : अंतरिम लाभांश #		283.50		193.29	
– घटाएं : अंतरिम लाभांश पर कर		48.18		31.36	
– घटाएं : प्रस्तावित अंतिम लाभांश #		103.09		128.86	
– घटाएं : प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर		17.52		21.90	
	इति शेष		3.69		3.63
घ) अन्य आरक्षित					
सब्सिडी आरक्षित					
– पिछले तुलन पत्र के अनुसार		0.30		-	
– जोड़ें : आरक्षित पूंजी से अंतरित		-		0.35	
– घटाएं : अवमूल्यन में अंतरित		0.06		0.05	
	इति शेष		0.24		0.30
कुलः			10,833.83		10,643.83

टिप्पणी 42 का संदर्भ लें

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 3 : आस्थगित कर देयताएं (निवल)				
आस्थगित कर देयता :				
बही और आयकर के बीच मूल्यह्रास का अंतर		**1,164.91**		**1121.14**
घटाएं : आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43बी के तहत निषेध	126.70		106.16	
सेवानिवृत्ति लाभ पर	82.83		74.65	
संदिग्ध ऋण, दावों और अन्य के लिए प्रावधान	45.25		37.20	
इति शेष		**254.78**		**218.01**
योग :		**910.13**		**903.13**
टिप्पणी 4. अन्य दीर्घावधिक देयताएं				
व्यापार देय		**14.30**		**30.10**
अन्य देयताएं				
पूंजीगत व्यय के लिए देय	2.52		7.19	
अन्य	38.14		33.53	
उप योग :		**40.66**		**40.72**
योग :		**54.96**		**70.82**
टिप्पणी 5 : दीर्घावधिक के प्रावधान				
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान :				
अवकाश नकदीकरण	186.19		173.07	
सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा लाभ	7.03		5.51	
सेवा निवृत्ति लाभ	7.36		6.44	
लंबी सेवा के लिए पुरस्कार	6.86		11.53	
एन ई एफ एफ ए आर एस	10.78		12.07	
योग :		**218.22**		**208.62**
टिप्पणी 6 : व्यापार देयताएं				
व्यापार देय				
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम #		0.47		0.80
अन्य	530.65		508.37	
योग :		**531.12**		**509.17**

टिप्पणी 41 का संदर्भ लें

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 7 : अन्य चालू देनदारियां					
देय कर्मचारी लाभ			180.49		194.68
सांविधिक देनदारी					
विद्युत शुल्क और उस पर ब्याज		1,258.88		1,092.26	
जल प्रभार और उस पर ब्याज		414.60		329.15	
आय कर (टीडीएस और टीसीएस)		16.08		20.62	
अन्य		10.70		24.50	
	उप योग :		1,700.26		1,466.53
पूंजीगत व्यय के लिए लेनदार					
सूक्ष्म और लघु उद्यम #		0.07		0.05	
अन्य		447.43		628.76	
	उप योग :		447.50		628.81
ग्राहक क्रेडिट शेष और					
ग्राहकों से अग्रिम			132.01		115.79
नवीकरणीय क्रय उत्तरदायित्व # #			40.52		39.87
अन्य भुगतान			59.28		62.71
अदत्त लाभांश			4.32		37.36
योग :			2,564.38		2,545.75

टिप्पणी 41 का संदर्भ लें

टिप्पणी 37 का संदर्भ लें

टिप्पणी 8 : अल्पावधिक प्रावधान					
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान :					
उपदान		-		-	
अवकाश नकदीकरण		12.59		3.74	
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		0.26		0.20	
सेवानिवृत्ति लाभ		0.70		0.47	
लंबी सेवा पुरस्कार		3.13		0.06	
एन ई एफ एफ ए आर एस		8.77		6.54	
	उप योग :		**25.45**		**11.01**
अन्य :					
संपत्ति कर के लिए प्रावधान		1.19		0.90	
लाभांश के लिए प्रावधान		103.09		128.86	
लाभांश के लिए कर प्रावधान		17.52		21.90	
	उप योग :		**121.80**		**151.66**
योग :			**147.25**		**162.67**

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

टिप्पणी 9 : स्थायी परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2013 को	परिवर्धन / समायोजन	कटौती	31.03.2014 को	01.04.2013 को	वर्ष के दौरान	कटौती	31.03.2014 को	31.03.2014 को	31.03.2013 को
अ. मूर्त परिसंपत्तियां										
भूमि										
पूर्ण स्वामित्व वाली	73.41	0.01	-	73.42	-	-	-	-	73.42	73.41
पट्टे वाली	8.28	4.52	-	12.80	2.05	0.23	-	2.28	10.52	6.23
इमारतें	1,003.19	50.61	-	1,053.80	392.41	30.55	-	422.96	630.84	610.78
रेलवे साइडिंग	82.26	13.57	-	95.83	61.13	2.32	-	63.45	32.38	21.13
संयंत्र और उपकरण	12,653.06	598.67	(2.19)	13,249.54	6,935.04	471.67	(2.07)	7,404.64	5,844.90	5,718.02
फर्नीचर एवं फिक्स्चर	27.52	2.81	(0.14)	30.19	19.16	1.48	(0.11)	20.53	9.66	8.36
वाहन	45.80	0.84	(1.24)	45.40	28.43	3.13	(1.18)	30.38	15.02	17.37
कार्यालय उपकरण	43.25	3.83	(0.31)	46.77	29.82	3.33	(0.28)	32.87	13.90	13.43
विविध उपकरण	104.62	8.04	(1.16)	111.50	49.55	4.73	(0.94)	53.34	58.16	55.07
योग :	**14,041.39**	**682.90**	**(5.04)**	**14,719.25**	**7,517.59**	**517.44**	**(4.58)**	**8,030.45**	**6,688.80**	**6,523.80**
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां										
सॉफ्टवेयर	11.58	0.65	(0.14)	12.09	10.24	0.83	(0.11)	10.96	1.13	1.34
खनन अधिकार	107.30	4.79	-	112.09	16.56	5.71	-	22.27	89.82	90.74
लाइसेंस और फ्रैंचाइजी	14.70	-	-	14.70	1.69	0.82	-	2.51	12.19	13.01
कुल अमूर्त परिसंपत्तियां :	**133.58**	**5.44**	**(0.14)**	**138.88**	**28.49**	**7.36**	**(0.11)**	**35.74**	**103.14**	**105.09**
कुल योग :	**14,174.97**	**688.34**	**(5.18)**	**14,858.13**	**7,546.08**	**524.80**	**(4.69)**	**8,066.19**	**6,791.94**	**6,628.89**
कुल योग (पिछले वर्ष)	**13,658.62**	**522.50**	**(6.15)**	**14,174.97**	**7,046.27**	**505.51**	**(5.70)**	**7,546.08**	**6,628.89**	**6,612.35**

टिप्पणी :

1. संचयी हानि में भवनों और संरचनाओं के संचयी मूल्य में कमी 5.49 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 6.14 करोड़ रुपए) शामिल है।
2. संयंत्रों और उपस्करों में अवमूल्यन के संचयी मूल्य में सम्मिलित प्रावधान 34.20 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 37.62 करोड़ रुपए) है।
3. भवनों और संरचनाओं में अवमूल्यन में हानि प्रावधान 0.66 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 0.62 करोड़ रुपए) शामिल है।
4. संयंत्रों और उपस्करों में विमूल्यन में सम्मिलित हानि प्रावधान 3.42 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 3.42 करोड़ रुपए) शामिल है।
5. सकल ब्लाक में कंपनी के गैर–स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित पूंजी व्यय शामिल है।
   क) इमारतें 6.32 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 6.32 करोड़ रुपए), संचयी मूल्यह्रास 6.32 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 6.32 करोड़ रुपए)।
   ख) रेलवे साइडिंग 4.45 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 2.26 करोड़ रुपए), संचयी मूल्यह्रास 2.47 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 2.26 करोड़ रुपए)।
   ग) संयंत्र और उपकरण 31.40 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 16.18 करोड़ रुपए), संचयी मूल्यह्रास 17.66 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 16.18 करोड़ रुपए)।
6. 64.15 एकड़ भूमि क्षेत्र को छोड़कर, राज्य सरकार के जरिए अर्जित भूमि के फ्रीहोल्ड के लिए टाइटल डीड निष्पादित की गई है। फ्रीहोल्ड भूमि के औद्योगिक इस्तेमाल हेतु कंवर्जन की प्रक्रिया राजस्व प्राधिकारियों के साथ आरंभ कर दी गई है।
7. लीजहोल्ड भूमि में 1510.53 एकड़ भूमि शामिल है जिसके संबंध में लीज डीडस अभी निष्पादित की जानी हैं। तथापि, कंपनी को राज्य सरकार ने उक्त भूमि पर अपने प्रचालन शुरू करने की अनुमति दे दी है।
8. पवन विद्युत संयंत्र के लिए आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों में अधिग्रहीत 75.76 हेक्टेयर भूमि के लिए पट्टा विलेख (लीज डीड) अभी निष्पादित किया जाना है।
9. कोलकाता में 5.50 करोड़ रुपए मूल्य के कोलकाता नगर विकास प्राधिकरण से खरीदे गए 6459 वर्गफुट कार्यालय परिसर के संबंध में पंजीकरण की औपचारिकताएं प्रगति पर हैं।
10. इस भूमि में बॉक्साइट खानों की 2803.651 हेक्टेयर, रिफाइनरी की 43.75 एकड़ और पत्तन सुविधाओं की 240.282 वर्गगज भूमि शामिल है जिसके अभ्यर्पण के लिए आवेदन किया गया है।
11. संयंत्र और मशीनरी में लक्ष्मीपुर स्थित संयुक्त रूप से नियंत्रित परिसंपत्ति (220 केवी उपकेंद्र), कोरापुट सकल ब्लॉक 15.23 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य), संचयी मूल्यह्रास 1.48 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य) शामिल है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 10 : चालू पूंजीगत कार्य				
चालू पूंजीगत कार्य लागत #	650.56		714.86	
घटाएं : संदिग्ध वसूली	0.28		-	
उप–योग :		650.28		714.86
निर्माण सामग्रियां, ट्रांजिट में (लागत पर) सहित		52.80		200.63
आबंटन आधारित निर्माण के दौरान व्यय (टिप्पणी 10.1)		65.66		86.43
योग :		**768.74**		**1,001.92**
टिप्पणी 10.1				
निर्माण के दौरान व्यय				
आबंटन आधारित (आदि शेष)		**86.43**		**81.27**
जोड़ें : वर्ष के दौरान व्यय				
तकनीकी परामर्श शुल्क और जानकारी	4.72		6.35	
प्रारंभ एवं चालू करना	9.40		-	
अन्य व्यय	15.05		11.20	
मूल्यह्रास	0.03		0.03	
	29.20		**17.58**	
घटाएं : वर्ष के दौरान आय				
परीक्षण प्रचालन से आय	3.87		-	
वर्ष के दौरान निवल व्यय		**25.33**		**17.58**
कुल व्यय		**111.76**		**98.85**
घटाएं : स्थायी परिसंपत्तियों को आबंटन		46.10		12.42
अग्रेषित शेष		**65.66**		**86.43**

संयुक्त रूप से नियंत्रित चालू वर्ष की परिसंपत्तियां (शून्य), पिछले वर्ष 8.13 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं

टिप्पणी 11 : गैर–चालू निवेश

	इकाई '000 में		इकाई '000 में	
व्यापार निवेश और अनुद्धृत				
इक्विटी निवेश				
भुवनेश्वर स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड में इक्विटी शेयर		0.03		0.03
एक्सेल सर्विस लिमिटेड में इक्विटी शेयर		*		*
संयुक्त उद्यम में निवेश (टिप्पणी 36 का संदर्भ लें) (10/–रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले)				
अनगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि. में इक्विटी शेयर	990	0.99	990	0.99
एनपीसीआईएल – नालको पावर कंपनी लिमिटेड	26	0.02	26	0.02
अन्य निवेश एवं उद्धृत				
म्यूचुअल फंड में निवेश				
(10/–रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले)				
एसडीएफएस 14 माह –सीरीज–1	-	-	15,000	15.00
एलआईसी नोमुरा एफएमपी सीरीज 56–18 माह वृद्धि	-	-	45,000	45.00
यूटीआई – एफटीआईएफ सीरीज XIV-VIII - 371 दिन की प्रत्यक्ष वृद्धि योजना	-	-	100,000	100.00
योग :		**1.04**		**161.04**
उद्धृत निवेश की कुल राशि		-		160.00
उद्धृत निवेश के बाजार मूल्य की कुल राशि		-		160.92
अनुद्धृत निवेश की कुल राशि		1.04		1.04

* राशि एक लाख रुपए से कम है

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 12 : दीर्घावधिक के ऋण और अग्रिम					
पूंजी अग्रिम					
असुरक्षित शोध्य #		278.06		303.30	
संदिग्ध		0.26		0.26	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		0.26		0.26	
	उप–योग :		**278.06**		**303.30**
अन्य ऋण और अग्रिम					
कर्मचारियों को ऋण					
सुरक्षित, शोध्य		64.14		50.80	
असुरक्षित, शोध्य		43.87		50.58	
	उप–योग :		**108.01**		**101.38**
अन्य को ऋण					
सुरक्षित, शोध्य			**0.21**		**0.08**
जमा (विवादित, असुरक्षित, शोध्य)					
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, पोर्ट ट्रस्ट आदि		15.47		19.14	
प्रावधान घटाते हुए अग्रिम कर सहित आयकर प्राधिकारी	181.12		182.32		
अन्य सरकारी प्राधिकारी		233.15		233.19	
अन्य	4.84		6.37		
		434.58		**441.02**	
जमा (विवादित, असुरक्षित, शोध्य)					
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, रेलवे, पोर्ट ट्रस्ट आदि		183.37		206.65	
आयकर प्राधिकारी		513.04		421.61	
		696.41		**628.26**	
जमा (विवादित, असुरक्षित, शोध्य)					
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, रेलवे, पोर्ट ट्रस्ट आदि		0.24		0.24	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		0.24		0.24	
		-		-	
	उप–योग :		**1,130.99**		**1,069.28**
	योग :		**1,517.27**		**1,474.04**

कंपनी ने गुजरात राज्य में जीएमडीसी द्वारा बॉक्साइट की आपूर्ति के साथ रिफाइनरी और एल्यूमिनियम स्मेलटर की स्थापना हेतु नई परियोजना के लिए बोली लगाते समय अग्रिम भुगतान के तौर पर गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड (जीएमडीसी) को 151/–करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

टिप्पणी 13 : अन्य गैर–चालू संपत्तियां					
दीर्घावधिक की व्यापार प्राप्तियां					
संदिग्ध		38.95		38.95	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		38.95		38.95	
	उप–योग :		-		-
ब्याज पर अर्जित					
कर्मचारियों को ऋण पर प्रोदभूत ब्याज					
सुरक्षित, शोध्य		35.67		33.54	
असुरक्षित शोध्य		7.61		2.95	
	उप–योग :		**43.28**		**36.49**
अन्य को ऋण					
सुरक्षित शोध्य		0.04		*	
	उप–योग :		0.04		*
योग :			43.32		36.49

* राशि एक लाख रुपए से कम है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 14 : चालू निवेश	इकाई '000 में		इकाई '000 में	
(तुलनपत्र की तिथि 12 माह से कम की परिपक्वता के साथ दीर्घावधिक निवेश)				
एसबीआई एसडीएफएस–14 माह–सीरीज–1 –प्रत्यक्ष–वृद्धि	15,000	15.00		
एलआईसी एफएमपी सीरीज–56–18 माह–वृद्धि योजना	45,000	45.00		
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज–XIV-VIII (371 दिन)	100,000	100.00		
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज–XI- प्लान - VIII			75,000	75.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज–XI- प्लान - IX			40,000	40.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज–XI- प्लान -X			50,000	50.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज–XII- प्लान -I			80,000	80.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज–XII- प्लान -II			5,000	5.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज–XII- प्लान - IV			50,000	50.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज–XII- प्लान - IX			20,000	20.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज–III- वार्षिक अंतराल योजना –खुदरा विकल्प–वृद्धि			26,471	40.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज–XIV-II–366 दिन प्रत्यक्ष वृद्धि योजना–यू2–जी1			40,000	40.00
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन – सीरीज 1			150,000	150.00
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन – सीरीज 2			25,000	25.00
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन – सीरीज 3			75,000	75.00
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन – सीरीज 4			20,000	20.00
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन – सीरीज 5			75,000	75.00
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन – सीरीज 6			35,000	35.00
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन – सीरीज 8			30,000	30.00
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन – सीरीज 11			20,000	20.00
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन – सीरीज 12			25,000	25.00
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन – सीरीज 15			20,000	20.00
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन – सीरीज 18			50,000	50.00
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन – सीरीज–22			60,000	60.00
आईडीबीआई – एफएमपी सीरीज– III 367 दिन – ए			25,000	25.00
आईडीबीआई – एफएमपी सीरीज– III 367 दिन – ए			25,000	25.00
एलआईसीएन – एफएमपी सीरीज–52–367 दिन वृद्धि योजना–वी2			50,000	50.00
एलआईसीएन – इंटरवल फंड वार्षिक योजना सीरीज–1			14,000	14.00
एलआईसीएन– एफएमपी सीरीज 53–367 दिन– वृद्धि			25,000	25.00
एलआईसीएन– इंटरवल फंड तिमाही योजना सीरीज–1			10,000	10.00
एलआईसीएन– एफएमपी सीरीज 54–375 दिन–प्रत्यक्ष योजना– वी4– जी1			45,000	45.00
एलआईसीएन– एफएमपी सीरीज 61–365 दिन–प्रत्यक्ष वृद्धि योजना– एस1– जी1			30,000	30.00
यूनियन केबीसी			10,000	10.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XV योजना –I (368 दिन)	75,000	75.00		
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XV योजना –II (367 दिन)	40,000	40.00		
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XV योजना –III (366 दिन)	35,000	35.00		
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XV योजना –IV (368 दिन)	75,000	75.00		
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XV योजना –V (366 दिन)	75,000	75.00		
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XV योजना –VII (369 दिन)	50,000	50.00		
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XV योजना –IX (366 दिन)	50,000	50.00		
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII योजना –III (367 दिन)	30,000	30.00		
एसबीआई एसडीएफएस–366 दिन –सीरीज – 28 – प्रत्यक्ष – वृद्धि	150,000	150.00		
एसबीआई एसडीएफएस –366 दिन –सीरीज – 29 – प्रत्यक्ष – वृद्धि	75,000	75.00		
एसबीआई एसडीएफएस – 366 दिन –सीरीज – 30 – प्रत्यक्ष – वृद्धि	50,000	50.00		
एसबीआई एसडीएफएस – 366 दिन –सीरीज – 31 – प्रत्यक्ष – वृद्धि	50,000	50.00		
एसबीआई एसडीएफएस – 366 दिन –सीरीज – 32 – प्रत्यक्ष – वृद्धि	50,000	50.00		
आईडीबीआई एफएमपी सीरीज–III 366 दिन – जी प्रत्यक्ष योजना	20,000	20.00		
एलआईसी एफएमपी सीरीज–62–456 दिन	25,000	25.00		
एलआईसी इंटरवल फंड वार्षिक योजना सीरीज–1 वार्षिक वृद्धि योजना	10,200	15.00		
(अंकित मूल्य 14.7058 रुपए प्रत्येक)				
एलआईसी एफएमपी सीरीज–55–375 दिन – वृद्धि योजना	30,000	30.00		
एलआईसी एफएमपी सीरीज–66–371 दिन – वृद्धि योजना	50,000	50.00		
यूनियन केबीसी एफएमपी सीरीज–7 वृद्धि– प्रत्यक्ष योजना	14,000	14.00		
बीओआई एएक्सए एफएमपी सीरीज 6 (370 दिन)	15,000	15.00		
म्यूचुअल फंड्स में निवेश (अंकित मूल्य 1000.600 रुपए प्रत्येक				
एसबीआई म्यूचुअल फंड लिक्विड	1,100	110.02		
बीओआई एएक्सए लिक्विड फंड प्रत्यक्ष योजना – लाभांश – एलएफ– डीडी				
(अंकित मूल्य 1003.5439 रुपए प्रत्येक)	149	15.00		
केनरा रोबेको लिक्विड प्रत्यक्ष दैनिक लाभांश (अंकित मूल्य 1005.5000 रुपए प्रत्येक)	149	15.00		
आईडीबीआई लिक्विड फंड प्रत्यक्ष योजना दैनिक लाभांश				
(अंकित मूल्य 1001.0209 रुपए प्रत्येक)	400	40.00		

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 14 : चालू निवेश					
एसबीआई पीएलएफ–प्रत्यक्ष योजना दैनिक लाभांश (अंकित मूल्य ₹1003.2500 प्रत्येक)		199	20.00		
यूनियन केबीसी लिक्विड फंड दैनिक लाभांश (अंकित मूल्य ₹1000.6506 प्रत्येक)		200	20.00		
योग			1,244.00		1,329.02
उद्धत निवेश की कुल राशि			1,244.00		1,329.02
उद्‍धृत निवेश बाजार मूल्य की औसत राशि			1,323.69		1,410.73
टिप्पणी 15 : माल सूचियां					
कच्चा माल		53.40 94.23			
जोड़ें : मार्गस्थ		39.15		38.83	
	उप–योग	92.55		**133.06**	
घटाएं : मार्गस्थ सामग्री के लिए प्रावधान		0.27		-	
			92.28		**133.06**
चल रहे कार्य		198.15		186.29	
मध्यस्थ उत्पाद		118.53		115.58	
तैयार माल		133.35		202.84	
			450.03		**504.71**
भंडार और कलपुर्जे		440.78		442.74	
जोड़ें : मार्गस्थ		40.42		69.45	
			481.20		**512.19**
कोयला एवं इधन तेल		121.10		191.21	
जोड़ें : मार्गस्थ		29.05		39.47	
			150.15		**230.68**
योग :			**1,173.66**		**1,380.64**
टिप्पणी 16 : व्यापार प्राप्य					
असुरक्षित, शोध्य					
– देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया		6.99		2.15	
– अन्य		236.58		146.50	
योग :			**243.57**		**148.65**
टिप्पणी 17 : नकद और बैंक शेष					
नकद और नकद समतुल्य					
बैंकों में शेष					
चालू खाते में		101.09		112.70	
टिकटों सहित नकद राशि हाथ में		0.21		0.19	
	उप–योग :		**101.30**		**112.89**
अन्य बैंक शेष					
अदत्त लाभांश खाता*		4.32		37.36	
3 माह से अधिक परंतु 12 माह से कम परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा		3,270.00		2,783.00	
कोर्ट आदेश के अनुसार सावधि जमा #		515.02		469.26	
कोर्ट आदेश के अनुसार निलंब जमा #			157.65		101.87
	उप–योग :		**3,946.99**		**3,391.49**
योग :			**4,048.29**		**3,504.38**

* निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा करने के लिए वर्तमान वर्ष के अंत में देय राशि (शून्य) (पिछले वर्ष शून्य)।

कोर्ट आदेश के अनुसार विवादित बिजली शुल्क के लिए **672.67 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **571.13 करोड़ रुपए**) सम्मिलित। इस राशि में सकल टीडीएस की सावधि जमा में पुनः निवेशित ब्याज शामिल है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 18 : अल्पावधि ऋण और अग्रिम					
अन्य ऋण और अग्रिम					
सुरक्षित, शोध्य					
– कर्मचारियों को ऋण		**15.64**		**11.79**	
– अन्य को ऋण		**0.08**		**-**	
	उप–योग :		**15.72**		**11.79**
असुरक्षित, शोध्य					
– कर्मचारियों को ऋण		19.33		12.36	
– कर्मचारियों को अग्रिम		52.84		81.65	
– वेन्डरों को अग्रिम		82.95		120.36	
– वैट क्रेडिट प्राप्ति योग्य		12.90		12.27	
– सेनवैट क्रेडिट प्राप्य		193.22		137.51	
– सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और रेलवे प्राधिकरण से प्राप्ति योग्य दावे		6.67		3.06	
– पूर्व भुगतान व्यय			3.71		4.13
– अन्य		94.04		90.63	
	उप–योग :		**465.66**		**461.97**
असुरक्षित, संदिग्ध					
– कर्मचारियों को अग्रिम		0.01		0.01	
– विक्रेताओं को अग्रिम		2.43		2.33	
– वैट क्रेडिट प्राप्य		56.06		25.07	
– सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और रेलवे प्राधिकरण से प्राप्य दावे		0.70		1.15	
– अन्य		2.85		3.52	
		62.05		32.08	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		62.05		32.08	
	उप–योग :		-		-
योग :			**481.38**		**473.76**
टिप्पणी : 19. अन्य चालू परिसंपत्तियां					
प्रोदभूत ब्याज					
असुरक्षित शोध्य					
बैंक जमा		158.25		125.47	
कर्मचारियों को ऋण		0.20		0.54	
अन्य ऋण और अग्रिम		0.22		0.16	
		158.67		126.17	
असुरक्षित, शोध्य					
कर्मचारियों को ऋण		3.88		3.56	
	उप–योग :		**162.55**		**129.73**
निर्यात प्रोत्साहन दावे		**36.53**		**34.15**	
नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन			**7.78**		**-**
जमा सोने के सिक्के		**0.06**		**0.06**	
गैर–व्यापार प्राप्तियां					
असुरक्षित, शोध्य		0.79		0.98	
असुरक्षित, संदिग्ध		0.38		0.14	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		0.38		0.14	
	उप–योग :		**0.79**		**0.98**
बीमा दावे		13.10		11.01	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		8.92		7.73	
	उप–योग :		**4.18**		**3.28**
स्कैप्स और गैर सर्विस योग्य सामग्री		23.36		25.21	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		0.41		0.16	
	उप–योग :		**22.95**		**25.05**
निपटान की प्रतीक्षा में स्थायी परिसंपत्तियां		4.83		4.86	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		4.37		4.33	
	उप–योग :		**0.46**		**0.53**
योग :			**235.30**		**193.78**

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
टिप्पणी 20 : प्रावधान नहीं की गई आकस्मिक देयताएं		
कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया :		
1. बिक्री कर	438.02	534.81
2. उत्पाद शुल्क	142.55	169.17
3. सीमा शुल्क	7.99	0.92
4. सेवा कर	1.62	-
5. ठेकेदार के आपूर्तिकर्ता व अन्य के दावे	114.06	185.83
6. भूमि अधिग्रहण और उस पर ब्याज	50.73	49.30
7. आयकर	817.55	486.19
8. प्रवेश कर और रोड कर	186.01	147.92
9. कर्मचारी राज्य बीमा	0.32	0.32
10. भविष्य निधि आयुक्त	0.08	0.08
11. रॉयल्टी	0.48	0.48
12. स्टाम्प ड्यूटी	211.64	-
13. खनन पट्टे के अधीन एनपीवी और संबंधित व्यय	106.04	106.71
योग :	2,077.09	1,681.73

टिप्पणी 21 : पूंजी एवं अन्य प्रतिबद्धताएं		
क) पूंजी प्रतिबद्धताएं		
पूंजी खाते में अनुबंध की अनुमानित राशि जो शेष कार्य के निष्पादन के लिए नहीं है।	357.15	556.16
ख) अन्य प्रतिबद्धताएं		
कंपनी ने भारत सरकार की निर्यात प्रोत्साहन पूंजी वस्तु योजना (ईपीसीजी) के तहत मात्रा निर्यात पूरा करने की योजना के अंतर्गत रियायती शुल्क दरों पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया है। योजना के तहत मात्रात्मक निर्यात को पूरा करने के लिए 53.34 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 105.06 करोड़ रुपए) के शुल्क की बचत हुई।	423.84	1,017.65
योग :	780.99	1,573.81

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 22 : प्रचालनों से राजस्व				
उत्पादों की बिक्री				
(i) निर्यात :				
एल्यूमिना	2,480.75		1,686.91	
एल्यूमिनियम	1,238.52		1,723.58	
	3,719.27		3,410.49	
(ii) घरेलू :				
एल्यूमिना	85.59		109.05	
एल्यूमिनियम	3,168.24		3,718.40	
बिजली	51.17		9.23	
	3,305.00		3,836.68	
कारोबार (सकल)	**7,024.27**		**7,247.17**	
(iii) घटाएं : उत्पाद कर				
एल्यूमिना	9.53		12.13	
एल्यूमिनियम	365.94		425.59	
	375.47		**437.72**	
उप–योग : कारोबार (निवल)		**6,648.80**		**6,809.45**
अन्य प्रचालन राजस्व				
(i) निर्यात प्रोत्साहन				
एल्यूमिना	77.91		70.32	
एल्यूमिनियम	22.01		33.40	
	99.92		103.72	
(ii) स्वयं विनिर्मित वस्तुओं का आंतरिक	25.69		-	
(ii) रूप से उपयोग/ पूंजीकरण	6.44		3.31	
उप–योग :		**132.05**		**107.03**
योग :		**6,780.85**		**6,916.48**
टिप्पणी 23 : अन्य आय				
ब्याज आय :				
बैंक जमा*	356.62		378.58	
कर्मचारियों को ऋण	11.11		6.32	
आयकर वापसी	-		6.60	
अन्य	1.15		3.53	
उप–योग :		**368.88**		**395.03**
निवेश पर आय :				
निवल लाभ/(हानि)				
लाभांश योजना में निवेश	7.33		11.01	
अल्पावधिक निवेश	0.68		4.55	
दीर्घावधिक निवेश	114.47		57.54	
उप–योग :		**122.48**		**73.10**
विदेशी मुद्रा परिवर्तन एवं लेनदेन पर निवल लाभ /(हानि)	**1.46**		**6.60**	
जनरल स्क्रैप आय		**16.72**		**19.30**
विविध आय		**20.22**		**18.09**
पूर्ववर्ती वर्षों से जुड़ा समायोजन	**27.95**		**(1.07)**	
योग :		**557.71**		**511.05**

*स्रोत पर आयकर कटौती 36.68 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 36.49 करोड़ रुपए) सहित

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े			पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		
पणी 24 : खपत की गई सामग्री की लागत						
कच्चा माल	मात्रा (एमटी)			मात्रा (एमटी)		
कास्टिक सोडा	188,279	571.46		157,674	467.44	
सी पी कोक	116,989	268.02		156,163	393.07	
सी टी पिच	27,621	107.18		37,445	163.66	
एल्यूमिनियम फ्लोराइड	5,606	45.99		7,463	71.51	
चूना	60,660	42.68		57,946	40.40	
अन्य		27.83			31.75	
योग :			**1,063.16**			**1,167.83**
टिप्पणी 25 : विद्युत एवं ईंधन						
कोयला			1,139.49			1,325.54
ईंधन तेल		739.25			809.65	
स्व–उत्पादन पर शुल्क		113.42			135.71	
खरीदी गई विद्युत		4.12			152.84	
विद्युत पारेषण शुल्क		6.51			4.34	
उप–योग :		2,002.79			2,428.08	
पिछले वर्षों का समायोजन		14.88			4.19	
योग :			**2,017.67**			**2,432.27**
टिप्पणी 26 : तैयार माल, मध्यस्थ, और चल रहे कार्यों की माल सूचियों में परिवर्तन						
तैयार माल						
शुरूआती स्टॉक	बेसिक	उत्पाद कर * सम्मिलित		बेसिक	उत्पाद कर सम्मिलित	
बॉक्साइट	8.92	-		14.96	-	
रसायन	129.46	5.14		94.33	2.79	
एल्यूमिनियम	51.46	7.86		48.90	8.65	
	189.84	13.00		158.19	11.44	
घटाएं : अंतिम स्टॉक						
बॉक्साइट	8.62	-		8.92	-	
रसायन	97.84	1.90		129.46	5.14	
एल्यूमिनियम	21.79	3.20		51.46	7.86	
	128.25	5.10		189.84	13.00	
(अनुवृद्धि) / कमी / निवल	61.59	7.90	**69.49**	(31.65)	(1.56)	**(33.21)**
(अनुवृद्धि) / कमी – (क)			**69.49**			**(33.21)**
मध्यस्थ						
शुरूआती स्टॉक						
एनोड्स	112.41			88.44		
अन्य	3.17			16.04		
	115.58			104.48		
घटाएं : अंतिम स्टॉक						
एनोड्स	114.50			112.41		
अन्य	4.03			3.17		
	118.53			115.58		
(अनुवृद्धि) / कमी / निवल	(2.95)		**(2.95)**	(11.10)		**(11.10)**
(अनुवृद्धि) / कमी – (ख)			**(2.95)**			**(11.10)**
चल रहे कार्य						
शुरूआती स्टॉक	186.29			166.35		
घटाएं : अंतिम स्टॉक	198.15			186.29		
(अनुवृद्धि) / कमी	(11.86)		**(11.86)**	(19.94)		**(19.94)**
परीक्षण प्रचालन से अंतरण			**3.87**			-
निवल(अनुवृद्धि) / कमी– (ग)			**(7.99)**			**(19.94)**
योग (क+ख+ग) :			**58.55**			**(64.25)**

* उत्पाद शुल्क केवल घरेलू बिक्री के लिए धारित स्टॉक पर शामिल।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 27 : कर्मचारी लाभ व्यय				
वेतन और मजदूरी 1,034.09919.53				
भविष्य, पेंशन और उपदान निधि के लिए अंशदान	161.07		190.30	
कर्मचारी कल्याण व्यय	50.17		44.10	
योग :		**1,245.33**		**1,153.93**

ऊपर टिप्पणी 27 : में दीर्घावधि कर्मचारी लाभ दायित्व (एएस–15 के अनुरूप)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति लाभ	एनई एफ एफ आर योजना	लंबी सेवा ईनाम
तुलनपत्र में स्वीकृत राशि :						
दायित्व का वर्तमान मूल्य	**272.52**	**198.78**	**7.30**	**8.05**	**19.56**	**9.99**
	273.92	176.81	5.71	6.91	18.61	11.59
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	**277.91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	270.96	-	-	-	-	-
वित्त स्थिति अधिक /(कम)	**5.39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	(2.96)	-	-	-	-	-
स्वीकृत निवल देयता	**(5.39)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	2.96	-	-	-	-	-
लाभ और हानि खाते में स्वीकृत राशिः						
वर्तमान सेवा लागत	**24.02**	**52.66**	**-**	**-**	**-**	**0.56**
	20.86	45.75	-	-	-	0.58
ब्याज लागत	**23.26**	**12.58**	**0.44**	**0.58**	**-**	**0.85**
	20.33	*11.78*	*0.63*	*0.93*	-	*0.96*
योजना परिसंपत्ति पर प्रत्याशित लाभ	**23.71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	20.55	-	-	-	-	-
निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**(32.47)**	**23.03**	**2.67**	**1.09**	**0.95**	**0.68**
	(13.55)	*12.91*	*(2.14)*	*(5.32)*	*(4.61)*	*1.50*
स्वीकृत व्यय	**(8.90)**	**88.27**	**3.11**	**1.67**	**0.95**	**2.09**
	7.09	*70.44*	*(1.51)*	*(4.39)*	*(4.61)*	*3.04*
तुलनपत्र में स्वीकृत निवल देयता में उतार–चढ़ाव						
प्रारम्भिक सकल देनदारी	**(3.53)**	**176.81**	**5.71**	**6.91**	**18.61**	**11.59**
	5.22	*188.12*	*8.53*	*11.79*	*23.22*	*15.29*
स्वीकृत व्यय	**(8.90)**	**88.27**	**3.11**	**1.67**	**0.95**	**2.09**
	7.09	*70.44*	*(1.51)*	*(4.39)*	*(4.61)*	*3.04*
भुगतान किए गए लाभ	**16.21**	**66.30**	**1.52**	**0.53**	**-**	**3.69**
	15.84	*81.75*	*1.31*	*0.49*	-	*6.74*
योगदान	**-**	**-**	**-**	**-**	**- -**	**-**
	-	-	-	-	- -	-
अंतिम निवल देयता	**(28.64)**	**198.78**	**7.30**	**8.05**	**19.56**	**9.99**
	(3.53)	*176.81*	*5.71*	*6.91*	*18.61*	*11.59*

टिप्पणी :

1. इटैलिक्स में दिए गए आंकड़े पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित हैं।
2. उपदान, रोजगार उपरांत वित्तपोषित निर्धारित कर्मचारी लाभ योजना है।
3. अन्य लाभ गैर वित्तपोषित निर्धारित कर्मचारी लाभ योजना है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
टिप्पणी 27 : कर्मचारी लाभ व्यय		
क. बीमांकिक अनुमान		
मृत्यु दर सारणी (एलआईसी)	एलआईसी *1994-1996*	एलआईसी *1994-1996*
छूट दर	8.75%	8.00%
योजना परिसंपत्तियों पर लाभ	8.75%	8.00%
वेतन में वृद्धि की दर	6.00%	5.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60 Years	60 Years

भविष्य में वेतन वृद्धियों के अनुमानों को बीमांकिक मूल्यांकन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों जैसे कि रोजगार बाजार में मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखकर विचार किया गया है। इसके अलावा योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वापसी का निर्धारण कई लागू कारकों, जिनमें मुख्यतः धारित योजना परिसंपत्तियों का संयोजन, परिसंपत्ति प्रबंधन का मूल्यांकित जोखिम और योजनागत परिसंपत्तियों से ऐतिहासिक लाभ शामिल है, के आधार पर किया जाता है।

ख. योजनागत परिसंपत्तियों का निवेश विवरण

	करोड़ रुपए में	प्रतिशत	करोड़ रुपए में	प्रतिशत
बीमित प्रबंधित निधि	277.79	99.96	270.93	99.99
अन्य	0.12	0.04	0.03	0.01
योग :	**277.91**	**100.00%**	**270.96**	**100.00%**
ग. योजना संपत्तियों पर वास्तविक लाभ	**23.09 करोड़ रुपए**		**24.39 करोड़ रुपए**	

घ. **विभिन्न निर्धारित लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है :**

(i) **भविष्य निधि** : कंपनी एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है, जो इसे अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। अंशदान पर ट्रस्ट को सदस्यों को भारत सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम दर पर ब्याज का भुगतान करना होता है। जहां निवेश पर लाभ कम होने या किसी अन्य कारण से ट्रस्ट घोषित दर पर ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ होता है वहां इस कमी को कंपनी द्वारा पूरा किया जाएगा।

(ii) **पेंशन कोष** : कंपनी पीएफआरडीए के ट्रस्टी बैंक को नियत अंशदान का भुगतान करती है, जो इस राशि को संबंधित कर्मचारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट बीमाकर्ता के पास निवेश करता है। कंपनी की जिम्मेदारी केवल नियत अंशदान तक ही सीमित होती है।

(iii) **उपदान** : उपदान का भुगतान अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों को अधिकतम 10,00,000/–रुपए की ग्रेच्युटी (उपदान) का भुगतान किया जाता है। उपदान का वित्तपोषण कंपी द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। उपदान योजना के तहत देयताएं निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत होती हैं।

(iv) **सेवानिवृत्त उपरांत चिकित्सा लाभ** : ये लाभ ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को उपलब्ध होते हैं जिन्होंने इस लाभ के विकल्प का चयन किया है। अंतरंग रोगी के रूप में चिकित्सीय उपचार कंपनी के अस्पताल/सरकारी अस्पताल/कंपनी द्वारा अधिसूचित अस्पतालों में उपलब्ध होता है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के विषयाधीन बहिरंग रोगी के तौर पर भी अपना इलाज करवा सकते हैं। इस योजना के तहत दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

(v) **सेवानिवृत्ति लाभ** : कर्मचारियों की अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति/सेवाकाल समाप्ति पर कर्मचारी या परिवार अंतिम मुख्यालय से गृह नगर या किसी अन्य पुनर्वास स्थान के लिए कंपनी द्वारा यथा निर्धारित यात्रा भत्ता (टीए नियमों के तहत) के हकदार होते हैं। इसके तहत दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

(vi) **लंबी सेवा का पुरस्कार** : जो कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं वे लंबी सेवा पुरस्कार के हकदार होते हैं जो कि एक माह के मूल वेतन के बराबर होता है। इसके तहत दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

(vii) **एन ई एफ एफ ए आर एस** : अशक्तता/मृत्यु के मामले में कंपनी कर्मचारी/वैधानिक हकदार को उनके विकल्प के अनुसार मासिक लाभ प्रदान करती है और एक निर्धारित राशि योजना के तहत निर्धारित किए अनुसार सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक जमा कराती है। इसे तहत दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

(viii) **अवकाश नकदीकरण** : संचित अर्जित अवकाश, अर्द्ध वेतन अवकाश और बीमारी के लिए निर्धारित अवकाश से जुड़े लाभ कंपनी से अलग होने पर देय होते हैं जो कि कंपनी के अवकाश नियमानुसार अधिकतम निर्धारित सीमा के विषयाधीन प्रदान किया जाता है। सेवा की अवधि के दौरान संचित छुट्टियों का नकदीकरण भी कंपनी के नियमों के अनुसार अनुमत है। इसके तहत दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

टिप्पणी 28 : वित्त लागत

ब्याज व्यय				
अल्पावधि ऋणों पर ब्याज	-		2.14	
विदेशी मुद्रा लेनदेन और परिवर्तन पर लागू निवल (लाभ)/हानि				
ब्याज लागत का समायोजन	-		5.31	
योग :		-		**7.45**

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 29 : मूल्यह्रास और परिशोधन					
वर्तमान वर्ष के लिए मूल्यह्रास		524.80		493.52	
घटाएं : पूंजी खाते में अंतरित		0.03		0.03	
घटाएं : सब्सिडी रिजर्व से अंतरित		0.04		0.05	
	उप–योग :	524.73		493.44	
पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित समायोजन		-		11.99	
योग :			**524.73**		**505.43**
टिप्पणी 30 : अन्य व्यय					
मरम्मत और रखरखाव					
भवन मरम्मत		34.39		37.37	
संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत		119.50		123.06	
अन्य मरम्मत		16.69		12.56	
	उप–योग :		**170.58**		**172.99**
स्टोर और कलपुर्जों आदि की खपत					
स्टोर और स्पेयर*		354.33		272.59	
उपभोज्य		119.05		109.40	
	उप–योग :		**473.38**		**381.99**
अन्य विनिर्माण व्यय					
रॉयल्टी और उपकर		80.33		67.70	
जल प्रभार		20.59		23.80	
अन्य		21.34		42.89	
	उप–योग :		**122.26**		**134.39**
फ्रेट और अग्रेषण व्यय					
आवक सामग्री 68.67			80.75		
जावक सामग्री 122.52			105.83		
	उप–योग :		**191.19**		**186.58**
किराया			**3.38**		**2.32**
दरें और कर			**4.64**		**3.05**
बीमा		**7.74**		**5.76**	
लेखापरीक्षकों के लिए भुगतान					
लेखा परीक्षकों के रूप में			0.16		0.16
कराधान के मामलों के लिए		0.03		0.03	
कंपनी कानून के मामलों के लिए		0.13		0.12	
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए		0.15		0.11	
	उप–योग :		**0.47**		**0.42**
लागत लेखा परीक्षकों को भुगतान			**0.02**		**0.02**
सुरक्षा और अग्निशमन व्यय			**74.63**		**69.82**
सीएसआर व्यय			**29.00**		**30.99**
विविध					
प्रशासनिक और सामान्य व्यय		93.27		93.47	
विवादित सरकारी और अन्य देयों पर ब्याज		202.62		168.50	
बिक्री और वितरण व्यय		21.61		20.58	
माल सूचियों, दावों इत्यादि को बट्टे खाते डालना		19.45		13.85	
अन्य		32.34		24.99	
प्रावधान		14.36		13.84	
	उप–योग :		**383.65**		**335.23**
पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित समायोजन			**1.00**		**(3.73)**
योग :			**1,461.94**		**1,319.83**

*मरम्मत और रखरखाव में सम्मिलित नहीं हैं।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 31 : असाधारण मदें				
कर्मचारी लाभ व्यय*		49.37		-
योग :				-

गैर–कार्यकारी कर्मचारियों संबंधी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम (पी एल आई एस) तथा सभी कर्मचारियों के संबंध में पूर्वव्यापी रूप से पेंशन स्कीम को अंशदान की प्रतिशतता की समीक्षा करने पर विगत अवधियों से संबंधित 49.37 करोड़ रुपए को विशिष्ट मद माना गया है।

टिप्पणी 32 : विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय

व्यावसायिक और परामर्श शुल्क	8.11		8.55	
अन्य व्यय	0.37		0.83	
योग :		**8.48**		**9.38**

टिप्पणी 33 : विदेशी मुद्रा में आय

एफ ओ बी का आधार पर परिकलित वस्तुओं का निर्यात	3,615.31		3,376.35	
अन्य आय (डिस्पैच दावा राशि)	1.89		1.15	
योग :		**3,617.20**		**3,377.50**

टिप्पणी 34 : सी आई एफ आधार पर परिकलित आयात का मूल्य

कच्चा माल	201.79		129.83	
कोयला	204.68		266.73	
घटक और कल पुर्जे	79.10		79.63	
पूंजीगत माल	29.35		68.57	
योग :		**514.92**		**544.76**

टिप्पणी 35 : वर्ष के दौरान उपभुक्त कच्चे माल, कल पुर्जों और घटकों का मूल्य

	मूल्य	प्रतिशत	मूल्य	प्रतिशत
क) कच्चा माल				
आयातित	230.46	21.68	152.19	13.03
स्वदेशी	832.70	78.32	1,015.64	86.97
योग :	**1,063.16**	**100.00**	**1,167.83**	**100.00**
ख) कलपुर्जे और घटक				
आयातित	139.29	29.42	105.77	27.69
स्वदेशी	334.09	70.58	276.22	72.31
योग :	**473.38**	**100.00**	**381.99**	**100.00**

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

टिप्पणी 36 : संयुक्त उद्यम

इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी लेखाकरण मानक–27 के अनुपालन के अनुसार संयुक्त उद्यमों में हिस्से से संबंधित प्रकटन नीचे दिए गए अनुसार हैं :

क) नाम, निगमन के देश और स्वामित्व हिस्सेदारी का ब्यौरा

संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात	
		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
i) एन पी सी आई एल –नालको पावर कंपनी लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
ii) अनगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	भारत	49.50%	49.50%

ख) लेखा के अनुसार संयुक्त उद्यमों में कंपनी की हिस्सेदारी की कुल राशि नीचे दिए गए अनुसार है

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
i) एन पी सी आई एल – नालको पावर कंपनी लिमिटेड		
इक्विटी और देयताएं		
शेयरधारक निधि	0 .01	0 .01
गैर–चालू देयताएं	-	-
चालू देयताएं	*	0 .01
परिसंपत्तियां		
गैर–चालू परिसंपत्तियां	-	-
चालू परिसंपत्तियां	0.02	0.03
आय	*	-
व्यय	*	0.01
ii) अनगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड		
इक्विटी और देयताएं		
शेयरधारक निधि		1.02
गैर–चालू देयताएं		-
चालू देयताएं		*
परिसंपत्तियां		
गैर–चालू परिसंपत्तियां		0.16
चालू परिसंपत्तियां		0.86
आय		0.05
व्यय		*

* राशि एक लाख से कम है।

टिप्पणी : चालू वित्त वर्ष के संबंध में अनगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड के लेखा अभी प्राप्त होने हैं।

टिप्पणी संख्या 37 : नवीकरणीय क्रय दायित्व (आर पी ओ)

ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग (ओ ई आर सी) की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुरूप, नालको पर एक दायित्वपूर्ण संस्था होने के नाते इसकी कुल खपत की 6 प्रतिशत (पिछले वर्ष 5.5 प्रतिशत) विद्युत नवीकरणीय स्रोतों से पैदा करने का दायित्व है जिसमें 4.20 प्रतिशत (पिछले वर्ष 3.95 प्रतिशत) सह–उत्पादन से 0.20 प्रतिशत (पिछले वर्ष 0.15 प्रतिशत) सौर नवीकरणीय स्रोत और 1.60 प्रतिशत (पिछले वर्ष 1.40 प्रतिशत) गैर सौर नवीकरणीय स्रोत से सम्मिलित है।

क) कंपनी ने रिफाइनरी यूनिट में स्टीम एंड पावर प्लांट से विद्युत के सह–उत्पादन के लिए वर्ष 2013–14 के लिए इसकी सह–उत्पादन की अपेक्षा को पूरा किया है।

ख) गंडिकोटा (आंध्र प्रदेश) और जैसलमेर (राजस्थान) में पवन विद्युत के पूर्ण प्रारंभ और सृजन पर कंपनी ने चालू वर्ष के अपने गैर–सौर दायित्व (पवन विद्युत के सृजन के माध्यम से) पूर्ण रूप से और पिछले वर्ष के आंशिक दायित्व को पूरा कर दिया है। 1,03,656 गैर–सौर आरईसी के लिए 31.03. 2014 को संचयी गैर–सौर आरईसी दायित्व 15.54 करोड़ रुपए है।

ग) सौर नवीकरणीय स्रोत से विद्युत पैदा करने का दायित्व पूरा न कर पाने के कारण कंपनी ने 31.3.2014 तक 26,855 सौर आरईसी के लिए 24.98 करोड़ रुपए की संचयी देयता उपलब्ध कराई है।

टिप्पणी संख्या 38 : विद्युत शुल्क

माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांक 6 मई, 2010 के निर्णय (2001 का ओजेसी संख्या 966) के अनुसार विद्युत शुल्क एक खपत आधारित लेवी है। उत्पादन बिन्दु से खपत बिन्दु तक पारेषण के दौरान हुई विद्युत की क्षति विद्युत शुल्क की लेवी के अधीन नहीं है।

कैप्टिव विद्युत संयंत्र, अनगुल और रिफाइनरी स्थित स्टीम एंड पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत में से खपत की गई विद्युत पर लगाए जाने वाले विद्युत शुल्क पर सकल उत्पादन के संबंध में क्रमशः 5.241 प्रतिशत और 12.47 प्रतिशत की दर से पारेषण क्षति की अनुमति देते हुए आंतरिक तकनीकी आकलन के आधार पर विचार किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा तकनीकी आकलन को स्वीकार नहीं किया जाता है। 31.03.2014 तक भुगतान किए गए शुल्क की वापसी का दावा 94.55 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष तक 90.17 करोड़ रुपए) है जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी।

टिप्पणी संख्या 39 : संयुक्त नियंत्रण वाली परिसंपत्तियां

कंपनी ने मैसर्स आदित्य एल्यूमिनियम और मैसर्स उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ उनके संबंधित परिसरों को विद्युत की आपूर्ति के लिए ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले के लक्ष्मीपुर क्षेत्र में एक 220 केवी स्विच स्टेशन के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

सुविधा को पूर्णतः लाभार्थियों द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। प्रचालन और अनुरक्षण खर्च भी सह–लाभार्थियों द्वारा अनुपातिक रूप से वहन किए जाएंगे। लेखाकरण मानक 27 के अनुपालन में निम्नलिखित प्रकटन किए जाते हैं :

क.	परिसंपत्ति का नाम	: लक्ष्मीपुर में 220 केवी उपकेंद्र
ख.	परिसंपत्ति का स्वरूप	: वैद्युत संस्थापन
ग.	अभिकल्पित लाभ का स्वरूप	: संयंत्र प्रचालन के लिए फीडर के माध्यम से विद्युत प्राप्त करना
घ.	कार्य का कुल मूल्य	: 45.70 करोड़ रुपए
ड.	संयुक्त परिसंपत्ति में नालको का हिस्सा	: 33.33 प्रतिशत (1/3)
च.	पूंजीकृत परिसंपत्ति का मूल्य	: 15.23 करोड़ रुपए
छ.	31.03.2014 को देयता	: 3.99 करोड़ रुपए
ज.	बिक्री/आउटपुट के उपयोग से आय	: शून्य
झ.	नालको के हिस्से के संबंध में व्यय	: शून्य

टिप्पणी संख्या 40 : पट्टों का प्रचालन :

क) कंपनी ओडिशा सरकार द्वारा प्रत्येक 20 वर्ष पर नवीकरणीय पट्टे पर प्रदान की गई पंचपटमाली बॉक्साइट खानों में खनन क्रियाकलापों का प्रचालन कर रही है। पट्टे के नवीकरण के संबंध में कंपनी ने एनपीवी और संबंधित भुगतानों को अदा किया है जिसे कि अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया गया है और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार सीधी रेखा आधार (स्ट्रेट लाइन बेसिस) पर परिशोधित किया गया है।

ख) खनन पट्टा कंपनी द्वारा अधिग्रहीत भूमि के भूमि (सरफेस) किराए और खान के स्थायी किराए के भुगतान के अध्यधीन होता है। कंपनी ने भूमि और स्थायी किराए के संबंध में 0.19 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 0.16 करोड़ रुपए) की राशि का भुगतान किया है और इसे संबंधित वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया है।

टिप्पणी संख्या 41 : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बकाया देय :

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय बकाया का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान करते हुए किया गया है। उक्त अधिनियम के अनुसरण में प्रकटन नीचे दिए गए अनुसार है :

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2013 को
i) बकाया मूलधन पर देय ब्याज	0.54	0.85
ii) बकाया मूलधन पर देय ब्याज	शून्य	शून्य
iii) नियुक्ति दिवस से परे अदा किया गया ब्याज एवं मूलधन	शून्य	शून्य
iv) भुगतान करने में देरी (जो अदा किया गया है मगर वर्ष के दौरान नियुक्त दिवस से परे) की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि लेकिन एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज की राशि जोड़े बिना	शून्य	शून्य
v) वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की रकम एवं जिसका भुगतान नहीं किया गया है	शून्य	शून्य
vi) शेष देय ब्याज की राशि और बाद के वर्षों में भी ऐसी तिथि तक देय जब तक उक्त के अनुसार देय ब्याज एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृतियों के उद्देश्य के लिए लघु उद्यमियों को वस्तुतः भुगतान किया जाता है।	शून्य	शून्य

टिप्पणी संख्या 42 : वर्ष के लिए लाभांश

42.1 कंपनी ने वर्ष 2013–14 के लिए 5/–रुपए प्रति इक्विटी शेयर पर 1.10/–रुपए के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है (पिछले वर्ष 5/–रुपए के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.75/–रुपए)।

42.2 वर्ष 2013–14 के लिए 5/–रुपए प्रति इक्विटी शेयर पर 0.40/–रुपए के अंतरिम लाभांश का प्रावधान (पिछले वर्ष 5/–रुपए के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.50/–रुपए)।

42.3 वर्ष 2013–14 के लिए कुल लाभांश 5/–रुपए प्रति इक्विटी शेयर पर 1.50/–रुपए बनता है। (पिछले वर्ष 5/–रुपए के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1.25/–रुपए इक्विटी शेयर)। वर्ष 2013–14 के दौरान प्रस्तावित लाभांश की कुल राशि 386.59 करोड़ रुपए है। (पिछले वर्ष 322.15 करोड़ रुपए)।

टिप्पणी संख्या 43 : लेखाकरण नीति/प्रक्रिया में परिवर्तन

43.1 ग्रहीत विद्युत उत्पादन को एल्यूमिनियम वर्ग में शामिल करना

परिवर्तन का स्वरूप :

विद्युत का ग्रहीत उत्पादन स्मेल्टर संयंत्र में एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन का अभिन्न हिस्सा है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग विद्युत सघन होती है और तदनुसार इस परियोजना की परिकल्पना विद्युत के पर्याप्त ग्रहीत उत्पादन को ध्यान में रखकर की गई थी क्योंकि ग्रहीत विद्युत की सहायता के बिना एल्यूमिनियम स्मेल्टर व्यवहार्य नहीं है। राज्य (ग्रिड) से विद्युत की खरीद करके हाल फिलहाल में किया गया स्मेल्टर प्रचालन आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा और यह व्यावसायिक माडल का हिस्सा नहीं है। उचित लागत पर विद्युत की सतत आपूर्ति एल्यूमिनियम स्मेल्टर के संबंध में जोखिम और लाभ के प्रमुख स्रोतों में से एक है। यह जोखिम और लाभ को बड़ी सीमा तक प्रभावित कर सकता है। इसलिए, किसी भी संयंत्र से संबंधित प्रमुख कार्यनीतिक अथवा प्रबंधकीय निर्णय परस्पर निर्भर होते हैं।

तदनुसार, एक पृथक सूचना वर्ग के रूप में ग्रहीत विद्युत उत्पादन की नीति को छूट दी गई है। एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत संबंधी सीपीपी पर विद्युत उत्पादन को एल्यूमिनियम वर्ग में शामिल किया गया है।

पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए उन्हें आवश्यकतानुसार पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

43.2 एल्यूमिना को रसायनिक वर्ग से एल्यूमीनियम वर्ग में अंतरित करने और विद्युत को एल्यूमिनियम वर्ग से रसायनिक वर्ग में अंतरित करने के मूल्य में परिवर्तन।

परिवर्तन का स्वरूप :

अंतर वर्ग अंतरणों को इस आधार पर मापा जाना चाहिए कि उद्यम ने वास्तव में उन अंतरणों का मूल्य निर्धारित किया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विभिन्न वर्गों के बीच लेनदेन को दर्शाने के लिए लेखा बही में वास्तविक रूप से प्रयुक्त मूल्य और लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत वर्ग रिपोर्टिंग के प्रयोजन से वर्ग परिणाम दर्शाने के लिए प्रयुक्त मूल्य एक समान होना चाहिए। तदनुसार चालू वर्ष से नीति में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं!

क) एल्यूमिना को रसायनिक वर्ग से एल्यूमिनियम वर्ग में अंतरित करने का मूल्य :

पुराना : अवधि के दौरान फ्रेट और लागत को घटाते हुए निर्यात के औसत मूल्य से कम तथा सकल स्थायी परिसंपत्तियों संबंधी निवेश में 15.50 प्रतिशत लाभ जोड़ते हुए।

नया : अवधि के दौरान रिफाइनरी से वाइजाग स्थित पत्तन तक फ्रेट घटते हुए निर्यात बिक्री से औसत बिक्री वसूली के औसत में निर्यात प्रोत्साहन जोडते हुए।

ख) विद्युत का एल्यूमिनियम वर्ग से रसायनिक वर्ग में अंतरण :

पुराना : ग्रिडको को बिक्री मूल्य के औसत और लागत से कम और सकल स्थायी परिसंपत्तियों के निवेश पर 15.50 प्रतिशत लाभ जोड़ते हुए।

नया : एल्यूमिना रिफाइनरी में राज्य ग्रिड से विद्युत का वार्षिक/आवधिक औसत खरीद मूल्य

पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए उन्हें आवश्यकतानुसार पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

टिप्पणी संख्या 44 : पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्वर्गीकरण :

पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए जहां कहीं जरूरी है पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

टिप्पणी संख्या 45 : संबंधित पक्ष प्रकटीकरण :

45.1 इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" पर एएस 18 के अनुसार वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के नाम नीचे दिए गए हैं :

i) पूर्णकालिक निदेशकगण :

क) श्री अंशुमान दास

ख) श्री बी एल बागड़ा (01.05.2013 तक)

ग) श्री एस एस महापात्र

घ) श्री एन आर महान्ति

ड.) श्री एस सी पाढ़ी

च) श्री के सी सामल (03.01.2014 से)

छ) सुश्री सोमा मंडल (11.03.2014 से)

ii) अंशकालिक सरकारी निदेशकगण : (भारत सरकार के नामित)

क) सुश्री गौरी कुमार, आईएएस (01.07.2013 तक)

ख) श्री आर श्रीधरन, आईएएस (30.08.2013 से)

ग) श्री डी एस मिश्रा, आईएएस (22.04.2013 से और 04.07.2013 तक)

iii) अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकगण

क) श्री वेद कुमार जैन (20.03.2014 तक)

ख) श्री पी सी शर्मा, आईएएस (सेवानिवृत्त) (20.3.2014 तक)

ग) श्री जी पी जोशी, आईएएस (सेवानिवृत्त)

घ) श्री एस एस खुराना

ड.) श्री मधुकर गुप्ता, आईएएस (सेवानिवृत्त)

च) श्री जी एच अमीन

छ) कैसर शमीम

ज) श्री संजीव बत्रा

iv) कंपनी का संयुक्त उद्यम अनगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड और एन पी सी आई एल – नालको पावर कंपनी लिमिटेड में क्रमशः 49.5 प्रतिशत और 26 प्रतिशत की शेयरधारिता सहित हिस्सा है। वर्ष के दौरान कंपनी ने संयुक्त उद्यमों के साथ कोई लेनदेन (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य) नहीं किया है।

45.2 संबंधित पार्टी लेनदेन :

पूर्णकालिक निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक और ऋण का विवरण नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	**पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक :**		
	वेतन	1.41	2.01
	भविष्य निधि में अंशदान	0.12	0.12
	चिकित्सा लाभ	0.01	0.01
	अन्य लाभ	0.07	0.07
	योग :	**1.61**	**2.21**
2.	**निदेशकों से बकाया ऋण/अग्रिम :**		
	वर्ष के अंत में बकाया	0.09	0.07
	वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम देय राशि	0.14	0.10

5 वर्षों का कार्यनिष्पादन एक नजर में – भौतिक

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
1	उत्पादन :						
	बॉक्साइट	एमटी	6,292,677	5,419,391	5,002,626	4,823,908	4,878,888
	एल्यूमिना हाइड्रेट	एमटी	1,925,000	1,802,000	1,687,000	1,556,000	1,591,500
	एल्यूमिनियम	एमटी	316,492	403,384	413,089	443,597	431,488
	विद्युत (निवल)	एमटी	4,989	6,076	6,200	6,608	6,293
	पवन विद्युत	एमटी	144	14	-	-	-
2	निर्यात बिक्री :						
	एल्यूमिना	एमटी	1,309,473	944,117	792,552	639,855	702,554
	एल्यूमिनियम	एमटी	101,243	144,161	98,399	98,200	146,947
3	घरेलू बिक्री :						
	एल्यूमिना हाइड्रेट और अन्य रसायन	एमटी	33,288	40,605	50,253	45,916	44,420
	एल्यूमिनियम	एमटी	218,420	258,941	317,517	340,752	289,032
	विद्युत (निवल)	एमटी	27	26	16	56	15
	पवन विद्युत	एमटी	144	14	-	-	-

5 वर्षों का कार्यानिष्पादन एक नजर में – वित्तीय (करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
क	आय का विवरण :					
1	निर्यात	3,719	3,410	2,569	2,065	2,209
2	घरेलू बिक्री	3,305	3,837	4,358	4,305	3,101
3	सकल बिक्री (1+2)	7,024	7,247	6,927	6,370	5,310
4	घटाएं : उत्पाद शुल्क	375	438	427	411	256
5	निवल बिक्री (3–4)	6,649	6,809	6,500	5,959	5,054
6	अन्य आय :					
7	प्रचालन	132	107	112	98	119
8	गैर प्रचालन	558	511	542	353	374
9	प्रचालन व्यय	5,847	6,010	5,467	4,464	4,071
10	प्रचालन व्यय (5+7–9)	934	906	1,145	1,593	1,102
11	विशेष व्यय	49	-	22	-	-
12	ब्याज, मूल्य ह्रास एवं कर पूर्व (ई बी आई डी टी) आय (10+8–11)	1,443	1,417	1,665	1,946	1,476
13	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	0	7	1	-	2
14	मूल्यह्रास एवं कर पूर्व (ईबीडीटी) आय (12–13)	1,443	1,410	1,664	1,946	1,474
15	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	525	505	467	422	319
16	कर पूर्व लाभ (पीबीटी) (14–15)	918	905	1,198	1,524	1,155
17	कर के लिए प्रावधान	276	312	348	455	341
18	निवल लाभ (पीएटी) (16–17)	642	593	850	1,069	814
ख	तुलन पत्र :					
ख	तुलन पत्र :					
19	इक्विटी पूंजी	1,289	1,289	1,289	1,289	644
20	आरक्षित एवं अधिशेष	10,834	10,644	10,426	9,876	9,751
21	निवल मूल्य (19+20)	12,122	11,933	11,715	11,165	10,395
22	ऋण	0	-	-	15	9
23	निवल स्थायी परिसंपत्तियां	6,792	6,629	6,612	5,494	4,836
24	कार्यकारी पूंजी	3,949	3,411	4,193	3,304	2,998
25	नियोजित पूंजी (23+24)	10,741	10,040	10,805	8,798	7,834
ग	अनुपात :					
26	प्रचालन लाभ अंतर (ओपीएम (प्रतिशत)(10/5*100)	14.05	13.31	17.62	26.73	21.80
27	निवल लाभ अंतर (प्रतिशत) (18/5*100)	9.66	8.71	13.07	17.94	16.11
28	नियोजित पूंजी पर लाभ (आरओसीई) (प्रतिशत) (18/25*100)	5.98	5.91	7.86	12.15	10.39
29	निवल मूल्य पर लाभ (आर ओ एन डब्ल्यू) (प्रतिशत) (18/21*100)	5.30	4.97	7.25	9.57	7.83
घ	अन्य :					
30	5/–रुपए – प्रति शेयर का बही मूल्य (रुपए में)	47.04	46.30	45.46	43.32	40.34
31	प्रति शेयर आय (रुपए में)	2.49	2.30	3.30	4.15	3.16
32	लाभांश (रुपए प्रति शेयर)	1.50	1.25	1.00	2.50	2.50

वर्ष 2013–14 के लिए प्रकाशित तिमाही (गैर–लेखापरीक्षित) वित्तीय परिणामों तथा वार्षिक (लेखापरीक्षित) वित्तीय परिणामों का समायोजन

(क्र.सं. 12 और 13 को छोड़कर) (करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	प्रथम तिमाही (पुनरीक्षित)	द्वितीय तिमाही (पुनरीक्षित)	तृतीय तिमाही (पुनरीक्षित)	चतुर्थ तिमाही (पुनरीक्षित)	चारों तिमाही का योग	पूर्ण वर्ष (लेखापरीक्षित)	अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सकल कारोबार	1621.29	1805.33	1716.87	1880.78	7024.27	7024.27	-
	घटाएं : उत्पाद शुल्क	84.75	95.24	95.91	99.57	375.47	375.47	-
	निवल बिक्री	1536.54	1710.09	1620.96	1781.21	6648.80	6648.80	-
2	अन्य आय	202.72	150.98	143.68	192.38	689.76	689.76	-
3	मूल्यह्रास को कुल व्यय	1407.52	1470.60	1439.56	1528.97	5846.65	5846.65	-
4	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	-	-	-	-	-	0.00	-
5	मूल्यह्रास एवं प्रावधान	124.47	128.57	130.75	140.94	524.73	524.73	-
6	कर पूर्व लाभ एवं अपवादात्मक मदें	207.27	261.90	194.33	303.68	967.18	967.18	-
7	अपवादात्मक मदें	-	-	-	49.37	49.37	49.37	-
8	कर पूर्व लाभ	207.27	261.90	194.33	254.31	917.81	917.81	-
9	कर के लिए प्रावधान	47.57	82.73	63.30	81.86	275.46	275.46	-
10	निवल लाभ (पीएटी))	159.70	179.17	131.03	172.45	642.35	642.35	-
11	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	1288.62	1288.62	1288.62	1288.62	1288.62	1288.62	-
12	प्रति शेयर आय (रुपए)	0.62	0.70	0.51	0.67	2.49	2.49	-
	(वार्षिक नहीं)							
13	गैर प्रमोटर शेयर धारक का कुल योग							
	शेयरों की संख्या:	488,178,890	488,178,890	488,178,890	488,178,890	488,178,890	488,178,890	
	शेयर धारिता का प्रतिशत	18.94	18.94	18.94	18.94	18.94	18.94	

नालको की विभिन्न उत्पादन इकाइयां, उनकी अवस्थिति और संस्थापित क्षमताएं

1. बॉक्साइट खान	पंचपटमाली	63,00,000 टन प्रति वर्ष
2. एल्यूमिना परिशोधक	दामनजोड़ी	21,00,000 टन प्रति वर्ष
3. स्मेल्टर संयंत्र	अनगुल	4,60,000 टन प्रति वर्ष
4. ग्रहीत विद्युत संयंत्र	अनगुल	1,200 मेगावाट
5. पत्तन सुविधाएं	विशाखापत्तनम	14,00,000 टन प्रति वर्ष (एल्यूमिना निर्यात कॉस्टिक टन प्रति वर्ष सोडा लाई का आयात)
6. पवन विद्युत	गंडिकोटा, आंध्र प्रदेश	50.4 मेगावाट
	जैसलमेर, राजस्थान	47.6 मेगावाट

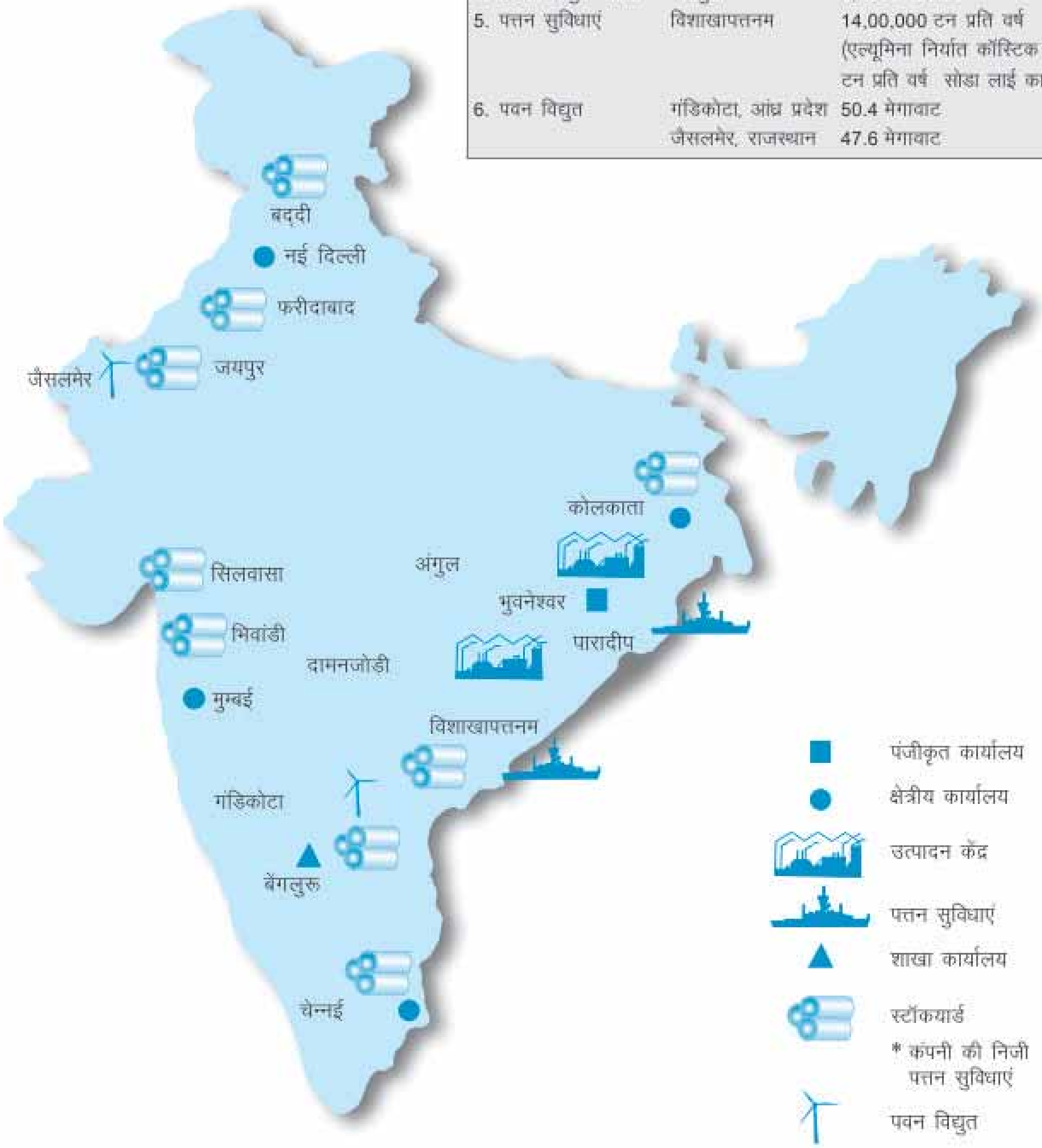

कार्यालय एवं ग्राहक संपर्क केंद्र

पंजीकृत कार्यालय एवं निगम

कार्यालय नालको भवन,
प्लांट नम्बर पी/1 नयापल्ली,
भुवनेश्वर–751 061 (ओडिशा)
दूरभाष : 0674-2301988 to 2301999

इकाइयां

1. खान एवं परिशोधन
खान एवं परिशोधन परिसर
दामनजोड़ी–763 008
जिला : कोरापुट (ओडिशा)
दूरभाष :
06853–254515/254550/54251

2. ग्रहीत विद्युत संयंत्र

जिला : अनगुल (ओडिशा)
पिन : 759 122
दूरभाष : 06764–220158
फैक्स : 06764–2206463.

स्मेल्टर

नालको नगर –759145
जिला : अनगुल (ओडिशा)
दूरभाष : 06764–220110
फैक्स : 06764–220738/220206

पत्तन सुविधाएं

विशाखापत्तनम

ओर हैंडलिंग काम्पलेक्स
के सामने पत्तन क्षेत्र,
विशाखापत्तनम–530 035 आंध्र प्रदेश
दूरभाष : 0891–2561433/2561435
फैक्स : 0891–2561598
ई–मेल : gmport@ nalcoindia.co.in

पारादीप (पत्तन कार्यालय)

"बी" प्वाइंट

बडपड़िया, पारादीप : 754142
दूरभाष : 06722–221286
फैक्स : 06722–221286
ई–मेल :
nalco_paradeep@nalcoindia.co.in

क्षेत्रीय कार्यालय

1. पूर्वी क्षेत्र
प्रथम तल, जेके मिलेनियम सेंटर
46, डी, चौरंगी रोड, कोलकाता–700 071
दूरभाष : 033–66224510–34
फैक्स : 033–22810393/22878936
ई–मेल : rmeast@nalcoindia.co.in

2. पश्चिमी क्षेत्र
215, टीवी इंडस्ट्रियल एस्टेट
एस के अहिरे मार्ग, वर्ली, मुंबई – 400 025
दूरभाष : 022–24939288/89
फैक्स : 022–24950500
ई–मेल :bbsinghbabu@nalcoindia.co.in

3. उत्तरी क्षेत्र
कोर 4, 5वीं मंजिल, साउथ टावर
डिस्ट्रिक्स सेंटर स्कोप मीनार
लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092
दूरभाष : 011–22010793/794/801
फैक्स : 011–22010800/22010790/792
ई–मेल: amarjit.ahluwalia@nalcoindia.co.in

4. दक्षिणी क्षेत्र
3ई, सेंचुरी प्लाजा, 560, अन्ना मलाई,
टेयनमपेट, चेन्नई–600018
दूरभाष : 044–24344162/24349157
फैक्स : 044–24343495
ई–मेल : rmsouth@nalcoindia.co.in

शाखा कार्यालय
1. बेंगलुरू
भूतल, जल भवन, सं. 5 और 6, फर्स्ट स्टेज,
फर्स्ट फेज, बीटीएम लेआउट, बनरघट्टा
मेन रोड, बेंगलुरू–560029
दूरभाष : 080–26637297/26637083/26637084
फैक्स : 080–26530148
ई–मेल : nalblr@nalcoindia.co.in

परिसर
1. भिवंडी
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
द्वारा एनएसआईसी लिमिटेड
गोदाम नम्बर 42/57, इंडियन कार्पोरेशन कम्पाउंड
मनकोली नाका, मुंबई नासिक रोड, थाणे,
महाराष्ट्र, भिवंडी : 421302
दूरभाष : 02522–3200472.

2. कोलकाता
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
द्वारा बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड
डब्ल्यूएच, 1–सोनपुर रोड,
कोलकाता–700 088
दूरभाष : 033–24506840

3. बेंगलुरू
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा
मैसर्स कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया
लिमिटेड
वेयर हाउस नम्बर 3, व्हाइटफील्ड रोड,
बेंगलुरू–560 066, कर्नाटक
दूरभाष : 080–28451327/28
फैक्स : 080–284513294.

4. जयपुर
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा
मैसर्स कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया
लिमिटेड वेयर हाउस एसपी–1296, सीतापुरा
इंडस्ट्रियल एरिया टांक रोड, जयपुर–302022,
राजस्थान
दूरभाष : 0141–2770226
फैक्स : 0141–27708175.

5. सिलवासा
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा
एसआईसी लिमिटेड, गोदाम : शालीमार
इंटरप्राइजेज कारपोरेशन 80/4, दयाल
फालिया रोड, आमली (पिपरिया), सिलवासा
–396230 संघ राज्य क्षेत्र दादर नागर हवेली)
दूरभाष : 0260–26414366.

6. फरीदाबाद
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा
एनएसआईसी लिमिटेड, इंडिया गैरेज
इक्विपमेंट, प्लाट नम्बर 51, सेक्टर–6,
फरीदाबाद, हरियाणा –121003
दूरभाष : 0129–41024307.

7. विशाखापत्तनम
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको पत्तन सुविधाएं
पोर्ट एरिया, विशाखापत्तनम–530 035
आंध्र प्रदेश
दूरभाष : 0891–27210328.

8. बद्दी
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
द्वारा एनएसआईसी लिमिटेड
ग्राम : घरमपुर, पीओ बद्दी, तहसील नालागढ़,
जिला : सोलन–173205, हिमाचल प्रदेश
दूरभाष : 56578959.

9. चेन्नई
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
द्वारा एनएसआईसी लिमिटेड,
नेफेड वेयर हाउसिंग काम्प्लेक्स,
पोन्नियम्मानमेडु पोस्ट, मधावरम,
चेन्नई–600010, तमिलनाडु
दूरभाष : 044–25530310/320/327/433

नालको NALCO

नेशनल इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सर्विस मैंडेट फार्म

(कृपया सूचनाओं को स्पष्ट अक्षरों में भरें। जहां भी लागू हो कृपया सही का निशान लगाएं)

1. पंजीकृत संख्या :

2. प्रथम शेयरधारक का नाम श्री / श्रीमती / कुमार / मैसर्स :

3. प्रथम शेयरहोल्डर का नाम :

पिन कोड :

4. बैंक का विवरण :

बैंक का नाम :

शाखा का नाम :

पता :

शाखा कोड (चेक की एमआईसीआर पट्टी पर दर्शाया गया 9 अंकों का एमआईसीआर कोड)

कृपया विधिवत रद्द किया हुआ आपके बैंक को खाली चेक या चेक की फोटो प्रति संलग्न करें) :

खाते का प्रकार | **खाता संख्या**

एसए | सीए | सीसी

मैं एतद्द्वारा यह धारणा करता हूं कि ऊपर दिए गए सभी विवरण पूरी तरह से सही एवं संपूर्ण हैं। सूचनाओं के असंपूर्ण या असत्य होने की वजह से अगर लेनदेन विलंबित हो जाता है या प्रभावी नहीं होता है तो मैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। अगर मेरे खाते के विवरणों में कोई भी परिवर्तन होता है, तो मैं एनसीएस (क्रेडिट क्लीयरिंग) के जरिए राशि के जमा होने के उद्देश्य के लिए रिकार्ड को अद्यतन करने हेतु उसकी जानकारी भी दूंगा।

शेयरधारक (कों) के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

नोट : अगर शेयरधारक खाली चेक की फोटो प्रति संलग्न करने की स्थिति में नहीं है, तो इस मामले में नीचे उल्लिखित अनुसार एक प्रमाणपत्र बैंक से लाकर जमा करना होगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी विवरण हमारे रिकार्ड के अनुसार सही हैं।

बैंक की मुहर :

दिनांक :

बैंक के अधिकृत कार्मिक का हस्ताक्षर

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको भवन, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751013
भारत, दूरभाष : 0674–2300677 / 2301988–89, www.nalcoindia.com

वैश्विक दायरा

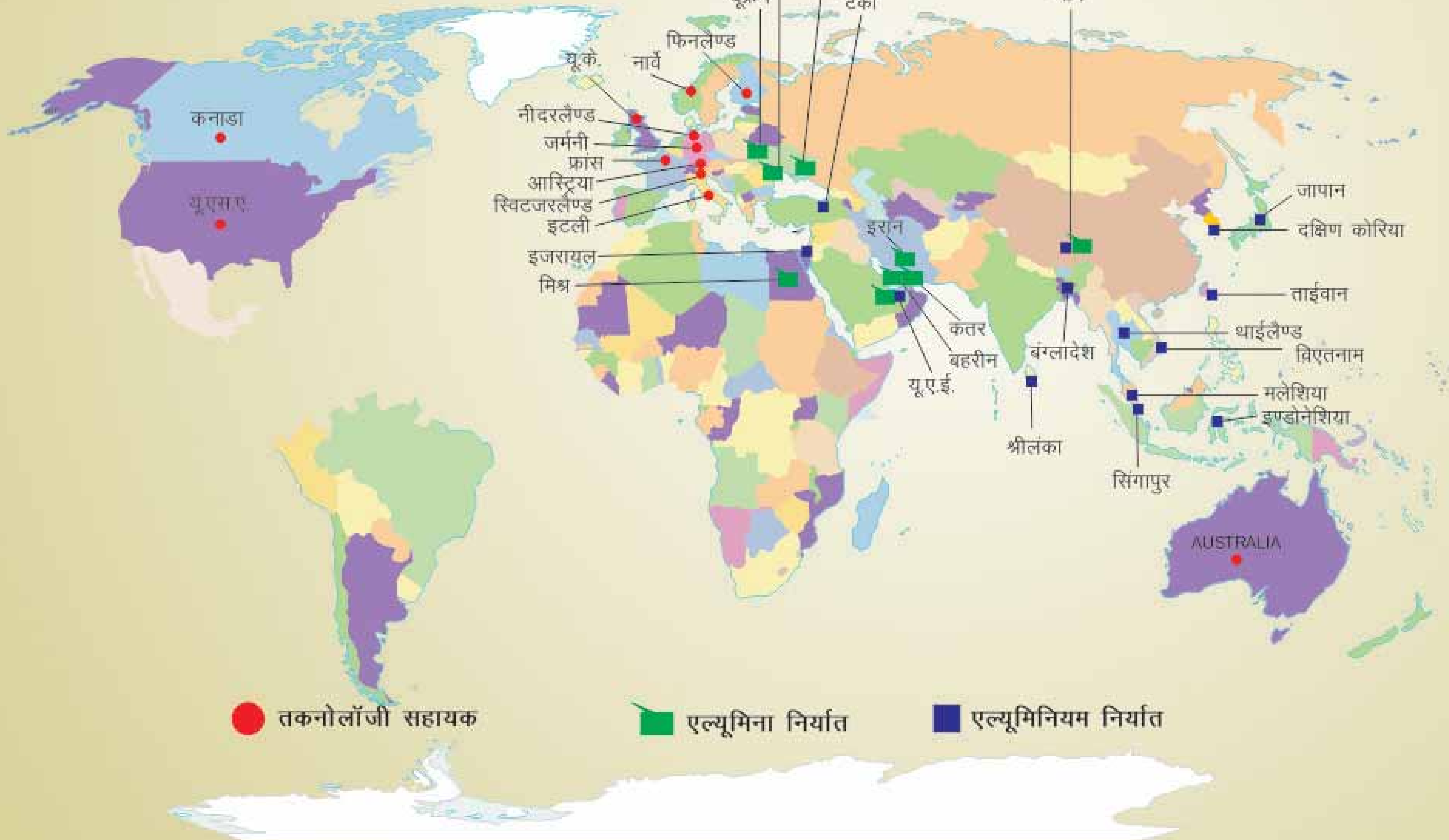

कनाडा
यू.एस.ए
यू.के.
नार्वे
फिनलेण्ड
यूक्रेन
रोमानिया
जॉर्जिया
टर्की
नीदरलैण्ड
जर्मनी
फ्रांस
आस्ट्रिया
स्विटजरलैण्ड
इटली
इजरायल
मिश्र
इरान
कतर
बहरीन
यू.ए.ई.
चीन
बंग्लादेश
श्रीलंका
जापान
दक्षिण कोरिया
ताईवान
थाईलैण्ड
विएतनाम
मलेशिया
इण्डोनेशिया
सिंगापुर
AUSTRALIA
तकनोलॉजी सहायक
एल्यूमिना निर्यात
एल्यूमिनियम निर्यात

नालको NALCO

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड

(A Government of India Enterprise)

www.nalcoindia.com

A NAVRATNA COMPANY

पंजीकृत कार्यालय एवं निगम कार्यालय

नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751 013 (ओड़िशा)

CIN : L27203OR1981GOI000920